राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या: 19

मंगलवार,

30 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 406, श्री बाबूलाल नागर।

फागी में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या

406. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की फागी तहसील के समस्त राजस्व गांवों और ढाणियों के फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिये सरकार द्वारा बीसलपुर, फागी पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति एवं कार्य आदेश कब जारी हुए? उक्त योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य का समय, माह और वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण रहे और योजना के संवेदक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार योजना की क्रियान्विति में हुए विलम्ब के लिये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही का निर्धारण कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बीसलपुर-फागी पेयजल योजना से गांव-ढाणियों में घर-घर में पानी के कनेक्शन देकर पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। फागी तहसील के 169 ग्राम एवं 275 ढाणियों को बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2 स्वीकृत वृहत् पेयजल परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) बीसलपुर-दूदू-फागी पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 217.24 करोड़ की जारी की गयी। इस परियोजना के अंतर्गत तहसील फागी के 161 ग्राम एवं 256 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 24.07.2013 को राशि रुपये 205.12 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना निर्धारित समयावधि 30 माह में अर्थात् दिनांक 02.02.2016 को पूर्ण करनी निर्धारित थी। फागी तहसील के 147 ग्राम व 134 ढाणियों को अब तक लाभान्वित किया गया है तथा परियोजना के शेष कार्य प्रगति पर हैं।

(ब) बीसलपुर-दूदू-चाकसू पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 254.45 करोड़ की जारी की गयी। इस परियोजना के अंतर्गत तहसील फागी के 8 ग्राम एवं 19 ढाणियों तथा तहसील चाकसू के 267 ग्राम एवं 489 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु मैसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 13.08.2013 को राशि रुपये 234.96 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना निर्धारित समयावधि 30 माह में अर्थात् दिनांक 22.02.2016 को पूर्ण करनी निर्धारित थी। यह परियोजना दिनांक 06.04.2018 को पूर्ण की जा चुकी है।

उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यादेश सम्बन्धी विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त दोनों पेयजल परियोजनाओं के निर्धारित समय में क्रियान्वयन पूर्ण नहीं होने में हुई देरी के विभिन्न कारण रहे हैं जिसके लिये अनुबंधक फर्म एवं विभागीय स्तर पर हुई देरी का निर्धारण अंतिम रूप से अभी नहीं किया गया है।

परियोजनाओं के कार्यों की धीमी गति रखने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीसलपुर-दूदू-फागी पेयजल परियोजना के अंतर्गत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुबंधक फर्म से रुपये 13.41 करोड़ तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू पेयजल परियोजना के अंतर्गत अनुबंधक फर्म से रुपये 8.45 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गयी है।

उक्त परियोजनाओं के कार्य धीमी गति से करने एवं निर्धारित प्रोरेटा प्रगति नहीं बनाये रखने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्मों को विभाग द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार अनुबंधक फर्मों एवं विभागीय स्तर पर हुई देरी का निर्धारण अंतिम रूप से अभी नहीं किया गया है। परियोजनाओं के कार्यों की धीमी गति रखने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्मों से उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गयी है। अत: विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) बीसलपुर-दूदू-फागी एवं बीसलपुर-दूदू-चाकसू की पेयजल परियोजनाओं में सम्मिलित ग्राम एवं ढाणियों को परियोजना के अंतर्गत निर्मित किये गये उच्च जलाशयों के क्लस्टर अंतर्गत पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट (पी.एस.पी.) स्थापित कर पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान स्वीकृत था।

स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों द्वारा इन परियोजनाओं के ग्राम एवं ढाणियों में चयनित किये गये स्थानों पर पी.एस.पी. स्थापित कर इनसे पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त परियोजनाओं में सम्मिलित ग्राम एवं ढाणियों में घरेलू जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति किये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि फागी तहसील के 147 ग्राम और 134 ढाणियों को लाभान्वित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि अधिकारियों ने यह आपको गलत जानकारी दी है। अगर आपके अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि इतने गांवों को लाभान्वित कर रहे हैं तो एक बात तो यह बता दें कि फागी तहसील को वर्तमान में बीसलपुर से कितना पानी दिया जा रहा है? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

(श्री बाबूलाल नागर)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि विभागीय स्तर पर हुई देरी का निर्धारण अंतिम रूप से अभी तक नहीं किया गया है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि विभागीय स्तर पर जो देरी हुई है इस लापरवाही के लिये कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं तथा इसका निर्धारण कब तक कर लिया जाएगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि फागी के कुल 169 गांव हैं। उनमें से 147 गांवों में पानी पहुंचाया जा चुका है। बचे हुए 14 गांव और 122 ढाणियों में हम तीन महीने में पानी पहुंचा देंगे। चाकसू के जो गांव हैं उनमें 267 गांव और 489 ढाणियां हैं। इनमें चाकसू में सिर्फ 8 गांव बचे हैं जिनमें हमें पानी पहुंचाना है। यह भी हम तीन महीने में पहुंचा देंगे।

जहां तक हर घर तक पानी पहुंचाने की बात है तो भारत सरकार एक नयी योजना ला रही है- 'हर घर को जल', उसमें यदि कोई योजना आएगी तो हम उसे भी करने का प्रयत्न करेंगे, किंतु अभी वर्तमान में पीएसपी के पास पानी पहुंचाने का प्रावधान है जो कि हमने पहुंचा दिया है। जहां तक डिले की बात है, हमने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ठेकेदार की राशि रोक ली गयी है और विभागीय स्तर पर कहीं कोई डिले नहीं हुई है। जो मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2016 तक पूरी फागी तहसील के गांवों और ढाणियों को बीसलपुर के पानी से लाभान्वित किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी परियोजना की क्रियान्विति शुरू हो, वह ढंग से विभाग द्वारा शुरू हो जाए, 10 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के उस निविदाकर्ता को दी जाती है और वह इसलिये दी जाती है कि...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप। प्रश्न सीधा है, 2013 की स्कीम है, 2016 तक पूरे गांव करने थे। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब 2019 तक कर देंगे तो यह जो 2016 से 2019 तक अभी तक गांव कमप्लीट नहीं हुए हैं तो क्या अधिकारी रेस्पोन्सिबल हैं या नहीं हैं? सीधी बात है। सीधा प्रश्न है।

2013 की स्कीम है। 2016 तक सब गांव कमप्लीट करने थे, आप अभी कह रहे हैं कि अब हम जो शेष बचे गांव हैं, उन्हें 2019 तक करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तीन महीने में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: 2016 से 2019 तक यह काम नहीं हुआ तो कोई न कोई अधिकारी तो जिम्मेदार होगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार के कारण देरी हुई। उसके पैसे रोके हुए हैं। अधिकारी बराबर प्रयत्नशील रहे कि समय पर पूरा हो जाए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, 10 प्रतिशत् राशि बिना ब्याज ठेकेदार को दी जाती है काम शुरू करने से पहले। वह जो 10 प्रतिशत राशि दी गयी थी, क्या ठेकेदार द्वारा उसका इस्तेमाल किया गया? यदि इस्तेमाल किया गया होता तो काम शुरू हो जाता। इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? तीन साल तक जो देरी हुई, क्या उसके लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार को कितनी राशि एडवांस दी, यह प्रश्न में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने केवल गांव का पूछा है, मैंने बता दिया कि सिर्फ 14 गांव बचे हैं। मैं तो कहूंगा कि तीन भी नहीं बल्कि दो महीने में ही इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। विट्ठल शंकर जी।

भीलवाड़ा में निजी आवासीय योजनाएं

407. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं के आंतरिक विकास का जिम्मा नगर विकास न्यास का है अथवा स्वयं विकासकर्ता का है? क्या उक्त आवासीय योजनाओं में सड़क, पानी, बिजली व सफाई उपभोक्ता को प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 2013 से 2019 तक कितने निजी विकासकर्ताओं की आवासीय योजनाओं को स्वीकृत किया

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

गया है व उनमें कितनी आबादी निवास कर रही है? क्या उक्त आवासीय योजनाओं में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शहर में निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं की स्वीकृति के समय आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु नगर विकास न्यास द्वारा कोई शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो किस-किस सुविधा हेतु कितनी-कितनी राशि न्यास कोष में जमा की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शहर में विकसित ऐसी योजनाओं में उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो ऐसे निजी विकासकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में राज्य सरकार की टाउनशिप पालिसी-2010 के अनुसार आंतरिक विकास का जिम्मा न्यास का न होकर निजी विकासकर्ताओं का है। टाउनशिप पालिसी-2010 की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) टाउनशिप पालिसी-2010 लागू होने से आज दिनांक तक न्यास द्वारा छोटी-बड़ी कुल 269 आवासीय योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत आवासीय योजनाओं में निवासरत आबादी के सम्बन्ध में न्यास स्तर पर पृथक् से कोई रिकार्ड संधारित नहीं है। आन्तरिक विकास यथा- सड़क, बिजली, पानी तथा सफाई का जिम्मा निजी विकासकर्ता का ही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बतौर एहतियात स्वीकृत आवासीय योजना में कुल सृजित भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड न्यास के हक में रहन रखवाये जाते हैं तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता होने पर ही रहन रखे भूखण्ड निजी विकासकर्ता के हक में रिलीज किये जाते हैं।

निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित कुल 269 योजनाओं में से 214 योजनाओं में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे गये और आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् रहन से मुक्त किये गये हैं, साथ ही 55 आवासीय योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्ड रहन से मुक्त नहीं किये गये हैं, क्योंकि अधिकांश प्रकरणों में टाउनशिप पालिसी-2010 में निर्दिष्ट

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रावधान अनुसार 3 वर्ष की अवधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करना होता है। परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार अवधि पूर्ण होने पर ही टाउनशिप पालिसी-2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(3) जी नहीं। निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु न्यास द्वारा पृथक् से कोई अतिरिक्त आन्तरिक विकास शुल्क नहीं लिया जाता है।

(4) जब भी न्यास द्वारा आवासीय योजना स्वीकृत की जाती है तो योजनाओं में आन्तरिक विकास यथा- पानी, बिजली, सड़क तथा सफाई इत्यादि की सुनिश्चितता हो सके, इस बाबत स्वीकृत आवासीय योजनाओं में सृजित कुल भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड न्यास पक्ष में रहन रखे जाते हैं तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर ही रहन रखे भूखण्ड विकासकर्ता के हक में जारी किये जाते हैं। यदि विकासकर्ता आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उसको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने बाबत न्यास स्तर से जरिये नोटिस सूचित किया जाता है। यदि इसके उपरान्त भी विकासकर्ता द्वारा अनदेखी की जाती है तो रहन रखे भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से विक्रय कर प्राप्त राशि से आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का आशय यह है कि तीन वर्ष के पश्चात् विकासकर्ता के 12.5 परसेंट वापस दे दिये जाते हैं और वह बरी हो जाता है। तीन वर्ष के पश्चात् उन कालोनियों में बिजली, पानी, सड़क और सफाई का जो रोजमर्रा का काम है उसकी जिम्मेदारी किसकी फिक्स करनी है? मेरा वास्तविक प्रश्न यह है कि तीन साल के बाद सारे कालोनाइजर तो पल्ला झाड़कर चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न। बस, हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर विकासकर्ता के द्वारा तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं जैसे सड़क, पानी, बिजली वगैरह, तो तीन वर्ष के पश्चात् न्यास के द्वारा वे जो 12.5 परसेंट न्यास के द्वारा रहन रखे गये हैं उनको नीलामी के माध्यम से बेच दिया

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जाता है और जो प्राप्त राशि होती है उससे फिर नगर विकास न्यास वहां पर आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध करती है।

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न यह नहीं है। इनका प्रश्न यह है कि आपने रहन भी कर दिया, पूरी कालोनी भी हो गई उसके बाद उस कालोनी का मेंटिनेंस कौन करेगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह तो ये बता दें कि कहां-कहां पर इस तरीके से नहीं हुआ है तो उनकी जांच करवा लेंगे। जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, यह जनरल प्रश्न है, इसका नहीं है। यह प्रश्न है कि जब इस तरह निजी कालोनाइजर कालोनी काट देता है, आपका 12.5 परसेंट का प्रोविजन भी है, कालोनी डवलप हो गई और कालोनी डवलप होने के बाद उसके रख-रखाव के लिए सरकार की कोई नीति है या नहीं है? यह प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कालोनी डवलप होने के बाद में सारा काम विकासकर्ता के जिम्मे होता है।

श्री अध्यक्ष: वह करके चला गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह करके चला गया और उसके बाद में अगर कोई रहन रखा हुआ प्लाट है तो उसको बेचकर उसका बाकी काम करवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप समझने की कोशिश करें। निजी निवेशकर्ता ने कालोनी डवलप कर दी, सड़क भी बना दी, पानी की व्यवस्था कर दी, बिजली की व्यवस्था कर दी और कालोनी डवलप हो गई। कालोनी डवलप होने के बाद, बाद में उसकी सड़क टूट रही है, नाली टूट रही है, बिजली का काम हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल यह है साहब, कि अगर उसके 12.5 परसेंट बचे हुए हैं.....

श्री अध्यक्ष: नहीं है, सब कमप्लीट हो गया, उसके बाद?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वे भी खतम हो गये? वे भी बेच दिये?

श्री अध्यक्ष: हां, उसके बाद फिर कौन करेगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बेचने के बाद तो फिर यूआईटी करेगी।

श्री अध्यक्ष: यह बताओ न आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं यही आश्वासन चाहता हूं कि हमारे भीलवाड़ा शहर में 269 कालोनियां....

श्री अध्यक्ष: माननीय विट्ठल जी। कटारिया जी। एक मिनट, धारीवाल साहब। माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सभी शहरों में है। इसका सही हल करने के लिए क्या जितने प्लाटिंग वह करता है उसी पर कोई ऐसा चार्ज आप पहले से ही फिक्स कर दें और जैसे-जैसे उसके प्लाट बिकते हैं या बिल्डिंग बनती है उसी समय कुछ पैसा यूआईटी को अगर स्थायी रूप से मिल जाए तो यूआईटी उसको मेन्टेन कर पाएगी, नहीं तो यूआईटी के लिए भी वह बर्डन होता है क्योंकि जो कुछ किया वह तो कर-कराकर चला गया। अब आपके ऊपर इतना अधिक वज़न आता है कि चाहते हुए भी यूआईटी उस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई स्थायी शुल्क के रूप में ही कोई पालिसी बना दें। प्रत्येक प्लाट पर जब उसका निर्माण शुरू होता है, निर्माण की परमिशन लेने आता है तब एक सर्टेन अमाउंट यूआईटी में उस डवलपमेंट के लिए जमा हो जाए बनिस्बत 12.5 परसेंट जमीन रखने के। जैसे-जैसे वह आता है तो वह यूआईटी ही प्रारम्भ करे और यूआईटी ही उसको मेन्टेन करे तब तो हो सकता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात तो वही है साहब, कि या तो आप नकद पैसा ले लो या 12.5 परसेंट उससे रहन रख लो। बात तो वही है। अगर वह नहीं करता है तो 12.5 परसेंट आपने रहन रखे हैं उनको बेचकर आप आंतरिक विकास करवा सकते हो। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। पूरी कालोनी डवलप हो गई, आपके 12.5 परसेंट भी आपने कर दिया, सड़क बन गई, बिजली आ गई, लोग रहने शुरू हो गये, उसके बाद तो निजी निवेशक का कोई रोल नहीं है। उसके बाद सड़क टूट गई, बिजली की समस्या हो गई, नाली खराब हो गई, उसके लिए पैसा कहां से आएगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके लिए नगर विकास न्यास काम करता है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है फिर। अगला प्रश्न, श्री गिरधारी लाल।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमको यूआईटी द्वारा मना किया जाता है कि हम नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। आप बैठें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, बैठो प्लीज। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप टाउनशिप पालिसी, 2010 पढ़ लीजिए। उसमें सब लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात सुन नहीं रहे हैं क्या? श्री गिरधारीलाल।

प्याज की सरकारी खरीद

408. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्याज उत्पादक किसानों ने सीकर सहित पूरे प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना में प्याज की सरकारी खरीद के लिए आन्दोलन चलाया था? यदि हां, तो कब? सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत कितने प्याज की खरीद की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। यह सही है कि फरवरी, 2019 में सीकर जिले के प्याज उत्पादक कृषकों ने प्याज की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद करने के लिये महापड़ाव किया था। सीकर के अतिरिक्त राज्य के अन्य जिलों में न तो कोई आन्दोलन किया गया, न ही महापड़ाव किया गया।

सीकर जिले में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिनांक 18.02.2019 को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एवं दिनांक 22.02.2019 को रसीदपुरा में सभा कर प्याज की सरकारी खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत करने की मांग की थी। दिनांक 27.02.2019 से कलेक्ट्रेट सीकर पर महापड़ाव शुरू किया, जिस पर जिला कलेक्टर सीकर

(कृषि मंत्री)

द्वारा प्रतिनिधि मण्डल से दिनांक 27.02.2019 को ही चर्चा की गई। प्रतिनिधि मण्डल की मांग थी कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्याज 10 रु. प्रति किलो की दर से क्रय किया जाए। ये महापड़ाव दिनांक 13.03.2019 को खतम हुआ।

बाजार हस्तक्षेप योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। इस योजना के तहत खरीद के लिये प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से इसका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस योजना के तहत खरीद प्रारम्भ की जाती है। विभाग द्वारा इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, किन्तु इस योजना में यह प्रावधान है कि विक्रय में 25 प्रतिशत से अधिक हुई हानि को राज्य सरकार पूर्ण रूप से वहन करेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री महोदय को अर्द्ध शासकीय पत्र से अनुरोध किया गया कि हानि की सीमा को 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत किया जाए, किन्तु भारत सरकार से न तो पत्र का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ न ही घाटे की सीमा को बढ़ाया गया। साथ ही दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा के आम चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के संचालन न होने से प्याज की खरीद प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो लगभग मंत्री जी ने दिया मगर जब आन्दोलन चला उस समय रसीदपुरा, सीकर में जो प्याज मण्डी बनी हुई थी उस मण्डी को चालू करने की बात की गई थी तो मैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह जो मण्डी बनी हुई है उसको कब तक शुरू किया जाएगा? यह इसी प्रश्न में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है, प्याज के भाव से पूछ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा मूल प्रश्न है, यह चार पाइंट में बना हुआ है। मैं यहीं खतम कर देता हूं। आपके माध्यम से, रसीदपुरा में प्याज के लिए कृषि मण्डी स्पेशल बनी हुई है। क्या सरकार किसान के हित में उसको चालू करने की मंशा रखती है? साथ में ही थोड़ा-सा सुझाव है, प्याज का अधिक उत्पादन होने पर दर घट जाती है, जिस समय किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, क्या

(श्री गिरधारीलाल)

सरकार प्याज उत्पादन क्षेत्र में प्याज का पाउडर बनाने की इकाई स्थापित करने हेतु किसानों को अनुदान देकर सहायता देने का विचार रखती है? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का प्रश्न पूछा है। फिर भी, मैं यह बताना चाहूंगा कि रसीदपुरा के अंदर 2008 में मण्डी की घोषणा की गई थी। वहां मेरे खयाल से 90 या 92 दुकानें बन चुकी हैं, प्लेटफार्म तैयार है, केवल मार्केटिंग बोर्ड को उनका आबंटन करना है। मेरे खयाल से मुझे जो जानकारी है मार्केटिंग बोर्ड उनका आबंटन कुछ ही दिनों बाद में चालू कर देगा।

दूसरी बात, ये रसीदपुरा जो गांव है और इसके आस-पास का जो इलाका है, यहां राजस्थान में सबसे मीठा प्याज पैदा होता है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है।

दूसरा प्रश्न आपने किया कि उसका पाउडर बनाने की बात है। इस योजना पर भी इनके द्वारा बार-बार पत्र व्यवहार हो रहा है, हम विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नीति हम लेकर आएं, मुख्य मंत्रीजी ने जो एक हजार करोड़ की किसान कल्याण की घोषणा की है, उसमें हम योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकें। उस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण परिक्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध खनन

409. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आती हैं? यदि हां, तो उक्त पहाड़ियां किस-किस पंचायत में स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय व MOEF की गाइडलाइन के अनुसार जैतारण परिक्षेत्र में स्थित पहाड़ियों से हो रहे खनन व थ्रेसर वैध है? यदि हां, तो निर्णय व MOEF की गाइडलाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जैतारण परिक्षेत्र में स्थित पहाड़ियों से हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला में आती हैं, जो ग्राम पंचायत बाबरा, रास, टुकडा, राबडियावास, बलाडा, झाला की चौकी, बर, बल्लूपुरा, कानूजा, कलालिया, बिराटिया, बिराटिया खुर्द, चिताड़, पचानपुरा, प्रतापगढ़, रायपुर, सुमेल, चांग में स्थित हैं।

(2) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 128 खनन पट्टे प्रभावशील हैं तथा 20 क्रेशर संचालित हैं। उक्त खनन पट्टों में खनन कार्य अरावली हिल्स के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2005 व निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निर्देश/गाइडलाइन दिनांक 09.01.2006 की पालना करते हुए एवं भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् हो रहा है। उपरोक्त क्रेशर भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से आवश्यक सम्मति प्राप्त कर संचालित हो रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (संशोधन सहित) की प्रति परिशिष्ट-2 पर तथा निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निर्देश/गाइडलाइन दिनांक 09.01.2006 की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) सरकार द्वारा जैतारण विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जा रही है। पाली जिले में खान, पुलिस, राजस्व एवं परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से कार्यवाही की जाती है। गत पांच वर्षों में जैतारण विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 454 प्रकरण बनाकर 2.37 करोड़ रुपये शास्ति की वसूली कर 10 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई एवं 2 प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासे दायर किये गये।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी जो खण्ड 2 में जो उत्तर दिया, उसमें याचिका संख्या 202/1995 बताया, एक इसी प्रश्न के उत्तर में आपने परिशिष्ट 3 पर पेज नंबर 86 पर बताया याचिका संख्या 202/85, आपके विभाग ने आपको ये गलत जानकारी दी है। एक ही प्रश्न, एक ही याचिका का निस्तारण एक 85 का

(श्री अविनाश)

दिया और एक 1995 का दिया है, ये आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, डिसीजन आया है 08.04.2005 को, 16.12.2002 के बाद व पहले जैतारण क्षेत्र में खनन के पट्टे कहां-कहां और कितने-कितने जारी किए गए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जिस याचिका के बारे में बात कही, याचिका संख्या 202/1995 ही है। नम्बर दो, आपने जो पट्टों की जानकारी चाही है, विधान सभा जैतारण में स्थापित खनन पट्टों का विवरण।

श्री अध्यक्ष: 2002 के बाद के बता दें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): ये पूरी सूची है सर, आप कहें तो...

श्री अध्यक्ष: 2002 के बाद कितने पट्टे दिए, उनकी जानकारी चाहिए उनको।

श्री अविनाश (जैतारण): पहले और बाद में दोनों के।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 128 खनन पट्टे जारी किए गए हैं। इनमें से 54 पट्टे 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों में, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में जारी किए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने याचिका संख्या जो बताई, वह आपके परिशिष्ट 3 में आपने मुझे उत्तर दिया है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आदेश दिनांक 08.04.2005 उच्चतम न्यायालय द्वारा आईए नम्बर 1310 याचिका संख्या 202/85 में दिनांक 08.04.2005 में दिए गए निर्णय के तहत 16.12.2002 के पश्चात् हिल्स पर खनन बाबत की गई स्वीकृतियों के खनन कार्यों पर रोक लगाई गई है।

100 मीटर से ज्यादा ऊपर वाली जो पहाड़ी है, क्या उसके ऊपर खनन किया जा सकता है? यह कानूनी रूप से वैध है या अवैध है? अगर 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी पर कोई खनन करता है या किया है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? दूसरा, उत्तर का खण्ड 3 कि आपने कुल मिलाकर

(श्री अविनाश)

अवैध खनन के 454 प्रकरण बनाकर 2.37 करोड़ रुपये की शास्ति वसूल की और 10 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई, दो प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासे दायर किए, तो क्या 454 प्रकरणों में से एफआईआर के लिए 10 प्रकरण ही थे? 454 प्रकरण किस-किस खनन के थे? किस-किस के लिए आपने ये प्रकरण लिए थे? अवैध खनन किसका था? कृपया यह जानकारी प्रदान करें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यजी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली क्षेत्र में राजस्थान के काफी जिले कवर होते हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत रिट लगी, उसमें राजस्थान और हरियाणा के सम्पूर्ण अरावली हिल रेंज में खनन कार्य को प्रतिबंधित करने का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 30.10.2002 को दिया गया। फिर दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को राजस्थान के संदर्भ में आईए नम्बर 1310 याचिका संख्या 202/95 में निम्न दो निर्णय दिए गए:, "Pending further direction we restrained any kind of mining in forest area. Further, we restrained mining in any area in Aravalli Hills falling in the State of Rajasthan where permission may have been accorded after 16th Dec, 2002".

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वाले में था अरावली हिल रेंज, दूसरे निर्णय में था अरावली हिल्स। इस संबंध में हिल की परिभाषा रिचर्ड मर्फी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर की गई और इसमें स्थानीय लेवल से सौ मीटर से अधिक ऊंचाई की पहाड़ियों को हिल माना गया। उसके पश्चात् भारत सरकार से, पर्यावरण विभाग से सभी से जानकारी करके यह आदेश 9 जनवरी, 2006 को जारी किया गया कि जमीन लेवल से सौ मीटर तक ऊंचाई हिल्स में आएगी और इसके अन्तर्गत खनन पट्टे जारी किये जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16.12.2002 से पूर्व स्वीकृत सौ मीटर से ऊपर भी खनन किया जा सकता था। उसके बाद में सौ मीटर से ऊंची पहाड़ियों की स्वीकृति पर रोक लगाई गई और जो अवैध खनन की जानकारी माननीय सदस्य जी ने चाही है, जो कार्यवाही हुई है उसमें खनिज (एक) बजरी, (दो) चुनाई पत्थर और (तीन) क्वार्ट्ज और फैल्सपार और (चार) लाइमस्टोन से संबंधित प्रकरण हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अरावली की पहाड़ियां जो जैतारण में स्थित हैं, वे वन विभाग के अधीन हैं? और अगर हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन है कि वन विभाग के अन्दर खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? इसकी जानकारी कृपया प्रदान करें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो वन विभाग से संबंधित जानकारी चाही यह वन विभाग से संबंधित है। परमीशन लेकर वन विभाग में खनन किया जा सकता है। साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1995 से यह सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रहा है। वहां इनके क्षेत्र में वन विभाग में आज कोई खनन नहीं हो रहा है साथ ही और भी जो जानकारी माननीय सदस्य जी चाहते हैं, विभाग के अधिकारी डिटेल पूरी जानकारी लेकर सदस्य जी को जैसा वो चाहेंगे पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा देंगे, यह मैं आपके माध्यम से सदस्य को आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

410. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त प्रतिवेदन में जिन अधिकारियों पर आरोप लगाये गये हैं एवं उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के समय जो-जो अधिकारी निगम में कार्यरत थे उनमें से कितने एवं कौन-कौन अधिकारी वर्तमान में भी निगम में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हाँ। यह सही है कि वैधानिक अंकेक्षक द्वारा वैधानिक अंकेक्षण वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं संबंधी कुल सात प्रकरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

1. परिनिर्धारित क्षति राशि विलम्बित आपूर्ति अवधि को अवैध रूप से नियमित कर तथा निष्पादन प्रतिभूति की राशि बिना सक्षम प्राधिकारिता के लौटाये जाने संबंधी अनियमितता रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018;
2. भारत सरकार से चीनी अनुदान राशि तत्संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018;
3. राजस्थान सरकार से देय अनुदान राशि से अधिक राशि चीनी अनुदान के रूप में प्राप्त किये जाने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018;
4. सक्षम प्राधिकारिता के बिना निगम में नियुक्त प्रोफेशनल्स को अनियमित भुगतान किये जाने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018;
5. मंत्री एवं उनके स्टाफ द्वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018;
6. निगम के अध्यक्ष द्वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018; एवं
7. निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018.

(2) उक्त प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी वर्तमान में निगम में पदस्थापित नहीं है।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह प्रकरण पहले भी कई बार आ चुका है। दत्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट फाइनल की थी क्या निगम उसको मानता है या नहीं मानता? और मानता है तो पहले भी मंत्री जी ने इस सदन में, दो-तीन बार पहले भी क्वेश्चन उठ चुके हैं तो मैं यही पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अब तक अनियमितताओं के ऊपर वर्तमान में तो क्या कार्यवाही की गई है? क्योंकि खण्ड-2 में जो मुझे बताया गया कि जब मैंने पहले क्वेश्चन लगाया था उस समय तक वो अधिकारी वहां पर थे, अब वो अधिकारी वहां से चले गये हैं और मुझे एहसास होता है कि जब तक यह कार्यवाही चलेगी, हो सकता है कि वह अधिकारी रिटायर हो जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष

(श्री श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

महोदय, कि वर्तमान में अब तक क्या कार्यवाही की गई और मंत्री महोदय आगे इसमें क्या कार्यवाही करने की इच्छा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि परिनिर्धारित क्षति और निष्पादन प्रतिभूति घोटाले वाले प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या पाये जाने पर तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त) को अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत 16 सीसीए का नोटिस दिया गया जो वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका है और तत्कालीन प्रबंध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस प्रकरण में एफआईआर नं. 429/2018 बजाज नगर थाने में दर्ज करायी गई है और इसी प्रकरण में तत्कालीन प्रबंधक (चीनी) को कारण बताओ नोटिस 22.7.2019 को जारी किया गया है और सक्षम प्राधिकारिता के बिना प्रोफेशनल्स को अनधिकृत भुगतान करने संबंधी प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या महाप्रबंधक (वित्त) को दोषी पाया गया जिसकी प्रक्रिया विचाराधीन है और जो अंतिम रिपोर्ट है, 2016-17 की आडिट चल रही है, वह प्रक्रियाधीन है।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 16 सीसीए के नोटिस वित्त विभाग को प्रेषित कर दिए हैं उनको वहां पर, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, बार-बार में स्थिति यही है कि कार्यवाही तो करेंगे लेकिन कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, उनके नाम आपने न तो मुझे भेजे, न बताये गए हैं। जो अधिकारी दोषी हैं उन पर आप कब तक कार्यवाही करेंगे, यह समय-सीमा आप निश्चित करेंगे? क्योंकि एक साल इस प्रकरण को हो गया, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में जो हमने बताया है कि महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंध निदेशक तत्कालीन को 16 सीसीए का नोटिस व कारण बताओ नोटिस दिया है। (व्यवधान) नाम नहीं बता सकते यहां।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, इधर देखकर बोलें आप।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो

(श्री रमेश चन्द मीना)

तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त) और तत्कालीन प्रबंध निदेशक को नोटिस दिए हैं और अगली कार्यवाही के लिए हमने जो प्रकरण दर्ज हुआ है, एसीएस (होम) को चिट्ठी लिखी है और जो भी कार्यवाही होगी जो हमारी आडिट रिपोर्ट है 2016-17 की आने पर क्या कमियां रहीं, क्या हानि हुई, उसके बाद ही हम निर्णय ले सकेंगे, इसमें आगे की कार्यवाही निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय अध्यक्ष जी, 2017-18 की आ गई अब तक तो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में उप परिवहन कार्यालय की स्थापना

411. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप परिवहन कार्यालय खोलने के क्या मानदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनूपगढ़ में उप परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) वर्तमान में उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु विभाग में कोई मानदंड निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग में संचालित कार्यालयों में स्टाफ की कमी है। नवीन कार्यालय को खोलने के स्थान पर विभाग में पहले से संचालित कार्यालयों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीमावर्ती राज्य पंजाब और हरियाणा में रोड़ टैक्स कम होने के कारण से यहां के निवासी पंजाब और हरियाणा से गाड़ियां खरीद रहे हैं। डीटीओ कार्यालय अनूपगढ़ में नहीं होने से प्राथमिकता भी इन्हीं राज्यों को देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है, सवाल नो-डाउट बड़ा गंभीर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

है। इस मामले में पहले जो परिवहन कार्यालय खोले गए थे उनके रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे लेकिन डीटीओ कार्यालय खोलने की जहां तक बात है, उसमें हमने यह तय किया है कि नयी पालिसी हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम यह तय करने जा रहे हैं डीटीओ कार्यालय कहां-कहां खुलने चाहिए, उसके लिए क्या-क्या निर्धारित किया जाए। यह तय किया गया है कि डीटीओ कार्यालय जहां खोले जाएं, जब एक लाख वाहन हो जाएंगे वहां हम पूरे राजस्थान में डीटीओ कार्यालय खोलेंगे।

जहां तक उप परिवहन कार्यालय खोलने का प्रश्न आपने उठाया है, उप परिवहन कार्यालय में हमें यह फायदा होता है कि परिवहन कार्यालय के अंतर्गत वाहन ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पालिसी पर डिसीजन नहीं, टू द पाइंट। क्वेश्चन आवर में पालिसी पर नहीं, इन्होंने जो पूछा पंजाब वाले में अपन क्या कर सकते हैं, उस पर स्पेसिफिक।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जो माननीय सदस्या कहना चाहती हैं कि वहां पर रोड टैक्स वगैरह कम है और सीमावर्ती हमारा डिस्ट्रिक्ट नजदीक है, तो माननीय सदस्या के पास अगर ऐसा कोई सुझाव है, रोड टैक्स वहां पर कम है, यदि वह सुझाव दें तो हम उनके सुझाव का भी सम्मान करेंगे और उस सुझाव से यदि स्टेट को और आपकी डिस्ट्रिक्ट को फायदा हो सकता है तो आप बता दो, आपके साथ बैठकर हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे और राजस्थान में उस सुझाव को लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से गंगानगर तक की दूरी 150 किलोमीटर है। अनूपगढ़ में डीटीओ कार्यालय खोलने से रावला घड़साना, रायसिंहनगर 365 और विजयनगर के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और राज्यों की रेवेन्यू और गाड़ियों की बिक्री भी अधिक होगी। मेरा पुन: निवेदन है कि अनूपगढ़ डीटीओ कार्यालय खोला जाए, सरकार इस बारे में क्या राय रखती है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि जहां एक लाख वाहन पंजीकृत होते हैं, वहां डीटीओ कार्यालय खोला जाता है। अनूपगढ़ में अभी एक लाख वाहन पंजीकृत

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नहीं हैं। यदि आपके यहां एक लाख वाहन पंजीकृत होंगे तो हम निश्चित रूप से डीटीओ कार्यालय खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, वह उप परिवहन कार्यालय के लिये किया था लेकिन फिर भी डीटीओ कार्यालय के लिये आप चाहती हैं और वहां पर जरूरत होगी तो राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां डीटीओ कार्यालय की अति आवश्यकता है और लोगों को परेशानी है तो उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा।

संविदाकर्मियों के स्थायीकरण हेतु गठित समिति

412. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी, ग्राम रोजगार सहायक सभी कार्मिक अस्थाई एवं फिक्स मानदेय पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा संविदाकार्मिकों को स्थाई करने के लिए समिति गठित की गई है? यदि हां, तो उक्त समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी एवं ग्राम रोजगार सहायक अस्थाई एवं फिक्स मानदेय पर विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। संविदाकर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु सचिवालय की आज्ञा क्रमांक: 5(1)मंमं/2019 दिनांक 1.1.2019 द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें संविदाकार्मिकों की विभिन्न मांगों के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

(2) सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2019 द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदा-कर्मियों की कौन-कौनसी मांग विचाराधीन है? मंत्रिमण्डलीय उप समिति 1.1.2019 को गठित हो गई, उसकी कितनी बैठकें कब-कब की गईं, यह मेरा सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदाकर्मियों के लिये 1.1.2019 को जो आदेश निकला था, उसके बाबत दो बैठकें कर ली गई हैं। एक अनौपचारिक बैठक भी यहां विधान सभा का पहला सत्र था, उसमें भी की गई है। जो भी संविदाकर्मी हैं, उनका डाटा विभिन्न विभागों के द्वारा मंगवाया जा रहा है। पूरा आने के बाद आपकी सरकार की तरह पांच साल लटकाकर नहीं रखेंगे, पहले निर्णय कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त समिति को कितनी अवधि में रिपोर्ट देनी थी व कब तक रिपोर्ट दी जाएगी या नहीं? क्या संविदाकर्मियों, पंचायत सहायकों, विद्यालय सहायकों का कार्यकाल मई, 2019 को समाप्त हो गया, क्या बढ़ाया जायेगा? इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर बैठकें करके निर्णय लिया जाएगा और सरकार इन संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिये इतनी संवेदनशील है कि जो ग्राम रोजगार सहायक हैं, उनकी 18 हजार की भर्ती 2013 में निकाली थी, उसमें 9168 पद सृजित हुए, 2913 अभी भी लगे नहीं और 10029 पांच साल तक आपका वेट करते रहे, पांच साल आपकी सरकार थी, उसके बारे में आपने कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब सी एस की अध्यक्षता में 19.7.2019 को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है कि उनके बारे में इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो ग्राम सहायक रोजगार अस्थाई रूप से हैं, उनको स्थाई करने के लिये किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, इसके लिये सरकार बड़ी संवेदनशील है और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की बैठक अप्रैल के बाद कब-कब हुई है और कोई समय सीमा इस सदन को आप बता सकेंगे कि एक साल में, दो साल में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या पांच साल में इस बैठक का कोई परिणाम आएगा? जिस दिन आपने पंचायत की रिप्लाई की थी तब आपने बोला था कि हम छठे महीने में निर्णय कर चुके हैं, केवल उसकी क्रियान्विति होनी बाकी है। उस दिन आपके रिप्लाई में था कि आपने जून के महीने में इस बारे में तय किया कि उनको कंटीन्यू करेंगे। एक साल उनकी अवधि बढ़ाने के बारे में, उसके बारे में कोई निर्णय हो गया है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो बातें पूछी हैं, एक तो दो बैठकें हुई हैं। समय सीमा तय नहीं है लेकिन हम जल्दी करेंगे। दूसरा ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, अप्रैल के बाद पूछा है उन्होंने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दूसरा इन्होंने ग्राम पंचायत सहायकों के बारे में भी पूछा, यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं था। इन्होंने किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष: आप बस अप्रैल के बाद मीटिंग का जवाब दे दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अप्रैल के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, दो मीटिंगें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, अगला प्रश्न, गुलाब चन्द जी कटारिया।

उदयपुर संभाग में सड़क एवं भवन निर्माण के लम्बित कार्य

413. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर संभाग में कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन कौन-कौनसे कार्य किस कारण से लंबे समय से बंद पड़े हैं या धीमी गति से चल रहे हैं? सड़क एवं भवन के कार्यों की सूची मय स्वीकृत राशि एवं अब तक व्यय की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य संवेदकों को लम्बे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण लम्बित हैं? यदि हां, तो अब तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उदयपुर के क्षेत्र में कितना भुगतान शेष है? जिला, कार्य एवं संवेदकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह भी सही है कि भुगतान नहीं होने का कारण वित्त का अभाव है अथवा बिना वित्तीय स्वीकृति के कार्यों को प्रारम्भ करना है? यदि हां, तो कार्यानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) उदयपुर संभाग कार्यालय के अधीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 1-अ तथा भवन कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 2-अ पर प्रस्तुत है।

(2) उदयपुर संभाग कार्यालय के अधीन विभिन्न योजनाओं के कार्य संवेदकों को पूर्ण भुगतान नहीं होने से लम्बित हैं। संवेदकवार सड़क कार्यों के बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 1-'अ' तथा भवन कार्यों के बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 2-'अ' प्रस्तुत है।

(3) सभी कार्य वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रारम्भ किये जाते हैं। किन्तु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय स्वीकृतियों के अनुरूप समुचित बजट प्रावधान न होने के कारण संवेदकों को पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। सड़क कार्यों का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 व 1-'अ' पर एवं भवन कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 व 2-'अ' पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर संभाग के 6 जिलों में सड़क के 2053 कामों का जैसा आपने चार्ट दिया है, स्वीकृत किये हैं और उसकी राशि 2674 करोड़ रुपये स्वीकृत की है। उसमें से केवल काम शुरू हुआ है 625 करोड़ का, अर्थात् 23 परसेंट काम शुरू हो पाया है। उसमें से भी लगभग 54 परसेंट पेमेंट, अर्थात् 625 करोड़ के जो काम आपने कराये हैं उसमें से 338 करोड़ रुपया तो आज भी ठेकेदार का बाकी है तो वह काम कैसे करेगा?

दूसरा आपने भवन के बारे में दिया, 97 भवन की स्वीकृति आपने निकाली और उसमें 394 करोड़ की स्वीकृति दी। अभी भी इसमें 41 परसेंट काम शुरू हो सका है। मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहता हूं कि यह जो काम आपने स्वीकृत किये हैं, जैसे एमबी चिकित्सालय ओपीडी भवन, यह 20 करोड़ 30 लाख का दिया था। इसकी प्रारम्भ होने की तारीख थी 19.8.2017 और इस कार्य की पूर्ति होनी थी 18.12.2018, पर क्या यह सच है अभी इसमें 20 करोड़ की जगह केवल 9 करोड़ 81 लाख रुपये का ही काम हुआ है? आपके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कार्य पूर्ण होने की अवधि समाप्त हो गई, उसके बाद भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से मैं बांसवाड़ा का बताता हूं, आपने बांसवाड़ा के कोर्ट भवन निर्माण के लिये 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति निकाली और 18 महीने में आपको इस काम को पूरा करना था। आज केवल इस बिल्डिंग पर मात्र 17 प्रतिशत खर्चा हुआ है, तो क्या यह समय पर पूरा होगा? कुछ की तो आपकी कार्य अवधि ही समाप्त हो गई, उसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। क्या इसके पीछे सरकार ठेकेदार को समय पर पैसे उपलब्ध नहीं कराने के कारण से, 800 करोड़ रुपये के बकाया हैं, लगभग 45 परसेंट जो काम हो गया, उसकी पेमेंट नहीं होने के कारण से यह काम डिले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल पूछा है और मैंने जो आंकड़े बताये हैं, वे वास्तविक आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से सदन को यह बताना बहुत जरूरी है कि पिछले वित्तीय वर्ष में नये कामों का बजट प्रोविजन 240 करोड़ था और 5644 करोड़ रुपये मंजूर हुए। अध्यक्ष जी, मैंने जो विवरण दिया है, वह वास्तविक है।

उदयपुर संभाग का आपने जो-जो बताया उसमें तीन तरह की कैटेगरी हैं। एक, वहां पर काम हुआ है और पेमेंट पूरा हो गया है। दो, जहां काम हुआ है और पेमेंट लम्बित है। तीसरी वह श्रेणी है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में चुनाव से पहले अक्टूबर-नवम्बर में प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर हो गयी, लेकिन बजट में पैसा नहीं था, 240 करोड़ रुपये का बजट था और 5600 मंजूर किये हैं। स्वाभाविक रूप से इससे पूरे प्रदेश पर लोड पड़ रहा है, लेकिन सरकार गंभीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन एक ट्राइबल बैल्ट है, वहां पर जो-जो काम हमने टेक-अप किये हैं, उनको हम धीरे-धीरे क्रमबद्ध तरीके से कराएंगे, प्राथमिकता से कराएंगे। जो काम लम्बित ज्यादा हैं, उनको हम पहले लेंगे। मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि प्रायोरिटी बनाएं। अध्यक्ष महोदय, घोषणाएं करने से काम नहीं होगा, पैसा होना चाहिए। हम साधन इकट्ठे कर रहे हैं। जो लम्बित कार्य हैं, उनको बहुत जल्द पूरा करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रश्न कर रहा हूं तो तथ्य के साथ कर रहा हूं। कार्य की स्वीकृति के पहले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप जब टेंडर अलाट करते हैं और स्वीकृत हो जाते हैं तो ठेकेदार से 10 परसेंट राशि जमा कराते हैं, उसके बाद उसको वर्क आर्डर देते हैं। ये जो सारे काम स्वीकृत हुए हैं ये उसी के तहत स्वीकृत हुए हैं। यह जो सारी स्वीकृति मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट भवन बांसवाड़ा की है। ये 24/08 को ही हो गया। इसका मतलब जो पहले का बजट था, उस बजट में इसकी एलोकेशन कर रखी थी। उसका पैसा था, पैसा भी है और पैसे के अगेन्स्ट में आपने केवल 17 परसेंट का पेमेंट किया है, उस कोटे को पूरा करने के लिए।

दूसरा, जो स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स, बांसवाड़ा का निकला है। इसकी 28/5 को निविदा होकर वर्क आर्डर मिल गया और यह 27.05.19 तक पूरा हो जाना था। इसका पूरा बजट आपके पास था। इसी तरह से आईटीआई भवन सिंभलवाड़ के दस करोड़ रुपये आपके पास उपलब्ध थे और आपने इसकी स्वीकृति 22.02.17 को कर दी। आप बहानेबाजी नहीं कर सकते कि इसका बजट नहीं था, इसका यह नहीं था। ये इसमें से नहीं दे सकते हैं। ये सारे फीगर वे हैं, जिनमें आपके पास बजट उपलब्ध था और बजट उपलब्ध होने से आपने वर्क आर्डर किया, तब ठेकेदार से आपने 10 परसेंट पैसा जमा कराया और उसके बाद इन कामों को जो कि समय पर पूरे होने थे, उन कामों में आज की तारीख में 2600 करोड़ की जगह मात्र 700 करोड़ के काम आप दे सके हैं, बाकी सब काम पैंडिंग पड़े हैं, क्या यह सच है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बारबार बोल रहे हैं। यह बात सच है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सैंक्शन कर दिया, अप्रूवल दे दिया, टेंडर दे दिया, वर्क आर्डर दे दिया, भाटे/पत्थर लगा दिये, लेकिन बजट में पैसा नहीं था तो स्वाभाविक है कि पेमेंट नहीं कर सकते थे। नयी सरकार बनने के बाद हमने जो-जो कार्यवाही की है। पिछले कुछ महीनों में जितना पैसा हमारे पास था। जब अंतरिम बजट पास हुआ था तो हमने पेमेंट की है। आप जिन कार्यों के लिये कह रहे हो कि बजट था, अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव नहीं है, क्योंकि आपने बिना बजट के मंजूर कर दिया। अब हमारे पास नया बजट आ रहा है। आपने हमें जो दो इश्यु बताये हैं, उनको हम प्रायोरिटी में डाल लेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है। मैंने जो आंकड़े दिये हैं। 2017 में पिछली सरकार थी, उन्होंने सैंक्शन किया, अप्रूवल किया, इनोग्रेशन कर

(श्री सचिन पायलट)

दिया, लेकिन बजट नहीं था तो पैसे कहां से देंगे, लेकिन हम लोग साधन इकट्ठे कर रहे हैं, इन कामों को जल्दी कराएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केवल इतना ही रिकार्ड पर लेना चाहता हूं कि फरवरी, 2017 में जिन कामों की स्वीकृति दे दी, वर्क आर्डर दे दिया, काम प्रारम्भ हो गया, समाप्त होने की तारीख दे दी। क्या उसके बजट का प्रावधान भी नहीं था या बजट उपलब्ध नहीं था?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, बजट उपलब्ध नहीं था, इस बात को रिकार्ड पर ले आइये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

414. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2014 से 31 मई, 2019 के मध्य भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के किन-किन अधिकारियों से किस-किस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया अथवा नोटिस दिया गया? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उपरोक्त में से किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी और उसका क्या निस्तारण किया गया? किस-किस मामले में कौन-कौन अधिकारी ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालय में गए तथा उक्त प्रकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) 1. श्री अम्बरीष कुमार, आईएएस, द्वारा राज्य सरकार की बिना अनुमति के दिनांक 01.06.2015 से 12.06.2015 की अवधि में की गई विदेश यात्रा के संबंध में दिनांक 18.06.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है (स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है)

2. श्री राजेन्द्र कुमार जोशी (से.नि.), आईपीएस, द्वारा बिना स्वीकृति के प्रतिनियुक्त अवधि (5 वर्ष 11 माह 02 दिवस) समाप्ति के पश्चात् (दिनांक 01.08.2009 से 02.07.2015 तक) भी विभाग में उपस्थिति नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण दिनांक 15.10.2015 को चाहा गया है। (स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट "बी" में संलग्न है)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

3. श्री विजय शंकर पाण्डे, आईएफएस द्वारा दिनांक 18.06.2018 से 29.06.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 21.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (नोटिस की प्रति परिशिष्ट "सी" में संलग्न है)

4. श्री एम.एल. मीणा, आईएफएस द्वारा दिनांक 02.05.2018 से 11.05.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 14.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (नोटिस की प्रति परिशिष्ट "डी" में संलग्न है)

5. श्रीमती सुदीप कौर, आईएफएस द्वारा दिनांक 21.05.2018 से 01.06.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 21.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (नोटिस की प्रति परिशिष्ट "ई" में संलग्न है)

6. श्री आरएएस. शेखावत, आईएफएस द्वारा दिनांक 07.05.2018 से 25.05.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 14.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (नोटिस की प्रति परिशिष्ट "एफ" में संलग्न है)

7. श्री खेमराज, आईएएस तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव एवं श्री गोविन्द शर्मा, आईएएस के द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड से वसूली योग्य 173 करोड़ रुपये की वसूली को स्थगित करने के संबंध में एवं कंपनी की प्रारम्भिक रुग्णावस्था (Incipient Sickness) का प्रकरण बिना कंपनी के आवेदन सक्षम कमेटी का गठन प्रस्तावित करने के आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 04.04.2014 चाहा गया (स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट "जी, एच" में संलग्न है)

8- श्री पूर्णचन्द किशन, तत्कालीन जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को एस.बी. फौजदारी विविध पिटीशन संख्या 1991/2012 श्रीमती भागवती देवी बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में याची द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2012 व 03.11.2003 के साथ विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश अनूपगढ़ कैम्प, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 91/2009 जमना देवी वगैरह बनाम श्रीमती भगवन्ती देवी व अन्य में दिनांक 20.07.2016 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना तथा जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने व सुनवाई दिनांक को रिकार्ड उपलब्ध कराने के कोई प्रयास नहीं करने एवं न्यायालय नोटिस का कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के क्रम में प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के क्रम में स्पष्टीकरण दिनांक 08.02.2016 को चाहा गया। (स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट "आई" में संलग्न हैं)

(2) 1. श्री अम्बरीष कुमार, आईएएस, द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के जवाब के अनुसार सक्षम स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस प्रकृति का आचरण दंड को आकर्षित करेगा एवं उक्त अवधि की विदेश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति जारी की गई। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "ए" में संलग्न हैं)

2. श्री राजेन्द्र कुमार जोशी (से.नि.), आईपीएस, को जारी स्पष्टीकरण के पश्चात् प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर अपने पैतृक विभाग में अपनी उपस्थिति नहीं दिया जाना राज्य सेवा के प्रति कर्तव्य/दायित्व को नहीं निभाने व घोर लापरवाही बरतने का द्योतक होने के कारण आरोप पत्र जारी किया गया। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "बी" में संलग्न हैं)

कार्मिक (क-3/जांचख) विभाग द्वारा जारी चार्जशीट एफ 1(242) कार्मिक्/क-3/2016 दिनांक 03.03.2017 के विरुद्ध माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर में ओ.ए. संख्या 291/513/217 राजेन्द्र जोशी बनाम भारत संघ व अन्य दायर की गई जिसमें स्थगन जारी किया गया है जो आज दिनांक प्रभावी है, एवं जिसमें सुनवाई आगामी दिनांक 16.09.2019 नियत है। माननीय अधिकरण, जयपुर की वेबसाइट से उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं प्रकरण में दिनांक 12.10.2017 को स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट "बी" में संलग्न है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

3. श्री विजय शंकर पाण्डे, आईएफएस को दिये गये नोटिस के संबंध में वन विभाग द्वारा श्री पाण्डे द्वारा दिये गये कारण में उक्त अवधि में उपार्जित अवकाश के स्थान पर आकस्मिक अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण प्रस्ताव नत्थी किया गया है। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "सी" में संलग्न हैं)

4. श्री एम.एल. मीणा, आईएफएस को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) राजस्थान जयपुर की अभिशंसा अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किये गये। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "डी" में संलग्न हैं)

5. श्रीमती सुदीप कौर, आईएफएस को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में श्रीमती कौर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में वन विभाग द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, की अभिशंसा अनुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किये गये। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "ई" में संलग्न हैं)

6. श्री खेमराज, आईएफएस को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में श्री शेखावत द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में प्रशासनिक विभाग द्वारा भविष्य में उपार्जित अवकाश स्वीकृत कराकर ही प्रस्थान किये जाने की सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किये गये। (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "एफ" में संलग्न हैं)

7. श्री खेमराज, आईएएस एवं गोविन्द शर्मा, आईएएस से प्राप्त स्पष्टीकरण को अशा. टीप दिनांक 10.06.2014 एवं 26.09.2014 और 17.10.2014 से प्रेषित कर वित्त विभाग द्वारा 01.09.2014 एवं 01.02.2014 से प्रेषित टिप्पणी का परीक्षण किये जाने पर श्री खेमराज एवं श्री गोविन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक पाये जाने पर श्री खेमराज एवं श्री गोविन्द शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस को अशा. टीप दिनांक 20.04.2016 के द्वारा निरस्त किया गया (संबंधित आदेश एवं प्रतियां परिशिष्ट "जी, एच" में संलग्न हैं)

8. श्री पूर्णचन्द किशन, तत्कालीन जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर श्री पूर्णचन्द किशन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को सन्तोषजनक पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध जारी नोटिस को अशा. टीप दिनांक 11.04.2016 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया। (अशा टीप की प्रति परिशिष्ट "आई, में संलग्न है)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिकारी को नोटिस दिया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी या नहीं होगी, यह तो बाद का विषय है। मैंने पूछा है कि किन-किन को नोटिस दिये गये और कहा कि प्रकरणवार जानकारी दें। पिछले पांच साल में तीन आईएएस तो जेल गये, दो आईपीएस जेल गये। आपने दो आईपीएस को सेवानिवृत्त करके घर भेज दिया। अब इन सब मामलों की कोई जानकारी नहीं देकर आपने सिर्फ छह अधिकारियों के बारे में सूचना दी है, जबकि मैंने प्रकरणवार जानकारी मांगी है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है, उसमें इन्होंने पूछा है कि जनवरी, 2014 से 31 मई, 2019 के मध्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों से किस-किस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया? अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रक्रिया है कि डीओपी संबंधित अधिकारियों को सीधे स्पष्टीकरण लेती है। वैसे मान लीजिए कोई एसडीएम लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, सीईओ, जिला परिषद् लगा हुआ है अथवा किसी विभाग में आईएएस लगा हुआ है तो प्रशासनिक विभाग के द्वारा उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस से सहमत नहीं होता है तो डीओपी तक मामला आता है। डीओपी ने जो डायरेक्ट दिये थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये अनुशासनात्मक मामलों के बारे में पूछते तो मैं उनको उत्तर दे देता। फिर भी मैं इनकी क्वेरी के आधार पर बताता हूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार आरोप-पत्र जारी किये गये, 14 प्रस्ताव स्तर पर समाप्त हुए। एक व्यक्ति पी.आर. पंडित को नियम 10 के अंतर्गत अंतिम आदेश में जारी किया। भारतीय पुलिस सेवा के 7 आरोप-पत्र जारी किये गये, उसमें पांच प्रकरण स्थगित हो गये और अंतिम आदेश 2 के ऊपर जारी किया गया। भारतीय वन सेवा के 1 व्यक्ति के खिलाफ आरोप-पत्र जारी किया गया और प्रस्ताव स्तर पर कोई समाप्त नहीं हुआ और अंतिम आदेश भी जारी नहीं हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन-किन प्रकरण में अधिकारी ट्रिब्यूनल में गये और ट्रिब्यूनल में उनके मामलों की क्या स्थिति है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देखिये जो आरोप-पत्र जारी किये गये, उनमें प्रस्ताव स्तर पर जो समाप्त हुए, उनमें जी.एस. संधु, हनुमान सिंह जी भाटी, सुआलाल, पूरणचंद, जोगाराम, सुदर्शन सेठी, हंसासिंह देव आदि के लोकायुक्त के प्रकरण हैं। हंसासिंह देव, फिर हंसासिंह देव, फिर हंसासिंह देव, अशफाक हुसैन, खेमराज एवं गोविंद शर्मा, ये आईएएस के हैं। उसके बाद आईपीएस के जो आरोप पत्र जारी हुए थे, उसमें अंतिम आदेश पंकज कुमार चौधरी के दो प्रकरण जिनमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श के क्रम में श्री पंकज कुमार चौधरी को आदेश दिनांक 18.08.2017 से परनिंदा के दंड से दंडित किया गया और एक केस में पंकज कुमार चौधरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 19.02.2019 से Dismissal from Service के दंड से दंडित किया गया।

वन विभाग में नियम 8 के अंतर्गत आरोप-पत्र जारी किया गया है। इसमें बेनीराम के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958 के नियम 6 के तहत शत प्रतिशत पेंशन तथा ग्रेच्युटी राशि सदैव के लिये रोके जाने के दंड से दंडित किये जाने का माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदनापरांत वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2019 से प्रकरण को आक्षेपित कर लौटाया गया है, जिसके संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

डोनकुपर रॉय, डा., पूर्व मुख्य मंत्री (मेघालय)

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं मेघालय के पूर्व मुख्य मंत्री डा. डोनकुपर रॉय के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मेघालय के पूर्व मुख्य मंत्री डा. डोनकुपर रॉय का जन्म 10 नवम्बर,

(श्री अध्यक्ष)

1954 को हुआ। आपने एम.ए. तथा अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. डोनकुपर रॉय लगभग तीस वर्षों के अपने संसदीय जीवनकाल में मेघालय सरकार में राज्य मंत्री, मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री रहे। कुशल प्रशासक रहे डा. रॉय मार्च, 2008 से मार्च, 2009 तक मेघालय के मुख्य मंत्री भी रहे। आप विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। डा. रॉय 6 मार्च, 2018 को मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा मृत्यु पर्यन्त आपने इस पद के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

प्रारम्भिक जीवन में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में आठ वर्षों तक सेवाएं देने वाले डा. रॉय राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के चेयरमैन रहे। आप राज्य आयोजना बोर्ड के चेयरमैन भी रहे।

डा. डोनकुपर रॉय का दिनांक 28 जुलाई, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत डा. डोनकुपर रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले की रोहट तहसील के किसानों को जमाबंदी व गिरदावरी की नकल नहीं मिलने से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में आ रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री गोपी चन्द मीणा एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से कोटड़ी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत बिसनिया, रासेड, लसाडिया, रेडवास, गेंहूली में अधिकारियों की मिलीभगत से किये गये फर्जीवाड़े से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अमृतलाल मीणा एवं 23 अन्य सदस्यों की ओर से नेशनल हाईवे नंबर 08 पर स्थित सराड़ा तहसील के गांव परसाद के दोनों ओर अण्डरपास बनवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 में एम.बी.सी. वर्ग को शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी की ग्राम सहकारी समिति के मिनी को-आपरेटिव बैंक में हुए गबन तथा समिति के सचिव द्वारा आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से 23 जुलाई, 2019 को डूंगरपुर जिले के नवाडेरा में दिनदहाड़े प्रमोद शर्मा की हुई हत्या पर त्वरित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों संविदाकर्मियों को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द के जिला अस्पताल में पिछले एक वर्ष से जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से पुलिस थाना रानीवाड़ा में दर्ज मुकदमा संख्या 72/2019 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाये जाने के संबंध में।

(11) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के अध्याय 21 में फोटो पर गलत नाम प्रिन्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री अध्यक्ष)

पीलीबंगा पर डाक्टर तथा नर्स की लापरवाही से प्रसव के दौरान बच्ची की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बारिश के पानी से अकाल मृत्यु का शिकार हुए लोगों को मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में मदरसा टीचर्स को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नई पंचायत समिति बनवाये जाने के संबंध में।

(16) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 6 से 20 माह तक का बकाया वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित होने के उपरांत भी बर्खास्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(18) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से गांधी हास्पिटल, जोधपुर में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री कालीचरण सराफ एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्यों की ओर से वैशाली नगर थाने में दुष्कर्म मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित होकर पीड़िता द्वारा स्वयं को आग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से कुम्भलगढ़-गोगुन्दा वन अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित नहीं करवाये जाने के संबंध में।

(21) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में पेयजल की विकराल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(22) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में राष्ट्रीय

(श्री अध्यक्ष)

राजमार्ग निर्माण के लिए किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री कालीचरण सराफ, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीमती शोभा चौहान एवं श्री गिरधारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर में सब्जी बेचने वाले गरीब आदिवासियों को नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के कतिपय गांवों में आजादी के 72 साल बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं किये जाने के संबंध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के वाणियावास बांध की नहरों की चौड़ाई बढ़ाये जाने के संबंध में।

(4) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए प्रस्तावित भर्ती नियम 1963 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दिलवाये जाने के संबंध में।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पेयजल समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(6) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम पंचायत भीमरलाई में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से जिप्सम को फैक्ट्रियों में पहुंचाये जाने के संबंध में।

(7) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील रामसर के राजस्व ग्राम हिन्डीया को तोड़कर नया राजस्व ग्राम "पुरानियों की बस्ती" का गठन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री अभिनेष महर्षि, सदस्य की ओर से प्रदेश में मन्दिर माफी की जमीनों का नामान्तरण काश्तकारों के नाम खोले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय जायल पर स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री गोविन्द राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में लाखों बीघा बरानी भूमि को भूमिहीन किसानों को आबंटित किये जाने के संबंध में।

(11) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में वाहनों के जहरीले धुएं से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(पढ़ी मानी गयीं नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 30 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य द्वारा जे.के. लोन अस्पताल के आई.सी.यू. में आग लगने से एक बच्ची की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य द्वारा उदयपुर यूआईटी पैरीफेरी एरिया में पट्टे दिए जाने के संबंध में।

(3) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य द्वारा माध्यमिक एवं प्रारम्भक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में से महाराणा प्रताप, रानी पदमावती तथा वीर सावरकर की कहानियां हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री छगन सिंह, सदस्य द्वारा जालौर जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम नहीं दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री छगन सिंह द्वारा उठाया जाने वाला विषय पूर्व में सदन में उठाया जा चुका है, अत: उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। तीन जो पर्चियां हैं, उन पर चर्चा की जाएगी।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जोधपुर के गांधी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान जोधपुर शहर के महात्मा गांधी शहर की ओर दिलाना चाहूंगी। जोधपुर शहर के अंदर महात्मा गांधी अस्पताल है, महिला बाग अस्पताल है, मथुरा दास माथुर और टी बी अस्पताल है, एम्स है, कई अस्पताल हैं। मगर महात्मा गांधी अस्पताल किस नाम से है, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उस महात्मा गांधी अस्पताल की स्थिति बड़ी चिंताजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर दरबार स्टेटों के टाइम, इस अस्पताल को किस उत्साह से बनाया गया, महाराजा उम्मेद सिंह जी ने किस सोच से बनाया था, कि मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी जनता बहुत आराम से अस्पताल में आएगी। एक मंच के अंदर अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि डिस्पेंसरी से भी गई बीती व्यवस्था है।

यह बात सही है कि विस्तार होना चाहिए, मगर विस्तार का मतलब यह नहीं है कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय कर दी जाए। जोधपुर महाराजा साहब ने जब इस अस्पताल को बनाया तो यह सोचकर बनाया कि मेरी जनता को तकलीफ नहीं होगी। महारानी साहिबा ने यह कहा कि आपने पुरुषों के लिए तो अस्पताल बना दिया लेकिन महिलाओं के लिए क्या सोचा, तो महाराजा साहब ने एक उम्मेद अस्पताल बनाया जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही था, आज वह भी कामयाब है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि महात्मा गांधी के नाम से, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके नाम से यह अस्पताल है। आज अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है कि मेरे ख्याल से डिस्पेंसरी भी इससे अच्छी होती है। डिस्पेंसरी में आउटडोर अच्छे होते है, मगर इस अस्पताल की स्थिति बहुत चिंताजनक है, यह सोचने का विषय है।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर सिर्फ तीन वार्ड काम कर रहे हैं। मेडिसिन सर्जरी, हड्डी रोग, तीन विभाग कार्य करते हैं, ओपीडी, मेडिसिन विभाग, इमरजेंसी, मथुरादास माथुर इन तीनों विभाग की ओपीडी से अधिक है। अत: ओपीडी वेटिंग एरिया सख्त जरूरत है।

महात्मा गांधी अस्पताल में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि 8-10 हार्ट पेशेंट नहीं आते हों। मगर वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई देख सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हृदय रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाकर एक यूनिट शुरू की जानी चाहिए। इसमें प्रथम तल पर कैथ लैब शुरू किया जाना चाहिए ताकि शहर के हृदय रोगियों को सुविधा मिल सके। यह शहर के नजदीक है। लोगों को सुविधा मिल सके, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर कैथ लैब होना बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए एक यूनिट लगाई जाए। महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग आकर अपना इलाज करा सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मैं तो आज तक ही नहीं बोली हूं, आज ही बोली हूं। मैंने मेरी बात तो कुछ कही ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में दो मिनट ही बोलना पड़ता है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मैंने बात तो कुछ कही ही नहीं, साहब, आप मुझे रोक रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपीडी, इमरजेंसी वर्तमान जगह जो रिक्त होगी वहां त्वचा रोग, दंत रोग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, मथुरादास माथुर से स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। कास्मेटिक सर्जरी तथा फेशियल सर्जरी का लाभ सब को मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खतम कर दूंगी, क्योंकि आपने कह दिया इसलिए, फिर अनुशासन खराब होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चिकित्सालय में दस वर्ष पूर्व ट्रोमा सेंटर की इमारत बनी हुई थी। शुरू किया था, इस दो मंजिला इमारत में बेसमेंट, पार्किंग, भू-तल, 10 बैड का आईसीयू, ओपीडी कक्ष, इमरजेंसी कक्ष तथा एक आपरेशन कक्ष बना हुआ है। प्रथम तल पर 20 बैड का आईसीयू, बड़ा आपरेशन कक्ष तथा दो बड़े वार्ड निर्मित हैं। इस इमारत में करोड़ रुपये

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

खर्च करने के बावजूद भी आज अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। यह मेरी पीड़ा है, जो मैं कहना चाहती हूं।

मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मंत्री जी से जवाब दिलाएं। इस हास्पिटल के अंदर कितनी यूनिट वापस लाएंगे, महात्मा गांधी अस्पताल का नाम रोशन करेंगे? गांधी अस्पताल किस नाम से है, आप इस पर विचार करो। आप मेरे को एक-दो मिनट का उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको बातें करनी हैं, वे बाहर चले जाएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की सबसे वरिष्ठ माननीय सदस्या ने जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्या को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार गठन के बाद मैं जैसे ही मंत्री बना, मैंने वहां जाकर पूरे अस्पताल का दौरा किया। वहां बाकायदा मीटिंग ली। ओपीडी का टाइम 8 से 2 बजे तक का होता है, वहां नियमित रूप से ओपीडी में डाक्टर्स बैठते हैं। नि:शुल्क दवा योजना के काउंटर लगे हुए हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, वह मिलती हैं। नि:शुल्क जांच योजना की भी वहां समुचित व्यवस्था है। जहां तक भर्ती मरीज हैं, हम उनको भामाशाह योजना का लाभ भी दे रहे हैं।

इसके अलावा, आपने ह्रदय रोग विशेषज्ञ और लगाने के लिए चिंता प्रकट की तो मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम वहां पर जल्दी ही और ह्रदय रोग विशेषज्ञ लगाएंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में कैथ लैब की सुविधा भी हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

इसके अलावा, जो भी चिकित्सालय में सुधार की जरूरत है, वह मेरे ध्यान में है। आने वाले समय में हम सब करेक्टिव मैजर्स लेंगे। किसी प्रकार की असुविधा जोधपुर के रहने वालों को नहीं होगी। चूंकि माननीय सूर्यकांता व्यास जी वहां से आती हैं और मुख्य मंत्री जी वहां से आते हैं, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर मैं वहां सुविधाओं का विस्तार नहीं करूंगा तो।

(श्री रघु शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान) कल्ला साहब कह रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इतनी वरिष्ठ सदस्या और लगातार जीत रही हैं, पिछले पांच साल आपकी सरकार रही, कालीचरण जी सराफ यहां बैठे हैं, राजेन्द्र जी राठौड़ बैठे हैं, इन्होंने जोधपुर के साथ जो नाइंसाफी की है, वह आपको सदन के समक्ष बात लानी चाहिए थी। मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, बाईजी कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा। हम वहां पर एक-एक सुविधा का ख्याल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

वैशाली नगर पुलिस थाने के अन्तर्गत दुष्कर्म मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दुष्कर्म मामले में कार्यवाही नहीं होने से दुःखी होकर महिला द्वारा वैशाली नगर थाना परिसर में स्वयं को आग लगाने और उसके बाद उसकी मौत होने के मामले में आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कंचन विहार निवासी इस महिला ने 5 जून, 2019 को फतेहपुर शेखावाटी स्थित कारंगा छोटा निवासी रविन्द्र सिंह के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। उसमें बताया गया कि महिला का पति जम्मू कश्मीर, आर्मी में तैनात है। आरोपी उनके गांव के नजदीक का है। करीब चार साल पहले आरोपी पति के साथ घर पर आया, उसके बाद आए दिन वह महिला के घर पर आने लगा। एक दिन आरोपी उसको किसी काम से लेकर गया और दोस्त के क्वार्टर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया, जब वह महिला बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो क्लिप बना ली। इसके पश्चात् वीडियो क्लिप को वायरल करने की धमकी देकर वह उसके साथ लगातार बलात्कार करने लगा। जब पति आर्मी से रिटायरमेंट लेकर घर आया तो उसको सारा घटनाक्रम बताया गया। एक महीने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे आहत होकर महिला ने स्वयं को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, सारे सबूत देने के बाद भी, महिला हर तीसरे दिन थाने जाती थी और वहां उसको बेइज्जत करके थाने से बाहर निकाल दिया जाता था।

(श्री कालीचरण सराफ)

मैं आपको कुछ सबूत बताना चाहूंगा। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने पुलिस को 161 के बयान में दुष्कर्म की बात कही। मजिस्ट्रेट के सामने बयान में भी पीड़िता ने दुष्कर्म की बात कही। मजिस्ट्रेट बयानों की कापी जांच अधिकारी वैशाली नगर थाना को मिल गई लेकिन थाना प्रभारी ने कुछ नहीं किया।

इसी प्रकार से सीमन लगे कपड़े भी वहां उस महिला ने दिये 19 जुलाई को, उनको जब्त कर लिया। परन्तु मेडिकल के दौरान डी.एन.ए. टैस्ट के लिये ब्लड सैम्पल ले लिये, मगर आरोपी के सैम्पल नहीं लिये। इसी प्रकार से, जहां-जहां दुष्कर्म हुआ, वहां की पुलिस को सब जगह की भी उन्होंने जानकारी दी परन्तु उस आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की गई और उसने जो वीडियो क्लिपिंग की बात की, तो होना तो यह चाहिए था कि जो आरोपी था, उससे वह वीडियो क्लिप, उसका मोबाइल जब्त करते।

(12.20 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

परन्तु पुलिस के अधिकारी उस पीड़ित महिला से ही वीडियो की क्लिप मांगते रहे। मुझे बताइये कि वीडियो की क्लिप उस महिला के पास कहां से आती। आरोपी का मोबाइल जब्त नहीं किया और वीडियो क्लिप के बारे में कुछ नहीं किया।

इसी प्रकार से, ब्लैकमेलिंग करने के साक्ष्य दिये। 4-5 लाख रुपये उनसे ले लिये, बैंक अकाउंट की प्रति दे दी, परन्तु उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपी ने धमकी दी, उसकी रिकार्डिंग भी पुलिस को दे दी। परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। जहां-जहां बलात्कार हुआ, वह पीड़ित महिला उन जगहों पर ले गई पर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता को उलटा प्रताड़ित किया गया कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे से वह पांच साल छोटा है। इस प्रकार से उसको बेइज्जत करके थाने से निकाला गया।

आज तो कमाल हो गया कि हमारे पुलिस कमिश्नर साहब यह कह रहे हैं कि पीड़िता की बताई हर बात की जांच हम कर चुके हैं, सम्बन्ध पुराना था, दुष्कर्म नहीं हुआ। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। पीड़िता के पति ने कल आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी मामले को झूठा

(श्री कालीचरण सराफ)

बताकर केस वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि आरोपी की बहुत ऊंची एप्रोच है, आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

जहां तक इस मामले की जांच कर रहे थानाधिकारी +++ का सवाल है, उनका तो विवादों से पुराना नाता रहा है। जब ये शिप्रा पथ थाने में थे तो थाने से कुछ मीटर दूर युवक को जलाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश जला दी गई। वहां उनको पता ही नहीं लगा। इस लापरवाही के कारण उनको लाइन में भेज दिया गया। लाइन से उन्हें जब करणी विहार थाने में लगाया गया तो वहां उस समय थाना परिसर में बेटे का चालान छुड़वाने के लिये उसके पिताजी आये। वहां पर उसका हार्ट-अटैक हुआ, ऐसा बताया गया, फिर उसकी मौत हो गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण महिला को आत्म-दाह करने के लिये मजबूर होना पड़ा है, उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और उन पर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उनको गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए और इस मामले में सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में वे यहां पर वक्तव्य दें जिससे कि यह सारी जानकारी सदन को मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जो मुद्दा मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई नई बात नहीं है, सभापति महोदय, जब से सरकार आई है, दुष्कर्मों के मामले की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है और मई-जून महीने के अन्दर 180 ऐसे मामले हुए हैं, उसमें 113 मामले ऐसे हैं जिनमें कोई इफेक्टिव कार्यवाही नहीं हुई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, ये स्थगन प्रस्ताव पर बोलें। ये कानून-व्यवस्था पर बोलना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): बात सुन लीजिये। ... (व्यवधान) बात सुन लेने में दिक्कत क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): बोलने तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये। आप यहां तक ही सीमित रहिये। अगर आप ...(व्यवधान) नहीं, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) विराजिए आप। आप विराज जाइये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गलत बात। स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रहिये। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसी तक सीमित रहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराज जाइये। आप विराज जाइये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह क्या बात है ...(व्यवधान) इस तरह का अंकित नहीं होगा।

(12.24 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऐसा दर्दनाक मंजर कल की तारीख में राजस्थान की राजधानी के वैशाली नगर थाने के अन्दर आग से लिपटी हुई मां और पास में खड़ा बेबस बेटा, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारा मामला बता दिया। मंत्री महोदय, 05 जून को एफ.आई.आर. 383/19 दर्ज हुई। 05 जून को बीते हुए आज पचास दिन से ज्यादा का समय हो गया। पुलिस कमिश्नर साहब ने आज जो वक्तव्य दिया है, अगर मामला झूठा था तो एफ.आर. लगाकर अदालत में इन्होंने एफ.आर. क्यों नहीं पेश की। जब महिला के बयान 164 सीआर.पी.सी. के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने हो गये, महिला की डाइंग डिक्लेरेशन आपके सामने है। उसके बाद कोई चीज बची नहीं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर जब बार-बार उस महिला के पति ने भी यह कहा कि हमसे क्लिपिंग मांग रहे थे। उसने बैंक के रिकार्ड से यह कह दिया कि 190000 रुपये हमारे बैंक से ये लेकर गया।

आपने जांच किसको दी थी, एक हैड कांस्टेबल को। जिस हैड कांस्टेबल के पास हर तीसरे दिन वह महिला जा रही थी। हैड कांस्टेबल कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा था, तुम भाग जाओ, वही करूंगा जो मुझे अधिकारी कहेंगे। मैं एस.आई. की परीक्षा दे रहा हूं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां एक बार पहले भी एक मामला चला। यहां कहने से फायदा इसलिये नहीं कि सरकार में संवेदनहीनता है। आज सरदारशहर के मामले में 21 तारीख को राजस्थान बंद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह नाखून निकलने की पीड़ा आज भी आपकी जांच का इंतजार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इसकी इजाजत नहीं है। हो गया, वाइंड-अप प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी फेहरिस्त है।

श्री अध्यक्ष: वह अलग हो गया, अलग टापिक है। आज स्थगन पर नहीं, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार का चेहरा सामने आ गया। राजस्थान की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर मैम्बर हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं, प्लीज। (व्यवधान) सीनियर मैम्बर हैं। Don’t deviate. आप सीनियर मैम्बर हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर मामला आज दोनों माननीय सदस्यों ने रखा है राठौड़ साहब ने और कालीचरणजी ने, लेकिन सवाल यह आता है कि कालीचरणजी ने जो कुछ बोला, कानून की जानकारी नहीं थी। आपने अपने वक्तव्य में यह बात बोली कि 161 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिये औरत ने। (व्यवधान) आप रिकार्ड निकालकर देख लें। ...(व्यवधान) आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कहां थे। आप विराजो। (व्यवधान) आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करनी अपने को।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मजिस्ट्रेट के सामने बयान हमेशा 164 में होते हैं। (व्यवधान) पहली बात।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मुझे पता है। (व्यवधान) मैंने एलएल.बी. किया है, आप निश्चिंत रहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात, आप मेहरबानी करके इतना-सा बता दें, आपने कहा कि जहां-जहां पर भी वे गये, चाहे नैनीताल गये, चाहे दिल्ली गये, चाहे उदयपुर गये, वहां के सब थानों में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेहरबानी करके कौन-कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वह बता दें आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने यह कहा कि जहां-जहां उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, वहां-वहां वह पुलिस को ले करके गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये मिसगाइड कर रहे हैं। (व्यवधान) ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं। मैं खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह गलत बात क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान) पुष्पेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जवाब तो आने दीजिये। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं सुनना चाह रहे, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ऐसे नहीं होगा। बिलकुल नहीं होगा। स्थगन आपने ...(व्यवधान) माननीय पुष्पेन्द्र सिंह, इस पर बोलना है आपको।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं। (व्यवधान) कोई तकलीफ नहीं है। प्लीज।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं बोलना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Don’t dictate. डिक्टेट नहीं होगा। स्थगन पर ऐसा नहीं होता। आप बैठिये, नहीं होता। आप बैठिये, नहीं होता है। (व्यवधान) नहीं सुनना है। आगे, पुष्पेन्द्रसिंह, बोलना है आपको।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हाउस आर्डर में आ जाए।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलना शुरू कीजिये। (व्यवधान) शुरू करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस सरकार के अन्दर कोई सुरक्षित नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, 07.12.2011 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। पुष्पेन्द्रसिंह, बोलिये आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: सदन ऐसे नहीं चलेगा। सदन ऐसे नहीं चलेगा। अपने मन से चाहे जैसे चलाएं सदन, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। स्थगन प्रस्ताव में भी डिक्टेट कराएंगे आप। पुष्पेन्द्रसिंहजी, बोलिये प्लीज। बोलिये, मान्यवर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्लीज। मैंने बुला लिया। माननीय मंत्रीजी, बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, प्लीज, आप बैठें। प्लीज बैठें, मैंने उनको बुला दिया। (व्यवधान) प्लीज, बैठें। आप बैठें। प्लीज बैठें। (व्यवधान) यह गलत परम्परा है। आप सीनियर मिनिस्टर होने के बाद, मैंने बुलवा लिया पुष्पेन्द्र सिंहजी को। वे वाकआउट कर गये।

कुम्भलगढ़-गोगुन्दा वन अभयारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 07.12.2011 को राजस्थान सरकार ने हमारे वन्य जीव कुम्भलगढ़ अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित करने की अधिसूचना जारी की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन हुआ,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

यह पूरा क्षेत्र, जहां पाली, राजसमन्द और उदयपुर क्षेत्र के लगभग सात विधान सभा क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां लोगों में बहुत बड़ा हाहाकार हो गया। आम आदमी, जो वहां कृषक है, आम आदमी जो वह गांव है, जो अरावली के तट पर बसे हुए लोग हैं, या तो वे पशुपालक हैं, या वे भेड़पालक हैं, वे अपने जीवनयापन के लिये 8-9 महीने माइग्रेशन में रहते हैं। वे मालवा जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं, कोटा जाते हैं। लगभग 4-5 महीने अपने घरों पर रहते हैं। इनका मुख्य काम पशुपालन और भेड़पालन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मंत्रीजी, प्लीज आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि परसराम महादेव मंदिर, मैं समझता हूं कि मारवाड़ और मेवाड़ का आस्था का एक केन्द्र है और आपका भी क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है और यह मंदिर बिलकुल ही मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर आता है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं या कोई कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए वह एक आस्था का केन्द्र है जहां पर परसराम महादेव मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी सावन के महीने में आप देखें तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस पूरे सावन के महीने में, इस पूरे मारवाड़ और मेवाड़ के लोग यहां दर्शन करने आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गयी कि उस क्षेत्र में जो कुंभलगढ़ नेशनल पार्क घोषित किया तो हमारे उदयपुर कलेक्टर ने उसकी जन-सुनवाई की। जो भी आपत्तियां आईं, उन आपत्तियों के तहत उन्होंने कोटड़ा ग्राम जो आबादी वाला क्षेत्र है, जो राजसमन्द जिले में है, जिसमें 176 हैक्टेयर भूमि को उसने बाहर निकाला। 18.09.2015 को जो कलेक्टर उदयपुर हैं, वन खण्ड, बुखाड़ा व मामादेव की बुर्ज, इस पर लगभग 4465 हैक्टेयर भूमि को इन्होंने वन क्षेत्र से बाहर निकाला। 19.03.2015, 20.07.2015, 19.07.2016, 11.06.2019 को जिला कलेक्टर पाली ने भी इसकी जन सुनवाई की और जन सुनवाई करने के बाद मात्र उन्होंने 9.84 हैक्टेयर मतलब, रणकपुर मंदिर और 3.24 हैक्टेयर मतलब, दूसरा मंदिर है, उसको बाहर निकाला। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि परसराम महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जागीर के टाइम में महाराणा भीमसिंहजी के टाइम में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वहां के पुजारियों को लगभग 23 बीघा खातेदारी की जमीन फोरेस्ट में उनको दी गयी थी और एक ट्रस्ट मंडल बना हुआ है। हमारे इस अमर गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट, सादड़ी, निजी मंदिर प्रहरी, परसराम महादेव मंदिर, परसराम महादेव मंदिर कुंड, अपना जो ट्रस्ट है, फिर आपका केलवाड़ा का जो उदयवाड़ परसराम महादेव उदावड़, मतलब परसराम महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आपत्तियां लगाईं। आपत्तियों पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की और इस पूरे मंदिर को आज भी इसको फोरेस्ट एरिया में रखा गया है।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सूर्य मंदिर तो रणकपुर मंदिर से बिलकुल अड़ा हुआ है, चिपटा हुआ है, एक ही दीवार से उन दोनों मंदिरों को अलग किया है मतलब, सूर्य मंदिर अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जागीर के टाइम से इस जंगल को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वहां के ग्रामवासियों ने किया है। आज जब भी बरसात के बाद में गांव वाले स्वयं जाते थे तो वहां स्वयं कटिंग करते थे ताकि आने वाली सर्दियों और गर्मियों के टाइम में जब भी फोरेस्ट फायर होता था तो वह फोरेस्ट फायर नहीं होता था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): साल में दो बार चराई के लिए पर्ची काटकर मतलब, फोरेस्ट की परमिशन से चराई करने के लिए जाते थे। साल में दो बार सूखी लकड़ियां लेने के लिए जाते थे और मतलब जो कुंभलगढ़ नेशनल पार्क घोषित करते हो तो यह 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सरिस्का, आपका रणथंभौर और दरा जो नेशनल पार्क बने हैं, यह कनेक्टिविटी है और कुंभलगढ़ जो सैंक्चुअरी आप बनाने चाह रहे हो, यह एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको कई जगह पर तो आपको दो किलोमीटर की ब्रेड्थ मिलेगी, कई जगह पर आपको तीन किलोमीटर का ब्रेड्थ मिलेगा। आप यह सोचिए कि मतलब, टाइगर को छोड़कर क्या दो किलोमीटर के ब्रेड्थ के अंदर वह टाइगर रह सकता है?

दूसरी बात यह है कि आपने सब भूमि रूपांतरण बंद कर दिया। एक किलोमीटर के रेडियस में आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ईको सेंसिटिव जोन आपने सादड़ी से लेकर दीवेर तक आपने पांच किलोमीटर प्रपोज किया ईको सेंसिटिव जोन, इसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, आप कन्वर्जन आफ लैंड नहीं कर सकते हो। आप सोचिए कि ग्रामवासियों को कितनी बड़ी पीड़ा होगी? गांव से, फोरेस्ट एरिया से पांच किलोमीटर के रेडियस तक अगर आप ईको सेंसिटिव जोन घोषित करते हो तो मैं समझता हूं कि कई गांव और कई कस्बे इसके अंदर आ जाएंगे और वहां के लोगों को आने वाले समय में, उनको मजदूरी करना, काम करना, उसके विकास के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इसके बारे में कोई जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बोलना है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-35 के तहत 30.11.2011 को कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद में जैसा कि माननीय सदस्य ने पाली, राजसमन्द और उदयपुर, जो वहां के ट्रस्टियों ने अपीलें पेश कीं, दावे पेश किये तो वह जमीन निकाली गयी परंतु माननीय सदस्य ने परसराम महादेव मंदिर की बात कही एवं अन्य जो भी मंदिर हैं, उनके ट्रस्टियों द्वारा वहां आपत्तियां पेश की गईं, परंतु उन आपत्तियों को खारिज कर दिया। माननीय सदस्य, यह मेरा निवेदन है कि वन्य क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिए उसकी जब तक अपील नहीं होगी तब तक निस्तारण नहीं होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान। स्थगन प्रस्ताव में प्रश्न-आन्सर करना, यह गलत परम्परा है। श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में पेयजल की समस्या

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव के नियम 50 के माध्यम से मुझे सदन में बोलने का मौका प्रदान किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सम्पूर्ण प्रदेश में नागरिकों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में

(श्रीमती शोभा चौहान)

पानी की आपूर्ति का एक मात्र माध्यम जवाई बांध से मिलने वाला पानी है लेकिन शहर व गांवों में पानी की सप्लाई प्रतिदिन होना तो दूर, महीने में एक बार भी नहीं हो पा रही है। कई गांव व ढाणियां तो ऐसे हैं, जहां पानी की टंकियों में पानी आये छह महीने गुजर जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई बारहमासी नदी है और न कोई भूमिगत जल-संसाधन उपलब्ध है। आज यहां के ग्रामीण-जन खेती तो दूर पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। मैं विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी ग्राम पंचायतों की बात करूं तो मैंने जो वहां जाकर देखा तो पानी उपलब्ध था लेकिन पीने के लिए बदबूदार, गंदा व खारा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा पानी एक गर्भवती मां पीए तो माता के गर्भ से जिस बच्चे को दूषित पानी पीने के लिए मिल रहा है क्या वह बच्चा स्वस्थ जन्म ले पाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस गंभीर विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं कि पेयजल के लिए जल्दी से जल्दी स्थाई समाधान निकाला जाए अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा। हमें बड़े बांधों के जल भराव के अलावा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): गांवों में बने छोटे-छोटे तालाबों का भी पुनरुद्धार करना होगा। प्रदेश में जल के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है जो लोग जागरूकता के अभाव में इसको भूल रहे हैं, हमारी जीवन शैली जल बचत वाली बनानी होगी, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम सब साथ मिलकर काम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सर, थोड़ा-सा और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप तो अपने क्षेत्र की नहीं बोल रहे हैं। आप तो पूरी पालिसी पर बोल रहे हैं। आपकी बात हो गई।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): जवाई बांध में सही बांध से पानी आता है। सही बांध की सुरंग साढ़े छह मीटर लंबी है, इसको चौड़ी करने की योजना बनाकर स्वीकृत कराई जाए जिससे सही बांध में ओवर-फ्लो के बाद व्यर्थ पानी

(श्रीमती शोभा चौहान)

बहकर गुजरात जो जाने वाला है, सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में आ सके। वर्तमान में जवाई बांध में पानी की कमी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्लीज समाप्त करें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल ऐसी सम्पदा है जिसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं इसलिए जल की बूंद-बूंद का सदुपयोग करें ताकि आने वाले समस्या का समाधान हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं बोलूं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका क्या है? नहीं-नहीं। Not allowed. श्री गिरधारीलाल। नो प्लीज। श्री गिरधारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठें। आप बैठें। प्लीज। Not allowed. कोई अंकित नहीं होगा। श्री गिरधारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी नहीं है। आप बैठें। कोई अंकित नहीं होगा। श्री गिरधारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। (व्यवधान) अन्यथा मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। आप बैठें प्लीज। यह गलत तरीका है। I'll name you.... (Interruptions)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: यह गलत तरीका है बिलकुल। सीनियर लीडर होकर आप यह कर रहे हैं। स्थगन प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं होती है। स्थगन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप बैठें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

बीकानेर में राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: Don't compel me, I said. स्थगन प्रस्ताव पर आप गलत परम्परा डाल रहे हैं सीनियर लीडर होकर। कोई चर्चा नहीं होगी। श्री गिरधारीलाल। कोई अंकित नहीं होगा। श्री गिरधारीलाल, आप बोलें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आप प्लीज बैठें। Don't interrupt. आप प्लीज बैठें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीकानेर जिले का किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठें प्लीज। आप नीचे बैठें प्लीज। आप नीचे बैठें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर मैम्बर हैं। आप नीचे बैठें। आप नीचे बैठिए। I said, आप प्लीज नीचे बैठिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: I'll name you. मेरे को आपका नाम पुकारना पड़ेगा। Don't compel me. I'll name you. Don't compel me. I'll name you.

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क निर्माण के लिए बीकानेर में किसानों से मुआवजा देने के लिए तीन तरह की दरें निर्धारित की हैं। मोनिका बलारा, एस.डी.एम., बीकानेर ने दिनांक 7 मार्च, 2019 को 62 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी। असेसमैंट किया था और दूसरी तरफ ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: Don't compel me, I said. आपको जाना हो तो जाइए। Don't compel me. Don't compel me, I said.

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): भारतीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हनुमानगढ़ में 44 करोड़ रुपये मुआवजे का निर्धारण किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, एस.डी.एम., बीकानेर ने 21 करोड़ रुपये के मुआवजे का निर्धारण किया, असैसमेंट किया। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन जिलों को मुआवजा, सड़क निकल रही है भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Don't compel me, I said. Don't compel me, I said.

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा नहीं डालें। आप सीनियर लीडर हैं, गलत परम्परा नहीं डालें। स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हैं क्या? Please don't tell me. I'll not allow. Don't compel me. Don't compel me.

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): हमारी मांग है, भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की अक्षरश: पालना करते हुए काश्तकारों को जमीन की बाजार रेट से चार गुना ज्यादा भुगतान करने एवं जमीन के बदले विकसित जमीन दी जाए। दूसरी तरफ विस्थापितों के पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की जाए। तीसरी मांग, रोड बनाने के बाद विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। चौथी मांग, रोड की आमदनी में विस्थापित परिवारों की रायल्टी तय की जाए। पांचवीं मांग, रोड क्रोस करने वाले गांवों से खेतों को जाने वाले सभी रास्तों पर पुलों का निर्माण कराया जाए। साथ ही, रोड के दोनों तरफ लिंक रोड बनाकर किसानों को अपने खेतों में जाने व दो रास्तों को मिलाने की व्यवस्था करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की भूमि अवाप्ति अधिग्रहण के बाद एक एकड़ से कम शेष बचे टुकड़ों को भूमि अवाप्ति में शामिल मानकर अवार्ड जारी किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अवाप्त की गयी भूमि की पैमाइश किसानों की मौजूदगी में की जाकर सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा दिये जाने के लिये चार गुना भूमि का मापदण्ड तय किया जाए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान लगातार पूरे संभाग में आन्दोलन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार इस पर जवाब दे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर।

श्री अशोक लाहोटी। श्री फूलसिंह मीणा। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

आधे घण्टे की चर्चा, श्री मदन दिलावर।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मंजु देवी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जायल में निर्धन परिवारों को सरकारी सहायता

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र जायल के मानसिक-आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान करने के संबंध में मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: Please, I'll not allow. I'll not tolerate it. जवाब बनता ही नहीं। प्लीज, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा। स्थगन प्रस्ताव पर होता है क्या? मैंने अलाउ करके गलती की है क्या? प्लीज हो गया। (व्यवधान) नहीं होगा। नहीं होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जायल विधान सभा क्षेत्र के अंदर चार गांवों के अंदर पाइंट उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र जायल के गांव कोटड़ा में ब्राह्मण परिवार में चार भाई क्रमश: श्री जगदीश, श्री मांगीलाल, श्री ओम प्रकाश और श्री सीताराम और एक बहन श्रीमती गीता देवी है। इनमें से श्री जगदीश दायमा और श्री मांगीलाल को वृद्धावस्था पेंशन, श्री सीताराम को विशेष योग्यजन पेंशन और श्रीमती गीता को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): श्री मांगीलाल व श्री सीताराम, दोनों में से कोई भी वर्तमान में जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है एवं उनका मानसिक रोग का निशुल्क इलाज मथुरादास माथुर अस्पताल में चल रहा है। श्री जगदीश का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा योजना से भी लाभान्वित हुए हैं।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम निमोड़ा में श्री जेठाराम का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नि:शुल्क इलाज चल रहा है। इनकी माता श्रीमती रूकमा देवी वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित हैं। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा एवं उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत भी लाभान्वित किया जा रहा है।

नम्बर तीन, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम आंवलियासर में श्री लच्छी राम के परिवार में उनके माता-पिता वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित हैं।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

श्री लच्छीराम को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। इनके बच्चों का पालनहार योजना में आनलाइन पंजीयन करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा व मनरेगा योजना में भी लाभान्वित है। लच्छीराम सऊदी अरब में किसी कम्पनी में पेंटर का कार्य करता था व सऊदी अरब में अपने किराये के मकान में पानी की टंकी से गिर गया था। उसके बाद प्राथमिक उपचार के पश्चात् भारतीय दूतावास द्वारा उसे आंवलियासर गांव में उसके घर तक वापस पहुंचाने की कार्यवाही की गयी थी। कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

नम्बर चार, ग्राम सोन्देली में श्री मुकेश के परिवार में उनके दादा-दादी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित हैं। श्री मुकेश को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी हो चुका है। दिव्यांगता पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाकर अब पेंशन जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, उज्ज्वला व भामाशाह तथा स्वास्थ्य बीमा योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि आपके द्वारा यह जो रिपोर्ट आयी है, यह चारों परिवारों की आज की वर्तमान स्थिति में हालत खराब है। जैसा कि जेठाराम के बारे में बताया, लच्छीराम के बारे में बताया, मुकेश के बारे में बताया, चारों परिवारों के बारे में बताया है। इस लच्छीराम के बारे में तो मुझे यह एप्लीकेशन दी है कि आज की तारीख में उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। यह लिखित में मेरे पास एप्लीकेशन आयी है। इसी प्रकार से मुकेश की भी यही हालत है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अधिकारियों द्वारा आपको जो रिपोर्ट दी जा रही है, वह सही रिपोर्ट नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि आप उनको अपनी तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से जो सहायता मिलती है, वह उन्हें दिलवाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

श्री अध्यक्ष: उनका प्रश्न ही नहीं था। आप नाराज हो सकते हो। यह कोई तरीका नहीं है, आप प्रमोट करते हो गलत चीजों को। नहीं, प्लीज। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर नागौर द्वारा इन चारों परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आने वाली सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जहां तक जंजीर में जकड़े जाने का सवाल है, इनको जंजीर में नहीं जकड़ा गया है। जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में वह भर्ती है, और उनका इलाज चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनकी खुद की कांस्टीट्वेंसी सोजत का पाइंट था। इसमें यह कैसे बोलेंगी?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं धरना)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बाकी माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर और कोई परेशानी है तो मुझसे मिल लें और समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रोहित बौहरा।

मरैना पंचायत (राजाखेड़ा) स्थित रहैना वाली माता मंदिर के लिये नये बोर्ड का गठन

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत मैं देवस्थान राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मरैना पंचायत समिति रहैना वाली माता मंदिर के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा पुजारियों के आपसी मतभेद और अव्यवस्थाओं को देखते हुए 04.07.2007 को एक अधिसूचना के द्वारा उस सार्वजनिक ट्रस्ट के लिये राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अध्याय-10 के तहत प्रबन्ध व्यवस्था हेतु उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया था। बाद में माननीय न्यायालय ए.डी.जे. धौलपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2007 के मुताबिक राजीनामा किया गया, जिसमें देवस्थान पार्टी नहीं था, लेकिन अब प्राप्त शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर को इसके बारे में जांच सौंपी गयी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में आवश्यक हुआ तो मंदिर मण्डल के गठन की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लायी जाएगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि मरैना में रहैना वाली माता मंदिर पर हर शनिवार को 20 से 25 हजार आदमी इकट्ठा होता है और चढ़ावा आता है और साल में दो बार राजाखेड़ा में रहैना वाली माता मंदिर पर लक्खी मेला लगता है। वहां पर लाखों लोग आते हैं और इतनी आस्था है कि यू.पी. और एम.पी. से लाखों लोग पैदल चलकर आते हैं। इसमें करोड़ रुपये का गबन हो गया। मैं एस.डी.एम. से कई बार कह चुका हूं कि पूरे एरिया की बाउण्ड्रीवाल बनायी जाए लेकिन आज तक बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं हुआ। अवैध कब्जे हैं। कई भूमाफियाओं ने पूरे मंदिर पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। मैं कलेक्टर को कह चुका हूं, एस.डी.एम. को कह चुका हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि इस मंदिर को आप अपने सुपुर्द कर लें। इसमें 51 लाख रुपये के करीब बैंक में जमा है, जिसमें करोड़ रुपया जमा होना चाहिए था। मैं कहता हूं कि नया बोर्ड गठन किया जाए। जो पूरा बोर्ड है, उसका नया गठन किया जाए। और देवस्थान विभाग द्वारा उस मंदिर को अपने अधीन लिया जाए, सर, यह मेरी डिमांड है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अभी 19.02.2019 से 19.07.2019 के बीच में कुल 3 लाख 84 हजार 250 रुपये मंदिर के पी.एन.बी. मरैना बैंक खाते में जमा कराये गये हैं। अब जिला कलेक्टर से रिपोर्ट आने के बाद में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। 131, श्रीमती संतोष।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री परसादी लाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3)

(श्री परसादी लाल)

(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री मेवाराम जैन।

याचिका

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019. श्री रघु शर्मा।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019. श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019. श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.53 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.23 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो गतिरोध सदन में हुआ, मैं चाहता हूं कि एक बार आपके साथ बात करके इसका कोई उचित हल निकाल लें और आगे की कार्यवाही जो आज है, उसको आप आगे बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। विधायी कार्य। विचारार्थ लेने वाले विधेयक। तीनों विधेयक एक साथ इंट्रोड्यूस करके और फिर हम पारण की स्टेज पर डिस्कस करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। पास अलग-अलग करेंगे इंट्रोड्यूस करके। हां, विचारार्थ ले लेंगे। विचारार्थ तीनों बिल एक साथ लेकर, चर्चा करके फिर पारित करेंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री सुभाष गर्ग।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री भंवर सिंह भाटी।

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री भंवर सिंह भाटी।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट राठौड़ साहब। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि 10 से 15 मिनट, राजेन्द्र राठौड़, फर्स्ट स्पीकर देख लें, बाकी सब सदस्य 10 से 15 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से यह बिल जिस मंशा के साथ लाया गया है, मैं कह सकता हूं कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। यह बिल उस मूल भावना, जिसको राजस्थान के अंदर सरकार में आने से पहले अपने नीति-पत्र, जन घोषणा पत्र के अंदर, सरकार ने राजस्थान के अवाम से जो वादा किया था, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पृष्ठ संख्या 11, बिन्दु संख्या 21, 'प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए अकादमिक स्वायत्तता व स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी'।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(13.25 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, वादा तो यह किया था कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अकादमिक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक वह काम करेंगे और भयमुक्त वातावरण होगा। मैं कह सकता हूं कि यह जो विधेयक लाए गए हैं तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, इन दोनों विधेयकों के मूल में विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता पर एक तरह से हमला है। कुलपति विश्वविद्यालय में स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम नहीं कर पाएं, एक तरह से राज्य सरकार की उच्च शिक्षा में और विश्वविद्यालयों के अंदर, राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ाने के उद्देश्य के साथ यह बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय जो हमारे सरस्वती के मंदिर के रूप में हैं। उनकी स्वायत्तता के लिए आज से ही नहीं, संविधान के निर्माताओं ने भी यही भावना प्रकट की थी कि इन विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज संशोधन लेकर आए हैं, मूल रूप से यह धारा 3 के कालम 4 के अंदर, एक नया सैक्शन इंसर्ट कर रहे हैं। यह वही है, 2017 के अंदर इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन लेकर आई थी, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 'कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले, तब तक पात्र नहीं होंगे, जब तक वे किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं होंगे'।

ठीक इसी प्रकार का संशोधन उस समय बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 में धारा 11 (2), पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में धारा 11 (2), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय और सूरजमल विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालयों के अंदर 2017 में इसी सदन के अंदर, इसी प्रकार के बिल लाए गए थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सबके मूल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जो बात थी, वह एक ही बात थी कि यह जो कुलपति नियुक्त होंगे, उनके पास कम से कम आचार्य के रूप में, प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो। किसी प्रतिष्ठित शोध और शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन के समकक्ष 10 वर्ष का उनको अनुभव हो।

सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया है कि मूल रूप से 2017 में जिन 12 विश्वविद्यालयों में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संशोधन लेकर आई थी, उसमें इन्होंने धारा 3 की उप धारा 2 के अंदर कुछ शब्द जोड़े हैं। मुझे उन शब्दों से कतई एतराज नहीं है। वह शब्द हैं, 'सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद्', इन सबके लिए पात्र होंगे। इसका मतलब यह शब्द और जोड़कर जो संशोधन मूल रूप से लेकर आए हैं, वह इन शब्दों के लिए लेकर आए हैं। अब यह संस्थानिक प्रतिबद्धता, सक्षमता और सत्यनिष्ठा, अगर इसकी व्याख्या करने बैठ जाओ तो इनके इतने व्यापक अर्थ हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की सक्षमता पर सवाल खड़ा कर सकते हो। व्यक्ति अर्हताएं पूरी करता है, दस वर्ष के लिए प्रोफेसर के रूप में, अच्छा उसका एकेडेमिक कैरियर हो सकता है पर सक्षम नहीं हुआ, कुलपति चयन के लिए बनी समिति यदि किसी को डिबार करना चाहे तो इन शब्दों का सहारा ले सकती है। ये डिस्क्रिमिनरी पावर मंत्री महोदय, आप क्यों लेना चाहते हैं? आपने इस विश्वविद्यालय में जो दखलंदाजी प्रारम्भ की है, आपने कुलपति चयन समिति में कुछ लोगों को नामजद किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति चयन समिति में एक प्रोफेसर रामलखन मीणा को नामजद किया है। कौन हैं ये मीणाजी? माननीय मंत्रीजी, ये वही मीणाजी हैं, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर में थे। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला चला, जांच हुई। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आनरेबल विजिटर हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अभिशंसा पर इनको बर्खास्त किया गया, आज ऐसे लोगों को कुलपति चयन समिति का सदस्य बनाकर आप किस प्रकार का चयन करेंगे? पूत के पांव पालने में दिखते हैं। इसी तरह से आपने सुखाड़िया विश्वविद्यालय की चयन समिति में, बोर्ड आफ मैनेजमेंट में जिनको नामजद किया है, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रवेश हुए, उन प्रवेश में जो धांधली हुई, जिसकी एफआईआर हुई, जो जमानत पर हैं, वे लोग तय करेंगे कि राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय में आप किस तरह के कुलपति लगाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हरिदेव जोशी जनसंचार विश्वविद्यालय की बड़ी बातें यहां हुईं। हमारे पर आरोप लगाया गया कि हमने उस विश्वविद्यालय को बंद किया, आपने तो विश्वविद्यालय 2013 में प्रारम्भ किया था। मैंने पहले सदन में बोलते हुए कहा कि आपने विश्वविद्यालय प्रारम्भ कर दिया, जगतपुरा में एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर, पहले साल 15 लाख का बजट दिया, दूसरे साल 1 करोड़ 84 लाख बजट दिया, 79 बच्चों के साथ आपने जो खिलवाड़ किया। अब आपने खासा कोठी के अंदर उस विश्वविद्यालय को फिर प्रारम्भ किया। बधाई हो आपको। पर इस खासा कोठी के अंदर विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की अर्हताओं के लिए बिल लेकर आए हैं, उस बिल के अंदर आपने एक शर्त रखी है, दस साल का उन्हें हर हाल के अंदर आचार्य के रूप में अनुभव होना चाहिए। आपने उसमें नामजद किया है, आप सारे विश्वविद्यालय में संशोधन लेकर आ रहे हैं। आपकी पहली नियुक्ति है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, यह ओम थानवीजी के पास कौनसे विश्वविद्यालय का अनुभव है? मतलब दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। यह किस प्रकार चलेगा, यह मेरे समझ में नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर मूल रूप से जो दूसरा संशोधन लेकर आए हैं, कुलपति को हटाया जाना। मतलब यह जो संशोधन है, मैं समझता हूं कि कुलपति जो हमारे समाज में मान और सम्मान का प्रतीक होते हैं, एक तरह से उन्हें अपमानित करने के लिए, कुलपति को हटाने के लिए जो संशोधन लेकर आए हैं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जान बूझकर लोप कर रहा है, इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए नहीं है, हानिकारक है तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात्, उचित समझे, आदेश द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुलपति को हटा सकेगा। यानी पहली बार इस प्रकार का संशोधन आ रहा है, जब भी चाहें, आप जांच करे सरकार और जांच करने के आधार पर किसी भी प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को, उसकी टोपी उछालकर हटा दो।

माननीय सभापति महोदय, इसके आगे देखिए, परन्तु कुलाधिपति राज्य सरकार के ऐसे परामर्श से ऐसे आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, पैंडिंग इंक्वायरी माननीय सभापति महोदय, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा। कभी आपने सुना होगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी शिक्षा के बारे में जानता हूं, आप शिक्षाविद् भी रहे हैं, गुरु का सम्मान आपने जितना किया, किसी ने नहीं किया होगा। कुलपति को जांच लम्बित, सरकार कोई भी जांच करेगी और जांच करेगी कि जांच लम्बित है, सस्पैंड कुलपति।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने लिखा है, जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति राज्य सरकार को यह आदेश दे सकेंगे, अगले आदेश तक ऐसा कुलपति, कुलपति के पद का कर्तव्य करने से विरत रहेगा। यानी अगर आपने सस्पैंड नहीं किया तो भी आप जांच के दरमियान यह आदेश दे देंगे कि कल से कुलपति महोदय, आप कुलपति का काम नहीं करेंगे, कुर्सी पर आकर मत बैठना। इसके आगे आप देखिए, माननीय सभापति महोदय, आगे यह लिखते हैं, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा या नहीं, इसका भी सारा हक सरकार ने अपने पास ले लिया। आपने जांच के लिए कुलपति को हटा दिया, जांच करके जांच के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि आप कल से काम नहीं करेंगे तो उसका वेतन भी नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखते हैं कि कुलपति के पद के कर्तव्य की पालना के आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आपने तय कर दिया सुभाषजी, माननीय मंत्रीजी ने तय कर दिया, आप शिक्षाविद् हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं मेरा ओएसडी कल से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का काम देखेगा। यह जिस व्यक्ति को प्राधिकृत करेंगे, वह कुलपति का काम करता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह काला कानून किस मकसद से लेकर आए हैं, आपकी निगाहें कहां हैं? यूजीसी के मापदंड के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति की चयन समिति थी और उनमें जिन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को आज कुलपति के पद पर लगा रखा है, काम कर रहे हैं, जिनका देश-विदेश में नाम है, आप उनको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तत्काल हटाने का षड्यंत्र करने का बिल लेकर आए हैं, यह सरकार पर मेरा आरोप है। माननीय सभापति महोदय, आज उच्च शिक्षा में हो क्या रहा है? मैं समझता हूं कि जब यह संशोधन पारित हो जाएगा तो कुलपति सरकार की कठपुतली बन जाएंगे। कुलपतियों का सरकारी अधिकारी के रूप में परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति के बारे में पूरे देश में चर्चा है, प्रारूप जारी हुआ है। राज्य सरकारों से वह उनका मत मांग रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अंदर राज्य सरकार अपना अभिमत प्रकट करे और उस प्रारूप में लिखा है, उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिकाधिक अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दिया जाना। मतलब उनकी भी मंशा यह है। नई हमारी जो शिक्षा नीति है, मैं समझता हूं कि आज उच्च शिक्षा मंत्रीजी, अपने विभाग की बागडोर को जरा कस कर पकड़ो, आपके विभाग का नियंत्रण धीरे-धीरे एक दूसरे राज्य मंत्रीजी के पास जा रहा है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वह जिस प्रकार हायर एजुकेशन कमिश्नरेट के अंदर काम कर रहे हैं, विचारधारा कुछ भी हो सकती है माननीय सभापति महोदय, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, विचारधारा के आधार पर पांच-पांच सौ किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर रहे हैं आप। आपने नया क्या तुगलकी फरमान जारी कर दिया, आपने क्या किया कि अब हर महाविद्यालय में हर महीने परीक्षा होगी। बिना इन्विजिलेटर परीक्षा होगी? मतलब, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल 29 तारीख थी, कल एक परीक्षा आपने की है, आप एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं? आप इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नियुक्त उन कुलपतियों को हटाना चाहते हो। आज हालत क्या है आपके यहां? माननीय मंत्रीजी, अभी आपने National Institute Ranking Framework (NIRF) 2018-19 पढ़ा होगा। राजस्थान के अंदर राजकीय विश्वविद्यालय 26, राजकीय महाविद्यालय 252, निजी विश्वविद्यालय 50, निजी महाविद्यालय 1578, डीम्ड यूनिवर्सिटी 7 और केन्द्रीय संस्थान 6, माननीय सभापति महोदय, यह जो National Institute Ranking Framework (NIRF) है, यह इस बात को बताता है कि राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षा की दृष्टि से हम किस पायदान पर कहां खड़े हैं। आज 2 विद्यालय, वह भी बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ, ये तो पहले 100 के अंदर आए हैं, बाकी 200 के अंदर किसी का नाम नहीं। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहते हैं जन घोषणा पत्र में कि हम स्वायत्तता देंगे और दूसरी तरफ आप एक इस तरह से स्वायत्तता छीनने का काम कर रहे हैं। आज हालात क्या हैं? माननीय सभापति महोदय, 27 विश्वविद्यालय सरकारी क्षेत्र में हैं, 12 में कुलपति नहीं हैं। आज विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल 4,498 पद हैं, 2,556 पद रिक्त हैं मंत्री महोदय। कितने हैं आप देख लो, अंदाजा लगा लो, 50 फीसदी से ज्यादा पद रिक्त हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 976 में से 509 पद रिक्त, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 259 में से 138 पद रिक्त, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 44 में से 20 पद रिक्त। माननीय सभापति महोदय, आज सरकारी महाविद्यालयों में 30 परसेंट से ज्यादा प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, 1800 पद रिक्त हैं। उसके अंदर भी आप डैपुटेशन पर डैपुटेशन लगाकर कहां-कहां इनसे काम ले रहे हो। मैं उन रिक्त कुलपतियों के नाम पढ़कर समय जाया नहीं करना चाहता, पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी आप यह संशोधन लेकर आये, विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) और इस संशोधन के माध्यम से आपने 11 विश्वविद्यालयों में एक साथ कुलपति के चयन की अर्हताएं तय कर दीं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अभी ये पांच कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञापन निकाले। इन विश्वविद्यालयों के कुलपति के लिये मानदंड, मापदंड, अर्हताएं क्या रहेंगी, यह सुनिश्चित यूजीसी ने 2013 में किया।

सभापति महोदय, 2013 में कृषि विश्वविद्यालय के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जुलाई में ही लिख दिया कि यूजीसी के मापदंड के अनुसार जो अर्हताएं तय की गयी हैं, उनके आधार पर इस विश्वविद्यालय में कुलपति की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की जाए, न्यूनतम अर्हताएं तय की जाएं। माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के लिये 10 जून को आपने विज्ञापन जारी किया और आपने उसमें अर्हताएं क्या रख दीं, कृषि शिक्षा में छह वर्ष का प्रोफेसर, क्यों? अभी आप यह बिल लेकर आए न दस साल के लिये। ये छह साल, किसे आब्लाइज करना चाहते हैं आप?

इसी तरह कृषि विश्वविद्यालय, कोटा, 13 जून को आपने विज्ञापन जारी किया, उसमें न्यूनतम अर्हताएं क्या रहेंगी, आपने बात ही नहीं की।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय एक्ट के सैक्शन 25(1) से और उसमें भी लिख दिया आगे न्यूनतम योग्यता कृषि शिक्षा में छह वर्ष का प्रोफेसर या समकक्ष शैक्षणिक अनुभव। उसके बाद महाराणा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, 22 मई को आपने जारी किया, उसके अंदर भी आपने लिखा कि 24(1) के तहत इसका चयन किया। उसमें अर्हताएं आपने स्पष्ट नहीं कीं। इसी तरह श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, 12 जून को आपने विज्ञापन जारी किया, कोटा और जोधपुर के कुलपतियों की तरह आपने यहां भी छह साल की अर्हताएं तय कर दीं। यह आप क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं? कारण क्या हैं? देने के माप कुछ और लेने के माप कुछ। यह चलेगा नहीं, मंत्री महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके पचास से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उन निजी विश्वविद्यलयों के लिये उनकी खुद की गवर्नमेंट बाडी है, जिसमें वे तय करते हैं कि उनके किस प्रकार के कौन-कौन से कोर्सेज चलेंगे। आज हो क्या रहा है? आपके सामने अभी महात्मा ज्योतिबा राव फुले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मामला आया होगा। विश्वविद्यालय ने उन्हें डिग्री पकड़ा दी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की और उनका संकाय अधिकृत ही नहीं था।

आज एग्रीकल्चर के लिये Indian Coucil for Agricultural Research से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब आप उसकी डिग्री को देश भर में चला सकते हैं। एमएड-बीएड के लिये National Council for Teacher Education. लॉ के लिये Bar Council of India. सामान्य के लिये यूजी और पीजी के लिये यूजीसी। नर्सिंग के लिये Indian Nursing Council. मैं सबका नाम नहीं लूंगा। आपके यहां निजी विश्वविद्यालय बिना इन आथोरिटीज जिनसे इन्हें मान्यता लेनी होती है, ये निजी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। कुल-मिलाकर आज हालात बड़े बेकाबू हैं। आज विश्वविद्यालयों में अपनी दखलंदाजी बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है।

सरकार का एक ही काम है। एक तरफ इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में यह कहा कि हम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के पक्षधर हैं। जन घोषणा पत्र जो कि नीति पत्र है आपका, उसके ठीक विपरीत आप ये संशोधन लाकर इन संशोधनों में कुछ शब्द जोड़ रहे हैं और उसके साथ-साथ आप जो कुलपति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को हटवाने का संशोधन लाए हैं, मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा में एक काले अध्याय के प्रारम्भ का संकेत है।

मंत्री महोदय, आज इस कारखाने से हमारा भावी भविष्य तैयार हो रहा है। कहीं तो हम यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों की दखलंदाजी बढ़नी चाहिए, आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। आप चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से विश्वविद्यालय में अपना काडर तैयार करना चाहते हैं, चाहे दूसरे कारणों से आप करना चाहते हैं, चाहे विचारधारा के आधार पर अध्यापकों-प्राध्यापकों का ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये अच्छे संकेत नहीं हैं।

आप और हम रहें न रहें, इस सदन के सदस्य रहें न रहें, मंत्री रहें न रहें, यह विश्वविद्यालय रहेगा। उसी विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकलकर आज हम जैसे एक दर्जन लोग सदन में बैठे हैं, इसलिये खिलवाड़ बंद करें। सभापति महोदय, मैं पांच मिनट बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, इसके अंदर यह जो विधेयक है 'राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति और चयन) विधेयक' का, इसके अंदर आप सैक्शन 10 के अंदर जो अमैंडमेंट लेकर आये हैं, वह इसीलिये लेकर आये हैं कि जो आरक्षण है वह राज्य के अधीन सेवा में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

आपने पहले जो आरक्षण की इसमें बात कर रखी थी, जिसमें आपने 31 परसेंट आरक्षण की बात कही है, उसके साथ आप खुले तौर पर 10 परसेंट आप ईबीसी को जो आरक्षण दे रहे हैं। अगर आपकी मंशा वही है तो स्पष्टता से आप एक सैक्शन इन्सर्ट कर देते। क्या कारण है कि आप उन सबको डिलीट करके और फिर कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो कहेगी, उस आरक्षण व्यवस्था को आप नियुक्ति और पदों में लागू करेंगे। इसके पीछे कोई दूसरा इरादा तो नहीं है?

मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं, आप बड़े सज्जन आदमी हैं, पर आपको लोग एक दुष्चक्र की तरफ खींच रहे हैं और वह दुष्चक्र आप ही के सहयोगी कर रहे हैं। इनसे जरा सावधान रहिएगा और अच्छा रहेगा कि जनमत जानने के लिये इन्हें भेज दें ताकि राजस्थान के लोग यह तो कहें कि आपकी कथनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और करनी में अंतर नहीं। आप भाटी हैं, थोड़ा जोर लगाइए और आज खड़े होकर कह दीजिए कि मैं वापस लेता हूं, जनमत जानने के लिये परिचालित करता हूं।

सूचना

कोटा में पेयजल के लिए हाहाकार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको बताना चाहता हूं। कोटा शहर में तीन दिन से पानी की पूरी सप्लाई ठप है, हाहाकार मचा हुआ है। अभियंता आपस में लड़े हुए हैं और जो अकेलगढ़ का प्लांट है, उसमें फिल्टर प्लांट के पम्प खराब पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार आप हस्तक्षेप करें। बहुत बुरी स्थिति है, वहां दो लाख बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। टैंकरों से पानी नहीं मिल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। विज्ञान नगर, शापिंग सैंटर, गुमानपुरा, दादाबाड़ी, जवाहर नगर, इन सारे इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई ठप है।

मदरसा पैराटीचर्स का शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, एक इन्फॉर्मेशन मेरी भी ले लें। 5 हजार मदरसा पैराटीचर्स शिक्षा संकुल पर लड़के और लड़कियां कल के बैठे हैं। उनकी मांग है कि अभी उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और वे पिछले पांच से लेकर अठारह साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनका वेतनमान बढ़ा नहीं। कृपया करके सरकार तक उनकी यह मांग पहुंचाएं।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, राजस्थान

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, मैंने कहीं पढ़ा था, पिछले पांच सौ वर्षों में यूरोप में सबसे लम्बे समय तक रहने वाली 85 संस्थाओं में 70 विश्वविद्यालय हैं। इस अवधि में राजाओं का राज, सामंतों का प्रभुत्व, एकाधिकारी समूहों का साम्राज्य, सभी चले गये, किंतु ये 70 विश्वविद्यालय अभी भी उन्हीं स्थानों पर और कुछ तो अभी भी उन्हीं भवनों में चल रहे हैं। प्राध्यापक और छात्र इसी प्रकार पठन-पाठन में रत हैं। प्रशासन भी उसी आधार पर चल रहा है। इन संस्थाओं के बारे में कुछ तो विशेष है, जो उन्हें इसी प्रकार का स्थायित्व दे रहा है।

विश्वविद्यालय के लिये जो कुलपति है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पर है, महत्वपूर्ण स्थान पर है, लेकिन जिस प्रकार का बिल यहां लाया जा रहा है, एक तरफ तो सरकार अपने जन घोषणा पत्र में कहती है कि भयमुक्त वातावरण हम शिक्षा में देंगे, लेकिन इस प्रकार का बिल लाकर इन्होंने यह प्रूव कर दिया कि जो जन घोषणा पत्र है, उसमें जो कुछ भी लिखा है, उसका उलटा ही इन्हें करना है। अब इस बिल में सबसे पहले मैं ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि यह बिल लेकर आये हैं हायर एजुकेशन का, टैक्निकल एजुकेशन का और एक बिल आज आया है जो कि बाद में चर्चा में आएगा मेडिकल यूनिवर्सिटीज का।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां स्टेट की 26 यूनिवर्सिटीज हैं। इन 26 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन की 11 यूनिवर्सिटीज, टैक्निकल की 2 यूनिवर्सिटीज, इनके ऊपर तो ये बिल लेकर आये हैं, मेडिकल की जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर भी लाए हैं, लेकिन शेष रही 11 ऐसी और हैं। 15 यूनिवर्सिटीज के वीसी को चेंज करने के लिये लेकर आये हैं...

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): दो में पहले आ चुका है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसका-किसका आ चुका है?

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अम्बेडकर और पत्रकारिता को मैंने एड कर लिया है इसी में। 11+2=13+2 टैक्निकल, टोटल 15.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फिर आप कहेंगे टोकाटोकी कर रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां जी, मैं आपके सामने देखकर ही बोलूंगी साहब, वे डिस्टर्ब कर रहे हैं बिना बात, आप उन्हें कहिए। टोटल 15 यूनिवर्सिटीज, 2 पहले आ चुके, 11 हायर एजुकेशन की और 2 हमारी टैक्निकल यूनिवर्सिटीज के, इनके तो लेकर आये। अब आप कहें मैंने जो वक्तव्य कहा कि भयमुक्त नहीं, यह भययुक्त वातावरण बनाया जा रहा है शिक्षा में। यह भययुक्त वातावरण में आप देखिये कि संस्कृत यूनिवर्सिटी का लेकर नहीं आये क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में कौन है? एडिशनल चार्ज दिया हुआ है वी.सी. राजस्थान यूनिवर्सिटी को। स्किल यूनिवर्सिटी का बिल इसलिए नहीं लेकर आये क्योंकि वहां वी.सी. के पद पर आईएएस है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं लेकर आये क्योंकि अब ये उनके ऊपर करने वाले हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आये, पुलिस यूनिवर्सिटी के लिए बिल लेकर नहीं आये। यानी टोटल एक तरह से यह भेदभाव है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जो वीसीज की नियुक्ति हुई थी, वह यूजीसी के नार्म्स के अनुसार हुई थी। दस वर्ष का अनुभव, एक्सपीरियंस रखने वाले, जिन्होंने कालेज के अन्दर एजुकेशन दिया हुआ हो ऐसे प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिये हुए हैं उसके आधार पर नियुक्त उन वीसीज को हटाना, यही इनका मकसद है कि कैसे हम उन यूनिवर्सिटीज के वीसीज को हटायें। यानी एक तरह से यह वातावरण किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। एक तरफ हम लोग यह देखें कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वे आटोनोमस बाडी हैं, स्वायत्तता रहती है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कोर्सेज चलाती है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर अच्छे कोर्सेज चलाकर उनको बढ़िया शिक्षा देती है, अच्छे पिच बनाती है, रिसर्च करती है, रिसर्च के कई पेपर्स यूनिवर्सिटीज प्रकाशित करती हैं, पीएचडीज होती हैं। इन सारी चीजों के ऊपर जो वातावरण बन रहा है, माननीय सभापति जी, कालेज एजुकेशन को अगर मैं लूं तो उस कालेज एजुकेशन में भी इन्होंने कहा कि हम भयमुक्त करेंगे लेकिन इन्होंने पूरा भययुक्त कर रखा है। आज कालेज एजुकेशन का यह हाल है कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से कालेज में टीचर्स, लेक्चरर्स पढ़ाते थे लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कमिश्नरेट से टापिक्स जा रहे हैं कि इन टापिक्स के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऊपर आपको पढ़ाना है। चाहे क्लास में स्टूडेंट हों या न हों तो भी आपको पढ़ाना है और अगर नहीं पढ़ाया तो 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से भयभीत हो रखे हैं और वही वातावरण अब ये यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मन्दिर है और उस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का भययुक्त वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि उस वीसी के ऊपर हमेशा तलवार लटकती रही कि पता नहीं कब आपको हटा दिया जाएगा।

माननीय सभापति जी, इस बिल के अन्दर जो बात इन्होंने कही है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से अपने पद से कुलपति को हटाने का अधिकार मिलेगा। यानी कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्श कर जो गवर्नमेंट कहे उस हिसाब से उसको हटाओ और माननीय सभापति जी, इससे भी बुरी बात तो यह है कि अगर कोई कुलपति के ऊपर किसी तरीके की कोई जांच चल रही हो, आप तो जानते हो, जांच तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी ने किसी की शिकायत कर दी तो जांच कर लो, तो जांच चल रही है, जांच में कोई प्रूव नहीं हुआ लेकिन जांच लम्बित है तो भी कुलपति को निलम्बित करने का अधिकार इस बिल के अन्दर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय जी, यह किस प्रकार का है, डेमोक्रेसी तो बिलकुल रही ही नहीं, कांग्रेस तो कभी भी डेमोक्रेसी में विश्वास करती ही नहीं, आपातकाल इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके सामने, पूरे देश के सामने है। ये जिस प्रकार का कार्य करते हैं वह सामने दिख रहा है कि इस प्रकार के बिल लाना जहां पर कुलपति को कभी भी पद से हटाया जा सकता है जबकि कुलपति एक सिस्टम से नियुक्त होता है। एक सर्च कमेटी है, सलैक्शन कमेटी है, उस प्रोसेस में जाता है, उस प्रोसेस से सर्च कमेटी के थ्रू होकर उसके बाद हम कुलपति को नियुक्त करते हैं। सारी चीजों की पुख्ता एश्योर करके कि यह कुलपति जो हम लगा रहे हैं वह कुलपति हर तरीके से बैस्ट कुलपति होगा, इस संस्था को अच्छे ढंग से लेकर जाएगा और उन सारी चीजों को देखने के बाद लगाते हैं। लेकिन, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं इसलिए इनकी आंख में किरकिरी हो रहे हैं जबकि ये सारे कुलपति इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उस सबके बाद में इस प्रकार का बिल लेकर आना ठीक नहीं है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये बिल लेकर आये हैं लेकिन इनको यह चीज अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि अगर आप जिस प्रकार से यह कार्य करने के सोच के पीछे लेकर आये हो कि हमें हटाना है कुलपतियों को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है तो भूलो मत, यह सरकार तो आती है और जाती है, कल को वापस से आप कुछ लगाओगे तो यही बिल होगा जिस बिल के आधार पर कोई दूसरी सरकार आयेगी तो वह निर्णय लेगी। लेकिन क्या यह उचित होगा? आज हम इस सदन के अन्दर बैठे हैं, हमें इस बात को सोचना होगा कि हम लोगों को शिक्षा को बढ़ावा देना है, हमें गुणवत्ता को बढ़ावा देना है या फिर हमें हमारी राजनीति चलानी है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए ठीक होगा, कौन व्यक्ति हमारा यस मैन बनकर चलेगा, कौन व्यक्ति हमारे विचारों से चलेगा, कौन हमारी हां में हां मिलायेगा, वही बात करनी है आपको। यानी कुलपति जैसा जो प्रोटोकाल के अन्दर एक पोजिशन रखता है वह पद और उस कुलपति को आपने बिलकुल एक तरह का ऐसा बना दिया कि एक स्कूल के टीचर से भी गया बीता बना दिया। जब चाहो तब आप उसको हटा दो। माननीय सभापति जी, मेरा यही कहना है कि इस प्रकार का यह जो उच्च शिक्षा प्रणाली में और ज्यादा समस्या पैदा करेगा और पूर्ण रूप से अराजकता, अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण विश्वविद्यालयों में बनेगा। पता नहीं चलेगा कि कब कौन हट रहा है, कब कौन लग रहा है, कब किसके ऊपर कोई जांच बिठा दो, जांच बिठाकर बहुत आसान होगा कि उसको निलम्बित कर दो, निलम्बित करके फिर उसके ऊपर कार्यवाही कर दो। यानी पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के साथ शिक्षा के वातावरण को खराब करने पर यह सरकार तुली हुई है। शिक्षा किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है लेकिन इस शिक्षा के वातावरण को खराब करने का काम यह सरकार कर रही है।

माननीय सभापति जी, मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि ये जितना सब कुछ कर रहे हैं इसमें इसके पीछे और है, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वह हमारी हायर एजुकेशन हो, एमएचआरडी ने इन्हें यह कहा था कि सब यूनिवर्सिटीज के जितने भी रिक्त पद पड़े हैं उन सारे रिक्त पदों को आप भर दो। हमारी गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने बहुत सारी पोस्ट यूनिवर्सिटीज को दी थीं और वे जितनी पोस्ट थीं उन पोस्टों को भरने पर इन्होंने रोक लगा दी। इनके आते ही इन्होंने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आप नहीं भरोगे, यहां पर आप नहीं भरोगे। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। विषय यह है कि एमएचआरडी ने इन्हें यह डायरेक्शन दिया, लैटर निकाला, सभी स्टेट्स को कहा कि जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके रिक्त पदों को आप भर दो और 6 महीने में अगर आप रिक्त पद नहीं भरोगे तो आपको जितना भी सैण्ट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलता है वह बन्द कर देंगे, इतना स्ट्रिक्ट लैटर इनको लिखा है। लेकिन उसके बाद में भी उसका कोई असर नहीं हो रहा है। रिक्त पदों को अभी नहीं भरना चाहते हैं। पहले इस कानून को लाये हैं, पहले हम यूनिवर्सिटीज से वीसीज को हटाएं, जब वीसी हट जाएगा, जब हमारा चहेता व्यक्ति वहां लग जाएगा तब फिर हम स्वीकृति देंगे कि आओ, हम आपकी भर्ती करते हैं ताकि हम हमारे लाइकिंग और डिस-लाइकिंग के आधार पर सलेक्शन करेंगे। इस प्रकार मैं सीधा-सीधा यहां पर कहना चाहती हूं चाहे वे कुछ भी तरीके से समझो लेकिन यह बहुत गलत बिल आ रहा है, माननीय सभापति जी।

माननीय सभापति जी, आज यह सैण्ट्रल यूनिवर्सिटीज, और दूसरी सारी यूनिवर्सिटीज ने विज्ञापन निकाले लेकिन इन्होंने अभी तक कोई विज्ञापन इस प्रकार के नहीं निकाले कि हम लोगों को भर्ती करनी है। और तो और अभी आपने देखा कि सरकारी कालेज के अन्दर क्या स्थितियां चल रही हैं। अभी यहां पर एक बिल है जिसके अन्दर भर्ती करने के बारे में, आरक्षण की बात के ऊपर जो बिल आया है उस बिल के ऊपर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, यह है आपका अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के चयन के सम्बन्ध में। यह तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट का निर्देश था कि यूनिवर्सिटीज एक-एक डिपार्टमेंटवाइज आरक्षण देती थी और यह कहा कि डिपार्टमेंटवाइज आरक्षण नहीं देकर एज ए होल आरक्षण दें ताकि आरक्षित सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें और आरक्षित लोगों की ज्यादा से ज्यादा हम लोग नियुक्तियां कर सकें। यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट का बिल था और उस बिल को यहां लाकर इन्हें लागू करना था इसलिए इस बिल को लेकर आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप देख रहे हो कि कितनी रूचि है। अगर हम सब लोग बाहर चले जाएं तो अभी कोरम की घंटी बज जाए इसलिए कम से कम आप इनको निर्देश तो दो, कोरम तो ये पूरा रखें। माननीय सदस्या बोल रही हैं....

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कोरम पूरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप देखो न, अच्छा लगता है आपको। अगर आपको यह अच्छा लगता है कि आपके पीछे 4-5 आदमी बैठे रहें, जरा पीछे मुड़कर देखो। पीठ उघाड़ी आपकी वैसे ही हो गई, लोक सभा में लोगों ने कर दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइये आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, अब आप देखिये कि 2014 में हम लोगों ने पद निकाले, 29 विषयों के अन्दर 1339 की भर्ती के लिए अर्थना आरपीएससी को भेजी। 1248 के आरपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिये। भर्ती परीक्षा हो गई, साक्षात्कार हो गया, सब सम्पन्न हो गया, एक हजार से अधिक की नियुक्ति तो हमने अपनी गवर्नमेंट थी बीजेपी की, पिछली सरकार में...

(14.00 बजे)

उनका पदस्थापन भी आप नहीं कर पा रहे हैं। अब जो शेष दो सौ पद रहे हैं, उनकी आरपीएससी की सारी प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है, लेकिन उन दो सौ को भी आप अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं। उनका पदस्थापन नहीं कर पा रहे हैं और रोजाना कालेजेज की घोषणा कर रहे हैं, हमने इतने कालेज सैंक्शन कर दिए, हमने ये कर दिया, अच्छी बात है। नये कालेजेज सैंक्शन होने चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम नये कालेजेज के साथ लेक्चरर्स की भी भर्ती करो, केवल एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपकी कांस्टीट्यूएंसी में कालेज खोल देंगे, वहां उस कालेज का क्या कोई ढोल ढपाड़ा बजाएंगे, कालेज में पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कालेज में आज हालत यह है 1800 लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। लेक्चरर्स नहीं हैं पढ़ाने के लिए..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, इन्हें चाहिए कि लेक्चरर्स को कांट्रेक्ट बेसिस पर भी लेना है तो लें, लेकिन लेक्चरर्स वहां पर पढ़ाने के लिए होने चाहिए। कालेज खोलो, वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी हो स्टेट की और राज्य यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी हटा देंगे, ऐसा वातावरण बना देगे तो कैसे शिक्षा होगी और किस प्रकार से एक अच्छा वातावरण मिलेगा, इसलिए जो ये बिल लेकर आए हैं, मैं इसका पुरजोर विरोध

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करती हूं और मैं चाहती हूं कि इन बिल्स को जनमत जानने के लिए परिचालित करें और पब्लिक की राय लें और उसके बाद सदन में लेकर आएं तो ही उचित होगा। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आज सरकार तीन बिल लेकर आई है विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (सशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान विश्वविद्यालयों में अध्यापक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019, अभी मुझसे पूर्व जो इन विधेयकों के बारे में चर्चा हुई है, निश्चित रूप से यह बहुत ही अमर्यादापूर्ण व्यवहार है सरकार का, जो इस तरह से यह बिल लेकर आई है।

हमारे देश में विश्वविद्यालय प्रतिमान स्थापित करते थे, नालन्दा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए दूर-दूर से छात्र आते थे और वहां के शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध कराते थे, ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहां स्थापित होने चाहिए। सरकारें उस दिशा में काम करें तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि सरकार हमारी पुरातन संस्कृति, पुरातन वैभव और पुरातन चीजों को वापस स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर लगी हुई है लेकिन, जिस तरह से ये विधेयक आए हैं, गुणवत्ता तो छोड़ो, जो शिक्षक वहां शिक्षा का काम करेंगे, उनमें भी कैसे भय बना रहे हैं, वे कैसे डंडे के जोर से चले और जो हम आदेश दे रहे हैं, उनका अक्षरश: पालन करें। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो हम आपको हटा देंगे, किसी न किसी बहाने से यह बहुत गलत बात है और इससे शिक्षा का वातावरण इस प्रदेश में जो पिछले पांच सालों में बना था, वह वातावरण और दूषित हो रहा है।

आपने जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 21 पर जो उल्लेख किया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने और उनकी अकादमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह अकादमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी इस बिल से, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह् है।

आप तो इसके विपरीत उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता को छीन

(श्रीमती अनिता भदेल)

रहे हैं और कालेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा, जो अभी-अभी बात कही गई कि ऐसा कभी होता है क्या, विश्वविद्यालय का मतलब ही यही है कि वह एक स्वायत्तशासी संस्था है, वह एक संवैधानिक संस्था है। उन संवैधानिक संस्थाओं को भी हम डायरेक्शन दें, उनको भी हम बताएं कि आपको कैसे प्रश्न पत्र बनाने हैं, कैसे प्रश्न लाने हैं, किन टापिक्स को पढ़ाना है और किन टापिक्स को नहीं पढ़ाना, यह तो हद हो गई। जो शिक्षाविद् हैं, जो शिक्षा के लिए डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जो अनुभव रखते हैं, वे तय करेंगे कि उन्हें किस टापिक पर पढ़ाना है और किस टापिक पर प्रश्न करना है। लेकिन, ये चीजें भी हम यहां से तय कर रहे हैं तो फिर स्वायत्तता कहां से आई?

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदन के नेता बोल रहे थे बजट पर और उन्होंने जवाब दिया, प्रतिपक्ष के नेताजी ने एक बात उठाई थी यहां हमारा प्रदेश 36वें नम्बर पर था शिक्षा में, वह अभी दूसरे नम्बर पर आया है और दूसरे नम्बर पर इसलिए आया क्योंकि पिछले कार्यकाल में शिक्षा में अभूतपूर्व काम हुए तो माननीय सदन के नेता ने जवाब देते समय कहा कि हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं 1998 से 2003 के बीच में, मुझे भी याद आया, क्योंकि मैं भी उस समय बीएड कर रही थी और मुझे ध्यान आया कि वे जो स्कूल खुले थे, वे स्कूल नहीं थे। वह जिस तरह से आप अभी जनता क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, जनता क्लिनिक की भांति ही वे विद्यालय खुले थे। उनमें न तो गुणवत्ता थी, एसटीसी और बीएड शिक्षक नहीं थे, उस मोहल्ले में 10वीं पास कोई बच्चा या बच्ची थी तो उस व्यक्ति को आपने उस स्कूल में, जो स्कूल नहीं था सिर्फ बच्चों को इकट्ठा करके, कोई लेवल नहीं था, बच्चों को इकट्ठा करिए और उनको गली में पढ़ाइए, उसको आपने स्कूल का नाम दिया और जो 10वीं क्लास का बच्चा था, उसको आपने शिक्षक का नाम दे दिया और समस्या प्रदेश के लिए खड़ी कर दी। क्योंकि उनको लगा कि यदि अभी हम सरकार द्वारा बनाए गए जो स्वर्ण जयंती विद्यालय हैं, राजीव गांधी विद्यालय हैं, इनमें लग जाएंगे तो कभी न कभी तो हम स्थाई हो ही जाएंगे, कभी न कभी तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी और उसका परिणाम यह रहा कि बाद में वे सब हड़ताल पर चले गए और सरकार के लिए समस्या हो गई कि उनको कैसे मुख्य धारा, सरकारी नौकरी उस सिस्टम में आप कैसे लाओगे। ऐसा मत करिए, आप कोई समस्या खड़ी मत करिए ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश का भविष्य अंधकार में पड़ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था मत करिए,

(श्रीमती अनिता भदेल)

क्योंकि आप तो टेम्परेरी करके चले जाएंगे, परन्तु व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है, व्यवस्था को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जो बिगाड़कर जाने वाले हैं, उसका भी असर इस प्रदेश पर पड़ने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन है, जिस तरह से शिक्षक हैं, अभी-अभी बात हो रही थी, ये जो विश्वविद्यालय हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। अजमेर विश्वविद्यालय में मात्र 18 शिक्षक हैं, उनमें से एक सस्पेंड चल रहे हैं और इसी साल दो लोग रिटायर हो जाएंगे तो आप बताइए कि 15 शिक्षकों के द्वारा वह विश्वविद्यालय कैसे चल सकता है, और तो और वहां 10 महीने से जो वाइस चांसलर होने चाहिए, वे वाइस चांसलर नहीं हैं। सरकार ने जो आरएएस पोस्ट, वहां पर रजिस्ट्रार लगा हुआ था, उस रजिस्ट्रार को वहां से हटा दिया। छोटे-छोटे से कामों के लिए विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स और कर्मचारी जूझ रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है कि किस तरह से उसे ठीक करें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस डिपार्टमेंट को आप देख रहे हैं तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे, इसकी भी आप व्यवस्था करो। दो तराजुओं में चीजें होती हैं न, तो वह फिर तय नहीं कर पाते, फिर उसमें निर्णय नहीं होते, निर्णय लटकते हैं तो बाद में परिणाम डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है, और स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप एक बात कह रहे हैं कि हम स्वायत्तता लाना चाहते हैं, अकादमिक स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसका प्रारूप आया है, सबको ध्यान में है। उस प्रारूप में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिकाधिक अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की बात कही गई है। न केवल कही गई है लेकिन उस नीति में वे प्रोविजन भी डाले गए हैं। आपने अपने जन घोषणा में कहा, लेकिन बिलकुल उससे उलटा कर रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्या हम उसका माडल नहीं अपना सकते हैं, हम शिक्षा के लिए कम से कम राजनीति नहीं करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस राजस्थान प्रदेश के लिए यहां के युवाओं के लिए और माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहती हूं, पिछली बार भी मैंने यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

बात कही थी कि जो कालेज का समय है, उसी समय में आप कोचिंग क्लासेज चालू कर रहे हैं तो उस समय में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? एक तरफ तो आप आदेश निकाल रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट नहीं हो तो लेक्चरर खाली कक्षा में ही लेक्चर दे दे। ये संभव है क्या, यह कोई मजाक है। स्टूडेंट उस लेक्चरर का मजाक बनाने वाले हैं कि एक कक्षा कक्ष में वह लेक्चरर जो है लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट एक भी नहीं है। एक तरफ आप ऐसी बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं कालेज टाइम में जो पीरियड्स लगने हैं, उन पीरियड्स में आप कोचिंग क्लासेज को बढ़ावा देने के लिए कोचिंग चला रहे हैं तो यह बिलकुल भी ठीक बात नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय ध्यान में लाना चाहूंगी। विषय यह है कि अभी जैसा राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि कालेज लेक्चरर के हमारे बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अब पद खाली पड़े हैं, एक तरफ तो आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वे चिंता करते हैं कि किसी तरह से हमारे यहां पर लेक्चरर्स की नियुक्ति हो जाए तो आदिवासी क्षेत्र से आने वाला बालक भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, उसको भी कुछ ज्ञान मिल सकेगा। लेकिन, आपने क्या कर रखा है, आपने दूरदराज की कालेजों को खाली छोड़ते हुए, जो अपने पसन्द के लोग हैं, उनको सरप्लस पदों पर लगाया हुआ है। वह टीचिंग का काम करे वहां कालेज में जाकर, वह नहीं करना है। आप यह देखिये जयपुर कालेज में पन्द्रह पदों पर लगभग पैंतालीस शिक्षकों को तैनात कर रखा है। पन्द्रह पद हैं और पैंतालीस लोग आपने वहां डेपुटेशन पर बैठा रखे हैं और इसी तरह से आयुक्तालय कालेज शिक्षा में 10 पदों पर 53 शिक्षकों को लगा रखा है तो 10 पदों के अगेंस्ट आपने 53 लोगों को लगा रखा है। बाकी के कालेज खाली पड़े हैं, वहां लोग जूझ रहे हैं कि किसी तरह से हमारे को शिक्षक मिल जाए तो हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दें। इस तरह से आपने जो ट्रांसफर्स किए हैं और ट्रांसफर्स में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की खबरें जिस तरह से अख़बार में छपी हैं और जिस तरह से आपने, आप देखिये पिछली बार जोधपुर विश्वविद्यालय में जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, उसमें जो भर्तियां हुई थीं, उन भर्तियों में कितनी गड़बड़ियां हुई और उसके कारण से जेल भी गए कुछ लोग तो ऐसा मत करिए कि इस पूरे प्रदेश में जो योग्य हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो कुंठित होते हैं कि किसी

(श्रीमती अनिता भदेल)

तरह से भी येन-केन-प्रकारेण जैक-चैक से जो मिलने वाले हैं, उनका पदस्थापन हो जाएगा तो उनको कुंठाग्रसित होने मत दीजिए। यह प्रदेश के लोगों के लिए अवसर होना चाहिए। उन बेरोजगारों के लिए अवसर होना चाहिए कि वो जब भी कोई भर्ती निकले तो वो आवेदन करें और पारदर्शिता से उसमें सलेक्शन हो।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी +++ को बोम का सदस्य बनाया गया है और यह पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि उनको कैसे बोम का सदस्य बनाया गया जबकि वो आरोपी हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रोफेसर को तीन साल पहले हटा दिया उसे आर.यू. सिंडिकेट में नियुक्ति दे दी। हटाया किसी आरोप के कारण लेकिन उनको पुन: नियुक्ति दी गई और इसी तरह से ट्रांसफर्स में करेप्शन हुआ है और ट्रांसफर्स में जो करप्शन का आरोप लगा है वह भरतपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य के इर्द-गिर्द ही घूमता है। इसलिए अभी तो यह आपका कार्यकाल शुरू ही हुआ है पांच साल तक लोग बहुत भयभीत हैं कि किस तरह से यह सरकार चलने वाली है, किस तरह से करने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से न ही करें तो ज्यादा अच्छा है ताकि लोग यह समझ सकें कि नई सरकार जिन वादों को लेकर के आयी थी, उन्हीं वादों को लेकर वह पूरा करेगी। यह राजनीतिक हस्तक्षेप आप न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहती हूं कि हम जब विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय का भी बिल आया है इसमें। तकनीकी विश्वविद्यालय की मैं बात करना चाहूंगी। तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में स्थापित है। अजमेर में स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कालेज है। अब अजमेर का प्रोफेसर, अजमेर का लैक्चरर डेपुटेशन करवाकर कोटा विश्वविद्यालय बैठा हुआ है। आपका अजमेर का लैक्चरर जहां से पेमेन्ट लेता है, उसका वेतन वहां से उठता है, वह वहां पोस्टेड है और वह जयपुर में डेपुटेशन करवाकर बैठा हुआ है तो आप इस शिक्षा की व्यवस्था को कैसे तोड़-मरोड़ रहे हैं और कैसे आप डेपुटेशन अलाउ करते हैं। वहां बच्चे यह देखकर आते हैं कि हां वहां लैक्चरर है, वहां पढ़ाने की व्यवस्था है और तभी वे एडमिशन लेते हैं। इतनी भारी-भरकम फीस जमा कराने के बाद में भी क्योंकि अजमेर इंजीनियरिंग कालेज स्वायत्तशासी कालेज है और वहां पर बच्चों को फीस उतनी ही देनी पड़ती है, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आप इस प्रकार का काम नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। यह जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया है, निश्चित रूप से इसको माननीय मंत्री महोदय को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। लोगों के विचार जानने चाहिए और लोगों के विचार जानने के बाद ही फिर जैसा लोग कहें जैसा विचार आये, उसके पश्चात् आपको इसकी कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने अपनी बात कही है और मैं चाहूंगी कि इस पर ध्यान देंगे और इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे।

सूचना

चिमाना गांव (फलौदी) में हुई मृत्यु के विरुद्ध धरना

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर बोल रही हूं। जोधपुर जिले में फलौदी क्षेत्र के चाकू थाने में चिमाना गांव के अरटियावास में 30 जुलाई को सुबह नवलाराम पुत्र राजूराम भांभू का शव मिला। वह रोजाना निरन्तर बीस साल से अपनी सब्जी की दुकान पर जाता है। कल चार बजे वहां पर गया था और उसकी पत्नी को आज सुबह पैदल अपने वहां से गई तो उसके गांव के ओरण में उसकी लाश पड़ी हुई मिली। उसके सर पर चोट है। दो हजार के करीब अभी लोग वहां पर धरना दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि निश्चित रूप से तुरंत एसपी जाए और तुरंत कार्यवाही करें और उसकी जांच करें।

श्री सभापति: विराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने गांव

(श्री संयम लोढ़ा)

शिवगंज में जब स्कूल का विद्यार्थी था तो अपने हैड मास्टर साहब को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता था और यह सोचता था कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि रिमूवल आफ वाइस चांसलर जैसे विषय पर, जैसे संशोधन पर मेरे जैसे विद्यार्थी को बोलना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारा देश भारत पूरी दुनिया में गौरव रहा है। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, उसके बाद आचार्य चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया और ऐसे-ऐसे शिक्षक पिछली सदियों के हमारे इतिहास में हमारे सामने आये हैं, जिन्होंने इस मानव जाति को अपने योगदान से गौरवान्वित किया है और वह जमाना था जब कोई आदमी बड़ा नहीं होता था, कोई राजा भी था तो वह बड़ा नहीं होता था, महाराजा भी था तो बड़ा नहीं होता था, शिक्षक बड़ा होता था। भगवान राम को भी शिक्षा प्राप्त करनी थी तो वे गुरू के यहां गए थे और वहीं जाकर के शिक्षा प्राप्त की थी। पाण्डवों को भी शिक्षा प्राप्त करनी थी तो वो शिक्षक के यहां पर गए थे। कौरवों को भी शिक्षा प्राप्त करनी थी तो वो शिक्षक के यहां गए थे। यह शिक्षकों का गौरव था और आज हम सब लोगों को ऐसे विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। यह हम सब के गिरावट का एक बहुत बड़ा द्योतक है, माननीय सभापति जी, और ऐसा नहीं है कि पानी आज ही मरा है। पिछले चार-पांच दशक का भी हम उदाहरण देखेंगे तो राजस्थान की उच्च शिक्षा अनेक प्रतिष्ठित शिक्षकों से गौरवान्वित रही है। प्रोफेसर उन्नीथान, प्रोफसर वी.वी. जॉन, प्रोफेसर नामवर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', जिनका उपन्यास 'शेखर एक जीवनी' आज भारतीय साहित्य का एक ज्योतिर्बिम्ब है, लेकिन वह जमाना था जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जाते थे ऐसे शिक्षकों के पास और उनसे विनती करते थे कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में आइये और वो उनके कहने के बाद उनकी यूनिवर्सिटी में आते थे और उनके पीछे जिज्ञासु विद्यार्थियों की एक जमात आती थी। हमने वह सब कुछ नष्ट कर डाला। मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी की हम लोगों से अपेक्षाएं हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे केन्द्र विकसित करें, जहां जाकर के वह अध्ययन कर सके, शोध कर सके, हमने कहां लाकर खड़ा कर दिया। हमें बहुत नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्यों यह व्यवस्था देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर टीचर्स के अपाइंटमेंट का काम करे? क्यों देना चाहते हैं? उसका काम एकेडमिक का है उसे एकेडमिक का काम करना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के

(श्री संयम लोढ़ा)

साथ बताना पड़ता है, जब मैं पढ़ता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट एम्प्लाइज के अपाइंटमेंट कर रहे हैं हमारे जजेज वगैरह। उन्हें यह काम क्यों करना चाहिए? यह एक्जीक्यूटिव का काम है। उनका काम है, फैसले देने का। जिस व्यक्ति का जो काम नहीं है वह हम उसको क्यों देना चाहते हैं? और यही कारण है कि हमने पूरी व्यवस्था को पथभ्रष्ट कर दिया। क्या-क्या सुनने में नहीं आता। मैं एक्स का, वाई का उदाहरण नहीं देना चाहता, माननीय सभापति महोदय। राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2018 को कहा है कि सर्च कमेटी वी.सी. के लिए उच्च स्तरीय क्षमता व ईमानदारी जरूर देखें। क्यों कहना पड़ा ऐसा? क्या तत्कालीन सरकार ने ऐसा अमेंडमेंट किया था कि लोगों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी? जो लोग उस वक्त राज में थे, यह उनके आत्मलोचन का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, चार विश्वविद्यालयों में आठ भर्तियां निकलीं। सभी पर विवाद, अटकी। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर यह अगस्त, 2018 का मामला है। नियमों का उल्लंघन, राज्यपाल और हाई कोर्ट ने रोक लगाई। जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर के 111 पद, विश्वविद्यालय ने ही योग्यता नियमों को भुला दिया और क्या है, यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 11 पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती में नियुक्ति के लिए अयोग्य सहायक आचार्यो को भी ज्वाइन करा लिया गया। विश्वविद्यालय ने विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के नियमों की अनदेखी की। सात असिस्टेंट प्रोफसर की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं थी। वहीं 26 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आर्डिनेंस के अनुरूप नहीं थी। इस मामले पर जांच कमेटी बैठायी और भर्तियां रद्द करने की सिफारिश की, मामला कोर्ट में है। किस यूनिवर्सिटी का मैं आपको उदाहरण दूं, जहां-जहां हाथ रखो, वहीं पर दर्द है। कोटा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के चार पदों पर भर्ती निकाली गई। इसमें चयनित चार में से एक उम्मीदवार के एक साल के पीजी डिप्लोमा को ही पीजी मान लिया गया, यह हालात हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में नोन पीएचडी को वाइस चांसलर बनाने का काम किसने किया? दो साल तक शिक्षक कहते रहे कि नोन पीएचडी चांसलर बनाया, हटाइये। कांग्रेस पार्टी

(श्री संयम लोढ़ा)

के लोग इस सदन में उठाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिये तब उनको उस पद से जाना पड़ा। यह किसने किया है? जोधपुर यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर का अपाइंटमेंट किया, उत्तर प्रदेश से आये हुए उन माननीय शिक्षाविद् का क्या बैक ग्राउंड था? क्रिमिनल रिकार्ड था, उनके ऊपर संगीन आरोप थे। उन्हीं को वहां से उठाकर फिर अजमेर ले आये। यह सब काम किसने किये? राजस्थान की उच्च शिक्षा को रसातल की तरफ धकेलने का काम करने वाले लोग कौन थे? माननीय सभापति महोदय, जून, 2018 का राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती का मामला, जिस आदमी को सिंडिकेट का मैम्बर नहीं बनाया, आर्डर नहीं निकला, उससे 8 दिन पहले तो उसको चयन समिति में मनोनीत कर दिया, किसने किया? 17 जून को तो सिंडिकेट मैम्बर बनाया और 9 जून को वह चयन समिति में मनोनीत हो गये। यह सारे मानदंड की धज्जियां उड़ाने का काम किसने किया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा 2500 से ज्यादा पद खाली हैं और उससे पहले मैं राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आपको यह लाने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? आप 10 साल होना प्रोफेसर की पात्रता में रख रहे हो, क्या आपने पहले यह देखा कि राजस्थान में आपके पास कितने प्रोफेसर हैं? आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 25000 छात्र पढ़ रहे हैं और 15 प्रोफेसर आपके पास हैं। हम राजस्थान की जनता के वोट से चुनकर यहां आये हैं। राजस्थान के शिक्षाविदों का गला घोंटने की तरफ आगे मत बढ़िये। आपको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने के लिये राजस्थान का प्रोफेसर ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रोफेसर के अपाइंटमेंट ही नहीं किये हैं। आपने पिछले साल भी अपाइंटमेंट किये, उसमें प्रोफेसर के अपाइंटमेंट नहीं किये। क्या हम लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि राजस्थान के शिक्षाविदों के हितों का हम संरक्षण करें? मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, आप आर्डिनेंस लाइए और राजस्थान के शिक्षकों के हितों को प्रोटेक्ट कीजिए, नहीं तो साहब, यह पूरा राजस्थान यूपी, बिहार बन जाएगा। अभी भी चारों तरफ यूपी, बिहार ही मंडरा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, क्या हमारी क्वालिटी एजुकेशन है? क्या हमारी राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी फर्स्ट 10 में है? सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फर्स्ट 10 में है, वह जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वह पांचवें नंबर पर है। उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज

(श्री संयम लोढ़ा)

हैं, वह फर्स्ट 10 में नहीं है। आप कितनी ही यहां पर अपनी आत्म प्रशंसा करें लेकिन आपको राजस्थान की जनता को यह जवाब देना पड़ेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो दो साल पहले 79वें नंबर पर था, इस बार की जो रैंकिंग हुई उसमें 200 में भी क्यों नहीं आ पाया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसे आपको निवेदन किया कि हमारे गुरुकुल में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने फोरेन स्टूडेंट हैं उसमें, पांच, सिर्फ पांच स्टूडेंट। और वो भी किसमें, एक तो एमबीए में बांग्लादेश का है, एक नेपाल का है। स्टेटिस्टिक्स में एक लड़का यूएसए का पीएचडी कर रहा है। बीए में एक अफगानिस्तान का है और इंडोनेशिया का एक लड़का कामर्स में पीएचडी कर रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ पांच लड़के हमारे सबसे बैस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने की मंशा रखते हैं, वह भी किस तरह के कोर्स में। राजस्थान के बच्चों को कौन बताएगा कि पिछले पांच साल में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 15 कोर्स बंद किये, प्रोफेशनल कोर्स 15 बंद किये हैं, इसका कौन जिम्मेदार है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यह जो प्रोविजन आप लेकर आये हो, बहुत बड़ा अपराध है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर यह प्रोविजन नहीं है? क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर यह प्रोविजन नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में यह प्रावधान नहीं कर रखा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: शांत रहें, कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह प्रोविजन करने की नौबत क्यों आई है, वह विचार करना सबसे अधिक आवश्यक है। आपसे और हमारे से यह चीजें छिपी हुई नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स के अपाइंटमेंट कैसे हो रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार एमएलए बना था, एक ऐसे वाइस चांसलर यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे जो अपने बाथरूम में बैठे-बैठे पर्ची पर अपाइंटमेंट कर देते थे और वह अस्थाई अपाइंटमेंट हुए और बाद में वह सब परमानेंट हुए।(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन की तरफ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह सारी परिस्थितियां इसीलिए बनी हैं कि हमें यह अधिकारी जो बनाकर पकड़ा देते हैं, यह लाकर यहां छोड़ देते हैं। फिर चाहे कोई बात कहे, कोई इसमें सुझाव पर संशोधन करना नहीं, कोई बदलाव करना नहीं, जो आया है, वह लागू होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा, आप दोनों नई पीढ़ी के हो, नौजवान हो, अनुभव है आपको। एक नई सोच के साथ राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत को लाभान्वित कीजिए। आप स्टेट ग्रांट कमीशन बनाइए और उसके माध्यम से सारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के अपाइंटमेंट और यह निर्णय उसके माध्यम से कीजिए। पूरे राजस्थान में एकरूपता लाइए। तेरा मेरा, क्या तेरा मेरा? जो आपने बनाया उन्होंने क्या आपको निहाल कर दिया, जो इन्होंने बनाया क्या उन्होंने इनको निहाल कर दिया? आपने जिनको वाइस चांसलर बनाया, इन्होंने भी उन यूनिवर्सिटीज का भट्टा बिठाने का काम किया और आपने बनाया, उन्होंने भी भट्टा बिठाने का काम किया। क्यों नहीं आप परिवर्तन लाना चाहते? अगर राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत को, हमारी नई पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आइए। यह वाइस चांसलर तो हटते रहेंगे और बनते रहेंगे। यह ठीक है, राज्य सरकार को पब्लिक मेनडेट है। आज जिस तरह से समाज में मूल्य गिर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिये पैसा महत्वपूर्ण हो रहा है, ऐसे में हर क्षेत्र के व्यक्ति का पतन होना स्वाभाविक है तो सरकार को उसमें अधिकार लेना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने यह लिया है तो भी गलत नहीं है क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि आप बहुत विचार करके इस मामले में आगे बढ़िये, जल्दबाजी में आप निर्णय मत लीजिए। जल्दबाजी में निर्णय करने से नुकसान होगा। आपकी जो उच्च शिक्षा को लाभान्वित करने की मंशा है, वह नहीं होगी।

अभी आप देखिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। किस तरह के अपाइंटमेंट हुए, प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रार और उसके बीच में क्या हुआ? अखबारों में क्या सुर्खियां बनीं? यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या प्रोविजन है, सरकार के क्या अधिकार हैं, कोई देखने वाला है? आपने जिस संस्था पर जिसको बैठाया है, या तो आप उसकी छुट्टी करो और नहीं तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका दीजिए। यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोलर बैठा सकते हैं, व्यवस्था ही यह है लेकिन

(श्री संयम लोढ़ा)

अगर आपको लगता है, क्योंकि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट दी है, आपके पास पड़ी है। जब तक वह पद पर है, किसी भी संस्था की गरिमा बनी रहनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें और निवेदन करूंगा फिर समाप्त करूंगा।

टैक्निकल एजुकेशन का क्या हाल है? राजस्थान के इंजीनियरिंग कालेज का क्या हाल है? हमारे यहां ऐसे-ऐसे इंजीनियरिंग कालेज हैं, जिसमें 40 परसेंट, 50 परसेंट सीटें भी नहीं भर रही हैं। देश के अंदर पौने तीन हजार टैक्निकल इंजीनियरिंग कालेज हैं और हम सात लाख इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। 20 से 30 परसेंट लोगों को नौकरी मिल रही है और हमारी इंडस्ट्रीज बाकी को according to norms नहीं मानती है। अगर हम सारी व्यवस्था बदलने का मन नहीं बनाएंगे। जब मैं यहां पहले कांग्रेस पार्टी का एमएलए था। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल ला रहे थे, मैंने यहां पर बहुत विरोध किया कि आप पैसे वालों की बिगड़ी औलादों को पीछे के दरवाजे से डिग्रियां देने का काम कर रहे हो। हमने 10 साल में यह अनुभव कर लिया कि फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटीज ने डिग्रियां बांटी हैं। काबिलियत से आने वाला बच्चा पीछे रह जाता है और फर्जीवाड़े से आया हुआ बच्चा इस नौकरी को ले लेता है। यह खाली removal of vice chancellor का विषय नहीं होना चाहिए। राजस्थान की पूरी उच्च शिक्षा के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की सोच होनी चाहिए।

अभी प्रतिपक्ष के उप नेता बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने 2017 में टैक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिये आपको 130 करोड़ रुपये दिये, आपने खर्च किये? आप 35 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं कर पाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपने इंजीनियरिंग कालेज में प्रभारी प्राचार्य लगाये। उनकी क्या क्वालीफिकेशन थी? इसकी जांच करने की जरूरत है। मंत्री जी, आप अगर जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस लैक्चरर को लगे हुए पांच साल हुए हैं वह पांच साल का लगा हुआ आदमी, इंजीनियरिंग कालेज का प्रिंसिपल बन गया और इसके माध्यम से जो कुछ इन लोगों को करना था, वह सब इन लोगों ने चेष्टा की। सभापति महोदय, अंत में, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार यह जो बिल लायी है, वह तात्कालिक परिस्थितियों में आवश्यक है, लेकिन मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

यह सुझाव दूंगा कि राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत को समग्र रूप से लाभान्वित करने के लिये आप सर्वदलीय फोरम बनाइये और सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए व्यापक रूप से सुधार के दृष्टिकोण के साथ आप प्रस्ताव लाइये। मैंने यह जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, शिक्षा के इस पवित्र काम को देखने का चश्मा हम लोगों के अपने-अपने विचारों से है, तो यह उच्च शिक्षा का दुर्भाग्य होगा। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सारी उच्च शिक्षा जिन पर निर्भर करती है, जिनकी देखरेख में यह उच्च शिक्षा आगे बढ़ती है, उसका जो मेन बिंदु है या प्रमुख व्यक्ति है, वह वाइस चांसलर है।

मैं सोचता हूं कि वाइस चांसलर को जिस ढंग का हम बना रहे हैं आज हम बना सकते हैं, क्योंकि आज राजस्थान की सात करोड़ जनता देख रही होगी कि राजस्थान की उच्च शिक्षा में इतना बड़ा निर्णय होने जा रहा है। न सदन के माननीय सदस्य सीरियस हैं, न सरकार के दिमाग में इस बात का असर है कि भविष्य क्या होगा? हम जब तक जिंदा हैं, मजे लूट लो, लेकिन इसका अंत क्या होगा, इसके बारे में भी कभी ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयत्न करो। गलती हमारी तरफ से हुई है तो सुधार लो, लेकिन हमारी गलती के कारण आप गलती पर गलती करो, यह उच्च शिक्षा के प्रति न्याय नहीं होगा।

मैं बहुत ही दुःखी मन से कह रहा हूं कि ठीक है आपको बहुमत मिला, आपकी मर्जी चाहे जो करो, लेकिन क्या आप चिरस्थायी हो? क्या मैं यहां चिरस्थायी हूं? मैं भी दो-पांच साल बाद मरने वाला हूं, आप भी इसी रूप में जाएंगे। क्या हम ऐसे कुछ आधार छोड़कर जाना चाहते हैं, जिसके कारण से उच्च शिक्षा का भविष्य अच्छा हो सके या केवल और केवल हम राजनैतिक चश्मों से देखकर कि हमारा व्यक्ति वाइस चांसलर बनना चाहिए और हमारा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। केवल अगर यही है कि हमारा व्यक्ति बनेगा तो मेरे भी दो-पांच लोगों का सलेक्शन कर लेगा, दो-पांच लोगों को नौकरी लगा देगा। इस तुच्छ स्वार्थ के कारण अगर हम शिक्षा के इस पवित्र मंदिर को गंदा करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है।

मैं राजस्थान की सात करोड़ जनता से बहुत दुःखी मन से निवेदन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहा हूं कि इतने बड़े सदन में जो आपके वोटों से यहां चुनकर आता है और यहां बैठकर भविष्य का निर्धारण करता है, वह आज इस सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर कितना सीरियस है, इसको कितने ठीक ढंग से सोच रहा है, इसके बारे में निर्णय इस राजस्थान की जनता को करना पड़ेगा। आज राजस्थान के लाखों बच्चे इसको देख रहे होंगे। आज राजस्थान के हजारों प्रोफेसर और लैक्चरर जो काम कर रहे हैं, वह हमारे इस कृत्य को देख रहे होंगे। हम यहां क्या चर्चा कर रहे हैं, कैसी चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के आधार पर उच्च शिक्षा का भविष्य क्या बनेगा, वह सारा देख रहा होगा। जिस समय वोटों की इच्छा होती है, उस समय हम कुछ और कहते हैं और जब वोट प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम शेरखां बन जाते हैं, फिर मर्जी चाहे उधर लट्ठ घुमाने का काम कर देते हैं।

जन घोषणा पत्र, सरकार की नीतिगत दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 11 के बिंदु संख्या 21 पर उल्लेख किया हुआ है कि प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए उनकी अकादमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित हो रही है। राम धर्म से हम अंतर दिल से कह दें कि आज हम जो कुछ भी यहां कर रहे हैं, वह इसी रूप में कर रहे हैं या बिल्कुल इसके विपरीत कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया हूं कि इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता क्या पड़ गयी कि आपको सर्कुलेशन से ये सारे अध्यादेश लाने पड़े? क्या आफत पड़ रही थी, कोई आसमान गिर रहा था, कोई अचानक ऐसा तूफान आ गया था, जिसके कारण से आपको सर्कुलेशन के माध्यम से अध्यादेश के थ्रू इसको लाना पड़ा, जिसको आज आप और हम बैठकर सदन में पास करके राजस्थान के उन लाखों बच्चों की जिंदगी को एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर से भी बदतर स्थिति बनाकर वाइस चांसलर नियुक्त कर देंगे। मैं सोचता हूं, प्राइमरी स्कूल में मैं भी पढ़ा था। उस गुरू के प्रति इतना सम्मान रहता था, भले उनकी धोती फटी होती थी, जूते फटे होते थे, लेकिन उसके प्रति जो आदर भाव था, वह आदर भाव उसके समर्पण से भी था और गुरू के प्रति सम्मान के कारण से भी उसकी काम करने की क्षमता बढ़ती थी और उसका विचार बनता था। मैं सोचता हूं कि इस विश्वविद्यालय में हम पढ़े होंगे।

अभी आप जो ये तीन बिल पेश कर रहे हैं, उसमें से आपके जो दो विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में आप इसमें चेंज करें। बीकानेर तकनीकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विश्वविद्यालय और दूसरा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। इसमें आपने अधिनियम की धारा 17, अधिनियम संख्या 29 में पहले जो धारा-11 थी उसको आप 11(क) बना रहे हैं। इसी तरह से, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अधिनियम 8 की धारा 11 में 11(क) जोड़ रहे हैं। इसी तरह से, आप हमारे जो बाकी 11 विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिये कानून लाए हैं। मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि यह तो हम सब लोग चाहते हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कैसे बनें? हमारा वाइस चांसलर अपनी सोच से शिक्षा के क्षेत्र को कितना अच्छा बना सके। हो सकता है कि हमने कोई दो लोग गलत चुन लिये तो आप उसे हटाइये, करिये, जो भी आपके पास ताकत है। ऐसा नहीं है कि पहले ताकत नहीं थी, ताकत तो है। हम केवल और केवल यह सोचकर कि स्विच आन, सब ठीक और स्विच आफ मतलब सब डूब गया। अगर इस सोच के आधार पर चलना चाहते हैं तो चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसको राजस्थान का सारा शिक्षा विभाग देख रहा है कि हमारे नेता जिनको हमने वोटों से चुना है, कोई 2 हजार से जीता होगा, कोई 5 हजार से जीता होगा, लेकिन 7 करोड़ की जनता का फैसला करने के लिये हम जो कुछ भी यहां कर रहे हैं, वह उचित नहीं लगता। आप भी इसे देखें। विश्वविद्यालय विधियों का संशोधन, इसमें 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा अर्थात् कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय... यह तो हम पहले कर चुके थे। यह चीज तो हम लोगों ने भी अनुभव किया कि वह कम से कम दस साल प्रोफेसर रहा हो, इस राइडर के साथ उसकी नियुक्ति की जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने यह क्यों डाला, क्योंकि आप आगे ऐसा काला कानून ला रहे हो, उससे बचने के लिये आपने इस नाटक को भी साथ में डाला है, ताकि पढ़ने वाला यह पढ़े कि वाह क्या कमाल किया है? कमी रह गई थी दस साल वाली जो इसमें जोड़ लिया। केवल और केवल अपने हाथ को बचाने के लिए जनता के सामने आपने इसमें जो किया है, उसको आपने देखा होगा। बड़ा आश्चर्य है, वास्तव में किस प्रकार के शब्दों का जाल बिछाया जाता है।

आपने देखा होगा, इसमें लिखा है न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला, ये सक्षमता, अब ये कौनसा थर्मामीटर है आपके और मेरे पास कि सक्षमता ढूंढ लें। कोई ऐसा थर्मामीटर बना है यहां अपने हिन्दुस्तान में जिससे किसी आदमी की सक्षमता को ढूंढने का कोई मापदंड बनाया जा सकता है? ''सक्षमता'' यह शब्द आपने नया जोड़कर अपनी उस बात को पक्का करने की कोशिश की है कि ऊपर तो आपने दस साल का अनुभव होना चाहिए, सभी वाह-वाही करेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं परंतु नीचे जो शब्द लिखे हैं, वह आपकी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं।

सक्षमता, सत्यनिष्ठा, आप और मैं दोनों यहां रोज शपथ लेते हैं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, अब भगवान ही जानता है कि हम कितनी सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। ईश्वर ही जानता है। अगर इस सत्यनिष्ठा का इतना ही दुरुपयोग करना है तो कर डालो, कोई बात नहीं। आज समय है, कर डालिए। आने वाली पीढ़ी आपको और मुझको दोनों को नहीं छोड़ेगी, याद रख लेना। मैं आज यहां कह रहा हूं और इस सदन पर रिकार्ड करवा रहा हूं। आने वाली पीढ़ी हमारे इस कर्म को जब देखेगी तो हम पर एक तरह से उंगली उठायेगी कि हमारे वरिष्ठ लोगों ने संस्था के साथ जो कुछ किया है। सत्यनिष्ठा, फिर है नैतिक आचार, अब अगर नैतिक आचार को आप और मैं ढूंढना चाहें, एक आदमी ढूंढ कर ला सकते हैं नैतिक आचार के आधार पर कि यह मिल गया और पकड़ लिया। दुर्भाग्य है। इसके बाद भी संस्थानिक प्रतिबद्धता, अब आपने यह क्वालिफिकेशन ऐसे डाली जैसे कोई डिग्री पर डिग्री होगी, पीएच.डी 1, पीएच.डी. 2, पीएच.डी. 3, क्या दुर्भाग्य है राजस्थान का।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भारत सरकार में ज्वाइंट सैक्रेटरी लेवल के आईएएस अफसरों की सीधी भर्ती की जा रही है, वह सही है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं जो उचित और अनुचित है, वह तो आने वाला समय बताएगा। कोई अभिमान करने की इतनी बड़ी बात नहीं है। समय अच्छे-अच्छे को ठीक कर देता है। समय किसी को नहीं छोड़ता है। किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो निकाल देना। अगर भगवान ने जिन्दा रखा दस-बीस साल तो बताऊंगा आपके इस कुकृत्य से यह संस्था प्राइमरी स्कूल से भी घटिया क्वालिटी की संस्था बन जाएगी। कम से कम वहां अध्यापक को यह तो पता रहता है....

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मेरी बात का जवाब दो। एक तरफ आईएएस अफसर इतनी परीक्षाओं से होकर निकलते हैं और आप ज्वाइंट सैक्रेटरी लेवल के अफसरों की सीधी भर्ती कर रहे हैं, वह उचित है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि जो हमारा सैकण्डरी का हैडमास्टर चयन होता है, उसकी भी कोई चयन की प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होने के बाद उसको यह पता है कि मैं दस साल, बीस साल तक नौकरी करूंगा तब जाकर वह संस्था को ठीक प्रकार से चला पाता है। एक सैकण्डरी स्कूल का हैडमास्टर भी, अगर उसे यह पता हो कि मेरे को कौन गाली देगा? कब हटा देगा? कब नहीं हटायेगा? तो क्या क्लास रूम का भी कंट्रोल कर सकेगा? यह विश्वविद्यालय कंट्रोल करेगा, जिसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं। हम जिस भावना से इसको ला रहे हैं, इस भावना से प्रतिबद्धता, उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद्, इतनी क्वालिटी आप या तो पहले कोई न कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दें जो इन सबको, दस साल की योग्यता को तो देखेगा, वह तो रिकार्ड से दिख जाएगी कि वह रहा या नहीं रहा? कहां-कहां पढ़ा है? कितने परसेंट आए? कैसे गोल्ड मैडल प्राप्त किया? इसका तो आपके पास एनेलिसिस हो जाएगा लेकिन आपकी यह जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इस एक्स्ट्रा क्वालिटी के चयन के लिए हम सब लोगों को मिलकर कोई न कोई ऐसा मेकेनिज्म तैयार कर लेना चाहिए जिसे व्यक्ति में डालते ही पता लग जाए कि यह तो ठीक, यह ठीक नहीं। यह सलेक्ट करते समय नहीं देखेंगे, उसको हटाते समय देखेंगे। सलेक्ट करते समय इसको लें तो मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु सलेक्ट करते समय नहीं लेंगे। जब इसकी छुट्टी करनी होगी तब यह बिंदु ध्यान में आएंगे कि यह क्षमतावान है या नहीं है, यह सत्यनिष्ठ है या नहीं है, इसका नैतिक चरित्र ठीक है या नहीं है। जिस किसी को भी फुटबाल बनाना हो, इनमें से कोई-सा भी थर्मामीटर का चिन्ह लगा देना और हटाकर फेंक देना। इससे आपकी बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम हो जाएगी।

अनुसूची के स्तंभ 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तंभ संख्या 4 के उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तंभ संख्या 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी। यह तो ठीक है। इसके बाद आप कुलपति जी की दशा कर रहे हैं, कर डालो, करो, करो। इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, किसकी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, जिस राज्य सरकार को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब सलेक्शन करते हैं तो जो सलेक्शन कमेटी होती है, उसमें राज्य सरकार का कोई नामिनी नहीं रखा, हमारे पहले के जितने भी शिक्षाविद् थे, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर कि राजनीति के चश्मे से आदमी सलेक्ट नहीं हो इसलिए विद्वानों की कमेटी रखकर अच्छे लोगों का चयन करने की कोशिश की। इसमें यूजीसी का मैम्बर होता है, कुलाधिपति का मैम्बर होता है और एक प्रबन्ध समिति का मैम्बर होता है। ये तीन लोग हैं। सबको खुला है कि आप अपनी योग्यता के साथ एप्लाई करें और उसमें से सलेक्शन कमेटी छानबीन करके नाम निकालेगी। उसके आधार पर तीन लोगों का चयन होकर फिर चयन किया जायेगा। लेकिन अब आपने किसी भी समय कुलाधिपति की राय से राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, यह कानून है। अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में कुलपति द्वारा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयन करने में जानबूझ कर लोप या इंकार करता है, अगर वह गलती करता है तो कुलाधिपति को आज भी कई प्रकार के अधिकार हमने दे रखे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के अधिकारों के कारण से अगर आप कुलपति की तलवार लटकाए रखेंगे, किसी पहलवान को खूब माल खिलाओ और उसके ऊपर कोई न कोई, जैसे कोई बिल्ली चूहे को देखे जाए और चूहे को कितनी ही खुराक डालो, बेचारा हल्का-फुल्का ही हो जाता है। वैसे ही हमने उसके ऊपर ऐसी तलवार लटका दी कि तू तो दादा तब तक रहेगा जब तक मैं चाहूंगा। अगर इस आधार पर शिक्षा का यह पवित्र मंदिर और कुलपति बनेंगे और यह उसके कारण से रहेगा जो सारा का सारा एकेडमिक ढांचा तय करता है तो क्या डिसिप्लिन बनाएगा वह यूनिवर्सिटी में, जिसमें उसको यह पता है कि मैं आज हूं तो कल नहीं हूं क्योंकि मेरी नैतिकता का भी मापदंड किसी दिन आ जाएगा।

मैं सोचता हूं कि बहुत अधिक उत्साहित होकर काम कर रहे हैं लेकिन काम ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। किसी व्यक्ति में कोई कमी-खामी हो तो आप उसे जरूर हटाएं। अगर हमारी चयन प्रक्रिया में और कहीं दोष है, तो उसको आप जरूर सुधारो। इसमें कोई एतराज नहीं। मान लो गलती से हमने चयन कर दिया और आदमी खराब आया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करके हटा दो। जो दोषी है, वह दोषी है लेकिन यह नहीं कह सकते कि हमने तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खराब चयन किया और आपने अच्छा किया। पिछली बार जब हम विधान सभा में यहीं थे, जोधपुर के वाइस-चांसलर ने जिस प्रकार के लोगों का सलेक्शन किया, तमाशा बना दिया। उसके कारण से जेल जाकर आए। एक हमारे पूर्व विधायक भी जेल जाकर आए। अगर राजनीति की इतनी दखलंदाजी रहेगी और फिर हम जो बचा हुआ है, उसको भी खतम करने की मंशा रखते हैं तो हम कर सकते हैं, कोई एतराज की बात नहीं है। आज इसका दुर्भाग्य होना ही है क्योंकि हम में से किसी को रुचि तो है नहीं, हां-ना करेंगे, दे मारेंगे। यह कोई सोचने को तैयार नहीं ठंडे दिमाग से कि अगर इसमें कुछ और परिवर्तन करना ठीक हो, कुछ अच्छे लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बैठ जाओ। कभी वाइस-चांसलर डाक्टर राधाकृष्णन रहे थे, कभी वाइस चांसलर यहां के मोहन सिंह मेहता रहे थे, इन लोगों का किस प्रकार का सोच है, धीरे-धीरे इसमें गिरावट आई है, इसमें कोई दो-राय नहीं है। पहले की तुलना में हम चाहे तो भी ऐसे लोग नहीं ढूंढ सकते लेकिन निश्चित रूप से आज भी देश में इस प्रकार के लोग हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मेरा दोस्त ही वाइस चांसलर बन जाए। यह दुर्भाग्य है, चाहे मेरे मन में आता हो, चाहे आपके मन में आता हो। इससे क्या नफा-नुकसान होना है? जो बच्चा टेलेन्टेड है, वह बच्चा सलेक्ट होना चाहिए। चाहे वह मेरा है या नहीं है। तब जाकर आप इस शिक्षा के मंदिर को सुधार पाएंगे। अगर आप अपना लगा देंगे, मैं अपना लगा दूंगा, हम अपने दस लोग लगा देंगे भले ही, परंतु वह शिक्षा का मंदिर ठीक बनने वाला नहीं है। मैं सोचता हूं इसमें इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। शांति से बैठकर विचार करें। मैं इस कारण से नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रतिपक्ष में हूं। मैं मन से बोल रहा हूं। मैं भी एक अध्यापक रहा हूं और मैं एक स्कूल अध्यापक रहा हूं। मेरे में इतना टेलेंट नहीं था कि मैं कालेज का लेक्चरर बन सकता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस पवित्र व्यवसाय में जो आनंद मिलता है, दुनिया की किसी जगह नहीं मिलता है जो एक शिक्षक को आनंद मिलता है अगर वह वास्तव में शिक्षक है तो। अगर वह वास्तव में शिक्षा की दृष्टि से काम करता है तो जो सम्मान बालक देता है, यहां तीस साल, चालीस साल एमएलए रहने के बाद भी हमें आज भी वह सम्मान नहीं मिलता। 40-50 साल पहले जब कभी मैं झाड़ौल में पढ़ाता था, वहां खेती करता हुआ बच्चा हल लेकर खेत में खड़ा है और अगर मैं उधर से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निकला तो, दौड़ कर आता है और गुरुजी से मिलता है, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब लोग राजनीतिक चश्मे से इन पवित्र पदों को भी अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने एंगल से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं इस बारे में बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो हाल हैं वह तो आपने और हमने सबने देखे हैं। हम उससे कितना दुःखी होते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार और वीसी दोनों डर रहे हैं, रोज अख़बार का फ्रंट पेज भरा रहता है। जो वीसी को काम करना है वह तो वीसी को ही करना है। वह इसलिए दे रहा है क्योंकि पोलिटिकली सरंक्षण उसको है। ऐसा करने से, उस विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, इस व्यवस्था के बारे में। अगर वह कुछ गलत है तो उसकी जांच कराकर उसको कुछ दण्ड दे दो वह ज्यादा अच्छा है। बनिस्पत उसको पद पर भी रखो और उसके बाद उसकी इतनी बेइज्जती कर डालो ताकि वह किसी काम का भी नहीं रहे।

कितने वीसी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ कई प्रकार की शिकायतें हैं, कुछ जेल जाकर आ गए, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। जो भी सलेक्शन करता है, इसलिए करता है। यह सलेक्शन गड़बड़ क्यों होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो गुलाब जी ने बनाया है, तो वह गुलाब जी की बात मानेगा। गुलाब जी जिसकी सिफारिश करेंगे वह उसको लगाएगा चाहे वह योग्य हो या नहीं हो। हम यह चाहते हैं क्या कि मेरा वाइस चासंलर लग जाए तो भला हो जाएगा? इस पद्धति से शिक्षा का यह पवित्र मंदिर कभी भी नहीं सुधरेगा। इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। पांच दिन बाद भी अगर आप यह ले आए तो क्या आफत हो जाएगी राजस्थान में? ऐसा कौनसा तूफान आ जाएगा कि बिना सोचे समझे हम भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। हम न अमर हुए हैं न होने वाले हैं पर इस शिक्षा के मंदिर में सच्चे मन से सुधार करने का प्रयत्न करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर कहीं तैयार होगी तो वह इस विद्या के मंदिर में ही तैयार होगी। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमने बहुत तरक्की जरूर कर ली लेकिन हमने शिक्षा के पवित्र मंदिर को उस ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, जो इंसान बना सके।

दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अच्छा इंसान नहीं है। आज इस देश में सबसे ज्यादा कमी अगर आपको और मुझे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खलती है तो इस कारण से खलती है, कि हम बहुत कुछ हैं, बहुत तरक्की कर गए, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन के, मनुष्य के जो गुण हैं, उन गुणों में धीरे-धीरे नीचे उतरते चले जा रहे हैं।

आज हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रयोग के कारण, शिक्षा मंत्री जी जिंदा रहे और मैं भी जिंदा रहा तो दस साल बाद बताऊंगा कि इस प्रयोग का लाभ क्या मिलता है और नुकसान क्या होता है। राजस्थान की पवित्र शिक्षा को हम किस जगह से किस जगह ले जाकर पहुंचाएंगे। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको शांति से विचार कर लो। कोई ईगो का सवाल नहीं है। अहंकार का सवाल नहीं है। हमने कह दिया इसलिए मत हटाओ। आप स्वयं अपने मन से निर्णय करो। इस प्रकार के प्रोवीजन डालकर क्या हम इस वाइस चांसलर को इतना ताकतवर बनाएंगे कि शिक्षा के उस पवित्र मंदिर में बैठकर, भविष्य के आने वाले विद्यार्थी को तैयार करके, देश के लिए उपयोगी बना सकेगा या नहीं बना सकेगा, इस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता हैं।

श्री सभापति: मैं आप दोनों को दीर्घ आयु होने की शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों दीर्घ आयु हों। दोनों इस विषय पर फिर मिलें। दोनों ही दीर्घ आयु हों, दोनों को मेरी शुभकामनाएं। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के आदिकाल से शिक्षा को शासन व्यवस्था से मुक्त रखा गया था। राजा कोई हो, विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यह राजा तय नहीं करता था। वहां का कोई न कोई शिक्षक तय करता था। यह मैकाले पद्धति जब से इस देश में लागू हुई उस समय तक, इस देश के किसी भी गांव में ऐसा नहीं था कि कहीं पर स्वतंत्र गुरुकुल नहीं चलता हो। लगभग हर गांव में यह व्यवस्था थी। उस देश के माहौल में, जब स्वतंत्रता आई, स्वतंत्रता के बाद जब 1950 में संविधान की स्थापना हुई, तब सोचा गया कि कुछ संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो राजनीतिक प्रभाव से अलग हो, स्वतंत्र हो, स्वायत्तशासी हो, उसमें विश्वविद्यालयों को भी रखा गया।

सभापति महोदय, 70 साल से संविधान के तहत विश्वविद्यालय चल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रहे हैं, हज़ारों की संख्या में देश में होंगे। उनमें अब तक, जो कारण इन्होंने बताए हैं, विधियों में उसको हटाए जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इस बिल में यही लिखा है। 70 साल तक इस देश के शासनकर्ताओं को ऐसा कोई उपबंध लगाने की आवश्यकता नहीं हुई कि कुलपति को हटाया जा सके। जिस कुलपति को एक सलैक्ट कमेटी, विद्वानों की कमेटी मिलकर, नाम प्रस्तावित करती है, कि इन तीन में से किसी एक को ले लो, राज्यपाल महोदय उसका सलेक्शन करते हैं, उसको हटाने के लिए आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं, एक शिकायतकर्ता, एक जांच अधिकारी, और फिर मंत्री महोदय, इतना सा। किसी से भी शिकायत करवा दो। फिर एक जांच अधिकारी अपने अनुकूल बिठा दो, वह जांच अधिकारी कहेगा, जांच में कुछ गंभीरता है, प्रारम्भिक तौर पर लग रहा है कि कुछ दम है, इसलिए जांच पैंडिंग रहने तक, आप उसको निलम्बित कर दो, बहुत आसान तरीका है। जो इतनी मुश्किल से चुनकर आता है, वह इतनी आसानी से हटाया जा सकता है। ऐसा उपबंध लाने की आवश्यकता 70 साल बाद क्यों महसूस हो रही है। इसका कोई उचित कारण, वाजिब कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने एक सफाई अभियान चला रखा है।

कुछ दिन पहले हमने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बारे में बिल पास किया, उसमें भी यही था। नियुक्त करने की चिंता नहीं है, हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 12 यूनिवर्सिटी बिना वीसी के चल रही हैं। उन 12 यूनिवर्सिटी में हमको कुलपति नियुक्त करने की चिंता नहीं है लेकिन हटाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी हटा दो तो फिर यूनिवर्सिटीज ही बंद कर दो। सरकार बड़ा अजीब-सा यह बिल लाई हैं, जिसमें दुःख भी हो रहा है और भविष्य के प्रति चिंता भी हो रही है। अभी जो भी वक्ता बोले हैं, सबने इस चिंता को प्रकट किया है, उस चिंता में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

इसके साथ ही, एक विशेष बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) संशोधन विधेयक 2019, इसमें आप एक धारा जोड़ रहे हैं। विद्यमान धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नियुक्तियों और पदों का आरक्षण:- सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर विश्वविद्यालय किसी न किसी विधि से स्थापित

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

होता है। किसी न किसी लॉ से एस्टेब्लिश होता है। सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण ऐसा होगा जैसा कि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए। कानून पर कानून। विधि में है, सुसंगत है। सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट होते हुए भी, दूसरे कानून को लागू कर देंगे? यानी जब आपको काला अच्छा लगे तो काला लागू कर देंगे, गोरा अच्छा लगे तो गोरा लागू कर देंगे। आप यह क्या खिलवाड़ कर रहे हैं?

जब विधि द्वारा स्थापित, सब कुछ स्पष्ट है, तो उसके बाद उसके साथ दूसरे और कानून की टांग अड़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह हमारी समझ से परे है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही लग रहा है कि हम पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालय के प्रशासन में और व्यवस्था में करना चाह रहे हैं। हम वहां राजनीति को प्रवेश कराना चाह रहे हैं। हमारी पसंद के लोगों को लाना, नापसंद के लोगों को हटाना, यह सब करने की सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। हम इस कुत्सित मंशा की निंदा करते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जल्दबाजी नहीं की जाए। पुनर्विचार किया जाए। हो सके तो इन बिलों को वापस लिया जाए। मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019, इन तीनों विधेयकों पर आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:।
गुरुसक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।।"
"गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय।
बलिहारी गुरु आपनी गोविन्द दियो बताय।।"

(श्री बिहारीलाल)

ऐसी गुरू की महत्ता हमने सुनी है। किताबों में, पुराणों में, वेदों में सुनी है अपने गुरुजनों से और इसको महसूस भी किया है।

(15.00 बजे)

एक उदाहरण डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन का, वे देश के प्रख्यात साइंटिस्ट, जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे, उस पद से सेवानिवृत्ति के बाद पूछा गया कि अब क्या इच्छा बाकी रह गई, तो उनका जवाब था कि अध्यापक के रूप में एक इच्छा बाकी रह गई। अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, गुरू बनना है। इसका मतलब गुरू का ओहदा वास्तव में कितना बड़ा है, इस बात को समझा जा सकता है। जिन विश्वविद्यालयों में हम पढ़कर यहां आये, जिन कालेजों में लैक्चरर्स ने, प्रोफेसर्स ने विश्वविद्यालयों में हमें पढ़ाया और आज इस सदन में बैठकर हम ऐसे बिलों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें विश्वविद्यालयों की गरिमा को, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को कम करने का काम किया जा रहा है।

कुलपति, जो विश्वविद्यालय का सबसे सर्वोच्च पद होता है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, और राज्यपाल के बाद में दूसरा बड़ा पद माना जाता है, उसकी स्वायत्तता कम कैसे की जाए। हम बात करते हैं विकेन्द्रीकरण की, अधिकार देने की, स्वायत्तता देने की, लेकिन वास्तव में हम अपने कृत्यों से करने क्या जा रहे हैं। हम कैसा उदाहरण राजस्थान के शिक्षा जगत में पेश करने जा रहे हैं कि हम किस तरह अधिकार छीनकर, स्वायत्तता छीनकर हम उम्मीद करते हैं, उदाहरण देते हैं कि इस हिन्दुस्तान में कभी तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय रहे, जहां ज्ञान का भण्डार, ऐसे ज्ञानी गुरुजन वहां रहे, ऐसे शिक्षक वहां रहे जिनसे अध्ययन करने के लिये, जिनके साथ शिक्षा लेने के लिये देश नहीं, दुनिया के, बाहर के शिक्षार्थी आया करते थे।

आज अभी इस सदन में उदाहरण दिया गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, 25 हजार से ज्यादा छात्र संख्या वाला विश्वविद्यालय, मात्र 15 प्रोफेसर और वहां पर 25 हजार में शोधार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में विदेशी छात्र, कितने, मात्र पांच, तो शिक्षा के स्तर को तो हम पहले ही इतना गिरा चुके, सदन को उसको उठाने

(श्री बिहारीलाल)

की बात करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। उसमें हम और ज्यादा सुधार कैसे कर सकते हैं, सदन को उस बात की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक चश्मे से देखते हुए कि किसी दूसरे राज में कुलपतियों की नियुक्तियां हो गईं और नियुक्तियां हुई भी हैं तो शिक्षाविदों की हुई हैं पूरी प्रक्रिया और नोर्म्स को पूरा करते हुए हुई हैं। उनको कैसे हटाया जाए और हटाने के बाद किस तरह अपने मन-माफिक लगाया जाए, तो इस तरह का खेल का मैदान, इस तरह की राजनीतिक द्वेषता का मैदान अगर हम शिक्षा के मंदिर को बनाने जा रहे हैं तो इसकी हम पुरजोर शब्दों में निन्दा करते हैं।

आज आप तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर; सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा; एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर; महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर; कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा; राजा राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर; महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर; पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर; गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा; इन विश्वविद्यालयों के बिल लेकर आये हैं।

तकनीकी विश्वविद्यालय में यह सरकार बताये कि सरकार का क्या योगदान है, क्या भूमिका है। स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय चल रहा है। सरकार की कोई भूमिका नहीं, सरकार का कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमें हमारा आदमी वहां बैठाना है, ताकि हम हमारे तरीके से विश्वविद्यालय चला सकें। आपको चलाने के लिये राजस्थान की सात करोड़ की जनता ने मेन्डेट देते हुए सरकार में आपको बैठाया है। आपके करने के लिये बहुत सारे काम इस जनता की बहबूदी के लिये, बहुत से काम अटके पड़े हैं, बहुत से कामों में सुधार करना पड़ा है। हम उस क्षेत्र में भी हाथ डालना चाह रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय, जो इस शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है, हमारा वाइस चांसलर वहां भी बैठे, वह हमारे हाथों की कठपुतली बने, इस तरह का काम शिक्षा जगत में हम न करें तो ठीक रहेगा। हम यह उदाहरण आने वाली पीढ़ी के लिये अच्छा पेश नहीं कर रहे।

आज आप तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ इन 11-12 विश्वविद्यालयों के बिल लाये हैं। कल को आप कृषि विश्वविद्यालय पर भी

(श्री बिहारीलाल)

बिल लायेंगे। स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर जो पैरेन्टल विश्वविद्यालय है, उसके बाद एग्रीकल्चर के कई विश्वविद्यालय खोल दिये, उस पैरेन्टल विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। उसकी भी चिंता कर लेते। उसको संसाधन उपलब्ध करवाने की बात हो, उस एक पैरेन्टल विश्वविद्यालय पर सभी पांचों विश्वविद्यालयों के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी पेंशन का भार लाद दिया गया। उसके संसाधन सीमित हैं। पांच-पांच टुकड़े उस विश्वविद्यालय के हो गये। इन बातों पर हम चिंता करते तो अच्छा रहता।

माननीय सभापतिजी, आज हमारी सरकार, माननीय दोनों मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री बैठे हैं, और ये दो-दो बिल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 और विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, इन विधेयकों में प्रावधान लेकर आयी है कि सैक्शन 3 (2) ‘‘कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।"

माननीय मंत्री महोदय, इस प्रावधान में जो खामियां हैं, ‘किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद’ को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिये इसका निश्चित तौर पर दुरुपयोग होगा। प्रख्यात शिक्षाविद् कौन होगा, और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचरण वाला व्यक्तित्व कौन होगा, और जैसा हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि इनको नापने का पैमाना किस तरह आपने तैयार किया है, और किन आधारों पर इन चीजों को निर्धारित किया जायेगा, इससे सम्बन्धित मानक भी, वह पैमाना भी बिल में रख देते, उसके अभाव में प्रख्यात शिक्षाविद् का निर्धारण केवल मनमर्जी से होगा, राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति का एक अखाड़ा बन जायेगा, इसलिये इसका दुरुपयोग होगा। इसलिये आपसे अनुरोध है, सुझाव के रूप में कि समकक्ष पद, मतलब जिसका वेतनमान प्रोफेसर ग्रेड के बराबर हो, प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन का मतलब सी.एस.आई.आर. शोध संगठन या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शोध संगठन

(श्री बिहारीलाल)

या राज्य सरकार द्वारा स्थापित शोध संगठन या संसद/विधान सभा द्वारा स्थापित शोध संगठन। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन या राज्य सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन या संसद/विधान सभा द्वारा स्थापित शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन। प्राइवेट शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन न हो। महाविद्यालय भी नहीं, क्योंकि यू.जी.सी. रेगुलेशन तथा महाविद्यालय का नाम इसमें नहीं है। इसलिये, माननीय सभापतिजी, इस तरह के संशोधन आपको इसमें करने चाहिए, ये हमारे कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं।

आप तीसरा विधेयक राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 लेकर आये हैं। इसमें आप प्रावधान लेकर आये हैं, 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 10 में संशोधन, मूल अधिनियम की विद्यमान 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा। अर्थात्, "10. नियुक्तियों और पदों का आरक्षण:- सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण ऐसा होगा जैसाकि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।"

माननीय मंत्री महोदय, इस अधिनियम के प्रावधान संसद द्वारा पारित अधिनियम, संख्या 10, वर्ष 2019, जो कि भारत के राजपत्र में 09 जुलाई, 2019 को प्रकाशित हुआ और यूजी.सी. के आदेश संख्या एफ.1 (5)/2006 एसीटी, 08.03.2019 के खिलाफ है। इस अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2019 और यू.जी.सी. के आदेश के अनुसार यूनिवर्सिटी संस्था को एक इकाई मानकर सभी आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। आपका यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिये इस बिल को आपको वापस लेना चाहिए।

हम सब इस भावना में कतई आपके साथ नहीं हैं कि शिक्षा के सबसे बड़े मन्दिर की स्वायत्ता को कम किया जाए, शिक्षा के सबसे बड़े मन्दिर के सबसे बड़े ओहदेदार वाइस चांसलर की सीमाओं को, शक्तियों को सीमित किया जाए, उनको बांधा जाए, उनको कठपुतली बनाया जाए और एक इस तरह की डर की तलवार उन पर 24 घण्टे लटकी रहे कि सरकार की मंशा के अनुरूप, या राजनीतिक आकाओं की मंशा के अनुरूप नहीं चले तो कभी भी हमें हटाया

(श्री बिहारीलाल)

जा सकता है। इस डर के वातावरण को लेकर यह विधेयक, यह संशोधन लेकर आये हैं। इससे हम सहमत नहीं हैं। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि इनको जनमत जानने के लिये भेजा जाए। एक बिल तो बिलकुल ही असंवैधानिक है, इसको वापस लिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019; विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019, इनके ऊपर मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन के लिए यह बिल आये हैं इन बिलों के पीछे की भावना और मंशा को हमें समझने की आवश्यकता है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना है, जहां पर हम लोग बैठे हैं। बहुत सारे चुनकर आये हुए जनप्रतिनिधियों ने यहां पर इसकी चौखट को चूमा है। वैसे ही एक पिता जब अपने बच्चे को विश्वविद्यालय में भेजता है तो वह यह सोचकर भेजता है कि यह मां सरस्वती का मंदिर है, जिसके हृदय के अंदर एक ऐसा भाव लेकर वह उस बच्चे को भेजता है, यह सोचकर भेजता है कि मेरा बच्चा देश के अंदर नाम करेगा उस विश्वविद्यालय में पढ़कर, लेकिन बहुत दुख के साथ में मुझे यह बात कहनी पड़ रही है कि यह जो विधेयक आया है, यह जो बिल आया है इस बिल के अंदर एक ही तरह की मानसिकता लग रही है कि उस शिक्षा के मंदिर में बैठने वाले सर्वोच्च पुजारी को हम किस तरह से कठपुतली बनाकर रख दें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं मुझे अच्छा लगता कि जो विद्यालय खाली पड़े हैं, जो विश्वविद्यालय खाली पड़े हैं, जहां पर प्राध्यापकों की भर्ती होनी अत्यंत आवश्यक है, जहां पर प्राध्यापकों की कमी के कारण विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी जा नहीं रहे हैं, शिक्षा देने वाला कोई है नहीं, उन

(श्री अभिनेष महर्षि)

विश्वविद्यालयों की दशा सुधारने के लिए कोई एक ऐसा बिल लेकर आते कि सरकार की मंशा यह है, आने वाले एक साल के अंदर सारे प्राध्यापक वहां पर भर दिये जाएंगे और आने वाले समय के अंदर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी तब तो हम सब लोगों को खुशी होती और हम सब लोग भी इस विधेयक के पक्ष में कहते, जनमत जानने की बात नहीं कहते लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जो बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय हैं, उन निजी विश्वविद्यालयों को भी इसके माध्यम से क्या आप लोगों ने बांधा है?

आप लोगों को मालूम है कि निजी विश्वविद्यालय किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? किस तरह की फर्जी डिग्रियां निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बांटी जा रही हैं? टैक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि टैक्निकल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन, यहां पर तो आप मंत्री हैं और दूसरी एजुकेशन के आप प्राध्यापक रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से टैक्निकल एजुकेशन का बंटाधार हुआ है, किस तरह से जब कुकुरमुत्ता की तरह से यह विश्वविद्यालय खुले, यह महाविद्यालय खुलने लगे थे, उस वक्त क्या सोचा था? आज मेरे पास में कई इस तरह के विद्यार्थी आते हैं कि आप सरकार से यह मांग करें राजस्थान की विधान सभा के अंदर कि हमको बी.एड. करने के लिए इजाजत दे दी जाए। यह टैक्निकल एजुकेशन देकर, B.Tech. किये हुए विद्यार्थियों के हालात हैं। शिक्षा मंत्री महोदय, क्या इस बात को आप सोचेंगे कि B.Tech. किया हुआ विद्यार्थी बी.एड. करने की डिमांड कर रहा है जिससे वह अपना जीविकोपार्जन करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा शिक्षा का ढांचा किस तरह का होगा लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ में इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि जब वह मेरा हाकिम ही मेरा कातिल होगा तो मैं न्याय की उम्मीद किससे करूंगा?

आज आप जो बिल लेकर आ रहे हो, उस बिल के अंदर सिवाय और सिवाय आप कुलपति को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। क्या कुलपति का दर्जा आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर कर दिया? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी आप इस तरह से नहीं हटा सकते जिस तरह से यह

(श्री अभिनेष महर्षि)

बिल लेकर कुलपति को हटाने की मंशा आप जाहिर कर रहे हैं, यह शर्मनाक बात है, इस बात को हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

आप लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भर्तियों के ऊपर रोक आ गयी। हाई कोर्ट ने भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी। आप सोचें कि कब कौनसी भर्तियां हुईं जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी? मैं इस बात के ऊपर नहीं जाना चाहता कि कौनसी भर्तियों के अंदर क्या-क्या गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन अब आप सत्ता के अंदर आ गये हैं, सत्ता में आने के बाद में आपको जिन भर्तियों के ऊपर शंका है, या तो आप उन शंकाओं को दूर कर लीजिए और नहीं तो उन भर्तियों को करके, आज कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, देश और दुनिया के अंदर जिस विश्वविद्यालय का नाम था, आज यहां पर कोई मां-बाप, कोई अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन कराने से भी गुरेज़ करता है, यह हालात बहुत खराब हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सशक्त बनना चाहिए। शिक्षा के साथ किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा वह चीज है जिसके आधार पर हम हमारे बच्चों का भविष्य इस देश के निर्माण में करते हैं और जब देश के निर्माण की हमारी जो नींव है, वह अगर कमजोर हो जाएगी तो हम अपने आपके साथ में न्याय नहीं कर सकेंगे। पहले विदेशों के अंदर हमारे यहां का टेलेंट लेने के लिए होड़ लगती थी लेकिन आज हमारी शिक्षा के अंदर गुणवत्ता में इतनी कमी आ गयी है कि हमारा बच्चा दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश हो रहा है, मजबूर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि बिल ही लेकर आना है सरकार को, तो लाइए लेकिन बिल के अंदर वह बिंदु भी डालिए और सशक्त बनाइए उस बिल को, जिसके अंदर इन शिक्षा के मंदिरों के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके और बाकी तो टैक्निकल एजुकेशन के अंदर जिस तरह के हालात हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

मैं मेरी तरफ से यह बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा कि यह बिल किसी भी तरह से फायदे का बिल नहीं है। इस बिल को जनमत

(श्री अभिनेष महर्षि)

जानने के लिए भेजा जाना चाहिए और मैं यह भी निवेदन करता हूं कुछ शिक्षाविदों से भी, यहां सदन में बैठे हुए बहुत सारे व्यक्ति भी शिक्षाविद् हैं चाहे वह इधर की साइड में हो या उधर की साइड में हो, वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि उन लोगों से भी राय करनी चाहिए। सर्वदलीय एक मीटिंग बुलानी चाहिए और बाकी जो शिक्षाविद् हैं, उनसे भी राय लेनी चाहिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, उनसे राय लेकर कीजिए। आप वह बिल लेकर आए हैं, जिससे इस देश के निर्माण को करने वाले बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है कि उस भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसको जनमत जानने के लिए भेज दीजिए। मैं आपके इस बिल से कतई सहमत नहीं हूं। मैं यही निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में विश्वविद्यालयों का बड़ा महत्व रहता है। कभी विद्यालय स्थापित हुए होंगे, फिर महाविद्यालय बने होंगे और फिर लगा होगा कि विश्वविद्यालय का महत्व है इसलिए भारत में भी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बने, जहां पर विश्व के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे।

आज यदि विश्व की बात करेंगे तो आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी आता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है तो यह विश्वविद्यालयों का महत्व आखिर बना कैसे? बना इसलिए कि उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और उनका एक महत्व था कि उसके जो वाइस चांसलर या उसके पदाधिकारी रहते हुए, निश्चित रूप से वह रिनाउंड पर्सन्स रहे हैं जिसके आधार पर देश का भविष्य तय होता है। शिक्षा के द्वारा एक श्रेष्ठ नागरिक तैयार होने चाहिए तो उसका परिवार का मुखिया कैसा हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था लेकिन उस पर ध्यान देने की तुलना में शायद मुझे यह लगा कि इसका किस प्रकार से राजनीतिकरण किया जाए, इस पर ज्यादा विचार हुआ।

इस विधेयक को लाने से पहले यह चिंता होती कि राजस्थान के अंदर जो 12 विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं हैं, सबसे पहले उन कुलपतियों की नियुक्ति की बात होती। आज स्थिति यह है कि कोटा विश्वविद्यालय के

(श्री वासुदेव देवनानी)

कुलपति के पास चार विश्वविद्यालयों का चार्ज है और बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास एक, उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास तीन, जोधपुर के पास एक, यानी इस प्रकार चार-चार, तीन-तीन विश्वविद्यालयों का चार्ज लेकर, उन विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करने की तो चिंता नहीं लेकिन वर्तमान में जो कुलपति लगे हुए हैं उनको कैसे हटाया जाए, इसकी चिंता है।

मुझे यह लगता है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बड़े सज्जन आदमी हैं और बड़े भले आदमी हैं, यह उनकी सोच नहीं हो सकती। जरूर कोई न कोई आपको प्रभावित कर रहा है और कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि जब उत्तर आएगा तो उत्तर में यही कहा जाएगा कि अमुक विचारधारा के लोग लगे हुए हैं इसलिए हम लोग यह कर रहे हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को लाने की आपकी जो एक सोच है, उसको आप लाना चाह रहे हो। मैं उच्च शिक्षा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस सोच से ऊंचा उठकर एक निष्पक्ष रूप से यदि आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही निर्णय कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान के अंदर 27 विश्वविद्यालय हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय अलग-अलग एक्ट पर बना है और उस एक्ट को इसी विधान सभा ने पारित किया है। एक ही एक्ट से सारे विश्वविद्यालयों में परिवर्तन नियम विरुद्ध है। होता यह कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक-एक आता लेकिन फिर आप एक साथ ले आये जो नियम विरुद्ध है और उसके साथ 27 सरकारी विश्वविद्यालयों में से केवल 11 सामान्य और तकनीकी विश्वविद्यालयों के बारे में भी और आज एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का और सर्कुलेट हुआ है, बाकी विश्वविद्यालयों का क्यों नहीं? क्योंकि अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं न कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वी.सी. बनने वाले हैं, उसके विज्ञापन में छह वर्ष का अनुभव कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे पहले हम हमारे आदमी भर दें, उसके बाद इस पर विचार करेंगे।

इसके साथ, आप जो कुछ कहते हैं, वह करते नहीं हैं। जो लिखते हैं, वह व्यवहार में नहीं लाते। आपने अपने जन घोषणा-पत्र में, जो सरकारी दस्तावेज है, इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, आपने पृष्ठ संख्या-11 के बिन्दु

(श्री वासुदेव देवनानी)

संख्या-21 पर उल्लेख किया है बड़े-बड़े अच्छे शब्दों में-'प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए उनकी शैक्षणिक, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित करना।' लेकिन कर क्या रहे हैं, बिलकुल उसका उलटा। महाविद्यालय शिक्षा के हाल हम देख रहे हैं। वहां पर सामान्य रूप से किस प्रकार का एकेडमिक बने, प्रशासनिक कार्य भी वहां पर प्रिंसिपल के हाथ में होता था, उसको आपने नियुक्त करके सारा आयुक्तालय पर केन्द्रित कर दिया और कौनसा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे? प्रश्न-पत्र निर्माण भी आयुक्तालय पर, आपने डायरेक्ट्रेट पर केन्द्रित कर दिया। ऐसा राज्य के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब बनाना क्या चाह रहे हैं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को?

यदि मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो इस विधेयक ने स्वायत्तता की पूरी तरह धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हमेशा होना यह चाहिए था कि हम वी.सी. की चयन प्रक्रिया को कुछ और सुसंगत करते। यानी अच्छा वाइस चांसलर सलेक्ट होकर आता, लेकिन आपने तो एक तलवार लटका दी कि उसकी स्वायत्त निर्णय क्षमता पर आपने एक अंकुश लगाकर उन्हें भयभीत करने की एक सोची-समझी तैयारी की है ताकि वह भयभीत रहे, उसके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहे कि उसको कभी भी हटाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह दुधारू तलवार है। आज तो आप इसका उपयोग कर लोगे, सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी। कभी आप इधर होंगे, फिर इधर वाले यह कहेंगे तो आप भी वही की वही बात कहोगे, इसलिए ऐसी दुधारू तलवार क्यों लाना चाह रहे हो, यह तो जरा सोचते, लेकिन एक ही सोच है कि वर्तमान वाइस चांसलर्स को कैसे हटाकर हमारे आदमी को हम कैसे फिट करें। इस प्रकार की एक जो सोच है, वह बिलकुल संकुचित और संकीर्ण है, जो समाज के हित में और शिक्षा के हित में उचित नहीं है।

आपने इसमें कहा है, कुलपति पर कोई भी आरोप लगवाकर आप हटा सकते हैं। आरोप तो कोई भी लगवा सकता है, उसके लिये जांच का कोई प्रोविजन है क्या? आपने लिखा है सरकार की रिपोर्ट, सरकार आखिर रिपोर्ट किसी न किसी कमेटी के आधार पर देगी। होना यह चाहिए था, यदि मन में शुद्धता होती कि सदन के नेता, मुख्य मंत्री, विपक्ष के नेता के द्वारा और एक कुलाधिपति के द्वारा एक-एक वाइस चांसलर तय होता, यह तीन वाइस

(श्री वासुदेव देवनानी)

चांसलरों की यदि समिति बनती और वह इसकी जांच करती तो लगता है कहीं-न-कहीं निष्पक्षता है लेकिन आज तो सरकार रिपोर्ट तैयार करवाएगी अपने लोगों से, उस रिपोर्ट से उसके बारे में रिपोर्ट मांग लेगी कि आरोप आपके सिद्ध हो गये और उसको आप तुरन्त निलम्बित कर दोगे। यह देश के मत के भी विपरीत है।

आज नई शिक्षा नीति बनी है, प्रारूप आया है, बनने वाली है, लेकिन उसमें कहा क्या है, उसमें भी कहा गया है वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में, कुछ कहा गया है शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थाओं के अधिकाधिक उसको प्रशासनिक, उसको एकेडमिक और उसको वित्तीय कार्यों में स्वायत्तता दी जाए और उसमें भी कुलपति को स्वतन्त्र नहीं कहा है। कुलपति को बोर्ड आफ गवर्नर्स के प्रति, उसको वहां पर जिम्मेदार बनाया गया है। आप होते तो बोर्ड आफ गवर्नर्स के प्रति इसको जिम्मेदार बनाते, तो लगता कि कहीं-न-कहीं कुलपति भी मानव है। कहीं-कहीं गड़बड़ हो सकती है, उसको ठीक किया जाना चाहिए लेकिन आप अपने हाथ में तलवार लो और जिसको चाहे उसके खिलाफ आरोप लगवाकर और उसको हटाने का षड्यन्त्र रचो, यह उचित नहीं है। यदि आपने किया तो, माननीय सभापति महोदय, राजकीय अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपति में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं रहेगा? वह तो एक सरकारी नौकर की तरह काम करने लगेगा, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दस वर्ष का अनुभव तो पहले भी था। जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे, आपने उसमें लिखा है सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्था से प्रतिबद्धता, इसके क्या मापदण्ड हैं? यह कोई थर्मामीटर है क्या? कुछ नहीं है, लेकिन आज जिसको चाहो, वह तो ठीक है, बाकी कोई दूसरा कहे तो गलत है। इस प्रकार के नैतिक आचार और सत्यनिष्ठा का मापदण्ड पहले तय करो, तब तो आपको कहने का कोई अधिकार है और फिर व्यवहार में क्या ला रहे हो? आपने 10 वर्ष के अनुभव की बात कही। आपने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का अभी-अभी कुलपति नियुक्त किया, उसको प्रोफेसर का 10 वर्ष का अनुभव है क्या? नहीं है, लेकिन आपको उचित लगा, आपने बना दिया और इसका दोहरापन यदि देखना हो, तो आपने पिछले दिनों क्या किया है, हमारी सरकार के समय जितने सिंडिकेट और बोम (BOM) के मैम्बर्स थे, सबको आपने

(श्री वासुदेव देवनानी)

हटाया। क्या वह सत्यनिष्ठा पर थे, उनमें कोई दूसरी बात थी? नहीं, पर्टीकूलर वह आपके ध्यान में अलग विचारधारा के हैं। विचारधारा पर शिक्षा को तय करोगे क्या? तय करो शिक्षा में श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने हैं, निष्पक्षता के भाव से, जो हमारा कहना माने, वह सही और जो हमारा कहना नहीं माने, वह गलत, इस प्रकार की सोच से यदि शिक्षा को चलाओगे तो निश्चित रूप से इस देश का और शिक्षा का बड़ा अहित करोगे, जो आने वाली पीढ़ी कभी भी आपको माफ नहीं करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा कि इनका दोहरापन, प्रोफेसर रामलखन मीणा, राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य बनाये गये हैं, चयन समिति के सदस्य बनाये गये हैं, यह कौन हैं? यह बर्खास्त किये हुए प्रोफेसर हैं। आप बर्खास्त किये हुए प्रोफेसर को लगा रहे हो और केन्द्रीय विश्वविद्यालय में लगे, वहां से उनको हटाया गया और यह जो नियुक्ति पत्र निकला है, उसमें लिखा गया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वह तीन वर्ष पहले हट गये और क्यों हटे, जरा यह तो पता करते। लेकिन आपने इस पर कहीं ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की। फिर अभी-अभी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर आपने किसको लगाया? आपने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जिस प्रोफेसर को लगाया है, उनके इतिहास को तो जान लेते कि वह क्या थे। जोधपुर विश्वविद्यालय के जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तो वह उसके अंदर आरोपित हुए। वह जमानत पर हैं। वह क्या नैतिकता है? यह तो समझाओ कि क्या सत्यनिष्ठा है? लेकिन चूंकि उनको बनाना था, इसलिए बनाया। स्पोर्ट्स में, जब वह इसी विश्वविद्यालय के थे, गलत सर्टिफिकेट देने के भी दोषी पाये गये हैं। यानी इस तरह के व्यक्तियों की, आपकी नजर में सत्यनिष्ठा है, आपकी नजरों में वह नैतिकता है, उसको तो आपने उस विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति नियुक्त कर दिया और उसके बाद, दूसरे सब गलत हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को यदि बोम (BOM) का सदस्य बनाओगे और सलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाओगे तो निश्चित रूप से यह गलत संदेश अपन शिक्षा के लिये देने जा रहे हैं।

आपने जांच कमेटी का, 'आपने पूत के पांव पालने में' बता दिया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति और रजिस्ट्रार में संघर्ष चल रहा है। रजिस्ट्रार ने कई प्रकार के आरोप लगाये हैं जिसमें एस.ओ.जी. की जांच तक की भी उन्होंने बात कही। विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ और कह रहे

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। जांच होनी चाहिए। जांच समिति में आपने किसको रखा? आपने कोटा यूनिवर्सिटी के वी.सी. को अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन सदस्य किसको बनाया, वहां के विश्वविद्यालय के सामान्य अध्यापक को। क्या विश्वविद्यालय के सामान्य अध्यापक एक वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के बीच दोनों का झगड़ा है, उसका निर्णय करेंगे? यदि आप समिति का निर्माण भी करते तो उससे तो जरा ऊंचे पदों पर रहने वाले को बनाते। यह सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी जांच किसी के भी खिलाफ करेगा तो उससे एक हायर रैंक का व्यक्ति होगा, लेकिन आपने तो उसको समिति का सदस्य बनाकर जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने का जो आपने प्रयत्न किया है, माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल उचित नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सारा मैलाफाइड इंटेंशन से किया जा रहा संशोधन है। यह विश्वविद्यालय का राजनीतिकरण ही नहीं, यह कहीं-न-कहीं कांग्रेसीकरण करने का खुले रूप में षड्यन्त्र लगता है। कम से कम शिक्षा को तो बचा लो। बाकी तो जहां करना है, करो, आप सत्ता में हो। जो भी सत्ताधारी दल आएगा, जैसे मैंने कहा कि सत्ता तो आएगी और जाएगी, पर जब यदि इस प्रकार का उपयोग करने लगेंगे तो यह सारा एक प्रकार से गलत होगा।

मेरा सुझाव है, यदि आपको जांच भी करवानी है तो जैसे मेरे दो सुझाव हैं। एक तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की समिति से आप आरोपों की जांच करवाएंगे तो शायद सही निर्णय की ओर पहुंचेंगे, या आपके मुख्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त एक-एक कुलपति की समिति बनाकर इसका निर्णय करवाओगे तो निश्चित रूप से सही रिपोर्ट आएगी अन्यथा जिस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं संक्षेप में दो बातों को कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

आज एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? वहां चार महीने से रजिस्ट्रार नहीं है। यूनिवर्सिटी का मैंने विधान सभा में भी मुद्दा उठाया। उसका किसी और तरह से समाधान करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यह ठीक है, हाई कोर्ट का स्टे है, पर उसका कोई समाधान तो होना चाहिए। इसके समाधान में एक ही है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में यदि प्रो-वाइस चांसलर की व्यवस्था होती तो वह चार्ज प्रो-वाइस चांसलर के पास होगा तो शायद इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। डीन की कमेटी बन गयी। डीन रिटायर होते गये। अब केवल एक डीन बचा है। आज किस प्रकार का विश्वविद्यालय चल

(श्री वासुदेव देवनानी)

रहा है, आज पूरे 10-11 महीने से अजमेर विश्वविद्यालय के जो हालात हो रहे हैं, वहां के विद्यार्थियों के जो हालात हो रहे हैं, वह बड़ी दयनीय है। बाकी मुद्दे तो अलग हैं। आज विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कितनी संख्या है, महाविद्यालय में क्या है, हम सब मिलकर यदि यह सोचें कि हमको शिक्षा को अच्छा बनाना है, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना है तब तो उसको राजनीति से दूर हटाना होगा, चाहे हम हों या आप हों। इसको यदि अपन सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित रूप से फिर यह इस प्रकार से विधेयक लाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कहना नहीं पड़ेगा कि अब सत्य बोलो। सत्यनिष्ठा, नैतिकता, सदाचार, यह बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, जब तक व्यवहार में नहीं हैं, तब तक कैसे आएंगी। इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति में निश्चित रूप से, आज मैं कह सकता हूं, नियुक्तियों के समय तो ध्यान नहीं रखोगे, जब हटाना होगा, तब इसका दुरुपयोग करोगे। अत: मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार इसमें जल्दबाजी न करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, जरा इसको यदि आप तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए छोड़ेंगे और शिक्षाविदों से सुझाव लीजिए और यदि यहां भी एक सर्वदलीय समिति बना लें, उसके द्वारा इस पर यदि चर्चा करेंगे कि इस बिल पर क्या किया जा सकता है तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कर पायेंगे, अच्छे विद्यार्थी तैयार करेंगे, अच्छे नागरिक तैयार करेंगे और अच्छे, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। इसके लिए तब होगा जब हम सब लोग राजनीति से ऊंचा उठ करके करेंगे, केवल शब्दों के उपयोग से और इसमें रख देने से नहीं। अभी जब उत्तर होगा तो यही होगा, आरोप-प्रत्यारोपों के बीच होगा। आरोप-प्रत्यारोपों को एक ओर रख करके, कई वर्षों तक शासन में आप भी रहे, कुछ वर्ष तक हम भी रहे, यह आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे कि आपके समय कुलपति ऐसे नियुक्त हुए, हम कहेंगे आपके समय ऐसे हुए। कम से कम कुलपति की पोस्ट को तो इस राजनीति से दूर रख करके उसको भय मुक्त होकर पढ़ाने दीजिए, उसको अपना विश्वविद्यालय चलाने दीजिए ताकि विश्वविद्यालय अच्छा चले, वहां पर अपने स्टाफ को नियंत्रित कर सके, नहीं तो वहां पर कोई भी अध्यापक, कोई भी प्राध्यापक उस पर कोई भी आरोप लग गया, आपके माध्यम से लगाया और किसी के माध्यम से लगवाया, आपने आरोपित करके उसको निलम्बित कर दिया। यानी इस प्रकार के भय से काम करेगा तो वह विश्वविद्यालय का तो काम नहीं करेगा आपके एक

(श्री वासुदेव देवनानी)

सरकारी कर्मचारी के रूप में जरूर काम कर पायेगा, आपकी इच्छाओं को जरूर पूरी कर लेगा, आपकी विचारधारा के अनुरूप भले ही हो सकता है कि कोई दो निर्णय कर ले लेकिन इस प्रकार का शिक्षा के साथ अन्याय होगा। यह बहुत बड़ा काला धब्बा होगा, मैं कहता हूं यदि यह विधेयक आज पारित हुआ तो उच्च शिक्षा के इतिहास में एक काला धब्बा होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उससे बचने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आप इसको तीन महीने जनमत जानने के लिए कर दीजिए, उस पर सर्वदलीय समिति बनाइये, कोई शिक्षाविदों को भी बुलाइये ताकि हम एक सबसे अच्छा विधेयक तय करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और शिक्षा की गुणवत्ता की ओर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 दोनों पर मैंने अपना प्रस्ताव दिया था, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए अपने विचार व्यक्त किये और सभी ने चिंता जताते हुए विचार व्यक्त किये। इस विधेयक को आनन-फानन में पास करने के लिए जो कृत्य किया गया, मुझे लगता है इस राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।

हम प्राचीन काल से लेकर आज तक देखें तो शिक्षा का बहुत महत्व है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देकर आपको बताना चाहती हूं। एक शिक्षाविद् थे, आचार्य थे उन्होंने तीनों विद्यार्थियों को खूब शिक्षा दी और उन्हें ज्ञान देने के बाद उन सभी से कहा गया कि आप तीनों को रात को मेरी कुटिया पर आना है। जो पहला विद्यार्थी था उसके मन में खयाल आया कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है, चाहे मेरे पैर कांटों से छलनी हो जाएं लेकिन मैं पहुंचूंगा, उसके पैर कांटों से छलनी हो गये लेकिन वो वहां कुटिया तक पहुंच गया। दूसरे वाले

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

ने सोचा कि मेरे पैर छलनी होंगे, क्यों नहीं मैं अपना रास्ता बनाते हुए उस कुटिया तक पहुंचूं वो भी अपना रास्ता बनाते हुए उस कुटिया तक पहुंच गया। लेकिन तीसरे के दिमाग में एक बात आई कि मेरे पैर छलनी हो जाएंगे, उसने हाथ में एक झाड़ू लिया और रातों रात उस रास्ते को साफ करते हुए आचार्य जी की कुटिया तक पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि मैं आप तीनों ही शिष्यों को कहना चाहता हूं कि आपमें से सिर्फ एक पास हुआ है और तीनों ने जो मेरे द्वारा दी गई शिक्षा थी उसे अपने मन में नहीं उतारा, उनका ज्ञान अर्जन नहीं हुआ। तीसरे नम्बर का जो विद्यार्थी था, जिसने रास्ते को साफ किया और कुटिया तक पहुंचा, उसके लिए कहा कि आप तो अपना रास्ता साफ करते हुए आये हो लेकिन आपके पीछे वाले जो इस रास्ते पर चलेंगे, जो इस राह पर चलेंगे उनका भी रास्ता साफ करने का काम आज तुमने किया है। यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया।

मैं इस बात को यहां इसलिए बोल रही हूं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं? हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो क्या सीखेगी? हम लगातार देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों पर, चाहे कोटा का विश्वविद्यालय हो, चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, इन सभी पर लगातार उंगली उठी है, इस बात को हमने हमेशा देखा है।

सरकार विधेयक ला रही है लेकिन फिर भी मैं अपने मन की पीड़ा को यहां व्यक्त करना चाहती हूं। आप यह जो विधेयक लेकर आ रहे हो, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय की खुली सोच को बढ़ावा देने के लिए डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापित करने का जो प्रावधान किया था, क्या हम इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं? मैं कहना चाहती हूं कि पहले भी हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, इस विधेयक को लाने के बाद क्या हम कुलपति को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं मात्र इस दुर्भावना से कि इस कुलपति को भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया और कांग्रेस ने इस कुलपति को बैठाया। जिस तरह से हम यू.आई.टी. में चेयरमैन बनाते हैं और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है वह चेयरमैन अपने आप हटेगा, हम यहां पर भी वही नियम लागू करने के लिए इस विधेयक को ला रहे हैं, यह बहुत चिंता की बात है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, कुलाधिपति जो हैं, एक तरह से कहा जाए तो हम उनकी शक्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। कुलपति को हटाने की शक्तियां हम लेना चाहते हैं। क्या हम यह अच्छा काम कर रहे हैं? मैं बताना चाहती हूं कि आपका मूल विधेयक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 11(9) में कुलपति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग तथा अनियमितता करने पर हटाये जाने की समस्त शक्तियां कुलाधिपति को प्राप्त हैं। प्रस्तावित विधेयक में राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को अपने हाथ में लेकर कुलपति को विभागीय सचिवों का मातहत बनाने पर आमादा है, ऐसा मेरा आपसे कहना है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर यह प्रयास सफल होता है तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय सरकार के दया के पात्र बन जाएंगे और उनकी जो भी शैक्षणिक गुणवत्ता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसा मेरा कहना है।

सम्माननीय सभापति महोदय, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने के कारण आज वर्तमान में हम देखें कि कोई भी प्रिंसिपल नियमित प्रिंसिपल बनना नहीं चाहता। आज यह स्थिति और परिस्थिति आई है तो इसका कारण क्या है, इस बात पर हमें विचार करने का बिंदु था। कितने कालेज वर्तमान में ऐसे हैं, जहां हमारे नियमित प्रिंसिपल हैं और कितने ऐसे हमारे विश्वविद्यालय हैं, जहां पर मात्र कार्यवाहक प्रिंसिपल लगे हुए हैं? आज अगर ऐसी स्थिति आई तो इसका क्या कारण है?

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसा होने के बाद हम सब जानते हैं क्या होगा। आज हम देखें तो कार्यवाहक प्रिंसिपल दबाव में काम करता है और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी शैक्षणिक कार्य व्यवस्था है, वह अगर देखा जाए तो पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसा मेरा कहना है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है आप आंकड़े निकलवाइये कि ऐसा होने की वजह से हर साल हमारे छात्रों की कितनी कमी आई। अगर इस ओर हमारा ध्यान जाएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। और तो और हम लोग वित्तीय सहायता नहीं दे रहे। सरकार का पूरा नियंत्रण है उसके बावजूद भी हम सरकारी सहायता नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे कालेज बंद होने के कगार पर हैं। मैं आपके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माध्यम से कहना चाहती हूं कि विधेयक से पहले सभी विश्वविद्यालयों की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है, जो उनका शैक्षणिक स्तर है, जो शिक्षकों की वर्तमान स्थिति है, जो नैट और एमबीए की मान्यता, हमने आज तक किन-किन कालेज को दी, अगर इस ओर हमारा ध्यान जाएगा तो हम आने वाले समय के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमारे जो छात्र हैं, उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसा मेरा कहना है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमें क्या करना चाहिए? सरकार को इस विधेयक को लाने से पहले यह काम करना चाहिए कि श्वेत पत्र सदन में जारी करे और बताए कि विश्वविद्यालय एवं कालजों के शिक्षकों एवं छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आज के दिन यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज और कालेज हैं, उन सभी पर लगातार आये दिन सवाल उठ रहे हैं। उन पर उंगलियां उठ रही हैं। इसका सीधा-सा अर्थ है कि संसाधनों के अभाव में हमारी सारी परीक्षाओं की गोपनीयता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से हम देखें तो पहले ही हम पंगु बना चुके हैं। समस्त विश्वविद्यालय शिक्षकों, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। एमओयू के प्रावधानों के अनुसार हम देखें तो विश्वविद्यालयों को नियुक्ति करने की जो पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनुमति आवश्यक कर दी है, उसके परिणामस्वरूप अगर हम बात करें तो शैक्षणिक, अशैक्षणिक पद पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। संविदाकर्मी कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। उसकी वजह से हालात यह हो रहे हैं कि पूरी तरह से हर यूनिवर्सिटी पर, हर कालेज पर सवालिया निशान उठ रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि संविदाकर्मी जो कार्य कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट और दे दिए जाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे 2 मिनट का समय दे दें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि संविदाकर्मी जो हमारे वहां अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए देश के हमारे जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें और इनमें अगर हम आकलन करते हैं तो हम लगातार पिछड़ रहे हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है।

सरकार विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है, उसको प्रदान करने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के बजाय इनकी स्वायत्तता को छीन रही है। आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से इनके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेगे। मैं कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी में हमें इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिए। हमें सारे पक्ष और विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। आखिर में हमें पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। हम देखें कि कुलपति के खिलाफ जांच के समय, विश्वविद्यालय में कुलपति कौन होगा, किन अधिकारियों से हम लोग जांच कराएंगे और किस स्तर का वह अधिकारी होगा। क्या उससे निम्न स्तर के अधिकारी से हम जांच कराएंगे? यह भी एक चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर के कुलपति के खिलाफ जो जांच चल रही है, उसके कारण पिछले 8-9 महीनों से विश्वविद्यालय का कार्य पूरी तरह से ठप है। राजस्थान सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग निर्देश प्रदान करके इस ओर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है।

सभापति महोदय, लास्ट में एक पाइंट मैं और निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया। विधान सभा ने इस विधेयक में 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 10 में संशोधन करने का प्रावधान किया है, जो कि नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है। धारा 10 में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण सुसंगत विधि से अंतर्दृष्टि, किसी बात के होते हुए इस विश्वविद्यालय में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा अधीन निर्दिष्ट किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं और हम

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सब जानते हैं कि केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट, माननीय सभापति, मैं मेरी बात को समाप्त कर रही हूं।

जितने भी हमारे अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उन सबको इकाई मानने का निर्देश जारी किया है। क्या हम केन्द्र सरकार से विपरीत जाकर इस वर्ग के पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं निवेदन करना चाहती हूं कि क्या हम इकाई मानकर, पूरे विभाग को, विषय को मानकर, आरक्षण रोस्टर बनाने की प्रथा को बंद करने का काम कर रहे हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): आधा मिनट ही हुआ है। मैंने एक मिनट कहा था। मैं समाप्त कर रही हूं। मेरे पास कोई और मैटर नहीं है।

श्री सभापति: आप तो पढ़ रही हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): नहीं पढ़ रही हूं। एक तरफ रख देती हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हम आरक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो कर्मचारी, अधिकारी लगातार कई वर्षों से जूझ रहे हैं कि रोस्टर प्रणाली के माध्यम से जिनकी पदोन्नति होनी चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको हम लोग लाभ नहीं दे पा रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अशोक लाहोटी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट। सभापति महोदय, मुझे एक मिनट भी पूरा नहीं दिया। बस समाप्त है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से और सदन से निवेदन है कि हम अगर इस विधेयक पर संशोधन लाते कि आरटीयू, कोटा में, जो इंजीनियरिंग कालेज हमारे कोटा का है, उसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करते। आज वहां के कर्मचारी किस तरह से जूझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल पाती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): यह भी हमें करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस विधेयक को हम आनन-फानन में पास नहीं करें। इसको जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर आज पूरा सदन चर्चा कर रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस राजस्थान का भविष्य हमें किस प्रकार का बनाना है। पहले हमारे देश में कहा करते थे कि, 'भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में, बढ़कर हिन्दुस्तान से'। लेकिन उसके बाद पीढ़ी बदली। उसके बाद इस कम्प्यूटर के माध्यम से खेलते हुए, जिस प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही पूरे विश्व में भारत की पहचान बनी है।

सभापति महोदय, आपने खुद भली-भांति देखा है कि हमारे यहां के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का नाम विश्व में रहा है। हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से, वैदिक काल से यदि तक्षशिला और नालंदा का नाम लिए बिना, पूरे विश्व में पढ़ाई का, एजुकेशन का स्तर मापा जाता है तो मैं समझता हूं कि वह उसके बिना अधूरा है। इस तरह की परम्पराएं और इस तरह के शिक्षाविद् हमारे यहां रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक यह भी परम्परा रही है कि 'गुरू गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय, बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताय'। यानी गुरू को हमने भगवान से ऊपर दर्जा दिया है। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविद् इन तीनों को मिलाकर हमने एक गुरुकुल माना है। आज हम चर्चा किस पर कर रहे हैं कि उन गुरुओं का अपमान किस प्रकार किया जाए? उन गुरुओं को अपदस्थ किस प्रकार किया जाए? उन गुरुओं को अपमानित करके घर कैसे बैठाया जाए? उनको किस प्रकार से जांचों में घसीटा जाए? उनको किस प्रकार से हटाया जाए? सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यह एक्ट बनाना तो बहुत दूर की बात है। सत्ताएं आती हैं और जाती हैं लेकिन कुछ परम्पराएं ऐसी होती हैं, जिनको हमें सत्ता के मद में नहीं जाकर के यह देखना पड़ेगा

(श्री अशोक लाहोटी)

कि इनका उपयोग और दुरुपयोग किस प्रकार से होगा? हम ऐसे समय पर इन बिलों की बात कर रहे हैं, जब एक तरफ यह रिपोर्ट आई है कि राजस्थान की किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, चाहे वह प्राइवेट हो या वह गवर्नमेंट हो, किसी जमाने में 79 रैंक तक हम थे, आज हम 200वें पायदान से भी नीचे, उससे भी बाहर हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं, जब चारों तरफ रिसर्च की गिर रही गुणवत्ता को हमको संभालना होगा। ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब हमारी उच्च शिक्षा की सेहत ठीक नहीं है और हमको पांच बिन्दुओं पर रैफरेंस मिल रहे हैं कि उच्च शिक्षा की सेहत ठीक नहीं है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। हम ऐसे समय में इनकी बात कर रहे हैं जब 27 में से 12 यूनिवर्सिटीज में आपके पास कुलपति ही नहीं हैं, आप लगाने की जगह हटाने की बात कर रहे हैं, 50 परसेंट आपके पास टीचिंग स्टाफ नहीं है, आप फिर लगाने की जगह हटाने की बात कर रहे हैं। हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं, जब आपने 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलीं, याद होगा आपको 2013 में, जब आपका शासन जा रहा था। आप राजस्थान के हर एक कमरे में एक यूनिवर्सिटी खोलकर गए थे, जब उनका एड्रैस लिया गया तो होटल के रूम नम्बर 201 में एक यूनिवर्सिटी, 202 में दूसरी यूनिवर्सिटी और 203 में तीसरी यूनिवर्सिटी, इस तरह का एक काला अध्याय लिखकर आपकी सरकार की यहां से विदाई हुई थी।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने 62 कालेज की एनओसी रद्द कर दी और 46 अभी भी आपके राडार पर हैं। यह आपकी उच्च शिक्षा की सेहत है, अभी राजस्थान में जो दिख रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहूंगा कि हम जिस यूनिवर्सिटी पर यह एक्ट लाने जा रहे हैं, आपने दो एक्ट तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और टैक्निकल यूनिवर्सिटी का रखा है। अभी हमारे माननीय एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा भी था, यह पहली बार हो रहा है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना आटोनोमस एक्ट बना हुआ है, यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी है और उसका एक्ट बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय अभी यहां पर हैं नहीं, जब वे उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब मैं उस समय छात्र संघ चुनावों को लेकर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने मुझे एक लाइन की बात पर

(श्री अशोक लाहोटी)

स्टे दिया था कि छात्र संघ का चुनाव का अमैंडमेंट राज्य सरकार ने किया है, वह यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता में दखल है, यह राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया उसके बाद मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। माननीय अध्यक्ष महोदय को पता भी है इस बात का, वही उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह की सब बातें मैं समझता हूं कि सुबह से हमारे यहां आई हैं। मैं तो एक ही बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि 27-28 यूनिवर्सिटीज, जितनी आपने अभी एक्ट में लिखी हैं, उनका सबका आटोनोमस एक्ट है, हम एक एक्ट लाकर सारी यूनिवर्सिटीज में कैसे करेंगे? यह न्याय का कौनसा सिद्धांत हम प्रतिपादित कर रहे हैं? क्या हमारी यह राजस्थान विधान सभा जो संशोधन करने जा रही है, संविधान में जो न्याय का मूल सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को भी हम इससे बदल सकते हैं क्या? हम किस प्रकार का एक्ट ला रहे हैं? टीचर्स का एक्ट जो आप लेकर आए हो, आपने टीचर्स यहां पर जो लगाए हैं, विश्वविद्यालय में अध्यापक और अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन, माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी के ध्यान में होगा कि नहीं होगा, मंत्री महोदय, यह भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, सैंट्रल पार्लियामेंट ने 7 मार्च को इस बिल को पास कर दिया था, 9 जुलाई का यह गजट नोटिफिकेशन है। भारत सरकार से अगर कोई गजट नोटिफिकेशन हो गया तो वह सुओमोटो पूरे देश में लागू हो जाएगा इसलिए आपका जो बिल है, यह अपने आप में ही डिफेक्टिव है, यह बिल लागू ही आप नहीं कर पाएंगे। भले ही आप आज हाथ खड़े करके, हमें पता है कि आप हाथ खड़े करके इसको जरूर लागू करोगे लेकिन आप इसको लागू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका बिल डिफेक्टिव है। सैंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन का आपने इसमें कहीं लिखा ही नहीं है इस बिल में कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन्स दिए हैं उन प्रोविजन्स का आप क्या करेंगे, यह आपका बिल ही डिफेक्टिव है। यह जो आपने लिखा है इस बिल में, अधिनियम 1974 की धारा 18 (क) में मूल संशोधन में आपने कहा है कि नियुक्ति और पदों का आरक्षण सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट विधि किसी बात की, यह हम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संविधान संशोधन के बाद में इस बिल में जो आप करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में विभाग और कैडर के अनुसार आरक्षण पहले से

(श्री अशोक लाहोटी)

लागू है। जब लागू है तो संसद द्वारा पारित बिल है, उस पारित बिल में भी आपको 10 परसेंट पदों का आरक्षण, 2019 के यूजीसी के आदेश हैं, 5/2006, एससी, एसटी एक्ट का जो आपने लिखा है, यदि आप इसमें गुर्जर आरक्षण का संशोधन भी जोड़ना चाहें तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे, उसको भी आप खुलकर लिख देते लेकिन इसके बाद में शायद आप यह भूल गए कि 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस का भी कहीं प्रोविजन किया हुआ है। या तो आप यह घोषणा करें अपने जवाब में कि हम 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस को देना नहीं चाहते। यदि वाकई सरकार देना चाहती है तो यह घोषणा करे कि इस बिल में गलती रह गई है, छह माह के लिए रोककर उसका प्रावधान लाएं अन्यथा हम राजस्थान की पूरी जनता को यह जरूर समझाएंगे कि यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ईडब्ल्यूएस बिल के खिलाफ है और इस बिल में आपने इस भावना के साथ इसको नहीं जोड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ, आपने इसी बिल में लिखा है कि जब आपके यूनिवर्सिटी में कैडर तय हैं और आप यूनिवर्सिटी को एक संस्था मान रहे हो तो आप किसका संशोधन कर रहे हो? एक इकाई के आधार पर तो आरक्षण आलरेडी तय है तो आप कौनसा आरक्षण इसमें बढ़ाना या घटाना चाहते हो? इसमें आपने यह भी नहीं लिखा है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का 1947 में एक्ट कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था और उसके बाद में 1950 में आप ही की सरकार ने इस एक्ट को मजबूत करने का काम किया। आपने कुलपतियों को स्वायत्तता दी थी और स्वायत्तता देने के बाद में आपने यह भी लिखा उस बिल में कि कुलपति इंडीविजुअल एंटिटी नहीं हैं। आपके सिंडिकेट में जो 16 मैम्बर हैं, कुलपति के अपने हर उस निर्णय को जो वह करता है, उसको सिंडिकेट में अप्रूवल लेना आवश्यक होता है और सिंडिकेट के 15 मैम्बर्स में से 8 तो आपकी सरकार ही नियुक्ति करती है। फिर आपको किस बात का डर लग रहा है? आप क्यों किसी को हटाने या लगाने के चक्कर में पड़े हैं? इतना ही नहीं, जब बोम आपकी संस्था है, उसमें भी आपने इस तरह के नियम कर रखे हैं, बोम और सिंडिकेट, दोनों में आप इस तरह से करते हैं तो इसके बाद कौनसा विषय बच गया जिसमें बिल के माध्यम से यह एक्ट लाना चाहते हैं? अगर आप एक्ट लाना ही चाहते हैं तो मैं आपको यह कहूंगा कि आपने जैसे सुबह हमारे उप नेता, राठौड़ साहब ने बताया था कि आपने इस बिल में इतने बड़े-

(श्री अशोक लाहोटी)

बड़े शब्दों का उपयोग किया। आपने एक जगह यह भी लिख दिया कि राज्य सरकार कुलपति की एडवाइज पर चांसलर लगाए, राज्य सरकार कुलपति की कंसल्टेशन की जगह, मैंने लिखा है एडवाइज होना चाहिए। आपसे कंसल्टेशन किस बात की करेंगे? गवर्नमेंट आज तक एडवाइज देती रही है, आप एडवाइज दें, करना या नहीं करना, यह राज्यपाल के अधीन है। यदि किसी कुलपति को लगाने का अधिकार राज्यपाल को है तो उसको हटाने का अधिकार भी न्याय के सिद्धांत के अनुसार राज्यपाल को ही होगा। वह आप एक्ट लाकर कैसे हटा सकते हैं? आपने इसमें लिखा है, दस साल के लिए उसका होना जरूरी है, बिलकुल होना चाहिए, दस साल के लिए आपको इसमें यह करना चाहिए लेकिन समकक्ष पद, आपने जो 'समकक्ष' शब्द लिखा है, वह 'समकक्ष' किसके 'समकक्ष'? माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि इन चीजों का जरूर इसमें निर्णय करें।

सब बातें लगभग हमारे पूर्व सदस्यों ने कही हैं, बाकी मैंने आपको जो अमैंडमेंट दिए हैं, जब आप अमैंडमेंट पर बोलने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं अमैंडमेंट पर दुबारा से अपनी बात रखूंगा। माननीय मंत्रीजी, मैं तो आपसे केवल इतना ही कह रहा हूं कि सरकारें जब बनती हैं, चाहे हमारी बने चाहे आपकी बने, हम इस गलतफहमी में संशोधन बिल ले आते हैं कि हमारी यह सरकार स्थाई है, हम इस गलतफहमी से इस बिल को न लाएं कि आप स्थाई सरकार सोचकर इस बिल को लेकर आ रहे हो। यह तो काल का चक्र है, परसों कर्नाटक में कोई और था, आज कोई और है, आज राजस्थान में आप बैठे हैं, अगले सत्र तक हो सकता है कि कोई और आ जाए। बिल आप बनाओ और उपयोग हम करें, इस प्रकार की गलती मत करो और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह तो काल का चक्र है और यह निश्चित रूप से चलेगा, न तो आपके रोकने से रुकेगा और न हमारे रोकने से। इसलिए ऐसा न हो कि बिल आप बनाओ और उपयोग हम आपके लोगों पर कर लें। यदि आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कोई आब्जर्वेशन भी है और यदि उनकी कोई ओपिनियन है, उनकी कोई एडवाइज है, तो आपकी पार्टी कार्यालय तक वह सीमित रहे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा लेकिन आपकी पार्टी की स्टडी सर्किल की एडवाइज आप राजस्थान पर थोपना चाहें और राजस्थान की शिक्षा पर थोपना चाहें, राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को आप बेरोजगारी की तरफ ले जाएं, राजस्थान के युवाओं का भविष्य आप खराब करने पर तुल

(श्री अशोक लाहोटी)

जाएं, राजस्थान की स्कूल कालेज का स्तर एक सरकारी डिपार्टमेंट की एक संस्था के माध्यम से कर दें और कल को आप कह दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का जो इतना सम्माननीय पद रहा हों, जिनको देखकर आज भी हजारों छात्र सम्मान से सिर झुकाते हों, इसी सदन में बैठे हुए छात्र संघ के हम 12 अध्यक्ष हैं। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, इधर माननीय उप नेताजी बैठे हैं, दो-दो मंत्री बैठे हैं, और भी हमारे जैसे कई लोग बैठे हैं, हम भी सम्मान से सिर ही झुकाते हैं उन कुलपति के सामने, यदि उनके सामने ही हम यह कहें कि एक बाबू लेवल के अधिकारी को आप कह दो कि हम इनकी जांच करवा लेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अन्याय आप किसी के साथ नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। आपने इसी बिल के अंतिम बिन्दु में लिखा है, कुलपति के पद के कृत्य के आदेश के पालन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, यह 'विनिर्दिष्ट' व्यक्ति कौन है? यह आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, कोई पदाधिकारी है, और कोई है? इसको खोलकर लिख देते, आपको तो 'हां' करके बिल पास करना ही है। आपको तो हाथ खड़े करवाकर बिल पास करवाना ही है। आपको हमारे सुझाव अच्छे हों या बुरे, आप इसलिए नहीं रोक रहे कि हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं तो आप ऐसा क्लीयर कट ही लिख देते कि 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होगा वह चाहे बाबू हो या चाहे कोई भी हो उस विश्वविद्यालय का हम उसको कुलपति बनाएंगे, चाहे राजस्थान की जनता कहीं भी जाए, चाहे राजस्थान का युवा कहीं भी जाए, चाहे राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब हो, यह हम कांग्रेसीकरण इसका करेंगे और करके रहेंगे। यह एक लाइन और इस बिल में जोड़ देते तो सदन का सुबह से इतना दिन भी खराब नहीं होता और हमको बोलना भी नहीं पड़ता। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान

(श्री कालीचरण सराफ)

विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर यहां विचार चल रहा है। मुझ से पहले ग्यारह वक्ताओं ने इन तीनों विधेयकों पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये और सब ने सर्वसम्मति से एक ही बात कही है कि जिस प्रकार से कुलपतियों को हटाये जाने की बात आप संशोधन के माध्यम से लाना चाहते हैं, यह घोर आपत्तिजनक है। यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रहार है और यह अमैंडमेंट यदि हो गया तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिये इस काले कानून को वापस लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों के माध्यम से संचालित होते रहे हैं और ये सब विधेयक जो भी विधान सभा में पारित हुए, सबकी मूल भावना यही थी कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कायम रहे और उसका राजनीतिकरण नहीं हो और इस मूल भावना के साथ ही ये बिल विधान सभा में पारित हुए। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो हैंडबुक है, उसमें बड़े ही स्पष्ट रूप से वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये कहा गया है- "The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

a. One person nominated by the Board not connected with the University or any affiliated college or approved institution thereof;

b. One person nominated by the Chairman University Grant Commission; and an educationist nominated by the Chancellor and the Chancellor shall appoint one of these three persons as the Chairman of the Committee"

यह जो सलेक्शन कमेटी बनती थी, वह वाइस चांसलर के लिये तीन नाम देती थी और उसमें से फिर चांसलर एक व्यक्ति को नोमिनेट करता था। लम्बे समय से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनका कार्य इस व्यवस्था से सुचारु रूप से चल रहा था। शिक्षा का स्तर, पाठ्यक्रम

(श्री कालीचरण सराफ)

बदलना, शोध कार्य का संचालन, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और विद्यार्थियों के लिये अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था करना, ये सब काम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के चल रहे थे।

ऐसी कौन-सी बात आ गयी, एक तरफ तो आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 10 के बिन्दु संख्या 21 पर- 'प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए उनकी अकादमिक स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना'। या तो यह 'भयमुक्त' गलती से छप गया, इसकी जगह भययुक्त होना चाहिए था। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि हमने हमारे जन घोषणा पत्र को नीति घोषणा पत्र बना दिया है और एक तरफ आप इसके विपरीत काम कर रहे हैं। आज कुलपति को हटाये जाने का जो प्रावधान आपने जोड़ा है, यह घोर आपत्तिजनक है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है और ऐसा लगता है कि सरकार विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण करना चाहती है।

जो आज तक व्यवस्था है, उसमें आपने देखा होगा कि मोहन सिंह मेहता, प्रोफेसर इकबाल नारायण, प्रोफेसर यूनिस खान, प्रोफेसर दयाकृष्णन जैसे बड़े-बड़े शिक्षाविद् आज हमारे विश्वविद्यालयों ने दिये हैं। आप जिस प्रकार से यूआईटी के चेयरमैन का नोमिनेशन करते है, जिस प्रकार से अन्य सरकारी संस्थाओं का नोमिनेशन करते हैं, उसी प्रकार से यदि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे तो आखिर आप हमारे विद्यार्थियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप हमारे विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति बनाना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति का जो अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकारों का यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिए। जो यूजीसी ने हमें निर्देश दिये हैं, उसके अनुरूप हम यदि अमैंडमेंट करते तो समझ में आता भी, पर वह तो 2017 में जब हमारा राज था, दस साल का उसे आचार्य का अनुभव होना चाहिए, अच्छा शिक्षाविद् होना चाहिए, ये सब हमने अमैंडमेंट कर दिये थे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी कि आप ये अमैंडमेंट लेकर आये हैं, मुझे लगता है कि आपकी नीयत में कुछ न कुछ खोट है।

(श्री कालीचरण सराफ)

अब आप यह देखिए कि आज आधे से ज्यादा पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं और जब हमारी सरकार थी तो हमने सदाशयता के साथ इन पदों को भरने के लिये विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अनुमति दी। आपने क्या किया आते ही? विश्वविद्यालयों में जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर आपने रोक लगा दी। क्या आपने रोक इसलिये लगायी कि हम हमारे हिसाब से जो पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में कुलपति नियुक्त हैं, उन्हें कोई न कोई आरोप लगाकर, जांच का बहाना लगाकर, किसी से शिकायत करवाकर, अपने व्यक्ति से जांच करवाकर उसे पहले हटाएंगे, फिर अपने व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करेंगे और उसके माध्यम से अपने चहेते, योग्य और अयोग्य व्यक्तियों को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर नियुक्त करेंगे। यदि आप लोगों की इस प्रकार की नीयत है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश की 7 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी में भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार के समय अनियमितताएं हुई थीं, उनकी जांच हमने करवायी थी और उन जांच में गम्भीर अनियमितताएं पायी गयी थीं और उसे हमने दुरुस्त करने का काम किया। हमने कोई अनियमितताएं नहीं कीं।

एक तरफ तो आप चुनावी घोषणा पत्र में यह कह रहे हैं कि हम निजी विश्वविद्यालयों के लिये रैगुलेटरी बोर्ड बनाएंगे, रैगुलेटरी बोर्ड की कोई बात नहीं कर रहे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे और केवल और केवल इस काले कानून के माध्यम से कुलपति जो नोमिनेटेड हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हटाएंगे और उनकी जगह अपने चहेतों को लगाएंगे। इस प्रकार का कृत्य यदि आप लोग करेंगे तो जनता इसे किसी भी हालत में माफ नहीं करेगी।

जैसा अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य अशोक लाहोटी जी ने बताया, पंद्रह लोग जो सिंडीकेट में होते हैं, बोम में होते हैं, उनमें से आठ लोग तो राज्य सरकार नोमिनेट करती है, तो वह कुलपति किस प्रकार से गड़बड़ करेगा? कोई भी निर्णय यदि कुलपति करता है तो उसे सिंडीकेट में

(श्री कालीचरण सराफ)

पास करवाना होता है, तो वह किस प्रकार से अनियमितता करेगा? इस प्रकार से भय दिखाकर आप जो कुलपति के पद का डिटेरियोरेशन कर रहे हैं, यह बिलकुल उचित नहीं है।

मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में और आनन-फानन में अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिये जिस प्रकार से आप इस बिल को पारित करवाना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत है और मैं यह चाहूंगा कि इसे आनन-फानन में पारित नहीं किया जाए और कम से कम छह महीने के लिये जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करें और उसके बाद जो जनता की राय आये, शिक्षाविदों की राय आये, उसके बाद आप इस बिल को लाएंगे तो यह उचित होगा। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 9)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2019 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2019 से सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2019 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2019 गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त, 2019	बैठक नहीं होगी
शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2019	1. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 ; 2. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 ; एवं

(डा. महेश जोशी)

	3. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 : -पर विचार एवं पारण। 4. गैर सरकारी कार्य दिवस।
शनिवार, दिनांक 03 अगस्त, 2019 रविवार, दिनांक 04 अगस्त, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2019	1.राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 ; 2. राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक सम्बन्धों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 ; - पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री मदन दिलावर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा कर्मचारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा यह जो बिल लाया गया है उसके पीछे सरकार की मन्शा ठीक नहीं है।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है और यहां से ही अभी तक देश के बड़े-बड़े विद्वान निकले हैं। अभी तक इसकी स्वायत्तता थी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं था पर अब सरकार का हस्तक्षेप करके विश्वविद्यालय के कुलपति को कठपुतली बनाना चाहते हैं। सरकार का मंत्री या व्यक्ति कोई भी आर्डर दे, उसकी अक्षरश: पालना हो जाए, चाहे वह गलत हो या सही हो और इस प्रकार की सोच रखी है पर इनको यह पता नहीं है कि हम कितने दिन के हैं। यह अवसर आएगा ही नहीं क्योंकि तीन-चार महीने के ही मेहमान हैं और इस बिल में इस प्रकार का संशोधन लाकर क्या करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, यह कोई आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं विश्वविद्यालय है जो चाहे जो कर दिया, चाहे जब हटा दिया, चाहे जो ले आये, ये विश्वविद्यालय हैं। इसलिए यह ठीक नहीं है। मुझे इसमें जो बू आ रही है, गंध आ रही है यह इसकी गंध आ रही है कि ये भयंकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। अभी सीधा-सीधा नहीं लग रहा होगा क्योंकि फिर कुलपति जी को ये मोहरा बनाएंगे और उनकी बात नहीं मानी तो किसी न किसी से शिकायत करा देंगे और शिकायत की जांच प्रारम्भ कर देंगे तथा फिर कह देंगे कि इनको निलम्बित कर दो, इनकी तो जांच चल रही है तो यदि उसको चलकर रहना होगा तो ये कहेंगे जैसे भ्रष्टाचार में हामी भरनी पड़ेगी, सहभागी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से यह बिल लाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान् गुलाब चन्द जी कटारिया साहब ने बताया था कि सक्षम नहीं हो तो हटा देंगे, सत्यनिष्ठा से काम नहीं कर रहा होगा तो हटा देंगे, नैतिकता के आधार पर काम नहीं कर रहा होगा तो हटा देंगे और संस्था में प्रतिबद्धता होनी चाहिए, नहीं तो हटा देंगे। इसकी कोई कार्य प्रणाली या इसको मापने की कोई प्रणाली विकसित कर ली क्या? अगर विकसित कर ली तो सदन को बताना चाहिए कि प्रणाली क्या है जिसके आधार पर आप यह जांच कर लेंगे। वह प्रणाली आने के बाद, इस सदन को बताने के बाद ही इस बिल को लाना चाहिए था, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यह पैमाना इन्होंने बनाया है और जो प्रणाली विकसित की है उसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए कि इस प्रकार से इसका मापन करेंगे। यह इनको ध्यान में रखना चाहिए था, पर नहीं रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने सारी बात कह दी है, मैं अब

(श्री मदन दिलावर)

ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि ये मुंगेरीलाल के सपने पूरे नहीं होंगे और इस बिल पर ये काम करने लगेंगे, या इनकी मन्शा के अनुसार काम करने लगेंगे उसके पहले इधर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 11 का आंकड़ा भी छू पाएंगे, 11 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। जिसने भी यह बिल बनाया है, सहयोग किया है, जिसने सलाह दी है, लगता है, वह माननीय नरेन्द्र जी मोदी का मित्र है क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त इस देश को करेंगे तो वह भी चाह रहा है कि बिल आ जाएगा, राजस्थान की जनता के सामने जाएगा और जनता इसके बारे में विचार करेगी तो निश्चित रूप से बची-खुची कांग्रेस को भी पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त कर देगी इसलिए जिसने इस बिल को बनाया है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल। आज आप तैयारी करके नहीं आये, यों इधर से उधर कर रहे हैं। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप यह संशोधन विधेयक लेकर आये हैं और इस विधेयक के पृष्ठ 4 पर आपने लिखा है- 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 10 (क) और 10 (ख) हटाया जाना और मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 (क) और 10 (ख) हटायी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट में मुझे तो ये दोनों धाराएं 10 (क) और 10 (ख) दोनों ही नजर नहीं आई। मैंने राजस्थान लोकल लॉज देखा, मैंने राजस्थान राजपत्र सितम्बर 18, 1974 को भी देखा, मैंने राजस्थान राजपत्र नवम्बर 13, 1984 को भी देखा तो जिस किसी अधिकारी ने ड्राफ्ट किया है, माननीय सभापति महोदय, इसके ऊपर भी निश्चित तौर से मंत्री महोदय जब जवाब दें तो इसके ऊपर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड)

चाहता पर माननीय मंत्री महोदय, अगर यह बात है, माननीय सदस्य वे दोनों मूल एक्ट लेकर आए हैं, मैंने भी उनमें खोजने की कोशिश की थी, यह 1974 के जिस एक्ट को आप अमैंडमेंट कर रहे हो 10 (क) और (ख), पूरा देखने के बाद, इनके पास है, मैंने पढ़ा है, कहीं मुझे नजर नहीं आये। यह कहीं आपका 1984 का तो नहीं है? इसको जरा आप दिखवा लो। उस गैलेरी में पूछ लो वरना यह ऐसी गफलत हो जाएगी, ऐसी गलत बात हो जाएगी जो राजस्थान विधान सभा के इतिहास में इन्द्राज हो जाएगी। आप जरा सोचो। मूल दोनों उनके पास हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मूल है तो सदन पटल पर रख दें ताकि हम भी देख लें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): ये मेरे पास एक्ट पड़े हैं, आप चाहें तो।

श्री सभापति: वे अपनी रिप्लाई में वह बात बताएंगे, आप विराजें। अपनी रिप्लाई में बता देंगे। विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में आज की तारीख में 21 परसेंट आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए है, 16 परसेंट आरक्षण एससी के लिए है और 12 परसेंट आरक्षण एसटी के लिए है। इस प्रकार यह आरक्षण 49 परसेंट हो जाता है। इसी 49 प्रतिशत् के सभी वर्गों में 4 प्रतिशत् विशेष योग्यजन, 12 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक और 30 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने 1963 में एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर एआईआर 1963 एससी केस नम्बर 649 में यह निर्णय दिया है कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लगा दी है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गुर्जर समेत पांच जातियों को सरकारी नौकरी में 5 परसेंट अलग से आरक्षण देने का प्रावधान करने का लगातार प्रयास हुआ। पिछली भाजपा सरकार 2015 में गुर्जर सहित पांच जातियों को अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एसबीसी विधेयक लेकर आई और आर्थिक रूप

(श्री नारायण सिंह देवल)

से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए ईबीसी विधेयक लाई।

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट की 50 परसेंट की अधिकतम सीमा की बाध्यता के कारण संभव हो न सका और राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी और हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के नियम की पालना करते हुए एमबीसी विधेयक के तहत 1 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों को एसबीसी में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया है और इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया, परंतु आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर अपने जवाब में आपात परिस्थितियों का हवाला दिया, अभी तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ईडब्ल्यूएस, देश के प्रधान मंत्रीजी ने 10 परसेंट आरक्षण की बात की है, इसको भी इसमें जोड़ने की बात नहीं की गई है। कल ही सदन के नेता ने रिप्लाई दिया, इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण के ऊपर एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है। इस कमेटी में कितना समय लगेगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है। जगह-जगह धरने प्रदर्शन और ज्ञापन भी हो रहे हैं तो मैं सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि इस बिल को 6 महीने जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को भी इसमें आरक्षण देने की हम लोग मांग करते हैं।

12 दिसम्बर, 2018 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए 31 जनवरी, 2019 से देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्था में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों की मांग है कि इसमें जो शर्त हैं, 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, इसको गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्गगज से आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए।

(श्री नारायण सिंह देवल)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है। आज 5 एकड़ जमीन अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर के समान नहीं है। वहां के रेट जो हैं, वे भी समान नहीं हैं और जो पैदावार है, वह भी समान नहीं है तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो 5 एकड़ जमीन है, उसको हटाकर मात्र 8 लाख परिवार की सालाना आय है, उसको रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी गजट नोटिफिकेशन के आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से यह व्याख्या की गई है कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के उद्देश्य के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस प्रकार होंगे, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवार की आय और आर्थिक नुकसान अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है। इस आर्टिकल 16 में राज्य सरकार को यह छूट दी गई है कि आप अपने आधार पर गुजरात सरकार ने जो अपने राज्य में पांच एकड़ की शर्त हटा दी है तो सरकार यदि हटाए तो पूरे राजस्थान के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बिल लेकर आए हैं, इसमें जो उच्च शिक्षा है, उसमें काफी पोस्ट चाहे प्रोफेसर की हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, सारी पोस्ट रिक्त चल रही हैं, इनकी भर्ती की जाए और रानीवाड़ा के अंदर जो कालेज खुली है उसके अंदर सारी पोस्टें खाली हैं, 13 में से 12 पद खाली हैं तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इन पोस्टों को भरा जाए। मैं आपके माध्यम से इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वास्तव में, विभाग के लोग इसको ठीक तरह से समझें, यह जो आपका 1974 का एक्ट, इसकी जो धारा 10 क और धारा 10 ख में आप परिवर्तन कर रहे हैं, ये इसमें है ही नहीं। यह जो बिल है राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक अधिकारी सेवा की विशेष शर्तें अधिनियम, 1974 अधिनियम संख्या 18 सन् 1974, इसमें जो धारा 10 है आपकी, नियम बनाने की शक्तियां, इसमें कोई 'क' और 'ख' है ही नहीं, हां, 1984 वाले में जरूर है। 1984 वाले में तो यह डाला हुआ है 11 जनवरी, 1984, इसमें 10 और 11 में 'क' और 'ख' जो हटाने की कर रहे हैं आप, वह इसमें तो जरूर डाला हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, एक बार ठीक तरह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिखाओ आप, ऐसा कानून जाएगा या तो इसको 1974 की जगह 1984 करके करोगे तब तो ठीक है, 1974 में इस प्रकार की धारा 10 क और 10 ख है नहीं, ये इसकी जो मूल कापी है, इतना गौर से हम लोगों ने भी नहीं देखा, लेकिन माननीय सदस्य इसको मेहनत करके लाए हैं तो वास्तव में इसको ठीक तरह से देख ले विभाग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह साधारण बात नहीं है। हम राजस्थान की विधान सभा में कानून बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कोई प्रतिष्ठा की बात भी नहीं है, आज इस बिल को सरकार विड्रा कर ले, इसको अगले वर्किंग डे में लिस्टेड करा दे, गलती हो गई, पर एक बिन्दु से, सभापति महोदय, आपको मालूम है भील मीणा और मीणा, उस एक सेंटेंस ने पूरे रिजर्वेशन की व्याख्या को बदल दिया। हिन्दुस्तान के अंदर एक अलग से ही उसकी व्याख्या की गई। यह जो बिल पारित कर रहे हैं हम, इसके एक-एक कोमा पर फुलस्टाप पर लोग व्याख्या करेंगे, कानून में भी व्याख्या करेंगे। ऐसी गलती हो न जाए, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, अगर आप 1984 तक की बात कर रहे हो तो आपने जो इसमें लिखा है 1974 की राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 10क और 10ख को हटाया जाना, अब 10क और 10ख तो उसमें हैं, उसमें है ही नहीं तो किसको हटाएंगे आप?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 1974 का एक्ट है, उसके तहत दो संशोधन किए गए थे 1974 में और ये रिकार्डेड है। आप देख लें, एक तो किया गया 1995 में अधिनियम संख्या 24 के द्वारा 10क जोड़ा गया और फिर 10ख 2011 में जोड़ा गया तो ये जो 1984 का जो उल्लेख कर रहे हैं, इससे इसको नहीं 1974 का जो ओरिजिनल एक्ट है, उसमें दो संशोधन किए गए, 1995 और 2011 जिसके द्वारा 'क' और 'ख' जोड़े गए, ये हैं इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं निश्चित तौर पर मानता हूं आपने अमैंडमेंट किए होंगे पर आपने जो बिल मुझे दिया है, इसके अंदर आपने क्या लिखा है, जरा आप इसको पढ़ लो। आपने इसमें साफ लिखा है कि 1974 की राजस्थान अधिनियम संख्या 18, जिसका उल्लेख माननीय प्रतिपक्ष नेता ने किया, 10क और 10ख को हटाया जाना, अगर इसको हटाए जाने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संशोधन लेकर आए हैं और उससे पहले अगर कोई संशोधन आया है तो उसका उल्लेख करते ये, मूल रूप से मेरे पास यह बिल है। सभापति महोदय, यह इस प्रकार की गलती हो रही है, मैं समझता हूं आप जैसे कानूनविज्ञ बैठे हुए आप आसन से आज्ञा दें, इसको विदड्रा करें मंत्रीजी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, ये जो कापी दे रहे हैं 1974 की, यह पुरानी कापी है अमेंडेड कापी नहीं है। आपको अमेंडेड कापी जो अपडेटेड है, वह उपलब्ध करा दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो, यह बिल रहा। (व्यवधान) यह बिल है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह बिल जो सर्कुलेट किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या अन्याय है? आपने मंत्री महोदय, जो बात कही, वह बात कहकर आप फंस गए। मूल बिल यह है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मूल बिल यह ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर? इसमें क्या लिखा हुआ है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 1974 का कह रहा हूं मैं, जो अमेंडमेंट किए गए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो, इतना कानून हम भी जानते हैं। किए होंगे अमेंडमेंट आपने। आप हमारे सामने क्या लेकर आये हैं। कल्ला जी, नो-नो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप जो रेफरेंस दे रहे हो न, वह 1974 के अधिनियम संख्या-18 का दे रहे हो। आप जो दे रहे हो 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या-18 की धारा-10 (क) यह जो मैंने पढ़ा है, यह मैंने वही पढ़ा है अधिनियम संख्या-18

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, हो क्या रहा है यह? हम यह नहीं होने देंगे राजस्थान की विधान सभा में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 74 का जो एक्ट है उसमें 10 (क) और 10 (ख) हैं नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके नेता महोदय बोल रहे हैं। विराजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये जो आप जिस रेफरेंस को दे रहे हो या तो आप इसका रेफरेंस बदलो या तो इसकी भाषा का रेफरेंस बदलो। जो आप लिख रहे हो उसमें आपने बहुत साफ लिखा है कि 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या-18 की धारा-10 'क' और 'ख' इस एक्ट में कहीं भी 10 की 'क', 'ख' हैं ही नहीं। अगर इसका रेफरेंस देना है तो जो नया अमैंडमेंट हुआ होगा, उस नये अमैंडमेंट का रेफरेंस देते हुए आप इसमें 'क' और 'ख' के बारे में कहते, तब तो आपकी बात सही बन जाती, बाकी तो नहीं बनी। माननीय विधायक वास्तव में बहुत ही माइन्यूटली देखकर के लाये हैं। हम लोगों ने भी इतना गौर से नहीं देखा लेकिन वास्तव में यह है ठीक तरह से। इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ या तो इसका रेफरेंस बदलो आप।

(16.33 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति का संशोधन हम ला रहे हैं इस संशोधन में जो इन्होंने लिखा है, 1974 के अधिनियम संख्या-18 की धारा-10 (क) और 10 (ख) को हटाया जाना मूल अधिनियम की धारा, यह मूल अधिनियम है 1974 का, इसमें कहीं भी धारा-10 (क) और 10 (ख) हैं ही नहीं। इसके बाद वाले में हैं। 1984 वाले में हैं लेकिन इसमें है ही नहीं तो जो रेफरेंस आप दे रहे हो, वह इसके साथ नहीं बैठ रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस बिल में या तो सरकार अगर 1974 की जगह 1984 है तब यह अमैंडमेंट खुद ले आये न गवर्नमेंट। अभी आप सर्कुलेट करके अमैंडमेंट ले आयें और अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री जी की बात भी सुन लें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं कुछ?

श्री अध्यक्ष: हां बोलें, प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष के नेता महोदय ने और डिप्टी लीडर विपक्ष ने मुद्दा उठाया है, यह मूल अधिनियम 1974 में बना था और वक्त-वक्त में उसमें अमैंडमेंट हुए तो वह मूल अधिनियम, 1974 ही कहलायेगा। अब उसमें अमैंडमेंट के साथ 'क' और 'ख' जुड़ गए, उसमें आज यह अमेंडमेंट लेकर आये हैं, इसलिए आप जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वह सही नहीं है। आपके वक्त में भी हम लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाये थे तो आपने इसी प्रकार का प्रत्युत्तर दिया था कि मूल एक्ट में संशोधन हो जाता है तो उसमें धाराएं जुड़ जाती हैं और उसमें जब संशोधन होता है तो वह उसी प्रकार का संशोधन कहलायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, नारायण सिंह जी, एक-एक करके बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये कह रहे हैं कि 1984 में मूल एक्ट में संशोधन होकर यह मूल एक्ट में शामिल हो गया तो यहां 1974 की जगह इनको 1984 लिखना चाहिए था। यह गलती हो गई यह क्लेरिकल मिस्टेक मान लें या डेलीब्रेटली मिस्टेक मान लें इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि हमें इसका हिस्सा मत बनाओ। इसलिए या तो आप इसको अगली बार लिस्टेड कर दें वरना, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो गुनाह हो जाएगा। आप खुद, यह आसन ही तय कर दे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका जो पाइंट है, उसमें जो लीगल बैकग्राउण्ड है, वह यह है कि मूल एक्ट में जब परिवर्तित अमैंडमेंट हो जाता है तो मूल एक्ट में सम्मिलित ही माना जाता है। जो कल्ला साहब ने कहा यह लीगल लॉ सैक्रेटरी की राय है, कोई मेरी अपनी राय नहीं है। कानून का इंटरप्रिटेशन न आप कर सकते हो, न मैं कर सकता। कानून का इंटरप्रिटेशन यह है कि मूल एक्ट में जो परिवर्तन अमैंडमेंट होता है वह मूल एक्ट में ही सम्मिलित माना जाता है। यह कानून की व्यवस्था है। आपका अपना इंटरप्रिटेशन, सोच हो सकता है लेकिन कानून की जो स्थिति है, वह स्थिति यह है कि यह उसके अन्तर्गत होता है, इसलिए इसको जो आपका पाइंट है, मैं समझता हूं कि यह कानून की...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें सिर्फ इतना है, जो आप इसमें लिख रहे हो जिसमें तो बहुत स्पष्ट है 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या-18 की धारा-10 'क' इस मूल एक्ट में तो धारा-10 'क' है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, जो 1974 का एक्ट है जिस अधिनियम की धारा-18 में अमैंडमेंट हो चुका है इसलिए वह 1974 का पार्ट है। जब 1974 के एक्ट में जब 1984 जो भी आप कह रहे हो, उसमें अमैंडमेंट हुआ, वह अमैंडमेंट जब हो जाता है तो मूल एक्ट का ही पार्ट होता है, यह कानून की व्यवस्था है तो कानून के अन्तर्गत जो यह लिखा गया है बिलकुल सही लिखा गया है, इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ें अब।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को...

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब दें। माननीय मंत्री जी, जो चर्चा हुई है, उस चर्चा पर आप पहले जवाब दें। माननीय सदस्यों ने जो अपनी-अपनी बातें कही हैं, जो खास तौर से क्वालिफिकेशन के संबध में जो आप अमैंडमेंट कर रहे हो जिसके संबंध में सबने ध्यान आकर्षित किया है कि दस साल का है, दस साल का नहीं होना चाहिए या कटारिया साहब ने जो बताया कि आपने जो अमैंडमेंट के साथ में एडजेक्टिव जोड़े हैं, उसका क्या संदर्भ होगा, उसके संदर्भ में आप पहले अपनी बात कहें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और जिसमें लगभग 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और बहुत सारी बातें की गईं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालयों का कुलपतियों को हटाने के माध्यम से, बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपनी विचाराधारा को थोपा जा रहा है। इसके अलावा 1974 के संशोधन को लेकर बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा और मुझे कई बार अफसोस होता है। मैं तो खैर पहली बार आया हूं इस सदन में और पहली बार मंत्री बना हूं लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय उप नेता पूर्व उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री दोनों ही और तीसरे हमारे शिक्षा मंत्री, कई बार मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद सदन में आने से पहले उन्होंने पढ़ा नहीं या जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो संशोधन आया है रिमूवल का, यह रिमूवल का संशोधन मैं इतिहास से ही शुरू कर रहा हूं और वह इतिहास यह कहता है कि 2006 में ...(व्यवधान) सुन लीजिए राठौड़

(डा. सुभाष गर्ग)

साहब, पेशेंस रखिए। हम भी आपको सुनते हैं एक-एक घंटे। 2006 का आपकी सरकार के द्वारा एक्ट लाया गया था आरटीयू का, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का और उसमें प्रोविजन है रिमूवल आफ वाइस चांसलर का।

"(9) If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor. फिर आइये,

(10) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (9), the Chancellor may order that till further orders- अब माननीय सदस्य जो बोल रहे थे न, specify in order.... कौन व्यक्ति होगा, लाहोटी साहब, कौन सदस्य होगा, मैं पढ़ रहा हूं, such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the officer of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (3) and,

the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order. Understand?"

अब आइये आप और यह 2013 में हमारी सरकार ने ही हटाया इस प्रोविजन को, यह और बता देता हूं जब हमारी सरकार थी 2013 में और जून, 2013 में फिर एक अमैंडमेंट आया, उसके द्वारा इस प्रोविजन को हटाया गया क्योंकि आपकी सरकार ने उस दौरान जहां एक व्यक्ति नोमिनी हुआ करता था, गवर्नमेंट नोमिनी आपने दो किए थे, उसको भी हमारी सरकार ने हटाया कि एक व्यक्ति नोमिनी होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अब आइये आप बहुत-बड़ी बातें कर रहे थे कहां से लेकर आये, किसकी सोच है? एक ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के मित्र होंगे। हां, बिलकुल, यह नरेन्द्र मोदी जी की सोच है। उसी को मैं उल्लिखित करना चाह रहा हूं, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। कब का है, जुलाई, 2018 का। जुलाई, 2018 में क्या कहा

(डा. सुभाष गर्ग)

है, सुन लीजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे सक्षमता क्या है, नैतिकता क्या है, सदाचारिता क्या है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाह रहा हूं, इस नोटिफिकेशन में दिया है कुलपति का चयन कैसे होगा। सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जायेगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिये आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षिक नेतृत्व के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिये। यह किसका नोटिफिकेशन है, किसका है, भारत सरकार, मिनिस्टर आफ एचआरडी, जहां दो ही व्यक्ति उस सरकार को चलाते हैं, उन्हीं की सोच है।

आपको दूसरी सोच और बताता हूं, यह सरकार सुओमोटो लेकर नहीं आई। (व्यवधान) अब सुन लो। आपने कहा कि हमारी सरकार लेकर आई, बिलकुल लेकर आई, लेकिन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। एक्ट में संशोधन कौन करेगा? सदन करेगा, सरकार प्रस्ताव लेकर आयेगी लेकिन किसके कहने पर, माननीय कुलाधिपति के कहने पर। इन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र को मैं पढ़कर बता रहा हूं, जो इनके सैक्रेटरी टू गवर्नर ने, आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संलग्न सूची अनुसार 13 राज वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, don’t quote Rajyapal.

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं तो लैटर को कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, बिलकुल नहीं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मैं प्रोविजन बता रहा हूं कि निष्कासन के समुचित प्रावधान संबंधित अधिनियम में किये जाने चाहिये ताकि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता ....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, don’t refer the letter of the Governor. Please.

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं गवर्नर महोदय को

(डा. सुभाष गर्ग)

रेफरेंस नहीं कर रहा हूं, मैं चांसलर को रेफरेंस कर रहा हूं। अगर चांसलर को रेफरेंस नहीं कर सकते, he is the supreme authority of the University. मैं चांसलर को कोट कर रहा हूं न कि गवर्नर को, यह लैटर भी चांसलर साहब...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, please, I said, don't do it.

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ठीक सर, थैंक यू सर। अब आपको बताना चाह रहा हूं आप ही की सरकारों का। मेरे पास सारे हैं, एक्ट की कापी चाहिये तो मैं आपको दे दूंगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इन सब में रिमूवल के हैं। रिमूवल के जो प्रोविजन्स थे, वह इस पत्र के साथ आये थे कि इसके ऊपर काम किया जाए।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं सरकार की मंशा कतई यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में हस्तक्षेप किया जाए। लेकिन कोई व्यक्ति इतना निरंकुश भी नहीं हो जाए कि एक निरंकुश बादशाह की तरह काम करे और विश्वविद्यालय के नियम, कार्य प्रणालियों का पालन नहीं करे। मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं, मेरे से पहले बहुत चीजें कही गईं, लोकायुक्त की जांच, एक कुलपति को लोकायुक्त ने दोषी ठहराया और वह कुलपति है जिसके बारे में कई बार कहते हैं कि ऐसे कुलपति आपने बना दिये, आपने बना दिये। 1986 में जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन हुए थे, उन कुलपतियों का नाम अखबारों में बहुत सुर्खियों से छपा था और ऐसे व्यक्ति को कुलपति बनाया गया और उनके खिलाफ लोकायुक्त ने यह रिकार्ड में कहा है कि अनियमितताएं की हैं। मैं उसका अंश बता देता हूं, आपको रिपोर्ट मिल भी जायेगी, कि पूरी तरह अनियमितताएं की गई हैं और ऐसे कुलपति को हटाया जाए। क्या करेगी सरकार या कुलाधिपति क्या करेंगे?

इसके अलावा और बताना चाहता हूं, वाइस चांसलर की नियुक्ति का सवाल कहा, एक व्यक्ति को उसी जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में कुलपति बनाया गया जिस कुलपति के खिलाफ मेरठ, यूपी में बहुत सारे आरोप और चार्जशीट और न जाने क्या-क्या हुआ। खूब अखबारों में छपा और आपकी सरकार ने एमडीएस यूनिवर्सिटी का उसी को दुबारा कुलपति बनाया जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के स्टूडेंट्स, जो माननीय देवनानी जी ने उठाया कि सब लोग परेशान हैं। क्या करें, हाई कोर्ट से स्टे है। इसीलिए यह कानून लाया जा रहा है।

(डा. सुभाष गर्ग)

एक व्यक्ति के बारे में और कहूंगा, योग्यताओं की बड़ी बात कर रहे थे, कानून की बात करते हैं, कानून का पालन, हस्तक्षेप नहीं करते और कई राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम लेते हैं, कभी कुछ का लेते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने संघीकरण किया, वैसा हम नहीं करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, तथ्य है मेरे पास और मैं तकनीकी शिक्षा पर भी आऊंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक कुलपति आपके द्वारा नियुक्त किये गये थे और कोर्ट के डिसीजन से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या कारण थे, आप अच्छी जानते हैं, मैं नहीं कहूंगा। इसी तरह से भारत सरकार ने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तीन कुलपति हटाये, क्यों हटाये? सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में अगर आप पढ़ें, उसमें भी प्रोविजन है, उसकी कापी भी मेरे पास है, विजिटर को अधिकार है। जिसको अपाइंटिंग का अधिकार है, वह विजिटर को भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, दूसरे मंत्री भी बोलेंगे।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बोलेंगे सर, मैं तकनीकी शिक्षा का तो कर लूं। बहुत सारी बातें की गईं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता जी ने कहा कि सर्कुलेशन के माध्यम से अध्यादेश लाये, जो गलत है। हम अध्यादेश नहीं लाये, यह रिकार्ड है आप बोले थे। माननीय सदस्य देवनानी जी ने कहा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एक्ट में पृथक संशोधन होना चाहिये, एक साथ नहीं हो सकता। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा तकनीकी संशोधन 2017 में आपने किया था, वह भी आप दोनों का संयुक्त संशोधन लेकर आये थे। इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने बहुत गिरावट की बात कही, मैं भी चिंतित हूं, सब चिंतित हैं। deterioration क्यों हुआ, राजस्थान का ही उदाहरण ले लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र राठौड़ साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 1993 से ....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अभी तो प्रस्ताव पास करने पर भी बोलना है, अभी तो खाली स्टेज पर हैं, इसलिए हो गया। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बिलकुल पहली बार मौका मिला है, मैंने तो स्वयं ने ही कहा है। मैं तकनीकी शिक्षा पर बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 महाविद्यालय .....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बात समझो, आपको अभी जब प्रस्ताव पारित

(श्री अध्यक्ष)

करेंगे तब भी बोलना पड़ेगा, इसलिए अभी आपने जितना बोल लिया उतना काफी है, दूसरे मंत्री जी को बोलने दें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं माननीय अध्यक्ष जी की बात को मानते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आज सदन के 13 माननीय सदस्यों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में आज विधेयक के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 11 विश्वविद्यालयों में कुलपति को हटाने के संबंध में प्रावधान पर चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस प्रकार के प्रावधान भारत सरकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम, 2009 में हैं। इसी प्रकार गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2016 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 आदि में विद्यमान है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के द्वारा चिंता जाहिर की गई, इस बिल का विरोध किया गया कि यह राजस्थान में पहली बार इस तरह का अधिनियम, अध्यादेश लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 जो भारत सरकार के द्वारा बिल बनाया गया है, कानून, अध्यादेश बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह पहला अध्यादेश नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में हरिदेव जोशी जन संचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डा. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अधिनियमों में उपरोक्तानुसार कुलपति को हटाने का प्रावधान पहले से किया जा चुका है, जब वे बिल पास किये गये थे, पारित किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से किये जाने वाले प्रावधान नवीन न होकर पूर्व में कई राज्यों में भी .. जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में भी दो विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विद्यमान है।

(श्री भंवरसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, संबंधित विधेयक में यह विस्तृत प्रावधान किया गया है कि कुलपति के विरुद्ध ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, कुलपति को हटाने के लिये निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है। यदि कुलाधिपति को राज्य सरकार द्वारा सूचित किये जाने पर या अन्य किसी तरीके से यह जानकारी में आता है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है अथवा विश्वविद्यालय के अधिनियमों की अनुपालना नहीं की गयी है अथवा कुलपति के पद पर रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, खिलाफ हो गया है तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से आवश्यक जांच उपरांत कुलपति को हटा सकेंगे और जांच के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को निलम्बित भी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की जांच के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति आदेश जारी कर सकेंगे कि कुलपति अपनी जांच के दौरान कुलपति के पद का कोई भी कार्य नहीं करेंगे तथा कुलपति के कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संपादित किया जाएगा, परंतु प्रस्तावित कानून में यह स्पष्ट अंकित किया गया है, कुलपति के विरुद्ध कोई आदेश कुलपति को सुनवाई का पूर्ण मौका दिये बिना जारी नहीं किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, भारत में चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी उनके पद से हटाने का प्रावधान संविधान में है, परंतु राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति को हटाने के कोई प्रावधान नहीं थे। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थितियों से निजात पाने के लिये हमारे पास उचित प्रावधान हो।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में पिछली सरकार के समय जिन्हें कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया, उनके विरुद्ध पूर्व में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में कुलपति के पद पर कार्य करते हुए अनियमितताएं किये जाने के कारण कार्यवाही किये जाने के तथ्य जानकारी में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुलपति की नियुक्ति के लिये हाई

(श्री भंवरसिंह भाटी)

कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के जो अधिकार हैं, उनकी जो पावर है, उनको पिछले लंबे समय से फ्रीज कर दिया गया है, उनकी शक्तियों पर रोक लगायी गई है। उसी तरह से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के जो कुलपति हैं उनके विरुद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लोकायुक्त में दी गयी जांच में लोकायुक्त ने, उनके द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया की गई थी, उसको गलत मानते हुए वहां के वीसी को दोषी माना गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस विधेयक का जो उद्देश्य है। हमारे सत्ता पक्ष के सामने जो विराजे हुए जो विपक्ष के सदस्य हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, सब ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो वीसी लगाये हैं, उनको हटाने की मंशा से यह बिल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उनको हम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हटाएं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में कुलपति महोदय अपने अधिकारों का पूरा निर्वहन करें, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें और एक अच्छे तरीके से संस्थान को चलाएं, ऐसी वी.सीज के खिलाफ हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जिन कुलपतियों के द्वारा अनियमितताएं की गयी हैं तो उनको हटाने के लिये किसी भी सरकार के द्वारा अनुशंसा भी की जा सकती है। माननीय राज्यपाल महोदय जो चांसलर हैं, वे भी आदेशित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता रहे, हमारी संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो और उसके साथ-साथ हमारा जो दूसरा बिल है, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो विधेयक है राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपकी आज्ञा है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा कर्मचारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में भर्ती और आरक्षण विधेयक, 1974 में संशोधन के क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक के राजस्थान राज्य के जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, उनमें शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है और आरक्षण व्यवस्था है, उसको प्राविधिक किया गया है और वर्तमान में उपरोक्त विधेयक की धारा-10 में एससी, एसटी, ओबीसी के लिये विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है।

अध्यक्ष जी, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार राज्य सरकार की सेवाओं में समय-समय पर लागू होने वाले आरक्षण स्वत: ही विश्वविद्यालयों में लागू हो जाएंगे। अत: इस विधेयक के पारित होकर कानून बन जाने पर विश्वविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण तुरंत प्रभाव से

(श्री भंवरसिंह भाटी)

लागू हो पाएगा तथा भविष्य में भी राज्य सरकार आरक्षण नीति में परिवर्तन करेगी तो स्वत: ही वह राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण व्यवस्था के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में रोस्टर विभागवार लागू किये गये हैं। विश्वविद्यालयों में भर्ती आरक्षित वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए राज्य सरकार उपरोक्त रोस्टर को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करने की मंशा रखती है और इस हेतु प्रशासनिक आदेश शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे। उपरोक्त आदेश जारी होने के उपरांत विश्वविद्यालयों में नवीन व्यवस्था अनुसार रोस्टर तैयार किये जाएंगे और उसके बाद भर्तियां शुरू की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की स्थिति के बारे में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पास होने की स्टेज पर बोलें, जनमत वाला हो गया।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक-एक बिल को करते जाएंगे। जो तीन सदस्य बोलने वाले हैं, वे एक-एक बिल पर बोल लेंगे। दो नाम आपने दिये, एक कांग्रेस की तरफ से है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, अशोक लाहोटी जी के संशोधन हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री अशोक लाहोटी, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया....माननीय सदस्य विथड्रा कर लें, डिबेट हो गयी। माननीय सदस्य क्या आप संशोधन को विदड्रा कर रहे हैं?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): विदड्रा नहीं कर रहा, सर।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लिये, अभी भी बोलेंगे?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बोल तो लिया, मैंने उसमें कहा था, मैंने जनमत पर तो बोल लिया, संशोधन पर उस समय आपको संशोधन दे दूंगा, जब संशोधन का नंबर आएगा।

श्री अध्यक्ष: आप संशोधन पर बोलना चाहते हैं?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जो संशोधन रखे हैं, उनमें तीन में से दो संशोधन कामन हैं, उस पर नहीं बोलना, वे एक साथ ही बोलूंगा, एक जगह अलग बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरे पर बोल लेना है, ठीक है। इस पर आप विदड्रा कर लें, बिल पास करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप जो आदेश करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री अशोक लाहोटी, सदस्य विधान सभा ने विदड्रा किया.....

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया गया।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. सुभाष गर्ग, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव रखेंगे।

(17.00 बजे)

विधेयक का पारण

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए आपने आज्ञा दी, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं उस शहर से आता हूं जहां पर राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय था, राजस्थान यूनिवर्सिटी। उसके पहले वाइस चांसलर डाक्टर मोहन सिंह मेहता थे। उस समय शिक्षा की यह स्थिति थी, मेवाड़ में वह बनारस से एम.ए. करके आए। मेवाड़ के महाराणा ने, ढोल-नगाड़ों से पूरा शहर उमड़ पड़ा। उनका स्वागत करके उनको शहर में ले गए। उन्हीं के परिवार के माननीय डा. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान सभा बनी, उसी के मैम्बर बने डाक्टर मोहन सिंह मेहता। वह चालीस मैम्बर में थे। संविधान निर्माता परिषद् में सदस्य भी रहे। वह एमपी भी रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इसकी स्थापना की, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 32 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर बने थे। ऐसे शिक्षाविद् का मैं सम्मान करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहां पुलिस भर्ती होती है। पुलिस भर्ती में आदमी ग्रेजुएट होता है या जो भी योग्यता होती है, दौड़ होती है, सीना देखते हैं और दौड़ने के बाद आधा इंच,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

एक इंच सीना कम हो उसको बाहर कर देते हैं। मेरी माननीय मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे यहां ऐसी शिक्षा डवलप करिए, गुजरात में उन्होंने बारहवीं के बाद एक विश्वविद्यालय बनाया है, एकेडमी बनाई है, जहां पर लड़का सीधा एक परीक्षा पास करके उसमें भर्ती हो जाएगा। उसको चार साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और उसको सीधा पुलिस में अपाइंटमेंट मिलेगा। एक लॉ की पुस्तक भी उसमें पढ़ाएंगे। यह भी साथ में किया है। परंतु हमारी क्या स्थिति है? वहां चाइल्ड विश्वविद्यालय हैं। बच्चों की यूनिवर्सिटी बना रखी है गुजरात में। बच्चों के विकास के लिए, यह भी वहां सुविधा है। आज क्या स्थिति बनी है? माननीय चिकित्सा मंत्री बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री दोनों विराजमान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भूमाफिया होते थे। मुझे बहुत दुख है यह कहने में कि आज शिक्षा माफिया हैं, चिकित्सा माफिया हैं। आज डाक्टर के एडमिशन में आपने मैनेजमेंट की सीटें दे दी हैं। एक-एक करोड़ रुपया, वह दो नंबर का पैसा लेते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको रोका जाए। मेरे एक मित्र बी.एड. कालेज में पढ़ाते हैं। बी.एड. कालेज का जब रिजल्ट आया तो गोल्ड मैडलिस्ट एक लड़की आयी। वह प्रिंसिपल के पास गए और कहा कि उस लड़की के मुझको दर्शन तो करा दीजिए। मैंने साल भर पढ़ाया, मैं उसको जानता ही नहीं वह कौन लड़की गोल्ड मैडलिस्ट है? इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? इसको रोकिए। उदयपुर में 2012 में भर्ती हुई एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, 80 भर्ती हुई, दो बार उनकी जांच हो गई। विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं, जिन पर जांच लटकी हुई है, दो बार जांच होकर यहां भर्ती नियमानुसार हुई है, कोई प्राब्लम नहीं हुई है, आज भी उनकी तीसरी जांच चल रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन प्रोफेसर को उससे मुक्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष, मुझे लगता है कि आप इसको लाइए। हमको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पास भी हो जाएगा। बहुमत है आपका। परंतु स्थिति क्या है? राजस्थान का शिक्षा का स्तर उत्तर भारत में, मैं भी छोटे-से पढ़ता आ रहा हूं। उत्तर भारत में राजस्थान का शिक्षा स्तर सबसे अच्छा था और आज भी हम दोनों पार्टियों के लोग चाहें तो इसको मेन्टेन कर सकते हैं। यह हमारे शिक्षा का स्तर है राजस्थान का परन्तु आप इसको चेंज कर रहे हैं। फिर सरकार बदलेगी, फिर वह चेंज करेंगे क्योंकि सारे कानून आपने पहले बनाए हुए हैं। आपके कानून आपके गले पड़ रहे हैं। आपने

(श्री धर्मनारायण जोशी)

लोगों को, जूनियर लोगों को, चीफ सैक्रेटरी बनने वाला था, उसको आपने हटाकर के नीचे की योग्यता वालों को चीफ सैक्रेटरी बनाया। आज मोदी जी कह रहे हैं, आपने न्यायालय में चीफ जस्टिस जिसको बनना था, दूसरे को बना दिया। आपने राज्यपालों को हटाया। धारा 356 का सौ बार दुरुपयोग हुआ। यह सब कानून आपने बनाएं। आगे-आगे आप चले हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती कि हम राज में भी आएंगे, इस प्रकार करेंगे। परंतु आज स्थिति बदली है। आप जो कानून बना रहे हैं, यह आपका कानून कल आपके ही गले पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें चेंज करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने से वंचित करते हुए इसमें पारदर्शिता लाएं। बोलने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): Sir, I'm here to speak about 'The University Law (Amendment) Bill, 2019'. Well the Ministers have almost given the detailed reply more than 'prastava'. There is not much left to counter to give them point-to-point answers. So I'm going to say, बहुत संक्षेप में मैं तीन-चार चीजें कहूंगी। एक सदस्य कह रहे थे कि आदिकाल से गुरू पढ़ाता है। अलग से हम रखते थे। उनकी बात से मुझे याद आया कि निश्चित रूप से राजा के पुत्र को भी गुरू के पास में भेजा जाता था। इसके सर्वश्रेष्ठ दो उदाहरण मुझे याद आए कर्ण और अर्जुन। अर्जुन जिसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया गया और द्रोणाचार्य ने कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। एकलव्य को जिज्ञासा हुई कि वह धनुर्विधा में पारंगत कैसे हो? लेकिन वह गुरू सिर्फ राजा के पुत्र को शिक्षा देते थे। सामान्य परिवार से आने वालों को पढ़ाया नहीं करते थे तो गुरू की प्रतिमा लगाकर उसने किया। जिस दिन गुरू ने देखा कि नहीं इतनी आस्था के साथ इसमें यह कला है कि ये धनुर्विधा में पारंगत हो गया और मेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी तो गुरू दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। यह युग-युगांतर से आज तक कहा जाता है। इसलिए आदिकाल में भी फेवरेटिज्म का उदाहरण गुरू के द्वारा हमें मिलता है।

दूसरा उदाहरण जो मुझे याद आता है परशुराम जी, जिनके पास में

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कर्ण गये। उन्होंने अपने आपको छिपाया और कहा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। उनको लगा कि सूत पुत्र के नाम से मुझे शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक दिन उनकी गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, कोई कीड़ा काट गया। अत्यंत पीड़ा हुई लेकिन गुरू की नींद न टूट जाए इसलिए वह बैठे रहे। जब गुरू उठे और देखा तो भड़के, आप बैठे हैं आसन पर, most people when we discussed they say's, हमारा कान्फिडेंस डगमगा जाता है, जब आसन पर होते हैं, I feel the most comfortable when you're Chairing. और उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो ही नहीं सकते क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम विद्या देना जानते हैं लेकिन हम दर्द बर्दाश्त करना नहीं जानते। अगर तुम ब्राह्मण के पुत्र होते और तुम्हें कीड़ा काट जाता तो एक मिनट में उफ्फ करते। तुमने मेरे साथ छल किया है। उसने कहा कि मैं सूत पुत्र हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी विद्या तुम्हें सिखाई है, जब सर्वश्रेष्ठ उसकी जरूरत पड़ेगी तुम उस विद्या को भूल जाओगे। गुरू की हमने ये परिभाषा देखी।

आज जब हम बात कर रहे हैं कुलपतियों की योग्यता की, I think, Hon'ble Speaker, you're going to be most happy while reading the eligibility criteria, which says; "there has to be a distinguished academician", and you yourself have been an academician and so versatile as physics, psychology and law. I really don't know how did you managed to do it. "then years experience as a professor in the University or an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization." समकक्ष के ऊपर जब आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे तो समकक्ष की equivalency के अंदर जितने भी आर्गेनाइजेशन हैं, उसको व्याख्यात्मक रूप से नहीं लिखा, इसका अभिप्राय यह है।

दूसरी चीज जिस पर प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे थे, "highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment" आप कह रहे थे कि हम इनको कौनसे थर्मामीटर से नापेंगे। जब आप मोरल इंटीग्रिटी के ऊपर भ्रष्टाचार, नैतिकता से कम जिनका आकलन करके सैंट्रल लेवल के ऊपर जब आप अधिकारियों को कह रहे हैं कि वीआरएस ले लीजिए तो आप कौनसा थर्मामीटर लगाते हैं, वैसा थर्मामीटर हम भी लगाएंगे।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर पश्चिमी राजस्थान से आती हूं, जोधपुर से आती हूं। जयनारायण यूनिवर्सिटी, my Grandfather was a Deputy Education Minister, जब उन्होंने उस विश्वविद्यालय की 1961-62 में as a Deputy Education Minister नींव रखी थी।

माननीय मुख्य मंत्री भी बाद में दो दशक बाद उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। यहां पर पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे घोषणा पत्र में था कि हम भयमुक्त विश्वविद्यालय देंगे। हम हस्तक्षेप नहीं होने देंगे तो मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह देना चाहती हूं कि आपने सबसे ज्यादा राजनीतिकरण किया तो जोधपुर विश्वविद्यालय का किया। आपने सौतेला व्यवहार किया। छात्र संघ के चुनाव के अंदर आपके केन्द्रीय मंत्री रात को 12 बजे आकर, जब पूरी की पूरी रोड छात्रों से भरी हुई थी तो कुलपति को धमका कर जाते हैं, यह भयमुक्त का उदाहरण आप मत दीजिए। आपको शोभा नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देखती हूं कि यह बिल, इसके तीन आयाम हैं। पहला कुलपति की योग्यता, दूसरा कुलपति को हटाने की प्रक्रिया और तीसरा जो पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है वह प्राकृतिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख है। गवर्नमेंट कैसी, विजनरी कैसी होती है, हमने विद्यालयों की श्रृंखला लगाई। आप कह रहे थे एक होटल के रूम में चल रहा था, एक कमरे में चल रहा था, दो कमरे में चल रहा था, लेकिन हमारी नीति तो थी, हमारी नीयत तो थी कि हम लाएंगे, उसके बाद हम संसाधन भी देंगे, उसको बनाएंगे, उसको आगे फलीभूत करेंगे। रातों रात बीज लगते ही पेड़ नहीं लगता, उसको पालना पड़ता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने बंद कर दिया। आपने एकीकरण के नाम पर यह कहा कि बच्चे नहीं आते, लेकिन अगर आज 15 बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो हम as a welfare state, हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको संसाधन और एनवायर्नमेंट दें। आपने उसे बंद किया। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, which is our need, लेकिन एक नुकसान भी है। पूर्व में आए सदस्य, जो नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि हम कितनी प्रोफेसर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। आधी से ज्यादा न्यायालय में जाकर लम्बित हो जाती हैं। निश्चित रूप से यह अभाव हमें झेलना पड़ेगा, इसे हमें देखना पड़ेगा।

दूसरा, कुलपतियों को हटाने के संदर्भ में। विश्वविद्यालयों के राजनीतिकरण की आपने बात की, लेकिन जब राजनीतिक दबाव के अंदर कोई

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

काम हो तो उसके ऊपर हम किस तरीके से अंकुश लगा सकें। जो अभी पूर्व में कह रहे थे कि निरंकुश कैसे होने दें, हम सरकार हैं। मान लिया कि पहले गवर्नर के पास यह पावर होते थे, आप कहते हैं कि हम इनको कठपुतली बनाना चाहते हैं। नहीं, हम इसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं। संसदीय शासन में, व्यवस्था के अंदर जनता को हमें जवाब देना है। जनता हमसे प्रश्न पूछेगी। युवा पीढ़ी को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रही है, उसके लिए आप रात-दिन देखते हैं कि क्या घटनाएं होती हैं। अभी आपने देखा कि कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद सुर्खियों में छाए। हम किस तरीके का आवरण दे रहे हैं। पारदर्शी सरकार के रूप में अंकुश लगाने के लिए निःसंदेह यह जवाब हमें देना था और यह लाना था।

आखिर में, कुलपतियों की प्रक्रिया है, वह बिलकुल न्यायसंगत है। आपने कहा कि उसको निलम्बित करें। विशेषकर जब सरकारी उसमें जांच होती है तो हम निलम्बित करते हैं। कोई न्यायालय की आड़ लेकर बैठ जाता है, कोई किसी तरीके से हस्तक्षेप करता है, सिफ़ारिशें कराता है, तो मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से इसमें तुरंत प्रभाव से कार्यवाही होने का संशोधन भी हमें जोड़ना चाहिए।

आखिर में, मैं यही कहूंगी, यहां अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप तीन-चार महीने हैं, तीन-चार महीने बाद आप इधर आना चाहते हैं, यह आपकी सत्ता की लोलुपता, यह आपकी उचकावट दिख रही है कि आप कितना जल्दी यहां आकर बैठना चाहते हैं। यह आपकी नीति झलक रही है। किसी ने कहा कि यह कालचक्र है, कभी इधर, कभी इधर। कर्नाटक में क्या हुआ आपने देखा, लेकिन किस नीयत से हुआ यह तो सारे हिन्दुस्तान ने देखा।

अमूमन सर्दी के मौसम में सबको सर्दी ही लगती है, गर्मी के मौसम में सबको गर्मी ही लगती है, प्रकृति के हिसाब से होता है। लेकिन हां, कोई रोग ग्रस्त हो, तो हो सकता है कि सर्दी के मौसम में भी उसे पसीने छूट जाते हैं। मुझे लगता है राजस्थान की सात करोड़ के करीब जनता और इस सदन में, इस बिल से सबको खुशबू आ रही होगी, इत्र-सी खुशबू आ रही होगी। कोई रोगग्रस्त है तो उन्हें बदबू आ रही होगी। यह बिल इस बात का सूचक है कि पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त और कैसे उच्च शिक्षा और तकनीकी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

शिक्षा को भयमुक्त वातावरण में बनाएं, thank you so much for giving me time on this occasion.

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर। अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल चर्चा पर बोल लिया। अब तो जो खण्ड पर सुझाव हैं, वह ही मुझे देने हैं।

श्री अध्यक्ष: खण्ड पर तो हो गया। जनरल डिबेट है, आप जनरल बात बोल दो उसी पर।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जनरल तो मैं बोल लिया।

श्री अध्यक्ष: हां, जनरल बोल दो। खण्ड वाले को ही जनरल पर बोल दो, श्रीमान।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने तकनीकी विश्वविद्यालय में खण्ड में यह लिखा था, उसमें मैंने यह कहा था कि यह आपने संशोधन, समकक्ष पद लिखा है, इस समकक्ष पद की व्याख्या इस बिल में होनी चाहिए कि हम किसके समकक्ष मान रहे हैं। उसमें मैंने यह दिया था कि प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन का मतलब सीएसआईआर शोध संगठन, या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शोध संगठन, या राज्य सरकार द्वारा स्थापित शोध संगठन, या संसद विधान सभा द्वारा स्थापित शोध संगठन, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन, राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन, विधान सभा द्वारा स्थापित प्रशासनिक संगठन, यह इसमें स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि महाविद्यालय को कोई यूजीसी में नहीं माना है। इसलिए प्राइवेट शोध संस्थान या महाविद्यालय इसमें मान्य नहीं होगा। यह समकक्ष पद को इसमें खोलना चाहिए। मैंने कहा इस एक्ट में, हम इसलिए रिजेक्ट नहीं करें कि प्रतिपक्ष के किसी ने यह दिया है। इस एक्ट में यदि आज हम यह नहीं खोलेंगे तो कल इस समकक्ष को तुलना करने में हमें दिक्कत आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा यह कहा था कि जहां आपने लिखा है कि कुलपति को हम परामर्श करें। कुलपति हमारी परामर्श से करे। परामर्श की जगह क़ानूनन हम इसको सुझाव शब्द रखें, कि राज्य सरकार सुझाव दे और कुलपति उसका अपना निर्णय ले। इसके परामर्श के तो बहुत बाइडिंग्स हो जाएंगी। इसलिए मैंने यह कहा कि यहां पर यह एडवाइज ठीक रहेगा।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैंने यह कहा, आपने लिखा कि कुलपति को जांच समिति के माध्यम से हटाना चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि जांच समिति के माध्यम से यदि हमको हटाना है तो वह जांच समिति, आज जब हम बिल बना रहे हैं, तो हम डिफेक्टिव क्यों बनाएं। जांच समिति हमको इसमें स्पष्ट करनी चाहिए और उसका मैंने यह दिया है जो सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है। अभी माननीय मंत्री जी ने उस एक्ट का उल्लेख भी किया था। इसमें चार सदस्यों को, या तो यह जांच समिति, कोई कार्यरत या रिटायर्ड न्यायाधिपति हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का हो, उसकी अध्यक्षता में बने, चार या पांच सदस्य जो भी आप रखना चाहें। सदस्य के रूप में यूजीसी कमीशन का भी मैम्बर हो। आरपीएससी का भी मैम्बर हो। कोई रिटायर कुलपति भी हो। विश्वविद्यालय के किसी कुलपति को अपना पक्ष रखने का, अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा बैटर यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता, उसको अपना पक्ष रखने का wisdom मिले। इसके साथ विधान सभा इस एक्ट को पारित करे और विधान सभा में वह अपना पक्ष रख सके, यह इसमें जोड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अध्यापक और अधिकारी नियुक्ति का इसमें था, इसमें मैंने यह दिया था, कि इसमें हम जो अमैंडमेंट करना चाह रहे हैं, इस अमैंडमेंट में, पहला तो यह कि सैंट्रल एक्ट आया है इसमें एक लाइन जुड़नी चाहिए कि सैंट्रल एक्ट के बिना यह एक्ट ही आपका अधूरा है। यह एक्ट डिफेक्टिव हो जाएगा, जो मैंने कहा था। सैंट्रल एक्ट इसमें लागू रहेगा। यह सुओमोटो भी लागू है एक्ट में, हमको इसको खोलकर लिखना चाहिए। सैंट्रल एक्ट 10 जुलाई को गजट नोटिफाई भी हो गया, वह एक्ट की धाराएं और प्रावधान इसमें मान्य होंगे।

दूसरा आपने लिखा कि इसमें, मंत्री जी आपने जवाब में कहा कि इसमें एसबीसी आरक्षण के साथ-साथ, मेरा यह कहना है कि इस बिल में यह स्पष्ट करना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण और एसबीसी आरक्षण जो हमारा बचा है, वह इसमें शामिल रहेगा और इसी का मैंने यह संशोधन आपको दिया है। इसको आप देख लें, यही मेरा सुझाव है। इन तीनों को इनकोरपोरेट किए बिना अगर हम करेंगे तो भविष्य में सरकार किसी की भी रहे, यह दुबारा से अमैंडमेंट लाना पड़ेगा और सदन का एक दिन व्यर्थ होगा। इसलिए इसको आज ही जोड़ दिया जाना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, संक्षेप में कोई बात बोलनी है तो, बाकी...

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश तो पहले ही दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट। आपको बिल बनाने की प्रक्रिया समझने के लिए इंटरवीन कर रहा हूं। बिल बनाने की प्रक्रिया यह होती है कि जनमत के समय, वह जो आपके पाइंट हैं, उसी का जवाब देना है। डिस्कशन के बाद जब वाइंडअप होता है, तब आपको बात कहनी है। जो बात वाइंडअप के लिए बोलना है वह आप पहले बोल चुके हो। इसमें कोई एड करना हो तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद। विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसके संबंध में मैं दो-तीन बातें करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी माननीय सदस्य ने बोलते वक्त कहा था, कुलपति की जांच के लिए कमेटी और सबका जिक्र किया। लेकिन कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा कि 2006 में जब तत्कालीन सरकार द्वारा आरटीयू एक्ट लाया गया, उसमें यूजीसी की बहुत बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें बताना चाहूंगा कि क्या प्रोविजन किया गया, पहले जो एक्ट के प्रोविजन हुआ करते थे हमेशा यूजीसी का नोमिनी हुआ करता था। सरकार ने तब यूजीसी का नोमिनी हटा दिया, उसकी जगह क्या किया,

"a) one person nominated by the Board not being a person connected with the University;

b) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the Convener of the Committee;

and two persons nominated by the State Government."

अध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा की बात करना चाह रहा हूं। जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, जिस आटोनोमी की बात करते हैं, आपने जहां एक आदमी नोमिनेट होना चाहिए था, वहां दो किये, और हटाया किसको, यू.जी.सी. के नोमिनी को। 2013 में हमारी सरकार ने वापस इसको ठीक किया। यू.जी.सी. का नोमिनी जोड़ा, और गवर्नमेंट नोमिनी जो पहले दो आपने किये थे, उसको हटा करके एक किया। यह है हमारी पारदर्शिता वाली सरकार, संवेदनशीलता वाली सरकार।

(डा. सुभाष गर्ग)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें की गयीं, संस्थाओं की स्वायत्तता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता। मैं यू.पी.एस.सी. का उदाहरण ले रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। यू.पी.एस.सी. एक संवैधानिक संस्था है और जो स्टेट कैडर आबंटन किया जाता है, वह जो आवेदक होता है, उसकी स्टेट मैरिट के आधार पर, जो आल इंडिया मैरिट बनती है, उसके आधार पर स्टेट कोटे का या स्टेट कैडर का निर्धारण किया जाता है। अब सरकार क्या कर रही है, संशोधन ला रही है। उसमें यह तय करने जा रही है कि उस मैरिट के आधार पर नहीं होगा, जो यू.पी.एस.सी. के लोग तय करते हैं। कांस्टीट्यूशनल बाडी जो तय करती है, उसके आधार पर स्टेट कैडर का आबंटन नहीं किया जाएगा बल्कि एक फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक एग्जाम करा रहे हैं और उसके आधार पर जो रैंकिंग होगी, उसके आधार पर किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: Please be relevant. We have to be relevant. वह यू.पी.एस.सी. का है। अपना है इस यूनिवर्सिटी के अमैंडमेंट बिल के ऊपर बोलेंगे? (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): संस्था में स्वायत्तता की बात कर रहा हूं, फिर यू.जी.सी. की बात कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो हायर एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): तो उस यू.जी.सी. का रूसा आया। एक तरह से यू.जी.सी. को खतम कर दिया गया और यू.जी.सी. की सारी पावर्स एच.आर.डी. मिनिस्ट्री ने ले ली, जो ग्राण्ट देने का काम यू.जी.सी. किया करती थी, अब वह काम कर रही है कौन? मिनिस्ट्री आफ एच.आर.डी.।

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं, फिर अध्यक्षजी टोक देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ कहने को है। जिस सिस्टम की आप बात करते हैं। मैं इसलिये कहना चाह रहा हूं कि removal of Vice-Chancellor, रिमूवल आफ वाइस चांसलर, आटोनोमी की, पोलिटिकलाइजेशन की बात की गई है, तो जितना पोलिटिकलाइजेशन सिस्टम को आप लोगों ने किया है, संवैधानिक संस्थानों को खतम किया है, संवैधानिक संस्थानों में राजनीतिकरण किया

(डा. सुभाष गर्ग)

हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसका उदाहरण मैं दे सकता हूं और मैं उसका उल्लेख भी कर सकता हूं। जिस तरह से एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई। किस तरह से आपकी महिला नेत्रियों के बच्चे, किस तरह से सरसंघ कार्यवाहकों के बच्चों का रिक्रूटमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय और एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी में हुआ। मेरे पास उदाहरण है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक भी नहीं। आप बताइये। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बिलकुल, बिलकुल, आपने जिस तरह से राजीव गांधी स्टडी सर्किल का, आपने जिस तरह से राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): उसी तरह से मैं भी लूंगा कि संघ के लोगों पर जिस तरह से राजनीति के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय कालीचरणजी सराफ साहब, आप इधर देखते ही नहीं हैं। उधर बोल रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं, उधर देखकर बोलते हैं। अध्यक्ष किसके लिये है? आप कृपया देख कर बोला करें।

माननीय मंत्रीजी, Please wind up within two minutes. (व्यवधान) प्लीज, बहुत हो गया।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्लीज, हो गई बात।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं ऐसे गैर संवैधानिक संस्थानों का भी नाम लूं, जो पूरी तरह से सत्ता को और उसको हथियाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): लेकिन फिर भी अध्यक्ष के अनुशासन से मैं बंधा हुआ हूं। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि यह जो बिल लाया गया है। यह जो विधेयक लाया गया है, वह राज्य के हित में लाया गया है। वह विद्यार्थी देखता है, वह छात्र देखता है।

(डा. सुभाष गर्ग)

कैसे कुलपति बना दिये जाते हैं, जो आये दिन अनियमितताएं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिये यह बिल लाया जा रहा है कि अपाइंटमेंट का अधिकार भी अगर किसी संस्थान को है तो वह रिमूवल का अधिकार भी कुलाधिपति को दिया जा रहा है, चांसलर को दिया जा रहा है। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सरकार भी, अपनी रिपोर्ट्स कुलाधिपति को देगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, चाहे वह आपकी सरकार रही हो, चाहे आज हमारी सरकार है, लेकिन आपने जिन मोहनसिंह मेहताजी की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): उन मोहनसिंह मेहताजी के समय कोई सलैक्शन हुआ करते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी जबर्दस्त थी कि जो व्यक्ति पसंद आ गया, उसको विश्वविद्यालय में ले आते थे। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, कहीं आप भी हैं, कहीं हम भी होंगे। दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बिल राज्य के हित में है, विद्यार्थियों के हित में हैं, उच्च शिक्षा के हित में है। जिस तरह से इसका जो पोलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है, उसको खतम करने का प्रयास है। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री अशोक लाहोटीजी ने संशोधन वापस ले लिया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्रीजी, आप पारित का प्रस्ताव रखिये।

विधेयक का पारण

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधित प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी, पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.29 बजे शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त 2019 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

फलौदी में जी.एस.एस. की स्थापना

415. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2014 से 2018 तक विभिन्न श्रेणी के जीएसएस कहां-कहां एवं कब-कब स्वीकृत हुए तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? ग्रामवार, वर्षवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए 33 के.वी. जीएसएस का निर्माण किया जाना कहां-कहां आवश्यक है? क्या उक्त के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु सरकार को प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर मांग के अनुसार 33 के.वी. जीएसएस स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2014 से 2018 तक स्वीकृत हुए 33/11 केवी सब-स्टेशन, उनकी वर्तमान स्थिति एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2018 तक 132 केवी का एक ग्रिड सबस्टेशन बेंगटी कलां में दिनांक 08.07.2015 को स्वीकृत किया गया था, जिसे दिनांक 11.10.2018 को सुचारु रूप से चालू कर दिया गया।

उक्त ग्रिड सबस्टेशन पीपीपी माध्यम पर आधारित है, जिसका पूर्ण व्यय एवं संचालन अडानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्तमान में कृषि क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए रामपुरा (मोखेरी), डेडीसारा, छतराराडी नाडी, कानसिंह की सिड 33/11 केवी सब-स्टेशनों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माण करवाने हेतु फेज प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है व पदमेत नगर, आखली, खेतुसर, सांखलों की ढाणी में 33/11 केवी सब-स्टेशनों की तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता की जांच प्रक्रियाधीन है।

(ऊर्जा मंत्री)

तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि का बेचान

416. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर के वार्ड नम्बर-04, 05 व 26 अनन्तपुरा में बिना पट्टा आबंटन के कितने मकान बने हुए हैं तथा मकानों के अलावा कितने लोगों द्वारा 4 लेन के सहारे स्टोन क्रेशर तक हेंगिंग ब्रिज की तरफ किन-किन भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है व उक्त भूमि कितनी-कितनी किस-किस विभाग की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सरकारी भूमि को भू-माफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द कर बेचान कर दिया गया है?

(3) उक्त क्षेत्र में कब्जाधारियों को मकान बनाने का अधिकार किसने दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा शहर में नगर विकास न्यास की भूमि पर वार्ड नं. 4, 5 व 26 अनन्तपुरा में बिना पट्टा आबंटन के लगभग 700 मकान बने हुए हैं। 4 लेन के सहारे स्टोन क्रेशर तक हेंगिंग ब्रिज की तरफ वन विभाग के स्वामित्व की भूमि है, जिसकी जानकारी वन विभाग से ली जा सकती है।

इसके अतिरिक्त राजीव आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 में किये गये सर्वे में पाये गये 143 व्यक्तियों को कच्ची बस्ती नियमन के तहत अनन्तपुरा में पट्टे जारी किये गये। अनन्तपुरा के शेष व्यक्तियों के कब्जे डूब क्षेत्र में आने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये।

कोटा के वार्ड नं. 04 में राजस्व ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव, रोझडी, आंवली एवं आंशिक आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब शामिल है, जिसके अन्तर्गत नगर विकास न्यास, कोटा की 446.29 हैक्टेयर भूमि है। वन विभाग की 4848.16 हैक्टेयर, निजी खातेदारों की 261.93 हैक्टेयर व सिवायचक 66.23 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव में नगर विकास द्वारा विकसित कालोनी रानी लक्ष्मीबाई में कुल सृजित 201 भूखण्डों में से 135 भूखण्डों का आवंटन किया गया है, टैगोर नगर में सृजित 346 में से 315 भूखण्डों का आबंटन किया गया है, चाणक्यपुरी में सृजित 346 में से 312 भूखण्डों का आबंटन किया गया है, शैक्षणिक योजना में 6.40 हैक्टेयर भूमि में 5 बड़े भूखण्ड सृजित किये गये हैं, जिनका आबंटन किया जाना शेष है। इन 5 भूखण्डों में से 4 भूखण्डों में पूर्ण रूप से अवैध कब्जे हैं तथा 1 भूखण्ड में आंशिक अवैध कब्जा किया हुआ है। इसी प्रकार निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित एवं न्यास द्वारा अनुमोदित आवासीय कालोनियों यथा ज्ञान सरोवर में 142 पट्टे, महेश कालोनी में 82 पट्टे, आस्था विहार में 18 पट्टे जारी किये गये हैं।

ग्राम रोझडी में नगर विकास न्यास व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनी स्वामी विवेकानन्द नगर में सृजित 2837 भूखण्डों में से 2611 भूखण्डों का आबंटन किया गया है। न्यास द्वारा विकसित मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना में कुल सृजित 266 भूखण्डों में से 196 का आबंटन किया गया है।

ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब में नगर विकास न्यास की विकसित योजना विवेकानन्द नगर में कुल सृजित 2059 भूखण्ड में से 1820 भूखण्डों का आबंटन किया गया है।

ग्राम आंवली में नगर विकास न्यास द्वारा कोई आवासीय योजना विकसित नहीं है।

ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव, रोझडी, आंवली तीनों ग्रामों में लगभग 190 हैक्टेयर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होकर अवैध बस्ती बसी हुई है, जिसकी जानकारी वन विभाग से ली जा सकती है।

कोटा शहर के वार्ड नं. 5 में राजस्व ग्राम बंदा, धर्मपुरा, रथकांकरा, आंशिक रंगबाडी व आंशिक आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब शामिल है। इसमें नगर विकास न्यास कोटा के खाते की 906.92 हैक्टेयर भूमि है। वन विभाग के खाते की 4497.37 हैक्टेयर भूमि, निजी खातेदारी की 589.85 हैक्टेयर भूमि, सिवायचक 172.88 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है।

इनमें नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विकसित कालोनी गणेश नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

में कुल सृजित 758 भूखण्डों में से 712 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, मुकुन्दरा आवासीय योजना में कुल सृजित 840 भूखण्डों में से 583 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, विनोबाभावे नगर में कुल सृजित 2284 भूखण्डों में से 1748 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

इसके अलावा न्यास द्वारा इस वार्ड में गणेश उद्यान भी विकसित किया गया है। ग्राम रंगबाड़ी के वार्ड 5 में आने वाले भाग में अजय आहूजा नगर (वाम्बे योजना) में कुल सृजित 719 भूखण्डों में से 709 भूखण्ड न्यास द्वारा आबंटित किये गये हैं व अजय आहूजा नगर स्पेशल (उड़िया बस्ती) में कुल सृजित 721 भूखण्डों में से 610 भूखण्ड न्यास द्वारा आबंटित किये गये है।

ग्राम रथकांकरा में निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित एवं न्यास द्वारा अनुमोदित कालोनियों यथा नन्दनी नगर में 339 पट्टे व नन्दनी वैदिक में 237 पट्टे न्यास द्वारा जारी किये गये है।

ग्राम बंदा व धर्मपुरा में न्यास की कोई विकसित या अनुमोदित योजना नहीं है। उक्त दोनों ग्रामों में न्यास को स्थानान्तरित होने से पूर्व में पुरानी आबादी बसी हुई है।

कोटा के वार्ड नं. 26 में राजस्व ग्राम आनन्दपुरा का आंशिक भाग सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत अनन्तपुरा, राजपुत कालोनी, अमन कालोनी, सुभाष विहार एवं तालाब गांव बस्तियां सम्मिलित है। जिसमें नगर विकास न्यास की भूमि 58.80 हैक्टेयर भूमि, वन विभाग की 322.40 हैक्टेयर, सिवायचक 18.63 हैक्टेयर एवं निजी खातेदारी की 48.49 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है।

नगर विकास न्यास द्वारा विकसित कर्णेश्वर ग्रुप हाउसिंग के तहत कुल सृजित 62 भूखण्डों में से 13 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित एवं न्यास द्वारा अनुमोदित आवासीय कालोनी यथा पुष्पा विहार, सुभाष विहार, देवनगर आमिर कालोनियों में कुल 463 पट्टे जारी किये गये हैं।

4 लेन हाईवे के सहारे स्टोन क्रेशर तक हेंगिंग ब्रिज की तरफ दोनों ओर वन विभाग की भूमि है। वन विभाग की लगभग 49 हैक्टेयर भूमि पर अनन्तपुरा बस्ती एवं क्रेशर की पीछे अतिक्रमण कर अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, जिसकी जानकारी वन विभाग से ली जा सकती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) वन विभाग व राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना जब-जब भी नगर विकास न्यास को प्राप्त हुई है, उसे न्यास द्वारा समय-समय पर वन विभाग तथा तहसीलदार, लाडपुरा को अवगत कराया गया है, जिसकी जानकारी वन विभाग एवं तहसीलदार लाडपुरा से ली जा सकती है।

(3) वार्ड नं. 4, 5 व 26 अनन्तपुरा में नगर विकास न्यास की भूमि पर न्यास द्वारा विकसित योजनाओं में न्यास द्वारा आबंटन पत्र जारी किये गये हैं एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित एवं न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं में न्यास द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। न्यास की भूमि पर बसी अनन्तपुरा कच्ची बस्ती में नियमन कर कब्जेधारियों के मकानों पर 143 पट्टे न्यास द्वारा बांटे गये हैं।

शेष अतिक्रमित भूमि वन विभाग की है, जिस पर अवैध निर्माण है।

(4) न्यास की भूमि पर अतिक्रमण/खुर्द-बुर्द की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान

417. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को खेत में तारबंदी करवाने के लिए अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में तारबंदी पर अनुदान दिया जाता था व अब बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार तारबंदी पर पुन: अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में किसानों की फसलों को नीलगाय व आवारा पशुओं से बचाने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से नेशनल मिशन आन ऑयल सीड्स एण्ड आयल पाम (एनएमओओपी, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी

(कृषि मंत्री)

कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) के अन्तर्गत नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/ चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पैरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2017-18 से लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/ चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पैरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

अवैध बजरी खनन पर रोक

418. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध बजरी खनन का व्यापार रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में खान, पुलिस, राजस्व, वन एवं परिवहन विभाग के संयुक्त दल गठित किये गये हैं जिनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 07.06.2019 को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली गई तथा दिनांक 26.06.2019 को सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। सरकार द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध

(खान मंत्री)

कार्यवाही हेतु दिनांक 07.07.2019 से एक माह के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 से प्रदेश में नदी-नालों से बजरी खनन पर रोक के पश्चात् राज्य में दिनांक 17.07.2019 तक खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 23072 प्रकरण बनाये गये व शास्ति राशि रुपये 129.31 करोड़ वसूल की गई है। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 2126 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

गोगुन्दा में बायोमैट्रिक्स से राशन वितरण

419. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में राशन की दुकान पर बायोमैट्रिक से राशन दिया जा रहा है?

(2) क्या सरकार जिन राशन की दुकान को बायोमैट्रिक से नहीं जोड़ा गया है, उन दुकानों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गोगुंदा विधान सभा क्षेत्र में राशन की दुकानों को बायोमैट्रिक सत्यापन से राशन दिया जा रहा है। कुल 107 दुकानों में से केवल 15 उचित मूल्य दुकानों के क्षेत्र में नेटवर्क सुविधा के अभाव के कारण आफ लाइन वितरण किया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य में न्यून नेटवर्क वाली कुल स्वीकृत 103 दुकानों को समुचित नेटवर्क उपलब्ध होते ही बायोमैट्रिक सत्यापन से राशन वितरण की व्यवस्था शुरू करवा दी जाएगी।

शहीदों के परिजनों को देय सहायता

420. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सैनिकों को शहीद का दर्जा देने हेतु क्या नियम निर्धारित हैं तथा शहीदों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता किस रूप में दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम गुढ़ा तहसील रूपनगढ़ निवासी ओमप्रकाश गुर्जर मार्च, 2019 में मुठभेड़ में शहीद हुए थे? यदि हां, तो कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शहीद के रूप में दी जाने वाली सम्पूर्ण सहायता उक्त के परिजनों को दे दी गई है? यदि हां, तो क्या-क्या सहायता कब-कब दी गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ा का नामकरण उक्त शहीद के नाम पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सैनिकों को (Battle casualty) शहीद का दर्जा संबंधित सेना मुख्यालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा शहीदों को दी जाने वाली सहायता का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्व. हव. ओम प्रकाश गुर्जर Coprs Battle School भालरा जम्मू और कश्मीर में फायरिंग अभ्यास के दौरान अचानक गिर जाने से बेहोश हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसे सेना भवन, नई दिल्ली के संदेश दिनांक 2 मई, 2018 के तहत फिजिकल कैजुअल्टी की श्रेणी में माना गया है। विभाग द्वारा सेना मुख्यालय, नई दिल्ली एवं कर्नल आफ राजपूत रेजीमेंट को बैटल कैजुअल्टी के संबंध में लिखा गया है। परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बैटल कैजुअल्टी घोषित होने पर नियमानुसार सहायता दी जायेगी।

(4) जी नहीं। बैटल कैजुअल्टी घोषित होने पर नियमानुसार शिक्षा विभाग की नीति के तहत विद्यालय नामकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

421. **श्री बलवान पूनियां** (भादरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शिक्षकों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

शिक्षा विभाग अन्तर्गत समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्थानान्तरण किये जाते हैं।

शेरगढ़ में सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत

422. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने, मिसिंग लिंक सड़कें, सड़कों का नवीनीकरण, क्लस्टर सड़क निर्माण, धार्मिक स्थल को सड़क से जोड़ने हेतु मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2014 से 31 मई, 2019 तक नवीन सड़क निर्माण, क्लस्टर सड़क निर्माण, मिसिंग लिंक सड़क निर्माण, धार्मिक सड़क निर्माण, नवीनीकरण सड़क निर्माण, पेचवर्क व मरम्मत आदि कार्यों पर कहां-कहां, कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों, नवीनीकरण सड़कों, मिसिंग लिंक, धार्मिक सड़कों के क्या-क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक सड़क, ग्रामीण गौरव पथ, नवीनीकरण सड़क निर्माण हेतु क्या-क्या कार्य स्वीकृत हैं? स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विचाराधीन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्लस्टर सड़क निर्माण एवं सड़कों के नवीनीकरण हेतु सड़क की श्रेणी अनुसार मापदण्ड निर्धारित हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2014 से अब तक स्वीकृत नवीन

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क निर्माण, क्लस्टर सड़क निर्माण, मिसिंग लिंक सड़क निर्माण, धार्मिक सड़क निर्माण, नवीनीकरण सड़क कार्य, पेचवर्क व मरम्मत कार्यों का क्रमशः वर्षवार स्वीकृत राशि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नवीन सड़कों, नवीनीकरण कार्य, मिसिंग लिंक, धार्मिक सड़कों हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में मापदण्ड एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक सड़क, ग्रामीण गौरव पथ, नवीनीकरण सड़क कार्य हेतु स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संगरिया में अवैध सट्टा पर्ची का कारोबार

423. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पुलिस की मिलीभगत से सट्टा लगाने वाले का सट्टा पर्ची का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पुलिस की मिलीभगत से सट्टा लगाने वाले का सट्टा पर्ची का कारोबार करने की किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पर्ची सट्टा की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र संगरिया में गत 7 माह में दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से 30 जून, 2019 तक कुल 80 प्रकरण दर्ज कर 80 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाकर 80 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरा पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल/सवाई माधोपुर/नादौती पेयजल योजनान्तर्गत लाभान्वित गांव

424. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या चम्बल, सवाई माधोपुर, नादौती पेयजल योजना कब स्वीकृत हुई और कब पूर्ण हुई थी? योजना से कितने शहर और गावों को लाभान्वित किया जाना था? क्या लक्ष्य के अनुसार निर्धारित सभी शहरों और गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा अब तक कम्पनी को कितना भुगतान किस मद में किया जा चुका है? क्या कम्पनी द्वारा उक्त पेयजल योजना को पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त योजना को पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कम्पनी/संवेदक द्वारा उक्त योजना को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पेयजल योजना के बीच-बीच में जिन गांवों को छोड़ दिया गया है। क्या सरकार उनमें योजनान्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सतही जल स्रोत चम्बल नदी (मण्डरायल) से चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर, 2004 में राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की हुई थी।

उक्त पेयजल परियोजना में सवाईमाधोपुर व करौली शहरों की पूर्ण जल मांग, टोडाभीम व गंगापुर कस्बों की 50 प्रतिशत जल मांग तथा सवाईमाधोपुर व करौली जिले के क्रमशः 416 एवं 510, कुल 926 ग्रामों की जल मांग सम्मिलित करते हुए सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के क्रमशः 252 एवं 384, कुल 636 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान लिया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 567.00 करोड़ की दिनांक 19.09.2013 को जारी की हुई थी। इस स्वीकृति में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के साथ-साथ सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों (तहसील नादौती, करौली व गंगापुर सिटी के क्रमश: 63, 15 एवं 31 ग्राम) को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया था।

उक्त स्वीकृति के समस्त कार्यों को दो पैकेजों क्रमश: आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के पैकेज प्रथम एवं उक्त 109 ग्रामों की क्लस्टर वितरण प्रणाली के पैकेज द्वितीय में विभक्त कर इन दोनों पैकेजों के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के कार्यों में अत्यधिक विलम्ब हो जाने के कारण अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था द्वारा उक्त परियोजना के द्वितीय पैकेज के 109 ग्रामों को तथा आंशिक रूप से करौली, गंगापुरसिटी एवं नादौती कस्बों को 16 एम.एल.डी. (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 737वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 द्वारा राशि रुपये 269.00 लाख की जारी की गई।

उक्त अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था की स्वीकृत योजना पूर्ण की जाकर माह अगस्त, 2018 से करौली शहर, गंगापुरसिटी एवं नादौती को कुल उपलब्ध हो रहे 16 एम.एल.डी. जल की मात्रा में से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पैकेज द्वितीय के अंतर्गत 109 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है तथा इसके अंतर्गत कोई ग्राम अब तक लाभान्वित नहीं हुआ है।

(2) चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना पर विभिन्न मदों में कुल राशि रुपये 397.02 करोड़ का व्यय माह जून, 2019 तक हुआ है। इस व्यय के विरुद्ध परियोजना के पैकेज प्रथम एवं पैकेज द्वितीय तथा इसके अतिरिक्त अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था के कार्यों के अंतर्गत विभाग द्वारा संबंधित अनुबंधक फर्म को कुल राशि रुपये 365.45 करोड़ का भुगतान किया गया है। व्यय/भुगतान संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के पैकेज प्रथम का 70 प्रतिशत तथा 109 ग्रामों की क्लस्टर वितरण प्रणाली के पैकेज द्वितीय का 55 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण हुआ है तथा इन पैकेजों के शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। वर्तमान आंकलन के अनुसार उक्त पैकेजों के कार्य माह जून, 2020 तक पूर्ण करने प्रस्तावित हैं। अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था की योजना पूर्ण की जा चुकी है।

(3) अनुबन्ध के प्रावधानों के तहत अनुबंधक फर्म द्वारा तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने एवं निर्धारित प्रोरेटा प्रगति नहीं बनाये रखने के कारण, परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत राशि रुपये 11.30 करोड़ एवं द्वितीय पैकेज के अंतर्गत रुपये 13.33 करोड़ तथा अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था की पूर्ण की गई योजना अंतर्गत रुपये 2.35 लाख की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म की रोकी गई है।

(4) चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना की राशि रुपये 567.00 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के साथ-साथ सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों (तहसील नादौती, करौली व गंगापुरसिटी के क्रमश: 63, 15 एवं 31 ग्राम) को उक्तानुसार क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान सम्मिलित किया जाकर इन पैकेजों के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के शेष 527 (636-109) ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित किये जाने के प्रस्तावों की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू नगरपालिका क्षेत्र में बंदरों की धरपकड़

425. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जून, 2019 में नगरपालिका चाकसू, जयपुर में बंदरों की धरपकड़ की गई थी? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा कितने बंदरों को पकड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका के कर्मियों व ठेका कर्मियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रकरण दर्ज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या क्रूरता से बंदरों को पकड़कर बोरियों में बंद करने की कोई शिकायत उपखण्ड अधिकारी को भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका चाकसू द्वारा दिनांक 26.04.2019 को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई, जिनमें तीन फर्मों ने निविदा में भाग लिया। मैसर्स जावेद पुत्र अयूब, पावर टेन स्पोर्ट्स पैगांव रोड, जिला मथुरा को दिनांक 03.05.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिये बन्दर पकडने का कार्यादेश दिनांक 08.05.2019 जारी किया गया। ठेकेदार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में 40 बन्दर पकड़े गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट 320 दिनांक 08.06.2019 पुलिस थाना चाकसू में दर्ज की गई जिसमें नगरपालिका अधिकारी/कर्मचारियों एवं संवेदक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मीडिया के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, चाकसू को प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। वर्तमान में प्रकरण पुलिस थाना चाकसू में कार्यवाही जैरकार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में खरीफ की फसलों का बीमा

426. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2018 में खरीफ की फसलों का बीमा प्रदेश में नियमानुसार किसानों से प्रीमियम लेकर किया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में वर्ष 2018 में खरीफ की फसल बीमा में कौन-कौनसी फसलों को सम्मिलित किया गया, किस फसल का कितना प्रीमियम किसानों से लिया गया, कौनसी कम्पनी द्वारा बीमा किया गया, जिले में कितनी राशि प्रीमियम के रूप में वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(3) क्या यह भी सही है कि खरीफ वर्ष 2018 की बीमित फसलों के फसल खराब होने पर फसली बीमा अभी तक बाड़मेर जिले के किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? उक्त फसलों का बीमा का भुगतान किसानों को कब तक मिलेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में खरीफ 2018 में बाजरा, मूंग, ज्वार, ग्वार, मोठ, तिल एवं मूंगफली फसलों का बीमा किया गया। मूंग का 68.54 लाख, मूंगफली का 0.76 लाख, ग्वार का 805.43 लाख, मोठ का 139.29 लाख, बाजरे का 1057.91 लाख, तिल का 6.76 लाख व ज्वार का 1.72 लाख रुपये एवं कुल 2080.41 लाख रुपये कृषक प्रीमियम लिया गया। उक्त फसल मौसम में बाड़मेर जिले में टाटा एआईजी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा फसल बीमा का कार्य किया गया है।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले में खरीफ 2018 में अधिसूचित बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के औसत उपज समंकों को विवादित मानते हुए तकनीकी सलाहकार समिति भारत सरकार के समक्ष अपील की गई थी। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिया गया निर्णय कृषक हित में नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने पुनर्विचार हेतु उक्त प्रकरण को तकनीकी सलाहकार समिति भारत सरकार को भेजा है। पुनर्विचार के निर्णय के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बीमा कम्पनी द्वारा निष्फल/बाधित बुवाई अन्तर्गत चौहटन तहसील में 273 किसानों को 27.39 लाख रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है।

राजसमन्द जिले में डीएमएफटी द्वारा विकास एवं कल्याण कार्य

427. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डी एम एफ टी) के अंतर्गत राजसमंद जिले में अभी तक स्थापना के बाद प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा हुई है एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का गठन किस प्रकार किया जा रहा है? क्या न्यास गठन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है? परिवर्तित प्रावधानों में न्यास की संरचना किस प्रकार की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विकास एवं कल्याण कार्यों में न्यास ही स्वीकृति देने में सक्षम है अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है? कार्यों की स्वीकृति संबंधी प्रावधान क्या है एवं इनमें न्यास स्थापना के बाद कब एवं क्या परिवर्तन किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डी.एम.एफ.टी.) के अन्तर्गत राजसमन्द जिले में न्यास की स्थापना दिनांक 09.06.2016 के पश्चात् दिनांक 30.06.2019 तक प्रतिवर्ष संग्रहित एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जमा राशि (करोड़ों में)**	**व्यय की गई राशि (करोड़ों में)**
1	2016-17	134.18	0.00
2	2017-18	206.89	40.14
3	2018-19	269.00	110.38
4	2019-20	42.10	0.00

(2) सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का गठन एम.एम.डी.आर. (संशोधन) एक्ट, 2015 की धारा 9बी(1) व 15(4) तथा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 के नियम 5 के अन्तर्गत मय गवर्निंग काउंसिल व मैनेजिंग कमेटी के किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2018 से न्यास की गवर्निंग काउंसिल में लोक सभा सदस्य को न्यासी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उप निदेशक कृषि, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक), अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, प्रतिनिधि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला श्रम कल्याण अधिकारी व उप निदेशक समेकित बाल विकास परियोजना को

(खान मंत्री)

सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 से न्यास की गवर्निंग काउंसिल में अध्यक्ष जिला प्रमुख के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विकास एवं कल्याण कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्तावों को न्यास की गवर्निंग काउन्सिल के अनुमोदन पश्चात् स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में 1 करोड़ रुपये तक की लागत के प्रस्ताव गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर तथा 1 करोड़ से अधिक की राशि के प्रस्ताव राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन पश्चात् स्वीकृत किये जाते थे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2018 से 2 करोड़ रुपये तक की लागत के प्रस्ताव गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर तथा 2 करोड़ से अधिक की राशि के प्रस्ताव राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन पश्चात् स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 से राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव के स्थान पर खान मंत्री को बनाया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य खाद्य निगम में व्याप्त अनियमितताएं

428. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जनवरी-2015 से नवम्बर-2018 तक अनियमितताओं के कितने प्रकरण सामने आये? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों से निगम को कुल कितनी हानि हुई?

(3) सरकार द्वारा अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निगम द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस अवधि में अनियमितताओं संबंधी कुल 8 प्रकरण निगम के सामने आये हैं।

(खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

इनमें से वैधानिक अंकेक्षण द्‌वारा वर्ष 2016-17 के वैधानिक अंकेक्षण के दौरान अनियमितता संबंधी निम्न सात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं:-

1. परिनिर्धारित क्षति राशि विलम्बित आपूर्ति अवधि को अवैध रूप से नियमित कर तथा निष्पादन प्रतिभूति की राशि बिना सक्षम प्राधिकारिता के लौटाये जाने संबंधी अनियमितता रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018;
2. भारत सरकार से चीनी अनुदान राशि तत्सबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018;
3. राजस्थान सरकार से देय अनुदान राशि से अधिक राशि चीनी अनुदान के रूप में प्राप्त किये जाने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018;
4. सक्षम प्राधिकारिता के बिना निगम में नियुक्त प्रोफेशनल्स को अनियमित भुगतान किये जाने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018;
5. मंत्री एवं उनके स्टाफ द्‌वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018;
6. निगम के अध्यक्ष द्‌वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018; तथा
7. निगम के प्रबंध निदेशक द्‌वारा उपयोग की गई कार के लिए अनियमित रूप से भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018.

   प्रकरण संख्या 1 में प्राथमिक जांच किये जाने के उपरान्त प्रथम दृष्टया तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) एवं प्रबन्ध निदेशक द्‌वारा परिनिर्धारित क्षति राशि एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि लौटाने में अनियमितता कारित किया जाना पाया गया।

   प्रकरण संख्या 2 के संबंध में प्रथम दृष्टया तत्कालीन प्रबन्धक (चीनी) द्‌वारा भारत सरकार से जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की अनियमितता किया जाना पाया गया है।

   क्रम संख्या 4 पर वर्णित प्रकरण में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किये जाने की अनियमितता तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) द्‌वारा किया जाना पाया गया।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

प्रकरण संख्या 3, 5 व 6 में निगम संचालक मण्डल द्वारा अनियमितता कारित होना नहीं माना गया।

प्रकरण संख्या 7 में प्राथमिक जांच हेतु कमेटी गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

8 मैसर्स आरएस बजाज टी कम्पनी द्वारा निगम व फर्म के मध्य निष्पादित अनुबन्ध पत्र की शर्तों में हेरा-फेरी किये जाने संबंधी अनियमितता प्रकरण।

(2) प्रकरण संख्या 1 के संबंध में राशि रुपये 10,98,79,463.00 की हानि हेतु संबंधितों को आरोपित किया गया है। प्रकरण संख्या 8 में निगम की फर्म के विरुद्ध मूल रुपये 1,00,81,464.00 की वसूली है। उक्त राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज राशि भी वसूलनीय है। उक्त फर्म के विरुद्ध वसूली राशि के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एवं आर्बिट्रेशन में विचाराधीन है।

(3) प्रकरण संख्या 1 के संबंध में तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही वित्त विभाग को प्रस्तावित की गई तथा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। इस संबंध मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 429 दिनांक 20.07.2018 पुलिस थाना, बजाज नगर, जयपुर में दर्ज करवाई हुई है।

प्रकरण संख्या 2 के संबंध में तत्कालीन प्रबन्धक (चीनी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रकरण संख्या 4 के संबंध में तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रकरण संख्या 8 में अनियमितता के दोषी तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (विपणन) तथा सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता के लिए महाप्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध प्रेषित विभागीय जांच में शीघ्र निस्तारण बाबत शासन सचिव (खाद्य) द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र लिखा गया है एवं दर्ज प्राथमिकी के शीघ्र निस्तारण हेतु शासन सचिव (खाद्य) द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखा गया है।

(4) इस संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हेतु विस्तृत निर्देश दिनांक 28.09.2018 को जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट-1 पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

संलग्न है। निगम में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ठोस एवं प्रभावी योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत शासन सचिव एवं अध्यक्ष की अध्यक्षता में विस्तृत दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 11903-52 दिनांक 29.10.2018 द्वारा जारी किये गये। उक्त दिशा-निर्देश परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर के सीकरी से बसों का संचालन

429. श्री वाजिब अली (नगर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की उप तहसील सीकरी के बस स्टैण्ड से वर्तमान में कितनी बसें भरतपुर, अलवर, जयपुर व दिल्ली हेतु संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या सरकार सीकरी बस स्टैण्ड से पूर्व में संचालित बसों को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी के बस स्टैण्ड पर व्याप्त अतिक्रमण व गंदगी के ढेर को हटाकर पुन: सुचारु रूप से बस स्टैण्ड चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की उप तहसील सीकरी से संचालित राजस्थान परिवहन निगम बसों की समय सारणी परिशिष्ट "I" पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में सीकरी की किसी भी निगम वाहन सेवा का संचालन बन्द नहीं किया गया है।

(3) सीकरी कस्बे में निगम के स्वामित्व का कोई बस स्टैण्ड नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्वामित्व के सीकरी बस स्टैण्ड की उक्त भूमि पर पेयजल हेतु आर.ओ. प्लांट बना हुआ है तथा बस स्टैण्ड में पूर्व में एक मकान बना हुआ था जो सड़क के किनारे होने के कारण सड़क चौड़ाईकरण की प्रक्रिया के तहत तोड़ दिया गया था। उक्त भवन का मलबा मौके पर पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर आर.ओ. प्लांट स्थित होने के कारण वर्तमान में बस स्टैण्ड का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

(परिवहन मंत्री)

यदि ग्राम पंचायत/माननीय विधायक महोदय अपने संसाधन/विधायक निधि से बस स्टैण्ड बनाकर देते हैं तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैण्ड पर सवारी उतारना/चढ़ाना प्रारम्भ कर देगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिड-डे मील योजनान्तर्गत गुणवत्ता का निरीक्षण

430. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में मिड-डे मील योजना पर कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किया जाना प्रस्तावित है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लिए पकाये गये भोजन की गुणवत्ता का किस स्तर पर निरीक्षण किया जाता है? क्या पकाये गये भोजन का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो किस स्तर के निरीक्षक द्वारा किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मिड-डे मील में घटिया सामग्री, आधा कच्चा पक्का भोजन एवं अन्य अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन शिकायतों की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमितता के लिए कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? अप्रैल, 2018 से मई, 2019 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिड-डे मील योजनान्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 78513.71 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) मिड-डे मील योजनान्तर्गत पकाये जा रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रतिदिन किया जाता है एवं पकाये गये भोजन का आकस्मिक निरीक्षण एस.एम.सी. सदस्य, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा चखकर गुणवत्ता की जांच की जाती है। वर्ष में दो बार सघन निरीक्षण भी करवाया जाता है जिसमें समस्त जिला एवं ब्लाक स्तरीय विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

कर तथा लैब से जांच करवाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

(3) मिड-डे मील में बूंदी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महुआ का देवजी, पंचायत समिति के. पाटन के विरुद्ध पोषाहार सामग्री व दूध को घर ले जाने व फल वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी से कराई गयी (परिशिष्ट-ख पर जांच रिपोर्ट संलग्न)। घटिया सामग्री, आधा कच्चा पक्का भोजन प्राप्त होने की किसी जिले से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) श्री रामकरण, प्र. अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय,महुआ का देवजी, पंचायत समिति के. पाटन के विरुद्ध 17 सी.सी.ए. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट (पाली) में प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थी

431. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो गया किन्तु उन्हें कितने समय से किन-किन कारणों से कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति का किस-किस स्तर का कार्य निर्माणाधीन है एवं इन्हें किस-किस स्तर की राशि किन-किन कारणों से, कितने-कितने समय से नहीं दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त योजना में पंचायत समिति के खाते में कितनी राशि शेष है? 01 जनवरी, 2019 के बाद किस-किस लाभार्थी को कौन-कौनसी किश्त व कितनी-कितनी राशि का, कब-कब भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों की लाभार्थी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दिये जाने के बाद भी किश्त की राशि का भुगतान किये जाने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है एवं सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 80 गांवों में कुल 1687 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 1611 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थीवार भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है। लाभार्थी को आवास स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त, दासा स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने पर, द्वितीय किश्त व छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरांत तृतीय किश्त का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

उक्तानुसार 76 आवास निर्माणाधीन हैं जिनमें 22 आवासों को प्रथम किश्त राशि व 54 लाभार्थियों को प्रथम व द्वितीय किश्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। कारण सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर संचालित स्टेट नोडल खाते से पंचायत समिति स्तर से आवास साफ्ट द्वारा PFMS के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर कर आनलाइन लाभार्थी के खाते में राशि हस्तान्तरित की जाती है। 1 जनवरी, 2019 के बाद से भुगतान की गई राशि का लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। योजनान्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है। प्रथम किश्त स्वीकृति के साथ एवं निर्धारित स्तर दासा स्तर तक आवास निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त व छत स्तर तक का कार्य पूर्ण होने के उपरांत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाता है।

योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि में लाभार्थी द्वारा आवास पूर्ण नहीं करने पर आवास साफ्ट पर स्वत: ही भुगतान रोक दिया जाता है। उक्त संबध में जिन लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त दी जा चुकी है एवं निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं कराया जाता है, उनकी पूर्ण करने की अवधि 90 दिन, 60 दिन व 30 दिन जिला स्तर से आवास साफ्ट पर बढ़ाई जा सकती है। इसके उपरांत भी लाभार्थी द्वारा आवास पूर्ण नहीं करने पर राज्य स्तर से अतिरिक्त 10 दिन की अवधि अंतिम बार बढ़ाये जाने का आवास साफ्ट पर प्रावधान है। भुगतान में विलम्ब का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर/इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में प्रदूषक तत्वों की रोकथाम की कार्य योजना

432. श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गंगनहर एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब से राजस्थान के हिस्से में आने वाले पानी में कल-कारखानों से निकलने वाले रसायन, अपशिष्ट एवं सीवरेज का पानी डालने से प्रदूषित हो रहा है, जिससे नहरी क्षेत्र के जिलों में कैंसर व अन्य घातक बीमारियां फैल रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नहरों के पानी में पंजाब द्वारा डाले जा रहे घातक एवं प्रदूषक तत्वों को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंजाब क्षेत्र में लगातार कारखानों/फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी/अपशिष्ट सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो दूषित पानी अन्तत: हरिके पर प्राप्त होता है। यहां से यह पानी बीकानेर कैनाल एवं इंदिरा गांधी नहर फीडर में प्रवाहित होता है। नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले पानी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्रीटमेंट उपरांत पेयजल हेतु उपलब्ध करवाया जाता है।

पंजाब क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी को प्रवाहित होने से रुकवाने के संबंध में लगातार प्रयास किये गये/किये जा रहे हैं। शासन सचिव, जल संसाधन ने पत्र दिनांक 08.02.19 व 12.04.19 को तथा मुख्य सचिव, राज. सरकार ने पत्र दिनांक 01.04.19 को पोल्यूटेड वाटर रुकवाने जाने के संबंध में पंजाब सरकार से आग्रह किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने पत्र दिनांक 16.04.19 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री पंजाब से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु एवं राजस्थान को स्वच्छ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है तथा दिनांक 25.07.19 को चंडीगढ़ में स्वयं पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा कर पंजाब को शीघ्र समाधान करने हेतु आग्रह किया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किसानों की मृत्यु पर सहायता राशि का प्रावधान

500. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु या घायल हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि दिए जाने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो संबंधित प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक सहायता राशि हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? तथा कितने-कितने व्यक्तियों को सहायता राशि दी गई तथा कितनों को सहायता राशि दिया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में शेष रहे व्यक्तियों को अब कब तक सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, 2009 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2018 तक सहायता राशि हेतु 57 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 50 आवेदकों को सहायता प्रदान कर दी गई है। 7 प्रकरण योजनान्तर्गत कवर नहीं होने के कारण निरस्त कर दिये गये तथा उक्त अवधि में प्राप्त कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2014 से दिसम्बर 2018 तक प्राप्त प्रकरणों में से कोई प्रकरण शेष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा पुलिस थाना में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

501. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पुलिस थाना नोखा (बीकानेर) में दर्ज मुकदमा सं. 117/18 धारा 376 (2जी) में पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं,

(श्री गोविन्द राम)

तो क्या सरकार उक्त मुकदमे में पुन: जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस थाना जयनारायण व्यास कालोनी बीकानेर में मुकदमा नं. 78/18 धारा 341, 323, 382, 143 में कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये? क्या सरकार शेष रहें मुल्जिमों को पकड़वाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस थाना, नोखा जिला बीकानेर में मुकदमा नं. 226/18 धारा 302 में कितने मुल्जिम पुलिस ने माने हैं तथा 173(8) में शेष रहे मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है?

(4) उक्त तीनों मुकदमों में किन-किन पुलिस अधिकारियों की क्या-क्या भूमिका रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में दर्ज मुकदमा नम्बर 117/16.03.18 धारा 376 (2)(जी) भा.द.सं. पुलिस थाना नोखा में बाद अनुसंधान एफ आर नम्बर 167/30.04.18 अदम वकू (झूठ) में पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के आदेश से दिनांक 12.11.2018 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. नोखा में पेश की गई।

प्रकरण हाजा में निष्पक्ष अनुसंधान किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा मुल्जिमों को बचाने की किसी भी प्रकार की कोशिश की जाने की जानकारी नहीं मिली है।

(2) बीकानेर जिले में मुकदमा नं. 78/18 धारा 341, 323, 382, 143 (4) भा.द.सं. पुलिस थाना जयनारायण व्यास कालोनी में बाद अनुसंधान एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया गया व 5 अन्य मुल्जिम गिरफ्तार किये गये हैं। पुलिस ने उपरोक्त मुल्जिमान से कुल 1,89,675 रुपये नगद व 2,40,000 रुपये से खरीदी गई बोलेरो गाड़ी बरामद की है। अनुसंधान में अभियुक्तगण ने डकैती की शेष राशि खर्च होना बताया। प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी व बरामदगी शेष नहीं है।

(3) बीकानेर जिले में मुकदमा नं. 226/18 धारा 302, 201, 120(बी) भा.द.सं. पुलिस थाना नोखा में बाद अनुसंधान एक मुल्जिम के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानते हुए चालान पेश न्यायालय किया गया व बाद में 173(8)

(गृह मंत्री)

द.प्र.सं. में एक अन्य मुल्जिम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए पूर्ण चार्जशीट के आदेश पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा किये जा चुके हैं।

तीनों प्रकरणों के अनुसंधान अधिकारियों का चार्ट परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) उक्त तीनों प्रकरण एक ही महिला पीड़िता ने दर्ज करवाये। परिवादिया द्वारा दर्ज करवाये गये तीनों प्रकरणों में अनुसंधान गम्भीरता से किया गया था व प्रकरण में बरामदगी का गम्भीर प्रयास किया गया था। तीनों प्रकरणों में रहे अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किसी भी राजनैतिक दबाव में न आकर निष्पक्ष अनुसंधान किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित योजना

502. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं तथा कार्य वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु राजस्थान सरकार को दी गई तथा प्राप्त राशि में से कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित एवं संचालित की जा रही हैं जिनके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना

   परियोजना के अन्तर्गत समन्वित प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल परिस्थितियों (सतही, भूमिगत व संग्रहित जल) को केन्द्र में रखते हुए कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि से जुड़े परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु वर्षा जल का संचय, भू-जल का रिचार्ज, नहरों की सिंचाई क्षमता बढ़ाते हुए कृषि, उद्यान एवं पशुपालन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए चयनित फसलों में मूल्य संवर्द्धन के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके तथा किसानों द्वारा कम पानी उपयोग

(वित्त मंत्री)

करने के एवज में प्रति इकाई जल उपयोग से कृषकों को होने वाली आय में वृद्धि से किसानों की सहायता करना आदि के कार्य किये जा रहे हैं।

2. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना;

   परियोजना के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर नियोजन और बजट निष्पादन में योगदान एवं राजस्व प्रणालियों और क्षमता को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है।

3. द्वितीय प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म डवलपमेंट पोलिसी लोन फोर राजस्थान;

   वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत द्वितीय प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म डवलपमेंट पोलिसी लोन फोर राजस्थान प्रोग्रामेटिक आपरेशन के तहत सभी कार्यक्रम के लिए 24x7 ऊर्जा के तहत राजस्थान में वितरण क्षेत्र के बदलाव के लिए राजस्थान सरकार की सहायता करेगा। यह प्रथम आपरेशन क्षेत्र के शासन में सुधार के लिए विधायीकरण और संस्थागत सुधार की नींव रखने एवं क्षेत्र के वित्तीय पुनर्गठन का समर्थन और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:-

   1. राजस्थान विद्युत वितरण क्षेत्र में विद्युत तंत्र को मजबूत करना।
   2. वित्तीय पुनर्गठन एवं वसूली।
   3. वितरण निगमों में परिचालन प्रदर्शन में सुधार।

(2) राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं में पहले राज्य मद में राशि का प्रावधान कर पहले व्यय किया जाता है, उसके उपरान्त वर्ल्ड बैंक के हिस्से की राशि का पुर्नभरण प्राप्त होता है।

वर्ल्ड बैंक द्वारा विगत पांच वर्षो में अर्थात् 2014-15 से 2018-19 तक जो परियोजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं उनमें प्राप्त राशि व व्यय राशि व कार्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुराने हथियारों के लाइसेंसों का नवीनीकरण

503. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(1) वर्ष 2013 से 2019 तक प्रदेश में कुल कितने हथियारों के नवीन लाइसेंस बनाए गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नवीन लाइसेंस बनाने व पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण में कितना समय लगता है? क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में वर्ष 2018 में नवीनीकरण के फार्म जमा करवाये गये थे उनका अब तक नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे तथा अब कब तक नवीनीकरण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2013 से 2019 तक जारी नवीन हथियार लाइसेंसों की कुल संख्या 3978 है, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आयुध नियम 2016 के नियम 13 अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर नवीन लाइसेंस जारी करने/नहीं करने का निर्णय लिये जाने की अवधि निर्धारित है। आयुध नियम 2016 के नियम 24(1) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पुराना लाइसेंस नवीनीकरण करने का समय निर्धारित है। लाइसेंस जारी करने/ नवीनीकरण करने के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करने की समय-सीमा निर्धारित है। इस संबंध में आयुध नियम 2016 के संबंधित प्रावधान की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। कोटा जिले में वर्ष 2018 में नवीनीकरण हेतु कुल 1254 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 1162 का नवीनीकरण किया जा चुका है एवं 92 आवेदन विचाराधीन हैं।

विचाराधीन आवेदनों में आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने/पुलिस जांच में नवीनीकरण की असहमति दिये जाने/पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और आवेदकों द्वारा विलम्ब फीस जमा नहीं कराने के कारण विचाराधीन है। विचाराधीन आवेदनों की उक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी। नवीनीकरण हेतु लम्बित आवेदकों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 504

(स्थगित)

बलात्कार, शारीरिक शोषण व हत्या के दर्ज प्रकरण

505. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माह जनवरी, 2014 से अब तक प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण व हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में पोक्सो एक्ट के तहत कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये एवं कितने प्रकरणों में अब तक जांच लम्बित है? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दर्ज प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2018 तक कितने बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत राहत पहुंचाने की कार्यवाही की गई? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जनवरी 2014 से 18.06.2019 तक प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण व हत्या के 11789 प्रकरण दर्ज किये गए हैं। परिशिष्ट -A, B, C, D, E, F में वर्षवार, जिलेवार एवं प्रकरणवार विवरण संलग्न हैं।

(2) उक्त प्रकरणों में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण वर्षवार परिशिष्ट -A, B, C, D, E, F के कालम 6, चालान कालम संख्या 8 एवं कालम संख्या 10 अ में लम्बित प्रकरणों का वर्षवार, जिलेवार व प्रकरणवार विवरण अंकित है।

(3) 31 दिसम्बर, 2018 तक बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत राहत पहुंचाने की कार्यवाही का वर्षवार प्रकरणवार व जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-G पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंज मण्डी व बारां अटरू के तालाबों पर अतिक्रमण

506. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कल्पना देवी)

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी व बारां अटरू में कितने-कितने तालाब, नदियां या बड़े नाले हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से किन-किन तालाबों, नदियों व बड़े नालों पर वर्षा जल आवक रास्तों व इसकी मूल क्षेत्र पर अतिक्रमण व कब्जा है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 85 तालाब, 6 नदियां और 66 बड़े नाले हैं। विधान सभा क्षेत्र अटरू बारां में 129 तालाब, 13 नदियां, 11 बड़े नाले हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त तालाबों, नदियों व बड़े नालों पर अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में गुरू गोलवलकर श्मशान घाट निर्माण की कार्ययोजना

507. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के किस-किस गांव में गुरू गोलवलकर श्मशान घाट निर्माण हेतु जनसहयोग राशि जिला परिषद् कार्यालय अथवा पंचायत समिति कार्यालय में कब-कब जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला परिषद् द्वारा किस-किस कार्य की कब-कब वित्तीय स्वीकृति जारी की गई एवं कौन-कौन सा कार्य कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से लम्बित है एवं लम्बित कार्यों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौन सा स्वीकृत कार्य, कब-कब प्रारम्भ हुआ, कौन-कौनसा कार्य कब-कब पूर्ण हो गया एवं कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन है एवं कौन-कौनसा कार्य, किन-किन कारणों से अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया? स्वीकृत कार्य कितनी अवधि में पूर्ण कर लिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के गांवों में गुरू गोलवलकर जनभागीदारी योजनान्तर्गत श्मशान घाट निर्माण हेतु जिला परिषद् कार्यालय अथवा पंचायत समिति कार्यालय में जमा करवाई गई जनसहयोग राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गुरू गोलवलकर जनभागीदारी योजनान्तर्गत पंचायत समिति रोहट में स्वीकृत कार्यो की वित्तीय स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। किसी भी कार्य की वित्तीय स्वीकृति लम्बित नहीं है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 11 कार्य पूर्ण, एक कार्य प्रगतिरत एवं एक कार्य फिनिशिंग लेवल पर है। दोनों कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाएगा। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर की ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदान

508. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर की 71 ग्राम पंचायतों में विगत पांच वर्ष में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य योजना में कितनी राशि उपलब्ध हुई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों में क्या-क्या कार्य 10 जून, 2019 तक पूर्ण किये गये व कितने कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर की 71 ग्राम पंचायतों में विगत साढ़े चार साल में राज्य व केन्द्र सरकार में व अन्य योजना में निम्नानुसार राशि उपलब्ध हुई :- **राशि (लाखों में)**

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्रा.प. की संख्या	राज्य सरकार की योजनाओं से उपलब्ध राशि	केन्द्र सरकार की योजनाओं से उपलब्ध राशि	अन्य योजनाओं से उपलब्ध राशि
1.	खानपुर	38	2387.49	7865.08	208.49
2.	झालरापाटन	08	474.33	1891.74	228.18
3.	बकानी	25	1742.23	10496.69	1183.03
	योग	**71**	**4604.05**	**20253.51**	**1619.70**

ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र की 71 उक्त पंचायतों में 10 जून, 2019 तक 9268 कार्य पूर्ण तथा 7134 कार्य शेष हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्रा.प. की संख्या	पूर्ण करवाये गये कार्य की संख्या	शेष कार्य की संख्या	योग
1.	खानपुर	38	3374	1753	5127
2.	झालरापाटन	08	1420	673	2093
3.	बकानी	25	4474	4708	9182
	योग	**71**	**9268**	**7134**	**16402**

ग्राम पंचायतवार पूर्ण करवाये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 व शेष कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

509. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र चौहटन में डामरीकृत सड़क से वंचित गांवों को एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को डामरीकृत किए जाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौहटन में डामर सड़क मार्ग से वंचित राजस्व गांवों की सूची परिशिष्ट-1 एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ना एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ में सीवरेज लाइन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

510. श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती रमीला खड़िया)

(1) क्या सरकार कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय को स्टेट मेगा हाईवे से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र कुशलगढ़ में सीवरेज लाइन के निर्माण के दौरान खोदी गई सड़कों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों की क्वालिटी सही नहीं है व क्या सरकार एकमार्गी पुल के स्थान पर द्विमार्गीय पुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय, माण्डली धम्बोला भीलुडा गढ़ी कुशलगढ़ रोड़ (एसएच-54ए) पर स्थित है। कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय को स्टेट हाईवे मेगा हाईवे से जोड़ने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में निर्माण के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण नगरपालिका कुशलगढ़ के द्वारा ही किया जा रहा है। अधिकतर सड़कों की मरम्मत कर दी गई है एवं शेष मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है जिनका माह दिसम्बर तक पूर्ण होना संभावित है। सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य जी शिडयूल के अनुसार करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में निर्माणधीन सड़कें उचित गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार बनाई जा रही हैं। द्विमार्गी सड़कों (डबल लेन) पर स्थित एकमार्गी (सिंगल लेन) पुलियाओं की चौड़ाई बढ़ाने हेतु राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में संचालित ट्यूबवैल

511. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में विगत 10 वर्ष में ट्यूबवैल लगाये गये हैं? यदि हां, तो सिंगल फेज ट्यूबवैल वर्ष 2008 से अब तक किस-किस ग्राम पंचायत में कितने लगाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्यूबवैलों में से वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं व कितने किस कारण से बन्द पड़े हैं? क्या सरकार बंद सिंगल फेज ट्यूबवैल चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) मे विगत वर्षों में ट्यूबवैल लगाये गये हैं। विगत 10 वर्षों में कुल 581 सिंगल फेज ट्यूबवैल लगाये गये हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त ट्यूबवैलों में से 461 सिंगल फेज ट्यूबवैल चालू तथा 120 ट्यूबवैल बन्द हैं। ट्यूबवैलवार चालू/बन्द की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जल स्तर नीचे चले जाने/सूखा हो जाने, बिजली कनेक्शन एवं मोटर खराब होने के कारण उक्त ट्यूबवैल बन्द है।

ट्यूबवैल जो बिजली कनेक्शन या मोटर खराब हो जाने के कारण बन्द है, उनको चैक करवाकर उपयोगी बनाया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी शहर को चम्बल नदी से पेयजल की आपूर्ति की योजना

512. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बून्दी शहर को चंबल नदी से पेयजल की योजना के तहत पानी का वितरण शुरू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत डाली गई नई पेयजल पाइप लाइन से कितने हिस्से में कनेक्शन दे दिये गये हैं और शेष रहे हिस्से में कब तक कनेक्शन दिये जाकर पेयजल वितरण शुरू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सतही जल स्रोत चम्बल नदी से बूंदी शहर को पेयजल आपूर्ति करने हेतु आधारभूत संरचनाओं के कार्य (मुख्य ट्रांसमिशन मेन एवं अन्य संबंधित कार्य) की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 द्वारा राशि रुपये 74.37 करोड़ की जारी की गई। उक्त योजना पूर्ण की जाकर बूंदी शहर में चम्बल नदी से माह जनवरी, 2017 से स्वच्छ पेयजल वितरण किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन के अंतर्गत बूंदी शहर की जलापूर्ति में आवश्यक सुधार हेतु बनाई गई योजना के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजस्थान शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज ढांचागत विकास कारपोरेशन लिमिटेड, अंतर्गत स्टेट लेवल टैक्निकल कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक 25.04.2016 द्वारा राशि रुपये 46.36 करोड़ तथा तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 641वीं बैठक दिनांक 30.06.2016 द्वारा राशि रुपये 41.95 करोड़ की जारी की गई। योजना के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स देवेन्द्र कंस्ट्रक्शन, जोधपुर को 44.68 करोड़ का दिनांक 24.05.2017 को जारी किया जाकर योजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

उक्त योजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जाकर, इसके शेष कार्य प्रगति पर हैं तथा योजना माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

(2) अमृत मिशन की उक्त योजना में स्वीकृत प्रावधान के अनुसार बूंदी शहर में उपभोक्ताओं को 13,171 जल संबंध एवं 14,832 नये जल मीटर बदलने का कार्य कराया जाना है तथा इसके विरुद्ध अब तक उपभोक्ताओं को 5235 जल संबंध जारी किये गये हैं तथा 998 नये जल मीटर बदलने का कार्य दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण किया गया है।

उक्त योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा कार्य की प्रगति के अनुरूप जल संबंध जारी करने एवं नये मीटर बदलने का कार्य सतत रूप में माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

बुंशी गांव (सुमेरपुर) में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना

513. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोराराम कुमावत)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के बुंशी गांव में विद्युत सब-स्टेशन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पावा व पालड़ी जोड में 33 केवी विद्युत सब-स्टेशन हेतु भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो उक्त का कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के बुंशी गांव में 33/11 केवी सब-स्टेशन के प्रस्ताव की निगम नियमानुसार तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। तदोपरान्त साध्य पाये जाने पर उक्त संदर्भ में उचित कार्यवाही की जाएगी।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 33/11 केवी सब-स्टेशन पावा हेतु भूमि आबंटित हो गयी है। सामग्री संग्रहण का कार्य प्रगति में है एवं माह अगस्त, 2019 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 33/11 केवी सब-स्टेशन पालड़ी जोड़ हेतु भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है।

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत एम.ओ.यू.

514. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत विगत पांच वर्ष में कितने एम.ओ.यू. पावर परचेज एग्रीमेन्ट किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्षवार सौर ऊर्जा खरीदने की दर कब-कब घटाई अथवा बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में किस दर पर सौर ऊर्जा क्रय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान सौर ऊर्जा नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) इस वित्तीय वर्ष में कृषि हेतु 5 हार्स पावर तक के बागवानी आदि हेतु क्या लक्ष्य है?

उत्तर

(1) सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत किये गये एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर पार्क भडला में सौर ऊर्जा कम्पनियों द्वारा स्थापित संयंत्रों हेतु किये गये पावर परचेज एग्रीमेन्ट का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा निगम के स्वयं के फागी में स्थापित 1 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्र का पावर परचेज एग्रीमेन्ट राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम एवं डिस्काम के मध्य किया गया। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत किये गये पावर परचेज एग्रीमेंट/पावर सेल एग्रीमेंट का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(2) सौर ऊर्जा खरीदने की दर (टैरिफ) विद्युत क्रय अनुबन्ध(PPA)/(PSA) होने के बाद न तो बढ़ाई गई है, न ही घटाई गई है।

(3) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किये गये पावर परचेज एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत सौर ऊर्जा क्रय दर का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा फागी में स्वयं के द्वारा स्थापित 1 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्र से डिस्काम को विक्रय की जा रही सौर ऊर्जा की दर रु. 6.93 प्रति यूनिट है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा क्रय की दर का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(4) सौर ऊर्जा नीति की प्रति परिशिष्ट "य" पर उपलब्ध है।

(5) उद्यानिकी विभाग के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना में कृषि एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु कृषकों के खेतों पर सिंचाई स्रोत (डिग्गी, सामुदायिक पौण्ड, जल हौज, कुआं तथा ट्यूबवैल आदि) हेतु 3 व 5 एचपी तक सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना पर अनुदान देय है।

वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा पम्प परियोजना की क्रियान्विति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में पुरातत्व विभाग की भूमि का उपयोग

515. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजयपाल मिर्धा)

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पुरातत्व विभाग की कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर स्थित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का किस-किस कार्य में व कहां-कहां उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कोई भूमि नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कोई भूमि नहीं है।

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में वित्तीय अनियमितताएं

516. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में कितने संवेदक/फर्मों/ठेकेदारों को कौन-कौनसे कार्य का ठेका दिया गया है?

(2) विगत पांच वर्षों में इन संवेदकों/फर्मों/ठेकेदारों को कोटा थर्मल प्रशासन द्वारा कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में कोटा थर्मल पावर प्लांट की आडिट कब-कब की गई? आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत 5 वर्षों में कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के कितने प्रकरण सामने आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में संवेदकों/फर्मों/ठेकेदारों को दिए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षों में कोटा थर्मल प्रशासन द्वारा किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल भुगतान**
1	2015-16	26.47
2	2016-17	20.33
3	2017-18	21.70
4	2018-19	27.48
5	2019-20 (जून, 2019 तक)	10.51

(3) विगत 5 वर्षों में कोटा थर्मल पावर प्लांट में की गई आडिट मय अवधि निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष	**आडिट अवधि**
2013-14	16.06.14 - 12.11.14
2014-15	29.06.15 - 12.10.15
2015-16	29.08.16 - 05.11.16
	28.11.16 - 31.12.16
2016-17	12.06.17 - 20.09.17
अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017	26.03.18 - 21.05.18
अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018	25.07.18 - 24.11.18

आडिट रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं।

(4) विगत 5 वर्षों में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में भ्रष्टाचार से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा एक प्रकरण अपराध संख्या 311/2015 दर्ज किया गया है जिसमें निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है:-

1. श्री ललित कुमार नन्दवाना, उप मुख्य अभियन्ता
2. श्री राजेश कुमार छावल, अधीक्षण अभियन्ता
3. श्री राजीव लोहमी, सहायक अभियन्ता
4. श्री चन्द्र शेखर शर्मा, सहायक अभियन्ता
5. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त समस्त आरोपीगण, विभाग मुख्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा दिनांक 30.10.2015 से ही निलम्बित किये जा चुके हैं। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, कोटा में लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

517. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

माह दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 तक आमेर विधान सभा क्षेत्र में कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुईं उनमें से कितनी पूर्ण हुईं? आमेर के विभिन्न गांवों को पेयजल सुविधा मुहैया करवाने के लिए और कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने हेतु माह दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 की अवधि में 75 संवर्धन / पुनर्गठित / पुनर्रूद्धार पेयजल योजनाओं हेतु राशि रुपये 5326.48 लाख, 16 आर.ओ. संयंत्र के स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 315.89 लाख तथा सौर ऊर्जा आधारित 12 बोरवैल्स मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 150.18 लाख, इस प्रकार कुल 103 योजनाएं/अन्य कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 5792.55 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में 128 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 160.43 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध 72 संवर्धन/पुनर्गठित/पुनर्रूद्धार पेयजल योजनाएं तथा समस्त 16 आर.ओ. संयंत्र एवं समस्त सौर ऊर्जा आधारित 12 बोरवैल्स मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2018 की स्वीकृत एवं शेष रही 3 पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। क्षेत्र में 128 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध 116 हैण्डपम्प स्थापना उपरांत चालू किये जा चुके हैं तथा शेष रहे 12 हैण्डपम्पों हेतु चिन्हित स्थल पर स्थानीय रहवासियों द्वारा विवाद करने के कारण इनका निर्माण नहीं हो सका है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र, आमेर की किसी भी ग्रामीण जल योजना के प्रस्ताव

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पेयजल की आवश्यकता, भू-जल की उपलब्धता एवं योजना के तकनीकी रूप से व्यावहारिक पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजनाओं की स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान

518. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में नगर निगम जयपुर में कितने सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए? उन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया गया व कितने कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम जयपुर में गत पांच वर्षों में सेवा में रहते हुए कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई व उनके कितने आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं पेंशन का लाभ दिया गया? अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे व कब तक उन्हें नियुक्ति/पेंशन जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर में गत पांच वर्षों में 1029 सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें से 900 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया गया है तथा 129 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिला है। इसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर निगम जयपुर में गत पांच वर्षों में सेवा में रहते 342 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनके 170 आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दे दी गई है एवं 229 आश्रितों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति/पेंशन नहीं दिये जाने का कारण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। शीघ्र ही अनुकम्पा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा समूह आवास योजना धाबास में आबंटित भूखण्ड

519. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धाबास, अजमेर रोड़, जयपुर (जोन-7) में 120 मीटर साइज (25x50) के भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त साइज के भूखण्ड कब व कितने आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटित भूखण्ड 120 मीटर साइज (25x50) में से कई भूखण्ड 25x50 साइज के नहीं हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों में से कई भूखण्डों की माप 120 मीटर से अधिक है किन्तु 25x50 साइज नहीं होने से उनका बिल्टअप एरिया नहीं बन रहा है? यदि हां, तो ऐसे कितने भूखण्ड हैं? क्या उक्त भूखण्डों का पट्टा जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार 25x50 के भूखण्ड नहीं होने के कारण उक्त को अन्यत्र इसी योजना में निकटतम रिक्त स्थान पर भूखण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में ऐसे कितने भूखण्ड रिक्त हैं जिन्हें आबंटित नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना में ऐसे कितने भूखण्ड हैं जिन्हें आबंटित नहीं किया गया है और पीटी सर्वे में खसरा बाउण्ड्री पर दर्शाया गया है? पीटी सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना में दिनांक 18.08.2003 को 109 भूखण्डों का जरिये लाटरी द्वारा आबंटन किया गया था। इन आबंटियों को समय-समय पर दिनांक 11.07.12, 06.11.03, 18.11.03, 27.05.08 व 30.09.03 को आबंटन पत्र जारी किये गये हैं। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना में जिन भूखण्डों की माप 120 वर्ग मीटर से अधिक है, परिशिष्ट "ब" अनुसार वर्णित है। योजना में परिशिष्ट "ब" अनुसार वर्णित

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

भूखण्डों में ऐसा कोई भूखण्ड नहीं है जिसको 25X50 साइज नहीं होने के कारण पर्याप्त बिल्टअप एरिया नहीं मिलता हो। इस प्रकार 25X50 साइज का भूखण्ड नहीं होने के कारण अन्यत्र इसी योजना में निकटतम रिक्त स्थान पर भूखण्ड दिये जाने का कोई प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नहीं है।

(4) उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 10, 15, 29, 30, 41, 101 एवं 147 रिक्त हैं एवं उन्हें आबंटित नहीं किया गया है।

(5) उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 10, 15, 29, 30, 41, 101 एवं 147 किसी को भी आबंटित नहीं किया गया है। उक्त योजना में खसरा बाउण्ड्री पर उपरोक्त भूखण्डों में से कोई भूखण्ड नहीं दर्शाया गया है। अत: पी.टी. सर्वे की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। लेकिन उक्त योजना के अनुमोदित मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर जो भूखण्ड आबंटित नहीं हुए हैं, उन भूखण्डों को पीले रंग से दर्शित कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले वार्डों को नगर विकास न्यास को सुपुर्द करने की योजना

520. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा शहर के वार्ड नम्बर 4, 5, 24 व 25 में स्थित बसावट/कालोनी/सेक्टर जो हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं उन्हें नगर निगम/नगर विकास न्यास को सुपुर्द कर दिया जाएगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त को अभी तक सुपुर्द करने में क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं तथा उनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? निराकरण करने हेतु समन्वय का कार्य कब और कौन अधिकारी किन-किन विभागों के बीच करेगा? समन्वय व निराकरण की निश्चित तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर के वार्ड संख्या 4, 5, 24 तथा 25 में से वार्ड संख्या 4 में ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्वामी विवेकानन्द नगर योजना स्थित है। इस योजना को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रदेश में स्थानीय निकायों को

(नगरीय विकास मंत्री)

हस्तान्तरित की गई अन्य योजनाओं के अनुरूप हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम कोटा के प्रतिनिधियों द्वारा योजना के संयुक्त निरीक्षण अनुसार शेष विकास कार्यों की राशि निगम में जमा कराते हुए आपसी सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाकर योजना का हस्तान्तरण नगर निगम कोटा को कर दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त योजना, नगर निगम कोटा को हस्तान्तरण किये जाने बाबत सहमति हेतु हाउसिंग बोर्ड, कोटा कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1440 दिनांक 12.09.2017 एवं कई स्मरण पत्र भी नगर निगम, कोटा को प्रेषित किये गये।

नगर निगम, कोटा एवं हाउसिंग बोर्ड, कोटा के अधिकारियों द्वारा समन्वय कर योजना का संयुक्त निरीक्षण किये जाने के पश्चात् योजना के शेष विकास कार्यों के तकमीने के अनुसार राशि नगर निगम, कोटा में जमा कराते हुए सहमति पत्र हस्ताक्षारित उपरान्त योजना का हस्तान्तरण कर दिया जाएगा।

पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना

521. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की है? यदि हां, तो ग्राम न्यायालय खोले जाने हेतु जारी दिशा-निर्देशों, उद्देश्यों, स्टाफिंग पैटर्न सहित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अब तक कहां-कहां, किस-किस जिले में, कब-कब, कितने-कितने ग्राम न्यायालय खोले गये एवं वर्तमान में क्या उन सभी से आमजन को न्याय मिल रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब भी नये ग्राम न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो नये ग्राम न्यायालय खोलने की क्या प्रक्रिया एवं मानदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत प्रावधानों के

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

अनुसार की गई है। ग्राम न्यायालयों के संबंध मे राजस्थान ग्राम न्यायालय नियम 2010 एवं अधिसूचना संख्या 6/एस.आर.ओ./2010 दिनांक 25.5.2010 की प्रति क्रमशः प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

ग्राम न्यायालय हेतु अलग से स्टाफ पैटर्न निर्धारित नहीं है तथापि अधीनस्थ न्यायालय हेतु पदों के पुनर्निर्धारण प्रक्रिया के तहत प्रति ग्राम न्यायालय निम्नानुसार स्टाफ के पद आबंटित किये गये हैं:-

क्र.स	**नाम पद**	**पदों की संख्या**
1.	आशुलिपिक ग्रेड III	1
2.	रीडर ग्रेड III	1
3.	लिपिक ग्रेड II	2
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4
5.	तामील कुनिन्दा	2
6.	वाहन चालक	1

(2) प्रदेश में अब तक खोले गये कुल 45 ग्राम न्यायालयों की जिलेवार स्थानवार एवं दिनांकवार सूचना प्रदर्श-3 पर संलग्न है। प्रदेश में स्थापित ग्राम न्यायालयों द्वारा आमजन को न्याय प्रदान किया जा रहा है।

(3) नवीन ग्राम न्यायालयों की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। राज्य में 19 ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं होने के कारण 19 नवीन ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिणधरी जिला बाड़मेर में नवीन न्यायालय की स्थापना

522. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खोले जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करना आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या सिणधरी जिला बाड़मेर में नया न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रकरण लखित होने मय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

सिणधरी जिला बाड़मेर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की राजस्थान हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अपितु लखित प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सिणधरी में ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 18.12.2019 के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

सिणधरी में ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार में वित्त विभाग को प्रेषित किया गया किन्तु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं होने के द्वारा सिणधरी में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की जा सकी है।

(2) जी हां। किन्तु सिणधरी जिला बाड़मेर मे सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/ प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लम्बित प्रकरण की संख्या 1700-2000 होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर की जा सकेगी।

सौर ऊर्जा आधारित पंपसैट अनुदान योजना

523. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए घोषित सौर ऊर्जा आधारित पंपसैट अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें किसानों को कितना अनुदान देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लिए वर्ष 2012-2013 से 20 जून, 2019 तक

(श्री खुशवीरसिंह)

कितना बजट प्रावधान किया गया एवं कितना वास्तविक व्यय हुआ तथा कितने किसानों को कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में कितने सौर ऊर्जा आधारित पंपसैटों की स्थापना का लक्ष्य था? उक्त अवधि में कितने पंपसैट स्थापित किए गए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के किन जिलों में उक्त योजना में कितने सौर उर्जा चलित पंपसैट लगाए गए एवं किन जिलों में एक भी पंपसैट नहीं लगाया गया?

(5) योजना में एक पंपसैट की लागत क्या है?

(6) प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितने किसानों को कुल कितना अनुदान स्वीकृत किया गया एवं कितना अनुदान वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्ष 2010-11 तक कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था तथा वर्तमान में कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? क्या अनुदान प्रतिशत में कमी की गई यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषकों के खेतों पर सिंचाई के लिए विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिये सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना का क्रियान्वयन उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में भू स्वामित्व रखने वाले एवं जल बचत की कुशलतम विधि का प्रयोग करने वाले उन कृषकों को लाभान्वित किया जाता है जिनके पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है अथवा कृषि विद्युत कनेक्शन की प्राथमिकता को समर्पित कर सौर ऊर्जा पम्प लगाने हेतु आवेदन किया है।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना अन्तर्गत कृषकों को निम्नानुसार दो श्रेणियों मे अनुदान देय है। प्रथम श्रेणी में वह कृषक हैं, जिन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग (डिस्काम) में आवेदन किया है तथा कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु डिस्काम की सूची में है परन्तु कृषक कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन समर्पित करने को सहमत है, उन्हें सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की आधार लागत का 75 प्रतिशत अनुदान देय है। द्वितीय श्रेणी में वह कृषक है जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है व न ही कृषि

(कृषि मंत्री)

विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है, उन्हें सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की आधार लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

(2) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में वर्ष 2012-13 से 20 जून, 2019 तक का बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय, अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या व अनुदानित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11,500 सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 10,575 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किये गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(4) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी 33 जिलों में कुल 10,575 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में वर्ष 2018-19 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की लागत का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(6) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में वर्ष 2018-19 में कुल 10,575 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किये गये जिन पर राशि रु. 18747.45 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया एवं राशि रु. 16196.53 लाख का अनुदान वितरण किया गया। जिलेवार स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की सूची, स्वीकृत अनुदान एवं वितरित अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(7) सौर ऊर्जा पम्प परियोजना वर्ष 2010-11 से सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की आधार लागत का 86 प्रतिशत अनुदान से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की स्थापना पर आधार लागत का 60 एवं 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

जी हां। वर्ष 2014-15 से अनुदान प्रतिशत में आंशिक कमी की गयी है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने के लिए कृषकों में रूचि पैदा करने एवं नवीन तकनीक होने से संयंत्र की लागत प्रारम्भ वर्ष में राशि रु. 5.68 लाख 3 एचपी प्रति सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र थी, जो वर्ष 2014-15 में घटकर राशि रु. 4.40 लाख प्रति सयंत्र तथा वर्तमान में राशि रु.

(कृषि मंत्री)

2.49 लाख प्रति संयंत्र ही हो जाने से अनुदान में आंशिक प्रतिशत की कमी की गयी है।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2018-19 तक सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर कृषकों को देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंद-बूंद सिंचाई योजनान्तर्गत सब्सिडी अनुदान में व्याप्त अनियमितताएं

524. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में बूंद-बूंद की सिंचाई योजना के अन्तर्गत उपकरण आदि खरीदने के लिए सब्सिडी/अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो 01 अप्रैल, 2018 से मई, 2019 तक कितने काश्तकारों को किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? जिलेवार अनुदान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त योजना में किसानों को दी गयी सब्सिडी अनुदानों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि के गबन/घोटाले पकड़े गये? इनमें किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम- तथा मामला अनियमितता में लिप्त माना गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संबंधित डीलर्स एवं कम्पनियों के विरुद्ध भी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन कम्पनियों/डीलर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत उक्त अवधि में कितने किसान लाभान्वित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर एवं बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों पर 01 अप्रैल 2018 से मई, 2019 तक जिलेवार लाभान्वित किये गये कृषकों की संख्या मय जारी किये गये अनुदान की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(कृषि मंत्री)

(2) 01 अप्रैल, 2018 से मई, 2019 की अवधि के दौरान बूंद-बूंद सिंचाई योजनान्तर्गत किसानों को दिये गये अनुदान के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट -2 पर उपलब्ध है।

(3) 01 अप्रैल, 2018 से मई, 2019 की अवधि के दौरान संबंधित डीलर्स एवं कम्पनियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्ति व कार्यवाही की सूचना शून्य है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत उक्त अवधि में तीन किसान लाभान्वित हुए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

माह अक्टूबर 2018

1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री घासीराम चौधरी गोविन्दपुरा, सांगानेर

2. श्री कमली देवी पत्नी श्री घासीराम चौधरी गोविन्दपुरा, सांगानेर

माह जनवरी 2019

3. मन्ना देवी पत्नी श्री पोखरमल ब्राह्मण, सांगानेर

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारबंदी हेतु देय अनुदान

525. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु तारबंदी के लिए अनुदान देने की योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में तारबंदी अनुदान हेतु कहां-कहां पर कितना-कितना बजट स्वीकृत किया गया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में तारबंदी हेतु कितने किसानों ने आवेदन किया? कितने किसानों को अनुदान दिया गया तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अधिक किसानों को लाभ देने हेतु उक्त विधान सभा क्षेत्र में बजट बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एण्ड आयल पाम (एनएमओओपी, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) के अन्तर्गत नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/ चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल होए वं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पैरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 4 करोड़ 42 लाख 73 हजार का वित्तीय एवं 4 लाख 42 हजार 730 मीटर भौतिक लक्ष्यों का जिलेवार आबंटन किया गया है। परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में तारबंदी से लाभान्वित किसानों का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19		
तारबंदी आवेदन प्राप्त संख्या	तारबंदी अनुदान दिए गए आवेदनों की संख्या	तारबंदी के शेष आवेदन संख्या	तारबंदी आवेदन प्राप्त संख्या	तारबंदी अनुदान दिए गए आवेदनों की संख्या	तारबंदी के शेष आवेदन संख्या
6	2	-	-	-	-

विभागीय दिशा-निर्देशानुसार (मापदण्ड) न होने के कारण शेष 4 कृषकों के आवेदन निरस्त किये गये।

वर्ष 2018-19 में तारबंदी सामूहिक रूप से (10/05 हैक्टेयर) होने के कारण एवं इस क्षेत्र की छोटी जोत होने के कारण आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

(4) तारबंदी कार्यक्रम के तहत भौतिक लक्ष्य राज्य से समस्त जिलों

(कृषि मंत्री)

में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल को मध्यनजर रखते हुए जिलावार आबंटित किये गये हैं। यह प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त बजट राशि की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के मध्यनजर आबंटित किये गये हैं। जिले को आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति क्षेत्र विशेष की मांग अनुसार की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान बढ़ाने की कार्ययोजना

526. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी गौशाला पंजीकृत हैं? वर्तमान में गौशाला में किस-किस पशु पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौशालाओं को वर्तमान में दिये जा रहे अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने हेतु नन्दी शालाओं के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 2727 गौशालाएं पंजीकृत हैं।

सरकार द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन पोषण के लिए चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु बड़े गौवंश हेतु रु. 32 तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 90 दिवस हेतु सहायता राशि दी गई। वर्ष 2018-19 में दिवसों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 दिवस कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौशालाओं में संधारित गौवंश को सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रु. 32 से बढ़ाकर रु. 40 प्रति गौवंश प्रतिदिन एवं छोटे गौवंश हेतु रु. 16 से बढ़ाकर रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 09.03.2019 प्रसारित किया जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(गोपालन मंत्री)

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15966 दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौशालाओं में संधारित गौवंश को सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रु. 32 से बढ़ाकर रु. 40 प्रति गौवंश प्रतिदिन एवं छोटे गौवंश हेतु रु. 16 से बढ़ाकर रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया जा चुका है।

(3) जी हां। उक्त योजना में कुल 59 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से कुल 24 स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण में गौशालाओं को गौवंश हेतु देय अनुदान

527. श्री अविनाश (जैतारण): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितनी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं? इनमें कुल कितने गौवंश हैं? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण रजिस्टर्ड गौशालाओं को सरकारी अनुदान मिल चुका है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गौशालाओं में प्रत्येक गौवंश के लिए कितना अनुदान प्रतिदिन के हिसाब से देय होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गौवंश के अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 तथा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंतर्गत 49 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिसमें 17072 गौवंश संधारित हैं। उक्त गौशालाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंजीकृत गौशालाओं को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान माह जनवरी 2019 तक हो चुका है। जिसकी विस्तृत सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। फरवरी व मार्च 2019 की देय सहायता हेतु बजट का आबंटन किया जा चुका है, जिसके वितरण की

(गोपालन मंत्री)

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी तक उक्त विधान सभा क्षेत्र की गौशालाओं को राशि रु. 471.96 लाख का भुगतान हो चुका है।

(3) गौशालाओं में आवासित गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें बड़े गौवंश हेतु 32/- तथा छोटे गौवंश हेतु 16/- प्रतिदिन प्रति गौवंश वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिये जाने का प्रावधान था। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु 40/- तथा छोटे गौवंश हेतु 20/- रु. की गई है।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15966 दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये पूर्व में दी जा रही बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. एवं छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. की सहायता राशि को बढ़ाकर 40/- रु. तथा 20/- रु. किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की कार्ययोजना

528. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध संघ द्वारा तीन वर्ष पूर्व राष्ट्रीय समग्र सहकारी विकास योजना श्रीगंगानगर से रुपये 3.99 करोड़ का ऋण लेकर घड़साना में स्वयं का दुग्ध अवशीतन केन्द्र दिनांक 30.04.2018 से प्रारम्भ किया है जो कि अनूपगढ़ से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है। वर्तमान में संघ द्वारा अनूपगढ़ क्षेत्र में दुग्ध पथ बनाकर ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/प्रस्तावित समितियों के माध्यम से दुग्ध संकलन कर क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है इसलिये वर्तमान में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से अनूपगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(गोपालन मंत्री)

दुग्ध अवशीतन केन्द्र घड़साना की दूरी अनूपगढ़ से मात्र 25 किलोमीटर ही है। अनूपगढ़ क्षेत्र का दूध अवशीतन केन्द्र घड़साना ले जाकर चिल्ड किया जाता है इसलिये अनूपगढ़ में अवशीतन केन्द्र लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर के निर्धन परिवारों को वितरित खाद्य सामग्री

529. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में निर्धनता सीमा रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य वस्तुएं किस मूल्य पर वितरित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को कितना गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुएं वितरित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने चयनित निर्धन परिवार हैं एवं कितने आवेदन लम्बित हैं? लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले (अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल) परिवारों को वर्तमान में गेहूं 1.00 रुपये प्रति किलो की दर से एवं चीनी केवल अन्त्योदय परिवारों को 24.50 रुपये प्रति किलो की दर से तथा केरोसीन तेल केवल बिना गैस कनेक्शनधारकों को 35.40 रुपये प्रति लीटर की दर से वितरण किया जाता है।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों (अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल) को वितरित गेहूं एवं चीनी (केवल अन्त्योदय परिवारों को) की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जयपुर जिले में 90095 बीपीएल, 14296 अन्त्योदय, 28741 स्टेट बीपीएल परिवार पंजीकृत हैं। वर्तमान में उक्त श्रेणी में चयन करने हेतु 214 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका निस्तारण शीघ्र कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में राशन डीलरों का चार्ज

530. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितने राशन डीलर के अनुज्ञा-पत्र लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में निलम्बित अथवा निरस्त राशन डीलर का चार्ज वितरण हेतु अन्य डीलर को देने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन व केरोसीन डीलरों का चार्ज किन-किन डीलरों को दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों को लाभ पहुंचाने हेतु नियम विरुद्ध एक से अधिक राशन व केरोसीन डिपो का चार्ज दिया गया है? यदि हां, तो किन-किनको व इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 5 राशन डीलर के प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं 6 राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये है। कारण सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में निलम्बित व निरस्त राशन डीलर का चार्ज अन्य डीलर को देने हेतु वर्तमान में खाद्य विभाग के आदेश एफ 17(9) खा.वि. न्याय 2012-।। जयपुर दिनांक 13.06.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन व केरोसीन डीलरों को दिये गये अतिरिक्त चार्ज की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोक परिवहन सेवा के निर्धारित नियम/मानदण्ड

531. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में लोक परिवहन सेवा हेतु निर्धारित नियमों व आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत जारी लोक परिवहन सेवा के समस्त परमिटों व संबंधित वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में लोक परिवहन सेवा हेतु निर्धारित नियमों व आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत लोक परिवहन सेवा का कोई परमिट जारी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रा.रा.प.प.नि. में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के लम्बित प्रकरण

532. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से आगार में कितने-कितने कर्मचारियों के, कब-कब से पेंशन प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें पेंशन व अन्य परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विभिन्न आगारों/इकाइयों में कुल 18 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लम्बित चल रहे हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। लम्बित पेंशन प्रकरण एक-दो माह पुराने हैं जिसका निस्तारण शीघ्र कर दिया जाएगा।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। निगम कर्मचारी के दस्तावेज पूर्ण होने पर निगम की पेंशन के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें पेंशन देने का विचार है।

बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान वित्तीय उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महुवा के विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे

533. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में किस-किस सरकारी विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में उक्त सीसीटीवी कैमरे वर्तमान में चालू हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा (दौसा) के 10 राजकीय विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा दौसा के सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त 10 विद्यालयों में से वर्तमान में 09 राजकीय विद्यालयों के सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में हैं। मात्र एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमालपुर, दौसा का सीसीटीवी कैमरा खराब है, जिसे यथा शीघ्र दुरूस्त करवा दिया जायेगा।

(3) जी हां। राउमावि, कमालपुर, दौसा के खराब सीसीटीवी कैमरे को यथाशीघ्र दुरुस्त करवा दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी विद्यालयों में मध्याहन भोजन

534. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2008 से 30 जून, 2019 तक कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था तथा इसके विरुद्ध कितने बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया गया? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 3 वर्षों में मध्यान्ह भोजन खाने से कितने बच्चों को उल्टी दस्त आदि के मामले दर्ज किये गये? इसमें से अब तक कितनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर समाचार प्रकाशित होते रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उक्त समाचारों के आधार पर क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों एवं स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टरों में अध्ययनरत बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2008 से 30 जून, 2019 तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008 से अब तक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) धौलपुर जिले के सैपऊ ब्लाक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में वर्ष 2018 में मध्यान्ह भोजन खाने से उल्टी दस्त का मामला हुआ है। तत्पश्चात् श्री बहादुर सिंह, प्रबोधक (पोषाहार प्रभारी) व श्री माता प्रसाद, प्रबोधक (कार्यवाहक प्रधानाध्यापक) को ए.पी.ओ. कर निलम्बित किया गया, विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। अन्य किसी जिले में उल्टी दस्त का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(4) मिड-डे मील गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघरों एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा कुछ जिलों में उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन की गुणवत्ता से संबंधित समाचार प्रकाशित होने पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रतापगढ़ एवं सवाईमाधोपुर के पंचायत समिति खण्डार में निजी संस्था की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में दोषी पाये जाने पर पोषाहार वितरण का कार्य प्रत्याहरित कर विद्यालय प्रबंधन समिति को दे दिया गया है।

करौली जिले में भोजन की गुणवत्ता की शिकायत होने पर अन्नपूर्णा सहकारी समितियों का संचालन बंद कर विद्यालय प्रबंधन समिति को मध्यान्ह भोजन का कार्य सौंप दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में 6-डी के नियमों का उल्लंघन

535. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में 6 डी के नियमों के उल्लंघन को लेकर राहत के लिए कुछ अध्यापक न्यायालय में गये हैं? यदि हां, तो न्यायालय में जाने वाले अध्यापकों की सूची व उन्हें दी जाने वाली राहत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर जिला झालावाड़ में 6 डी के नियमों के उल्लंघन को लेकर 13 अध्यापकों ने विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किये थे। न्यायालय में जाने वाले अध्यापकों की सूची एवं उन्हें दी जाने वाली राहत का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

536. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नोखा में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (रा.प्रा.वि. दासनू, सरणों की ढाणी सोमलसर, किरतासर, भौम बिलनियासर, कवालिया

(श्री बिहारीलाल)

प्याउ रामनगर) व उच्च प्राथमिक से माध्यमिक (मूंजासर, केड़ली कुम्भासर, पाचू ढाणी, जिखालों की ढाणी बंधड़ा, साजनवासी) व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (राजकीय बालिका विद्यालय सुधारों का बास नोखा, घड्डू, पिथरासर, धूंपालिया, मैयासर) स्तर पर विद्यालयों के क्रमोन्नयन का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (राप्रावि दासनू, राप्रावि सरणों की ढाणी सोमलसर, राप्रावि किरतासर, राप्रावि भौम बिलनियासर, राप्रावि कवालिया प्याउ रामनगर) स्तर पर विद्यालय के क्रमोन्नयन का कोई प्रस्ताव विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नोखा में राउप्रावि मूंजासर, राउप्रावि केडली, राउप्रावि कुम्भसर, राउप्रावि पांचू ढाणी, राउप्रावि जिखालों की ढाणी बंघडा, राउप्रावि साजनवासी को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत सम्भव नहीं, क्यों इनके ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभाग द्वारा पूर्व से ही उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है।

राबामावि सुधारों का बास नोखा, शहरी/नगरपालिका क्षेत्र होने के कारण क्रमोन्नति संभव नहीं है। रामावि घड्डू, रामावि पिथरासर, रामावि धूपालिया, रामावि मैयासर इनके ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पूर्व से ही उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होने के कारण क्रमोन्नति सम्भव नहीं है।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन से नामांकन में वृद्धि

537. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? विगत 5 वर्षों में प्रदेश के जिलों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर कितनी राशि का व्यय किया गया? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों से बालिकाओं के नामांकन में कितनी वृद्धि हुई? गत 5 वर्षों में बालिकाओं के नामांकन में हुई वृद्धि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों से बालिका शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ? गत 5 वर्षों में परीक्षा परिणाम सहित गुणवत्ता सुधार का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. गार्गी पुरस्कार योजाना 2. बालिका प्रोत्साहन योजना 3. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 4. विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा 5. मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 6. नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना 7. आर्थिक पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना। उक्त संचालित योजनाओं में विगत 5 वर्षों में व्यय राशि का जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट- "क-1 से क-7" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा आपकी बेटी योजना सत्र 2004-05 से आयोजित की जा रही है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिका जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है, को कक्षा 01 से 08 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली पात्र बालिकओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कक्षा 01 से 08 में अध्ययनरत बालिकओं को राशि रुपये 1100/- प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसे दिनांक 31.05.2019 के द्वारा इसे बढाकर 2100/- प्रतिवर्ष कर दिया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित आपकी बेटी योजना में गत 05 वर्षों में व्यय की गई राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत संचालित 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत 186 शारदे बालिका छात्रावास संचालित थे। सत्र 2018-19 में एसएसए एवं रमसा के एकीकरण के पश्चात् उक्त छात्रावासों को निम्नानुसार तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है :-

1. केजीबीवी टाइप-1 कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय कुल संख्या 132;

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

2. केजीबीवी टाइप-3 कक्षा 6 से 8 व कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए आवासीय/छात्रावास सुविधाएं कुल संख्या 68; तथा
3. केजीबीवी टाइप-4 कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा कुल संख्या 118.

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, शहरी वंचित वर्ग तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए नि:शुल्क आवासीय सुविधाएं, शिक्षा, भोजन, टीएलएम, निजी उपयोग की वस्तुएं चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है।

बालिका शिक्षा को प्रोजेक्ट देने के लिये बालिका शिक्षा एवं केजीबीवी में संचालन पर व्यय राशि जिलेवार व वर्षवार संलग्न हैं।

परियोजना अन्तर्गत बालिका शिक्षा को प्रोजेक्ट हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मीना मंच तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गार्गी मंच का संचालन अभिव्यक्ति के अधिकतम अवसर देने, शिक्षा में समानता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने एवं किशोरी बालिकाओं के मुद्दों पर चर्चा इत्यादि हेतु किया जाता है विद्यालय में जेण्डर संवेदी वातावरण बनाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर अध्यापिका मंच संचालित है तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण द्वारा छात्राओं को सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। इन योजनाओं पर व्यय राशि जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(2) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के आयोजन से बालिकाओं के नामांकन के आशातीत वृद्धि हुई है। गत 5 वर्षों में बालिकाओं के नामांकन में हुई वृद्धि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के गत 5 वर्षों में बालिकाओं के नामांकन में हुई वृद्धि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत केजीबीवी में गत वर्षों का जिलेवार नामांकन परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(3) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों से बालिका शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हुआ है। गत 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम परिशिष्ट-छ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के गत 5 वर्षों में बालिकाओं की संख्या एवं सत्रवार परीक्षा परिणाम परिशिष्ट-ज पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत केजीबीवी में गत वर्षों का जिलेवार परीक्षा परिणाम परिशिष्ट-झ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीमा रक्षा दल के स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

538. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पुलिस, जेल, आबकारी, वन विभाग एवं आरएसी सहित गृह रक्षा के स्थायीकर्मी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है? यदि हां, तो क्या सरकार सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति उम्र भी 60 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान होमगार्ड नियम 1962 (9) में स्वयंसेवक की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित है।

(2) जी हां।

जी नहीं। सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों की उम्र 55 से 60 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं। राजस्थान होमगार्ड्स रूल्स 1962 में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

प्रदेश में गृह रक्षा के जवानों को रोजगार

539. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गृह रक्षा के 30,000 जवान हैं जिनमें से केवल 11 हजार जवानों को ही प्रतिमाह रोजगार मिलता है? यदि हां, तो अन्य को क्यों नहीं?

(2) वर्ष में उक्त जवानों को सिर्फ 3 माह ड्यूटी मिलती है तथा 9 माह बेरोजगार रखा जाता है?

(3) क्या सरकार पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों की भांति प्रदेश में भी गृह रक्षा के जवानों को पूरे वर्ष रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान गृह रक्षा विभाग में स्वयंसेवकों की कुल स्वीकृत नफरी 30714 के विरुद्ध 28206 सदस्य नामांकित हैं, जिनमें से 10134 स्वयंसेवक विभिन्न ड्यूटियों में नियोजित हैं।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को विभिन्न ड्यूटियों में मांगकर्ता विभाग/एजेंसी की मांग पर नियोजित किया जाता है। जिलों में नियोजन की सीमित मांग होने के कारण होमगार्डों को वर्षभर नियमित ड्यूटी नहीं मिल पा रही है।

(2) गृहरक्षा के स्वयंसेवकों के नियोजन की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। मांगकर्ता विभाग/एजेंसी की मांग के आधार पर स्वयंसेवकों को ड्यूटी मिलती है।

(3) जी नहीं। होमगार्ड सदस्य स्थाई कार्मिक नहीं हैं और न ही गृह रक्षा जीविकोपार्जन का साधन है। इन्हें आवश्यकता के समय ड्यूटी पर नियोजित किया जाता है।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

डूंगरपुर में सब्जी बेचने वाले आदिवासियों को नगर परिषद् के कर्मचारियों से परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नगर परिषद् द्वारा मनमर्जी से गरीब आदिवासी लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो कि दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। गांवों से डूंगरपुर की ओर आकर वहां सब्जी बेचकर घर का गुजारा चलाने हेतु पैसा कमाते हैं, परंतु उनको नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा डराया/धमकाया जाता है व उनसे सब्जी बेचने के लिए किसी स्थान पर बैठने की एवज में पैसा वसूला जाता है। स्वच्छता के नाम पर गरीब आदिवासी को लूटा जा रहा है, जो पहले से वहां कैबिन व ठेला लगाकर बैठे हुए हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गरीब लोग कहां जाएंगे? नगरपालिका द्वारा नये कैबिन बनाकर दिये जा रहे हैं, लेकिन उसका डिपोजिट 1 से 2 लाख तक है, एक गरीब व्यक्ति इतना पैसा कहां से ला सकता है। माण्डवा ग्राम पंचायत में वीर काली बाई भील का पेनोरमा बना हुआ है, जहां भी नगर परिषद् अतिक्रमण कर रही है। वास्तव में वह ग्राम पंचायत की जमीन पर बना हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि जितनी भी आदिवासियों की जमीन नगर परिषद् ने एक्वायर की है, ऐसे प्रभावित आदिवासी लोगों को उनकी जमीन वापस दिलवाई जाए या उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जावे। 5 साल में नगर परिषद् में जितने भी कार्य हुए, उनकी जांच होनी चाहिए। वर्षवार कितना बजट मिला, कितना कहां-कहां खर्च हुआ, निविदा कितनी प्राप्त हुई, किसकी निविदा निकली, नगर परिषद् ने क्या-क्या उपकरण खरीदे व लोक निर्माण के क्या कार्य करवाये? बिल वाउचर सहित सभी की जांच करवाई जाए।

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से मेरा निवेदन है कि उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश प्रदान करें।

गणेश घोघरा

(डूंगरपुर)

आसीन्द के गांवों में सड़क निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सरकार यह दावा करती है कि सभी गांवों को सड़को से जोड़ा जा रहा है जबकि सच कुछ और ही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आसीन्द विधान सभा के कुछ गांव आज भी पक्की सड़कों से वंचित हैं। इनमें कुछ गांवों के नाम इस प्रकार हैं-

1. कटार चौराहा से कटार, जो कि ग्राम पंचायत है।
2. कटार से रघुनाथपुरा, यह भी ग्राम पंचायत है।
3. भोनास से दोलतगढ़, यह भी ग्राम पंचायत है।
4. सोडार से कालियास, यह भी ग्राम पंचायत है।
5. मेरवाड़ा से पाण्डरू।
6. आसीन्द से चैनपुरा वाया अरजुनपुरा
7. चोटीयास से बाजून्दा वाया रेलियां, हाथी भाटा।
8. प्रतापपुरा से दडावट गोठा (जो एक प्रसिद्ध देवनारायण मंदिर है)।
9. भोनास से पाण्डरू।
10. ब्राह्मणों की सरेरी से केरिया।
11. कटार से चानसीन।
12. ग्राम पंचायत नेगडिया में साबदड़ा चौराहा से नुवालिया वाया खेड़ा।
13. तिलोली से नंगपुरा।
14. करेडा रोड़ पर राजपुरा चौराहा से राजपुरा, सकता का खेड़ा।
15. झाली चौराहा से जिन्द्रास, जालरिया।
16. डोटा से करियाला।
17. भोजपुरा से गिंदण माता जी।
18. मालासेरी से जबरकिया।
19. फोरलेन सड़क से आदर्शनगर (खारी का लाम्बा ग्राम पं. में)।
20. हुरडा से आनन्दीपुरा वाया खाती खेड़ा।
21. उंखलिया से राज का देवरीया आदि।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी

पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सभी गांवों जो इनमें नहीं लिखे हैं, उनमें भी सरकार पक्की सड़कें बनाकर अनुगृहीत करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

जब्बर सिंह सांखला

(आसींद)

सुमेरपुर के वाणियावास बांध की नहर की चौड़ाई बढ़ाना

महोदय,

सुमेरपुर विधान सभा में पाली पंचायत समिति में वाणियावास बांध पर बांध सुदृढ़ीकरण, नहरों का पुनः निर्माण कार्य चल रहा है। इस बांध में दो कैनाल बनी हुई हैं राइट कैनाल जो पूर्व में निर्मित है जिसकी नीचे की चौड़ाई 6 फीट व ऊपर की चौड़ाई 12 फीट थी व लेफ्ट कैनाल की चौड़ाई नीचे 4 व ऊपर भी चार फीट थी ये कैनाल तोड़कर पुन: नई बना रहे हैं जिसमें राइट कैनाल की नीचे की चौड़ाई 4 फीट व ऊपर की चौड़ाई 10 फीट कर रहे हैं व लेफ्ट की 1000 फुट तक 4-4 व उसके बाद नीचे की चौड़ाई 1½ फीट व ऊपर की चौड़ाई 3 फीट कर रहे है। इन नहरों का निर्माण जब बांध का निर्माण हुआ था तब हुआ था। इन नहरों से वाणियावास बांध के कमाण्ड की सिंचाई पूरी नहीं होती, टेल पर कई खेतों तक पानी भी नहीं पहुंचता है। इसी समस्या के समाधान हेतु बांध का ओवरफ्लो पिछले वर्षों में 2 फीट बढ़ाया गया। ओवरफ्लो की ऊंचाई 2 फीट बढ़ाने से बांध में पानी की आवक बढ़ने के बावजूद सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर की साइज छोटी कर रहे हैं। नहर की साइज छोटी करने से कमाण्ड क्षेत्र में टेल के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा फिर यह नहर वापस तोड़नी पड़ेगी। इससे सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। वाणियावास जल उपभोक्ता संगठन कमाण्ड क्षेत्र के अध्यक्ष, संगम अध्यक्षों व किसानों के विरोध करने के बावजूद प्रशासन ने इन नहरों को तोड़ दी।

अतः जनहित में कमाण्ड क्षेत्र के किसानों की राय लेकर इन नहरों की साइज 1-1 फुट बढाई जाए या पुराने नाप की राइट कैनाल 6-12 व लेफ्ट कैनाल 4-4 का निर्माण कराने का आदेश करावें। क्या सरकार किसानों के हित

में नहर की साइज एक-एक फीट बढ़ाने का विचार रखती है या पुरानी नाप अनुसार रखने का विचार रखती है?

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

पशु चिकित्सा अधिकारी के भर्ती नियम, 1963 में संशोधन को मंजूरी

महोदय,

नम्र निवेदन है कि पशुपालन विभाग में वर्तमान में कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 65% पद पूरे राजस्थान प्रदेश में रिक्त चल रहे हैं, बावजूद इसके पिछले 6 वर्षों से एक भी पद की भर्ती नहीं निकाली गई है।

महोदय जी, वर्ष 2017-18 के बजट में 900 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी जिसकी क्रमश: कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग से स्वीकृति समय-समय पर मिलती रहती है। वर्तमान में भी कार्मिक विभाग (क-2/नियम) से दिनांक 5-3-2019 एवं वित्त विभाग से दिनांक 18-4-2019 को स्वीकृति मिली हुई है। पिछले ढाई वर्षों से यह नियम संशोधन की फाइल क्रमश पशुपालन विभाग, सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बीच चक्कर काट रही है क्योंकि इस नियम संशोधन की प्रक्रिया पर राजस्थान लोक सेवा आयोग हर बार नई-नई अड़चने डालकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अर्थात् लेट करना है।

श्रीमान जी, 1963 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को केबिनेट मंजूरी दिलवायें ताकि पशु चिकित्सक मिल सके और किसानों की पशुपालन में मदद हो सके।

बलवान पूनियां

(भादरा)

बानसूर की पेयजल समस्याओं का निराकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रतिदिन जलस्तर घटता जा रहा है। कुछ गांवों में तो कई-कई किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता और एक हजार व 1500 फुट पर पानी मिलता है। कभी-कभी मंत्री जी पानी जमीन में मिलता ही नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बड़े गांव पेयजल योजना से वंचित रह गये, उन गांवों को शेष रही पंचायतों को पेयजल योजना से जोड़ा जाए। ऊंचाई वाली टंकी बनाकर पाइप लाइन स्वीकृत की जाए। पीएचईडी विभाग से सर्वे करवाकर एवं जन प्रतिनिधियों से भी सलाह करके निष्पक्षता से जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनवाकर तुरन्त प्रभाव से पेयजल से वंचित गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। जैसे गांव हमीरपुर, लोयती बबेरा, केरपुरा, ईसरा का बास, गुता शाहपुर, बबेडी, रामपुर, जयसिंहपुरा छींड, नायूसर लोद, खरखडी, बुर्जा, तुरकियावास, मोरोडी, भगू का बास, माजरा डाकोडा, रायली, आलनपुर कराना आदि के शेष गांवों को पाइप लाइन से जोड़े जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है। आज तक स्वीकृत नहीं हुई। पानी पिलाने का कार्य धर्म का कार्य है। इसमें भी टाइम लगाते हैं। इसमें पाइप लाइन एवं बोरिंगों को स्वीकृत करने में समय नहीं लगाना चाहिए। एईएन, एक्सईएन, एस.ई. सैक्रेटरी महोदय एक-दूसरे पर टाले नहीं। काम करें सरकार बदल गई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के संबंध में तुरन्त सर्वे करवाकर बड़ी ऊंचाई की टंकियां एवं पाइप लाइन का प्रस्ताव मंगवाकर स्वीकृत करें।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

पचपदरा की ग्राम पंचायत भीमरलाई की फैक्ट्रियों में जिप्सम की अवैध आपूर्ति

महोदय,

में राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील पचपदरा की ग्राम पंचायत भीमरलाई के भूगर्भ में जिप्सम पाया जाता है। यहां रात-दिन वाहनों से अवैध जिप्सम खनन कर फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा रखा है। जिम्मेदार विभिन्न विभाग के अधिकारियों की पनाह में ही यह सब हो रहा है। शिकायत करने पर ग्रामीणों को विभिन्न झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यह सारा कार्य माफिया के मास्टर माइंड एक कांस्टेबल जो वर्तमान में सी.आई.डी. सीबी में विगत 4-5 सालों से कार्यरत है और हमेशा भीमरलाई क्षेत्र में ही दिखाई देता है। उसने अपने पद एवं

दबंगाई से भोले-भाले गरीब एवं अनपढ़ काश्तकारों को पुलिस की धमकी देकर, नाममात्र के पैसे देकर नहीं मानने पर झूठे मुकदमों में फंसाकर यहां आतंक फैला रखा है। इसी कारण कमजोर एवं गरीब लोग भयभीत हैं। खुद सरकारी कर्मचारी एवं कानूनी धाराओं का जानकार होने के कारण ग्रामीणों पर खुद के साथ मारपीट एवं अन्य आरोप लगाकर झूठे मुकदमे कर दिये व करवा दिये। यह सब विगत 4-5 सालों से तत्कालीन स्थानीय पुलिस प्रशासन, खनन विभाग के अधिकारी, स्थानीय ग्रामसेवक एवं पटवारी एवं जन प्रतिनिधियों की मिलीभगत एवं आश्रय बिना संभव ही नहीं है। मेरी मांग है कि प्रथम तो उमरलाई में हो रहे अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तत्पश्चात् राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व, खनिज, पुलिस एवं पंचायती राज विभाग के साथ स्थानीय जन प्रतिनिधि की एक कमेटी का गठन कर अवैध खनन और उनसे सम्बन्धित सभी पक्षों की जांच की जाए साथ ही किये गये अवैध खनन के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों एवं सम्बन्धित फर्म की जवाबदेही निश्चित कर नियमानुसार दण्डित किया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और सरकारी सम्पदा, राजस्व का संरक्षण हो सके।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

बाड़मेर जिले के राजस्व ग्राम हिन्डीया को तोड़ कर नया राजस्व ग्राम "पुरानियों की बस्ती" का गठन करना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील रामसर के राजस्व ग्राम हिन्डीया को तोड़कर नया राजस्व ग्राम जाति विशेष के नाम "पुरानियों की बस्ती" से राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है, जिससे हिन्डीया ग्राम की जनता में भारी असंतोष है, क्योंकि पूराराम के नाम से जो गांव घोषित किया, उसमें सारी जमीन मुस्लिम समाज के लोगों की है और आबादी भी मुस्लिमों की है। तहसील चौहटन के जाति विशेष के नाम से जो गांव घोषित कराया, वो नियमों के भी विरुद्ध है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तहसील रामसर में 'पुरानियों की बस्ती' के नाम से जो घोषित किया हुआ है, उसे रद्द किया जावे।

अमीन खां

(शिव)

मन्दिर माफी की जमीनों का नामान्तरण काश्तकारों के नाम खोला जाना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा मन्दिर माफी जमीन पर काश्तकार के नाम नामान्तरण पर पिछले कई वर्षों से रोक लगाई हुई है, जिसके माध्यम से राजस्थान के लघु सीमान्त कृषकों/पुजारी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री द्वारा घोषित प्रधान मंत्री किसान समृद्धि बीमा योजना से वंचित होना पड़ रहा है।

इस प्रकार से राजस्थान के हजारों परिवार इस योजना से वंचित हो रहे हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में इसी तरह की समस्या विद्यमान है। इसलिए मा. मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मन्दिर माफी जमीन को काश्तकार के नाम नामान्तरण खोलने की अनुमति प्रदान करावें जिससे सभी आमजन लाभान्वित हो सके।

माननीय अध्यक्ष माहोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन पुजारियों का कब्जा होने के बावजूद भी यह जमीन इनके खाते में नहीं होने से इनको इस प्रकार की भूमि पर को-आपरेटिव समिति द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। पुजारी/किसान आम गरीब व्यक्ति एक साहूकार से दो रु. सैकड़ा या पांच रु. सैकड़ा पर ऋण लेकर अपनी खेती का कृषि उपयोग करता है, जिससे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि कई बार बेमौसम की मार व अकाल की स्थिति होने पर उस किसान को कोई भी प्रकार के बीमे का लाभ सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है और गरीब पुजारी और गरीब हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस प्रकार के किसान/ पुजारी को जमीन का नामान्तरण खोलकर को-आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से ऋण उपलब्ध करावें, जिससे गरीब पुजारी को लाभ प्राप्त हो सके व उसके

परिवार को संबल प्रदान हो सके। इस प्रकार के सभी परिवार आपका आभार प्रकट करेंगे।

अभिनेष महर्षि

(रतनगढ़)

जायल उपखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालंय जायल में बालकों के खेलकूद व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु किसी प्रकार की सुविधा नहीं है।

मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि जायल मुख्यालय पर जो भूमि उपलब्ध है, पर अतिक्रमण हो रहा है। अतः मुख्यालय की जमीन व बालकों के लिए स्टेडियम को मद्देनजर रखते हुए जायल में स्टेडियम की स्वीकृति जारी होनी चाहिए, ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके।

साथ ही, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान विकसित करने हेतु प्रावधान/ नियम उपलब्ध कराने की कृपा करें।

मंजु देवी

(जायल)

खाजूवाला में बरानी भूमि का भूमिहीन किसानों को आबंटन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पूगल, छतरगढ़, खाजूवाला, बीकानेर तहसील हैं, जहां लाखों बीघा जमीन बरानी (कमांड-अनकमांड) भूमि राजरकबा पड़ी है।

वर्ष 1984 के बाद आज तक सामान्य आबंटन नहीं खुलने से स्थानीय किसानों के वयस्क पुत्रों, बेरोजगार किसानों के परिवारों को आबंटन नहीं होने से बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है तथा राजरकबे पर बरसों से कुछ लोग अवैध काश्त कर रहे हैं, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि गंगानगर, खाजूवाला, बाड़मेर, जैसलमेर पर तारबंदी की हुई है, जिसके दूसरी तरफ भी किसानों की भूमि पड़ी

है तथा राजरकबा भी है। राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर वहां आबंटन नहीं किया जा रहा है, जबकि गंगानगर, खाजूवाला, बीकानेर समेत कई जगह तारबंदी के बिल्कुल नजदीक किसानों को भूमि आबंटन की गई हैं और किसान वहां खेती कर रहे हैं। जिन किसानों को खाजूवाला क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि आबंटित हो चुकी है, वहां पर गिरदावरी में वन विभाग का भी नोट लगा होने के कारण किसानों को पानी नहीं बांटा जा रहा है और न ही खातेदारी दी जा रही है। इस तरह की भी परेशानी किसानों के सामने है, इसलिए जांच करवाकर वन विभाग का नोट हटाया जावें, ताकि किसानों को उक्त भूमि पर खातेदारी मिल सके।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि लाखों बीघा बरानी (कमांड-अनकमांड) राजरकबा भूमि जो पड़ी है, उसका सामान्य आबंटन खोलकर भूमिहीन किसानों को बरानी (कमांड-अनकमांड) भूमि का आबंटन किया जावे तथा जिन किसानों को वन विभाग का नोट लगी हुई भूमि आबंटित की गई है उस भूमि की जांच करवाकर वन विभाग का नोट हटवाया जावे।

गोविन्द राम

(खाजूवाला)

फतेहपुर की पेयजल समस्या का निराकरण

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पीएचईडी मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ की जनता को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने के लिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 832 करोड़ की एक वृहद् पेयजल योजना स्वीकृत कर दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 को इस पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया जाकर कार्य शुरू कर दिया गया था।

महोदय, 2013 में हमारी सरकार ने इस योजना के तहत गांवों व शहरों में पानी की टंकियां एवं पाइप लाइन का कार्य करवाकर लगभग 70 प्रतिशत कार्य करवा दिया था। तत्पश्चात् दिसम्बर 2013 में सरकार बदल गई और नई सरकार ने इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जिसके कारण आज तक फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ की जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन

करना चाहूंगा कि इस योजना का जो कार्य बाकी है, उसको शीघ्र पूर्ण करवाकर फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ की जनता को फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

अजमेर शहर के वाहनों के जहरीले धुएं से आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

महोदय,

अजमेर शहर के प्रमुख मार्गों पर अनियंत्रित संख्या में दौड़ रहे टैम्पो, सिटी बस, ट्रैक्टर, डंपर आदि के साथ ही पैट्रोल-डीजल से संचालित अन्य दोपहिया, तिपहिया व चौपहिया वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं से फैल रहा वायु प्रदूषण दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है जिसका क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

शहर में स्टेशन रोड, मदारगेट, पृथ्वीराज मार्ग, कचहरी रोड, वैशालीनगर, श्रीनगर रोड, आदर्शनगर, रामगंज, पुष्कर रोड आदि मार्गों व क्षेत्रों में वाहनों का दबाव सर्वाधिक है। स्टेशन रोड की स्थिति तो यह है कि यहां सर्वाधिक आटो, टैम्पो, मिनीडोर, सिटी बसें इस रूट पर संचालित होते हैं जबकि परिवहन विभाग द्वारा इनके अलग-अलग रूट निर्धारित हैं।

अजमेर शहर में गत वर्षों में वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यहां पर अन्य बड़े शहरों की तरह प्रदूषण मापने के स्वचालित यंत्र लगे हुए नहीं हैं तथा परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा भी वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच नहीं की जाती है जिससे प्रदूषण की दृष्टि से अनफिट वाहन भी बिना किसी भय के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उक्त विभागों की अनदेखी से स्टेशन रोड पर प्रायः यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे खड़े व रूक-रुककर अत्यन्त धीमी गति से चलते वाहनों से धुआं भी अधिक उत्सर्जित होता है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वाहनों के जहरीले धुएं से अजमेर की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच किये जाने की स्थाई व्यवस्था कराई जाए। साथ ही निर्धारित रूट अनुसार नगरीय वाहनों के संचालन व प्रमुख मार्गों पर यातायात जाम न हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए।

धन्यवाद।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)